योदश माला, खंड 25, अंक 33

बुधवार, 8 मई, 200
18 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 33, बुधवार, 8 मई, 2002/18 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 601 से 603	3-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 604 से 620	25-45
अतारांकित प्रश्न संख्या 6218 से 6447	45-527
सभा पटल पर रखे गए पत्र	527-537
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	537
नियम 377 के अधीन मामले	546-551
(एक) उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी और फतेहपुर होकर कानपुर इलाहाबाद और मुम्बई के बीच रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता	
डा. अशोक पटेल	546
(दो) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतनलाल कटारिया	546-547
(तीन) गुजरात में श्यामलजी और वापी के बीच राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल	547
(चार) दिल्ली और पंजाब में होशियारपुर के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती संतोष चौधरी	547-548
(पांच) पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में स्थानीय प्रसारण केन्द्र को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री मोइनुल हसन	548

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(छह) आन्ध्र प्रदेश में झंझावती जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी.वी.जी. शंकर राव	548-549
(सात) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं और सरसों की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल	549
(आठ) महाराष्ट्र में पूर्णा और अकोला के बीच रेल लाइन का आमान परिवर्तन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवाजी माने	549-550
(नौ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सजीवन	550
(दस) वित्तीय संकट से उभरने के लिए तमिलनाडु सरकार को 3600 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. चिन्नासामी	550-551
(ग्यारह) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और मण्डला के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री पुन्नू लाल मोहले	551
सरकारी विधेयक—*पारित*	552-634
(एक) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक	552-556
विचार करने के लिए प्रस्ताव	552
श्री प्रमोद महाजन	552
श्री प्रिय रंजन दासमुंशी	553
खंड 2 और 1	554
पारित करने के लिए प्रस्ताव	554
(दो) वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक	554-602
विचार करने के लिए प्रस्ताव	554
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	554, 596
श्री अधीर चौधरी	555-559
श्री गिरधारी लाल भार्गव	560-563
श्री अनिल बसु	563-567
प्रो. रासासिंह रावत	567-570
श्री पी.एच. पांडियन	570-574
श्री सुबोध मोहिते	574-577

विषय	कॉलम

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 577-591

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी 594-595

श्री रामदास आठवले 595-596

खंड 2, 3 और 1 601

पारित करने के लिए प्रस्ताव 602

(तीन) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक 602, 636

विचार करने के लिए प्रस्ताव 602

श्री शांता कुमार 602, 633

श्री के.एच. मुनियप्पा 604-605

श्री चिन्मयानन्द स्वामी 605-608

श्री महबूब जहेदी 608-610

श्री सुरेश रामराव जाधव 610-612

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 612-617

श्री ए.के.एस. विजयन 617-618

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 618-619

श्री मानसिंह पटेल 619-621

डा. वी. सरोजा 621-622

श्री एम. दुराई 623

श्री मधुसूदन मिस्त्री 623-625

श्री लक्ष्मण सिंह 625-627

श्री प्रकाश वी. पाटील 627-628

श्री रामदास आठवले 628-629

खंड 2 और 1 634

पारित करने के लिए प्रस्ताव 634

राज्य सभा से संदेश 635

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 636

विचार करने के लिए प्रस्ताव 636

श्री बालासाहिब विखे पाटील 637

श्री रूपचन्द पाल 637-646

लोक सभा

बुधवार, 8 मई, 2002/18 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों, श्री जी.के. माने और श्री एम.एस. ओबराय के निधन की सूचना देनी है।

श्री जी.के. माने, 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तत्कालीन बम्बई राज्य के सिटी सैन्ट्रल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह 1961-62 में लोक लेखा समिति के सदस्य थे।

वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कार्य किया। वह बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा जिले में अनुसूचित जातियों हेतु आदर्श ग्राम बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। महाराष्ट्र सरकार ने उनके द्वारा समाज के दलित वर्गों के लिए की गयी उल्लेखनीय सेवाओं हेतु उन्हें 'दलित मित्र' पुरस्कार से सम्मानित किया था।

थोड़ा समय बीमार रहने के पश्चात् श्री जी.के. माने का 14 अप्रैल, 2002 को 82 वर्ष की आयु में महु, महाराष्ट्र में निधन हो गया।

श्री एम.एस. ओबराय, 1968 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तत्कालीन बिहार राज्य (वर्तमान झारखंड) के हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री ओबराय, 1962 से 1968 तक और 1972 से 1978 तक उत्तर प्रदेश राज्य से राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री ओबराय होटल उद्योग से जुड़े व्यक्तियों में अग्रणी थे और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 1956 से 1959 तक अध्यक्ष रहे तथा 1960 में इसके प्रेसीडेन्ट ऑफ ऑनर भी रहे। वह इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली और काउंसिल ऑफ इन्टरनेशनल होटल एसोसिएशन, पेरिस, फ्रांस के अध्यक्ष भी रहे।

वह विलक्षण दूरदर्शिता वाले और स्वाभाविक उद्यमशील व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की तथा उन्हें होटल उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और उपाधियों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें "पद्म भूषण" पुरस्कार से सम्मानित किया था।

श्री एम.एस. ओबराय का निधन 3 मई, 2002 को 102 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

सभापति महोदय: अब 'प्रश्न काल' आरंभ होता है। श्री चन्द्रेश पटेल।

....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आज के समाचार पत्रों में यह खबर है कि कारगिल के शहीदों के लिए ताबूत दुगुने दामों पर खरीदे गए थे।....*(व्यवधान)*

महोदय, मैंने रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी है। इस पर विचार किया जाये।....*(व्यवधान)* उन्होंने सभा को गुमराह किया है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इन पर विचार किया जा रहा है। अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह साबित हो गया है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आचार्य जी, 'प्रश्न काल' के दौरान यह मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने सभा को गुमराह किया है।

सभापति महोदय: इसकी अनुमति नहीं है।

अब, श्री चन्द्रेश पटेल।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रामदास आठवले जी, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग

+
*601. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी दी है – जैसा कि 7 अप्रैल, 2002 के 'हिन्दुस्तान' समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की खबरों को देखा है जो 'डेर स्पीजेल' में छपी थी और तत्पश्चात हमारी पत्र-पत्रिकाओं में भी छपी। सरकार पाकिस्तान के नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम से जुड़ी सभी गतिविधियों पर नजर रख रही है। यह भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के प्रभावी संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: सभापति महोदय, 7 अप्रैल, 2002 के 'हिन्दुस्तान' अखबार में आया है, जिसमें मुशर्रफ साहब ने कहा है – ''मुशर्रफ ने दी भारत को परमाणु हमले की धमकी''। मंत्री महोदय ने जो लिखित उत्तर संक्षेप में दिया है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। इसके अलावा जर्मनी की एक पत्रिका ''डेर स्पीजेल'' को दिए साक्षात्कार में मुशर्रफ साहब ने कहा है – ''भारत सुपर पावर मानसिकता से ग्रसित है। वह बड़ी तेजी से आधुनिक हथियार वगैरह जुटा रहा है। यदि हालात बिगड़े और दोनों देशों में युद्ध की नौबत आई, तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएगा।'' इस बारे में मंत्री जी बतायें?

दूसरी सबसे बडी बात यह है कि कारगिल युद्ध के घाव भारत के दिमाग पर अभी भी हरे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत, पाकिस्तान शासक की बातों को हल्के तौर पर कैसे ले सकता है, जो जबरन कारगिल युद्ध की तरफ घसीट कर ले गए? वैसे संभव है, मुशर्रफ के इस तरह के अनेक ब्यानों का उद्देश्य पाकिस्तान के आवाम तक हो। इस बारे में भी मंत्री महोदय स्पष्ट बतायें?

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं। प्रश्न कम है, वक्तव्य ज्यादा है। पहले भाग में माननीय सदस्य ने उसी बात को दोहराया है, जो अखबारों में आई है और दूसरे भाग में स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो अनुमान मुझे लगा है, उसके अनुसार मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, यह आवश्यक नहीं है कि भारत, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो बयान दें, उसमें चाहे कितना बड़बोलापन हो, कैसा भी हो, हर बयान की हम काट करते फिरे। यह जरूरी भी नहीं है। इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हम इस बात को पहचानते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वक्त-बे-वक्त कई बार परमाणु अस्त्रों के प्रश्न को लेकर एक प्रकार का हौवा खड़ा करना चाहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि वह सफल नहीं होता। यह भी स्पष्ट है कि जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारी परमाणु और अणुशक्ति की नीति पाकिस्तान केन्द्रित नहीं है। वह किसी देश पर केन्द्रित नहीं है, जबकि पाकिस्तान की समूची नीति केवल भारत केन्द्रित है और भारत क्या करे, क्या न करे, वह वहीं तक सीमित हो जाती है। उसका मेरे पास उपाय नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मानसिकता का भी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जहां तक इस मामले में हमारी तैयारी का प्रश्न है, माननीय सदस्य बिल्कुल इस बारे में आश्वस्त रहें।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: सभापति महोदय, मंत्री जी ने बताया कि मैंने दूसरे शब्दों में क्या बोला, मैं समझा नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के शासकों के बयान को हल्के तौर पर कैसे ले सकता है – यह मेरा सवाल था। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: इसे इतने हल्के ढंग से क्यों लेते हो?....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माणिकराव होडल्या गावित जी, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित: महोदय, मैंने प्रश्न स्पष्ट कर दिया है।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं समझ गया हूं। माननीय सदस्य निश्चित तौर पर जानते हैं कि समय, काल और पात्र को देख कर ही वक्तव्य देना चाहिए। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में कहा। मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह आवश्यक नहीं है कि वह हर बार किसी प्रकार की धमकी दें और हम चौंक जाएं – यह जरूरी नहीं है। हम हर बात को उसके स्थान पर, उसकी सही आकलन करते हैं, सही तोलते हैं और उस पर सही कदम उठाते हैं – इससे मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर देना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, यह सवाल जिस संदर्भ में पूछा गया और जिस ढंग से इसका जवाब दिया गया, यह संतोषजनक नहीं है। 13 दिसम्बर को जब हमारी संसद के ऊपर आतंकवादियों का हमला हुआ तो उसके बाद तुरंत देश के प्रधानमंत्री, अटल जी ने ऐलान किया कि अब आर-पार की लड़ाई होगी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि – आर में अटल जी रह गए, पार में मुशर्रफ, बीच में आ गए जार्ज बुश और सरकार बहुत खुश। मैं कहना चाहता हूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब हिन्दुस्तान की बेइज्ज़ती करने के लिए, डराने के लिए, चेतावनी देने के लिए, एक बार नहीं कई बार आपकी मौजूदगी में आगरा में हमारे देश की भूमि में बैठ कर हिन्दुस्तान को बेइज्ज़त करके चले गए, जेहाद को स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई का नाम देकर चले गए। हमें अपनी फौज के ऊपर गर्व है। देश की फौज होशियार है, वह जानती है कि कैसे चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। आपने कहा कि हम क्लोजली मोनिटर कर रहे हैं। आप मोनिटर कर रहे हैं, यह रुटीन बात है। परवेज़ मुशर्रफ साहब परमाणु शक्ति के बारे में हमारे देश को धमकी देकर चुप हो गए तो क्या हमारी सरकार, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस्लामाबाद को यह संदेश भेजा गया कि परवेज़ साहब के बयान सच हैं या गलत। अगर सच हैं तो क्या वह खुद पूरे भारत में नहीं, पूरे उपमहाद्वीप में आतंकवाद को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा वातावरण बनाने के लिए, मुशर्रफ साहब को दुनिया के सामने खड़ा करने के लिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कोई योजना बनी या नहीं?

श्री जसवन्त सिंह: माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा प्रश्न, इस प्रश्न के दायरे में अन्य चिन्ताओं को लाकर और साथ-साथ उसमें टिप्पणियों का तड़का डाल कर किया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जरूर करें। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है और जो माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण चाहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके बारे में सरकार और विदेश मंत्रालय ने क्या किया, क्या नहीं किया – हम ऐसा निरंतर करते आए हैं। उसे हमने कारगिल युद्ध से शुरू किया और तभी से आतंकवाद अपने आप में एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इतना प्रमुख विषय बन गया है। दूसरा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि इस किस्म के बयान जब आते हैं तो विदेश मंत्रालय उनके बारे में क्या करता है। हम जरूर कहते हैं और बराबर पाकिस्तान सरकार को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई।

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, माननीय विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों की हैसियत से जवाब दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने एटम-बम की धमकी भारत को कई बार दी है और ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कई बार कहा है कि उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। यह कहना कि हमारी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई – प्रतिक्रिया आई है, प्रधान मंत्री जी की तरफ से भी बयान आया है तथा कई मंत्रियों के भी बयान आये हैं। आगरा के शिखर सम्मेलन के बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने धमकी भी दी और यह भी ऐलान किया कि भारत में या पाकिस्तान में भारत जिस भी स्थान पर चाहे, वह बात करने के लिए तैयार है। जब पाकिस्तान भी तैयार है और भारत की विदेश-नीति भी है कि पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बनाएंगे, बातचीत से समस्या का समाधान करेंगे – क्या इस संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का क्या कोई दौर चल रहा है या नहीं। अगर कोई विदेशी दोस्ती कराना चाहता है तो

कराए, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि एक विदेशी शक्ति ने ही भारत-पाकिस्तान का बंटवारा कराया और अब अगर कोई विदेशी शक्ति हमारे बीच दोस्ती करा दे तो अच्छा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बातचीत का दौर चल रहा है या खत्म कर दिया गया है या आगे रिश्ते अच्छे बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं या नहीं - यह कृपया पूरे देश को और इस सदन को आपको बताना चाहिए क्योंकि यह हल्का-फुल्का जवाब है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे - यह पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। सरकार देश को दो तरह का संदेश दे रही है। इसलिये आपको बताना चाहिए कि इस संबंध में आपकी स्पष्ट नीति क्या है?

श्री जसवन्त सिंह: सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो पहलू हैं। एक तो यह कि इस वक्तव्य को लेकर विदेश मंत्रालय या मैंने अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया न दी हो तो हमारे सहयोगी मंत्री और मित्र रक्षा मंत्री जी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रश्न मुझसे विदेश मंत्री की हैसियत से पूछा गया है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि विदेश मंत्रालय हर ऐसे बड़बोले प्रश्न का जवाब देता रहे।

दूसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जब जनरल मुशर्रफ साहब फरमा रहे हैं कि वह कहीं भी, किसी भी जगह और किसी भी स्तर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू क्यों नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो हम बातचीत में किस स्तर पर हैं, कहां हैं? मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मैंने उनके वक्तव्य की प्रतिक्रिया में कहा था कि हमें बातचीत संबंधों को सुधारने के लिए करनी है न कि बातचीत मात्र दिखावे या पब्लिक रिलेशन के लिए करनी है। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान के किसी नागरिक का बुरा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर हों, सरल हों और जब हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो हम पड़ोसियों के संबंध रखकर चलें। अब यह पाकिस्तान को निर्णय करना है कि वह भारत के साथ किस तरह के लांग टर्म, लम्बे समय के सम्बन्ध रखना चाहता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आज अगर पाकिस्तान शांतिप्रिय और समृद्ध देश बनता है, उसमें सामाजिक समरसता आती है तो अच्छी बात है तथा उनके हित में है। प्रजातंत्र का राजनैतिक तौर पर उनके सामने जो प्रश्न है अगर वह उसको सुलझा लेता है तो यह पाकिस्तान के हित में है, सारे क्षेत्र के हित में और भारत-पाकिस्तान संबंधों के हित में है। परन्तु पाकिस्तान अगर यह कहे कि मैं भारत की कनपटी पर आतंकवाद का तमंचा भी रखूंगा और जब पाकिस्तान चाहे तब भारत बातचीत करे यानी पाकिस्तान तय करे कि जब बातचीत का सुर उसकी लय में लगे तब वह तमंचा हटाए, फिर आगे बातचीत चले नहीं तो मैं यह तमंचा चलाता रहूंगा — अन्य माननीय सदस्य मानेंगे कि यह सम्भव नहीं होगा क्योंकि हम बैर-भाव और वैमनस्य से काम नहीं कर रहे हैं। यह अपने आप में यथार्थ और व्यवहार का रास्ता है।

श्री किरीट सोमैया: सम्माननीय सभापति जी, माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने एक सवाल पूछा कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश के प्रैशर में सरकार आ गई? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या अमेरिका ने अणु विस्फोट के पहले या उसके पश्चात कोई प्रैशर डाला था और क्या सरकार ने प्रैशर के बावजूद अणु विस्फोट किया था? क्या सरकार की आगे की नीति स्वयं संरक्षण की रहेगी या उसके ऊपर अमेरिका के दबाव का असर होगा?

श्री जसवन्त सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य न मालूम कहां से कहां पहुंच गए?

सभापति महोदय: लगता है सवाल की परिधि से बाहर चले गए।

श्री जसवन्त सिंह: मेरे मित्र दासमुंशी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा - मैंने उसका समुचित उत्तर देने का प्रयत्न किया है। जैसा मैं यह चुका हूं कि हर वक्त आवश्यक नहीं कि हम उनके वक्तव्य को पकड़ें और बाल की खाल निकालें। यह बात बिल्कुल सर्वविदित और स्पष्ट है कि भारत की नीति स्वावलम्बन की है और वह किसी के कहे अनुसार न चली है और न आगे चलेगी।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: सभापति महोदय, धन्यवाद। यह बात शत-प्रतिशत निश्चित है कि पाकिस्तान 1971 में विभाजन के समय से ही आक्रमणकारी रहा है। ताशकंद और शिमला समझौते के बाद, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आगरा शिखर सम्मेलन के लिए आए तो वह श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा पहले किए गए समझौतों पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। वह फिर नये सिरे से बातचीत करना चाहते थे। वह एक और समस्या खड़ी करना चाहते थे। वह समस्या का समाधान नहीं करना चाहते थे। हम सभी जानते हैं कि जब अमरीका ने पाकिस्तान को एफ-16 हवाई जहाज बेचे तो हमें मजबूरन फ्रांस से मिराज-2000 विमान खरीदने पड़े। और अब जबकि भारत जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उन 20 या 24 आतंकवादियों को सौंपने के लिए कह रहा है जिनकी भारत सरकार ने सूची दी है, तो उसने उन्हें भारत के हवाले नहीं किया। उन्होंने पहले कहा: "मुझे उनके नाम दो।" उसके बाद उन्होंने पूछा कि उन सभी आतंकवादियों ने खुल्लम-खुल्ला क्या-क्या आपराधिक कार्य किये हैं। भारत सरकार द्वारा उनके नामों की सूची और उनके द्वारा की गई अपराधिक

कार्यवाही की जानकारी देने के बाद भी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस आतंकवाद को समाप्त करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कारगिल का युद्ध भी पाकिस्तान के आक्रामक रवैये के कारण शुरू हुआ।

मैं तो बस इतना ही जानना चाहता हूं—क्या माननीय मंत्री महोदय ने आगरा शिखर सम्मेलन के बाद और जनरल परवेज़ मुशर्रफ द्वारा इस बात की घोषणा करने के बाद कि पाकिस्तान परमाणु आक्रमण करेगा, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए किसी कूटनीति का सहारा लिया अथवा क्या ऐसी बात है कि हमने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करना पूर्णतया बन्द कर दिया है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ भारत की बात सुनना ही नहीं चाहते वह भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित जेहादियों को भड़काया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे लोग घाटी में अभी भी सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र हैं और उन्होंने अमरीका को यह बात बताई है।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, इस प्रश्न में कई प्रश्न हैं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास परमाणु अस्त्र हैं और क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ भारत के साथ दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह प्रश्न तो प्रक्षेपास्त्र से भी बढ़कर है।....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, यह टेढ़ा प्रश्न ऐसे मंत्री से किया गया है जो टेढ़े जवाब देने के आदी हैं।....*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं नहीं जानता कि मैं किस बात का आदी हूं लेकिन मुझे निश्चित तौर पर अत्यधिक अनुप्रासिक शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं आता। माननीय सदस्य ने जो कई सवाल पूछे हैं, यदि मैं कहूं.....

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री जयपाल रेड्डी को ऐसी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसे सभा में उन दोनों के सिवाय कोई और समझ ही न पाये।

श्री जसवन्त सिंह: यदि मैं विधि की भाषा में बोलूं तो मेरे विचार से शब्द 'तदर्थ क्रमानुसार' हैं, यदि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर तदर्थ क्रमानुसार देने की कोशिश करूं तो उन्होंने पहले आगरा के बारे में पूछा था। यद्यपि, हमने इस सदन तथा दूसरे सदन में आगरा वार्ता तथा आगरा वार्ता पश्चात् काफी चर्चा की थी तथापि, यह सही है कि आगरा के दौरान जनरल मुशर्रफ साहब उस घोषणापत्र, जिस पर बातचीत हो रही थी, में न तो शिमला समझौते और न ही लाहौर घोषणा पत्र का संदर्भ शामिल करने पर सहमत हुए थे। इसके परिणामस्वरूप हमें काफी कठिनाई हुई क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि शिमला समझौता अनुवर्ती द्विपक्षीय संबंधों को आधार प्रदान करेगा।

माननीय सदस्य जिस दूसरे भाग के बारे में जानना चाहते हैं वह यह है कि क्या उनके द्वारा दिए गए अस्पष्ट वक्तव्य के बाद हमने राजनीतिक स्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात उजागर की थी और यह दो-धारी तलवार है। पाकिस्तान का उद्देश्य निरंतर जम्मू और कश्मीर मुद्दे को उठाना रहा है और उसका उद्देश्य वास्तव में झूठा प्रचार करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में है ही नहीं। लेकिन हमने सही तरीके, सही स्तर तथा सही लहजे में बातचीत की।

तीसरा, उन्होंने पाकिस्तान के भीतर, परमाणु अस्त्रों की सुरक्षा के बारे में पूछा। वस्तुत: पाकिस्तान में अब अमरीकी सेना केवल जकोबाबाद में ही नहीं वरन् इसके विभिन्न अन्य भागों में भी मौजूद है। इस बारे में हमें जानकारी मिली है कि अब पाकिस्तान के परमाणु अस्त्र वस्तुत: पहले से अधिक अतिरिक्त निरीक्षण में हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: सभापति महोदय, 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका में वर्ल्ड ट्रेड सैंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया। उसके बाद अमरीका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और पाकिस्तान ने अमरीका को अपनी भूमि तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिये दे दी। इसके बदले में अमरीका ने पाकिस्तान को बहुत भारी धन दिया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि अमरीका ने जो धन पाकिस्तान को दिया, क्या पाकिस्तान ने उसका उपयोग परमाणु हथियार खरीदने के लिये किया?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री जाधव, आप प्रश्न को बढ़ा रहे हैं। आप सीधे प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: सभापति महोदय, क्या पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामले में भारत के बराबर है या नहीं?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के तीन पहलू हैं लेकिन यह प्रश्न उसमें से उत्पन्न नहीं होता जहां से मूल प्रश्न की उत्पत्ति है, लेकिन एक प्रकार से इस पर बहस-सी शुरू हो गई है। यदि आप मुझे हुक्म देंगे तो मैं उत्तर दे देता हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान को भारी धन दिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह उनकी भ्रान्ति है। हमारे पास इसके सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। क्या दिया गया, क्या उन्होंने पाया, क्या खोया, इसका लेखा-जोखा आने वाले महीनों में होगा जिससे माननीय सदस्य की जो अभी भ्रान्तियां हैं, तब वे दूर हो जायेंगी।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या उस धन का सदुपयोग-दुरुपयोग अणु शस्त्रों को हासिल करने के लिये किया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जो थोड़ा-बहुत धन मिला है, उस पर बड़ी विषम ताला-कुंजी लगी हुई है। इसलिये उस धन का उपयोग नहीं हो सकता, दुरुपयोग होने की बात तो छोड़िये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि भारत का कोई भी विदेश मंत्री पाकिस्तान की ओर से आणविक हमले की संभावना को हल्के तौर से नहीं ले सकता और मुझे विश्वास है कि जसवन्त सिंह जी भी इसे हल्के तौर से नहीं ले रहे होंगे। यह अलग बात है कि विभिन्न कारणों की वजह से वह कई चीजें यहां करने से बच रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है कि दक्षिण एशिया अब एक आणविक शस्त्र सम्पन्न क्षेत्र हो गया है। पाकिस्तान के चरित्र को देखते हुए इस संभावना को हल्के तौर से नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब यह खतरा हमारे ऊपर है तो जो उपाय सामान्यत: किसी देश के द्वारा किये जाने चाहिए, जैसे न्यूनतम प्रतिरोध की जो हमारी पालिसी है, हमने न्यूक्लियर डेटरेन्ट बनाया है, स्वाभाकि रूप से पहली चीज यह जरूरी हो जाती है कि क्या भारत ने एक सुसंगठित कमांड इन कंट्रोल न्यूक्लियर सिस्टम बनाया है या नहीं - क्योंकि इस बारे में बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखी गई हैं।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि हमारी मिसाइल्स और पाकिस्तान की मिसाइल्स की रेन्ज के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न उठाये गये हैं, जो पिछले काफी दिनों से चिंता का विषय बने हुए हैं। क्या इस संबंध में भी कोई आकलन किया गया है या नहीं।

तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं जो इसी से जुड़ी हुई है कि आणविक हमले से बचाव के उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। जैसे नागरिक सुरक्षा के लिए बंकर इत्यादि बनाने के उपाय होते हैं। क्या इसका वित्तीय आकलन भी किया गया है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री चतुर्वेदी, आप प्रश्न को बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या मिसाइल इत्यादि बनाने का सरकार का कोई इरादा है। क्योंकि ये वे सारे उपाय हैं जिनकी वजह से आप किसी आणविक हमले के प्रयास को काउन्टर कर सकते हैं। कृपया स्पष्ट बताने का कष्ट करें।

श्री जसवन्त सिंह: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, वे अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं सोचता हूं कि इन प्रश्नों का समुचित उत्तर भी देना चाहिए और इससे जुड़े मिसाइलों पर चर्चा भी होनी चाहिए। क्योंकि इनकी महत्ता ऐसी है कि जब भी आणविक शक्ति, परमाणु शस्त्र, मिसाइल इत्यादि पर चर्चा हो तो मैं स्वयं उसमें भाग लेना चाहूंगा परंतु वह चर्चा अपने आप में गंभीरता से होनी चाहिए और 'माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे।

माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं। मैं समझता हूं कि तीन प्रश्नों का बहुत संक्षेप में यहां उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। समुचित उत्तर अपने आप में एक लम्बी बहस है, जो संभव नहीं है। आपने पूछा है कि दक्षिण एशिया का आणवीकरण होना कब से आरम्भ हुआ। आपने कहा कि 1998 से हुआ।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह सच्चाई है।

श्री जसवन्त सिंह: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं इसके बारे में मनन करें कि दक्षिण एशिया या इस क्षेत्र का आणवीकरण वास्तव में कब हुआ। यह अपने आप में एक प्रकार से सरलीकरण होता है, जब हम कहें कि 1998 में हुआ। खैर इसके आगे चलिये, क्योंकि यह बहस का विषय हो जाता है। इसके अलावा आपने कमांड इन कंट्रोल का प्रश्न किया, जो अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कठिनाई यह होती है कि एक तरफ प्रजातंत्र का आग्रह होता है, जिसमें माननीय सदस्य को पूरा अधिकार है कि वह हमसे इसका पूरा लेखा-जोखा लें और वह देना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन कमांड इन कंट्रोल के हर प्रश्न का उत्तर मैं यहां दे पाऊं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी

क्या सरकार इस बारे में निश्चित तौर पर सजग है, इस पर मैं कहूंगा कि यह अपने आपमें निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है, उसमें बराबर प्रोग्रेस होती है और बराबर उसमें सुधार किये जाते हैं।

आपने मिसाइल्स में डिस्पैरिटी के बारे में प्रश्न पूछा। इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि भारत का जो इन्टीग्रेटिड मिसाइल डेवलपमैन्ट प्रोग्राम है, यह आज का नहीं है, दशकों पुराना है। यह भारत की अपनी योग्यता, क्षमता और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की सारी जांच-पड़ताल पर आधारित है। हम इसमें किसी पर निर्भर नहीं रहे हैं।

पाकिस्तान किस पर निर्भर रहा है, किससे क्या पा रहा है क्या नहीं, यह सबको मालूम है। क्या यह योग्यता अपने आप में, जो हमारे लक्ष्य हैं, उसके लिए संतोषजनक है - मैं सोचता हूं कि यह अपने आप में आज के दिन संतोषजनक है, परंतु इसमें निरंतर प्रगति हो रही है। जैसा आपने देखा होगा कि अभी ब्रह्मौस का परीक्षण किया गया। ब्रह्मौस अपने आप में एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो आज के दिन पूरे एशिया में या तो केवल रूस के पास है या भारत के पास है। अग्नि-2 के बारे में निस्संदेह माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि अग्नि-2 की क्षमता केवल अग्नि-2 तक ही सीमित नहीं रहती। यह प्रगति चल रही है। हम अपने ही बल पर इसे करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए दूसरे देशों के मुकाबले हमें थोड़ा व्यय भी ज्यादा पड़ता है और समय भी ज्यादा लगता है। जब कभी सदन चाहे, और आपकी ओर से हुक्म हो, इस पर निःसंदेह चर्चा होनी चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री जसवन्त सिंह: नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेन्स, ये बिना राज्यों के सहयोग के संभव नहीं होते। मैं माननीय सदस्य को इतना ही बता दूं कि इसके बारे में केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से काफी विचार-विर्मश हुआ है और कई क्षेत्रों में जैसे फायर फाइटिंग है, शहरों में दमकल गाड़ियां कम हैं। उस बारे में क्या किया जाए, होम गार्ड्ज़ के बारे में क्या किया जाए, अस्पतालों के बारे में क्या किया जाए, इन सबकी ओर ध्यान दिया जा रहा है।

सभापति महोदय: प्रश्न संख्या 602 ।

श्री रामदास आठवले: मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप बैठिये। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री रामदास आठवले: मेरा छोटा सा प्रश्न है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप सभा की कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अब प्रश्न सं. 602 ।

गैर-संचारी रोगों का आकलन

\+
***602. श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन, केन्द्र सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने निगमित क्षेत्र के कर्मचारियों में गैर-संचारी रोगों, जैसे धमनीगत हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह आदि के जोखिम का आकलन करने की दृष्टि से कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस सम्बन्ध में औद्योगिक घरानों को सरकार द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जी हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस समय "औद्योगिक जनसंख्या में प्रहरी निगरानी की संस्थापना" शीर्षक से एक परियोजना चला रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य हृदयवाहिका रोग से होने वाली मौतों तथा 10-79 वर्ष की आयु के बीच के औद्योगिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों में इसके जोखिम घटकों की निगरानी करना है। अध्ययन के प्रयोजन के लिए 9 केन्द्रों का पता लगाया गया है और प्रत्येक केन्द्र के साथ औद्योगिक इकाई को जोड़ा गया है। समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालय से एक बहुविषयक संकाय दल क्षेत्रीय स्तर पर इस अध्ययन का पर्यवेक्षण कर रहा है। केन्द्र, उद्योग और चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	केन्द्र	उद्योग	चिकित्सा महाविद्यालय
1.	दिल्ली	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	आ.भा.आयु.सं, नई दिल्ली
2.	बैंगलौर	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	डा. बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कालेज
3.	कोयम्बटूर	प्रीमियर इन्डस्ट्रीज एंड कन्ट्रोल लिमिटेड (प्रीकोल)	पी.एस.जी. आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान
4.	दिबरूगढ़	असम ब्रांच इंडियन टी एसोसिएशन	असम मेडिकल कालेज
5.	हैदराबाद	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.	निजाम/आयुर्विज्ञान संस्थान
6.	लुधियाना	हीरो साइकिल्स लि.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज
7.	नागपुर	इन्डोरामा सिंथेटिक्स लि.	गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज
8.	पुणे	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	बी.जे. मेडिकल कालेज
9.	तिरुवनन्तपुरम	ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट लि.	श्री चित्रतिरुनाल आयुर्विज्ञान संस्थान (एस सी टी आई एम एस टी)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हृदय रोग विज्ञान विभाग इस अध्ययन का समन्वय कर रहा है। जुलाई, 2002 तक दो वर्षों की अवधि के लिए कुल आवंटन 64,44,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय को दो कम्प्यूटरों और एक प्रिंटर के रूप में हार्डवेयर सहायता भी प्रदान की गई है। क्षेत्रीय स्तर पर इस सर्वेक्षण के जुलाई, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और उद्योगों को इस वर्ष के अन्त तक निवारक कार्यक्रमों के लिए संस्तुतियां प्रदान की जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल: सभापति जी, रोगियों की दशा, रोगियों की संख्या, रोगों के बढ़ते हुए कारण तथा अस्पतालों की अवस्था आदि के बारे में समय-समय पर विभिन्न एजेन्सियों के साथ मिलकर सर्वे कराने का काम सरकार करती रही है, किन्तु उनकी रिपोर्ट पर गंभीरता से अमल नहीं किया जाता। कई रिपोर्ट्स कागजों तक सीमित रह जाती हैं। ऐसा ही सर्वे सरकार उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स में रोगों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए डब्लू.एच.ओ. और एम्स के साथ मिलकर कर रही है। शायद उस सर्वे की रिपोर्ट जुलाई 2002 तक आने की उम्मीद करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वाकई इस संबंध में गंभीर है? यदि हां, तो उन्होंने अपने विभाग को क्या निर्देश दिये हैं तथा पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने सर्वे कराए हैं और इन रोगों के निदान के लिए बाहरी देशों से नई तकनीक लाने के लिए सरकार क्या सोच रही है?

डा. सी.पी. ठाकुर: सभापति महोदय, माननीय सांसद ने प्रश्न उठाया है कि इंडस्ट्रिल हाउसेज़ में जो लाइफस्टाइल डिज़ीज़ हैं

जिसमें हार्ट डिसीज़, कैन्सर और डायबिटीज़ मुख्य हैं, इस विषय में एक सर्वेक्षण शुरू हुआ।

सर्वेक्षण की रिपोर्ट इस साल जुलाई में आनी है। उसके बाद वे लोग आंकड़े कलैक्ट करेंगे और उसको फाइनेलाइज कर देंगे। लेकिन इसके पहले भी नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के समय से इन बीमारियों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जो भी देश डैवलपमेंट के लैडर में ऊपर चढ़ने लगता है, उस देश में लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ने लगती हैं और इनफैक्शियस डिजीज कम होने लगती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा है कि इनफैक्शियस डिजीज भी हैं और लाइफ स्टाइल डिजीज भी आ गई हैं, यानी हार्ट डिजीज भी आ गई है, कैंसर डिजीज भी आ गई है और डायबिटीज डिजीज भी आ गई है। इसके लिए सरकार पूर्णरूप से प्रयत्नशील है और दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक व्यापक योजना बनाने की सोच रही है।

श्री अशोक ना. मोहोल: सभापति जी, मैंने पूछा था कि विदेशों से क्या आप कोई नयी तकनीक ला रहे हैं?

डा. सी.पी. ठाकुर: सभापति जी, इन रोगों के निदान के लिए हमारे देश में जो तकनीक विद्यमान हैं वे आधुनिकतम हो गई हैं। इसलिए विदेशों से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अशोक ना. मोहोल: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी दयनीय है कि जब वहां रोगी जाते हैं, तो रोग की जांच कराने के लिए ही उन्हें दो-दो और तीन-तीन महीने रुकना पड़ता है। कई अस्पतालों में मशीनें नहीं हैं। जहां मशीनें हैं वे खराब रहती हैं और जिन अस्पतालों में मशीनें ठीक हैं वहां अत्यधिक समय रोगों की जांच में लगता है जिससे रोग और बढ़ जाता है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अशोक ना. मोहोल, कृपया सीधे अपना प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल: सर, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश के अंदर प्रतिष्ठित अस्पतालों की दशा और कार्यक्षमता का सर्वेक्षण कराया है - यदि कराया है, तो सरकार अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए क्या कर रही है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय यदि आप प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

डा. सी.पी. ठाकुर: यद्यपि, स्वास्थ्य राज्य का विषय है लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

सभापति जी, हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि देश भर में जितने अस्पताल हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए सरकार नई स्वास्थ्य नीति लाई है। इसमें प्रावधान है कि देश भर में गवर्नमेंट अस्पतालों का सुधार हो सके। राज्यों की समस्या यह है कि उनका 90 से 92 प्रतिशत पैसा एस्टाब्लिशमेंट पर व्यय हो जाता है और उपकरण तथा दवाओं पर बहुत कम व्यय होता है। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: माननीय सभापति महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि उन्होंने रोगों के शीघ्र निदान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उन्होंने अपने उत्तर में औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन जिलों में भी अनेक फैक्टरियां हैं जहां बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इस तरह भारत सरकार ने जिलों सहित समग्र देश में रोगों का पता लगाने के लिए क्या निवारक उपाय किए हैं, रोग का पता लगाने तथा परीक्षण सही ढंग से करने तथा सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु राज्यों को क्या निदेश दिए हैं? यदि भारत सरकार अधिक सुविधाएं प्रदान करेगी तो यह राज्यों के लिए अधिक उपयोगी होगा।

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, वस्तुतः हम औद्योगिक कामगारों में असंचारी रोगों की विशेष समस्या की जांच कर रह हैं। यह एक अलग मुद्दा है। माननीय सदस्य ने राज्यों को दी गई सलाह के बारे में पूछा है। इस संबंध में हम सभी राज्यों को जांच प्रणाली दुरुस्त करने के लिए कह रहे हैं ताकि सभी असंचारी रोगों का पहले ही पता लगाया जा सके।

डा. वी. सरोजा: माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न विशेषरूप से निगमित क्षेत्र के कर्मचारियों में असंचारी रोगों से संबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

के सहयोग से इस समय ''औद्योगिक जनसंख्या में प्रहरी निरीक्षण संस्थापना'' (एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेन्टिनल सरवेलन्स इन इंडस्ट्रीयल पापुलेशन) नामक परियोजना चला रहा है।

उत्तर में कहा गया है कि परियोजना में औद्योगिक कर्मचारियों के हृदयवाहिका रोग, मृत्यु दर तथा इसके जोखिम कारकों पर ही ध्यान दिया गया है। वास्तव में औद्योगिक कर्मचारियों को एस्बेस्टोसिस, सिलोकोसिस तथा न्यूमोनोकोनाइओसिस जैसे विशेष रोग होने की अधिक संभावना रहती है। क्या मैं भारत सरकार से यह जान सकता हूं कि उसने प्रदूषकों में से उन कारकों का पता लगाने हेतु रेडियो धर्मिता उपचार का उपयोग करके कोई विशिष्ट जांच संबंधी उपाय किए हैं?

दूसरा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रदूषकों का पता लगाने के संबंध में पर्यावरणीय प्रदूषण आनुवंशिक परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इससे पुराने रोग तथा कुछ घातक बीमारियां होने की भी अधिक संभावना रहती है। इसके अलावा हल्के उच्च रक्तचाप से भी हृदयवाहिका रोग होने की अधिक संभावना रहती है। इस तरह, किए जा रहे क्षेत्रीय सर्वेक्षण में इन सब बातों को महत्व दिया जाना चाहिए और इसके परिणाम 2002 में प्रकाशित किए जाएंगे। मैं, विशेषरूप से यह जानना चाहता हूं कि किन विशिष्ट रोगों को निगरानी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या भारत सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करके ऐसे रोगों से निपटने हेतु प्रत्येक राज्य मुख्यालय में व्यापक क्षेत्रीय संचारी रोग नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करेगी?

डा. सी.पी. ठाकुर: प्रश्न के पहले भाग के संबंध में मैं कहूंगा कि अनुसंधान का कार्य का मुख्य एजेंडा केवल तीन रोगों यथा मधुमेह, हृदयवाहिका रोग तथा कैंसर पर केंद्रित है। संक्षेप में यह अन्य कारणों की जांच नहीं कर रहे हैं। यदि चिकित्सा क्षेत्र में कोई परियोजना बहुत सारे कारणों की जांच शुरू करती है तो वे किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है।

लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हम सभी जिलों में निरीक्षण केन्द्र स्थापित करेंगे ताकि संचार और असंचारी रोगों का बहुत पहले पता लगाया जा सके और हम उस जिले विशेष में उस रोग की दर को जान सकेंगे। हम ऐसा करेंगे।

तीसरा, भारत सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकारों के साथ उन सभी संचारी और असंचारी रोगों से निपटने में सहायता करेगी।

श्री अनादि साहू: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर से यह पता चलता है कि भारत में नौ स्थानों में आकलन किया गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने उड़ीसा की तलचेर-अंगुल औद्योगिक पट्टी पर ध्यान नहीं दिया है जहां पिछले दस वर्षों में बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हुए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा तलचेर-अंगुल क्षेत्र में ऐसा कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है?

डा. सी.पी. ठाकुर: अब नौ स्थलों का चयन किया गया है। अगले अध्ययन में हम उड़ीसा के तलचेर को शामिल कर सकते हैं।

डा. मन्दा जगन्नाथ: माननीय सभापति महोदय, यह एक अच्छी बात है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से हृयवाहिका रोगों के संबंध में मृत्यु दर तथा जोखिम कारकों का पता लगाने हेतु चौकसी सर्वेक्षण कर रही है ताकि आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके और निवारक उपाय किये जा सकें।

इससे भी अधिक जैसा कि डा. वी. सरोजा ने इंगित किया है, औद्योगिक क्षेत्रों में फफ्फुस धूलिमयता (न्यूमोनोकोनियोसिस) की बीमारी बहुत फैल रही है। इसे भी सर्वेक्षण में सम्मिलित किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी द्वारा परिचालित किए गए नोट में यह बताया गया है कि भारत सरकार मृत्यु दर और जोखिम के तत्वों का पता लगाने हेतु एक सर्वेक्षण करा रही है। इसमें इसके प्रसारण का पता लगाया जाना भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया, प्रश्न पर आइये।

डा. मन्दा जगन्नाथ: हां, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न पूछें।

डा. मन्दा जगन्नाथ: आजकल, यह माना जाता है कि अधिकांश रोग, विशेषकर हृदय-वाहिया से संबंधित रोग, तनाव के कारण हो रहे हैं। यह भी जाना-माना तथ्य है कि 'योग' से तनाव कम होता है और हृदय-वाहिका से संबंधित रोगों में भी कमी आती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या अन्य निरोधात्मक उपायों के साथ 'योग' को भी इनमें सम्मिलित किया जा रहा है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत उपेक्षा होती है।

डा. सी.पी. ठाकुर: जहां तक इस अध्ययन का संबंध है हमें पहले इस बीमारी की घटनाओं को जानना होगा। उके बाद हम निश्चित रूप से तनाव घटाने हेतु योग को भी इन निरोधात्मक

उपायों में सम्मिलित करेंगे। हम पूरे देश में योग की वकालत भी कर रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार: मैं माननीय मंत्री जी को देश में औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में अध्ययन कराने हेतु धन्यवाद देता हूं। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है कि उन्होंने केवल गैर-संचारी रोगों का ही अध्ययन कराया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इसके अन्तर्गत उद्योग विशेष से संबंधित बीमारी का भी अध्ययन करायेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि यह अध्ययन इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन क्षेत्रों में हृदय-वाहिनी संबंधी रोगों की चिकित्सा हेतु आधारभूत ढांचा बनाने पर विचार करेगी।

डा. सी.पी. ठाकुर: निश्चित रूप से, एक बार इस अध्ययन के परिणाम मिल जाने के बाद हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन रोगों की चिकित्सा हेतु क्षमताएं निर्मित करने के लिए एक योजना बनायेंगे।

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, ऐसी रिपोंट मिली है कि केरल में मधुमेह और हृदय रोगियों की संख्या में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उसे इस रिपोंट की जानकारी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार केरल राज्य में इस प्रवृत्ति के संबंध में एक अध्ययन कराने की योजना बना रही है।

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, अधिकांश सर्वेक्षणों से यह बात प्रकट होती है कि तिरुअनंतपुरम में हृदय रोग देश के किसी भी अन्य हिस्से से अधिक है। एक बार कराए गए अध्ययन की रिपोर्ट मिल जाने के बाद हम इसके कारणों की जांच करेंगे कि क्या ऐसा आहार के कारण है, मौसम के कारण है या देश के इस भाग में किन्हीं व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण ऐसा हो रहा है। केरल राज्य में स्वास्थ्य के मानक लगभग स्वीडन के बराबर पहुंच रहे हैं। केरल एक विकसित देश की तरह बनता जा रहा है और शायद इसलिए विकसित देशों के रोग यहां भी फैल रहे हैं। अत: यह भी एक कारण हो सकता है।

[हिन्दी]

विश्व सूचना-तंत्र को सशक्त बनाना

***603. श्री रतन लाल कटारिया:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए, सॉफ्टवेयर, विश्व सूचना-तंत्र और इंजीनियरिंग डिजाइन को सशक्त बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्यमियों को व्यावसायिक तौर पर विविधीकरण की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से, उनके लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यहि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एक गतिशील औद्योगिक परिवेश में कुशलताओं में विविधता लाने तथा उनके पुन: निर्धारण के लिए बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा अपने ही संगठन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति महोदय, आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जमाना है। लोग अपने परम्परागत व्यवसायों से सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायों की ओर अग्रसर होना चाहते हैं जैसे अगर किसी व्यक्ति ने टाइप कालेज खोला हुआ है तो वह कम्प्यूटर सैंटर खोलना चाहता है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सीधे प्रश्न पर आइए।

श्री रतन लाल कटारिया: इस तरह कम्युनीकेशन डिपार्टमैंट में आज तार बाबू की बजाए इंटरनेट सिस्टम चल पड़ा है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और विश्व बाजार में सूचना के केन्द्रों में अपना सिक्का जमाने की दृष्टि से विभाग ने इस प्रकार के कार्यक्रम चला रखे हैं जिनसे इन क्षेत्रों में मजबूती आए और साथ-साथ रोजगार के साधन भी बढ़ें?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, जो मूल प्रश्न था, इन्होंने लगभग उसे और प्रभावी शब्दों में फिर से पूछा है। मैं आपका थोड़ा समय लूंगा क्योंकि मूल प्रश्न में है कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सॉफ्टवेयर, विश्व सूचना तंत्र और इंजीनियरिंग डिज़ाइन को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

इससे मुझे लगता है कि आपने फिर उसी प्रश्न को पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे विभाग को बहुत अध्ययन करना पड़ा कि बेरोजगारी और इन तीन विषयों को आपस में कैसे जोड़ें। कुछ विषय तो हमारी जानकारी में नहीं थे, लेकिन आपने पूछा है तो मैं सदन की जानकारी के लिए, जिन तीन शब्दों का आपने उपयोग किया है, उनकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

इस सॉफ्टवेयर में पूरे कार्यक्रम प्रक्रिया और एक कम्प्यूटर प्रणाली के कार्यकरण से संबंधित सारा कार्य सम्मिलित है। यह शब्द इन निर्देशों को हार्डवेयर, कम्प्यूटर प्रणाली भौतिकी आंपटक से अलग दर्शाने हेतु उपयोग में लाया गया है। अतः, हम यह कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह सेट है जो कम्प्यूटर के हार्डवेयर को कार्य करने हेतु निर्देशित करता है। बेरोजगारी हटाने और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हार्डवेयर को निर्देश देने में कोई सीधा अन्तःसंबंध नहीं है।

महोदय, उनके द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा विश्व सूचना तंत्र से संबंधित है। महोदय हमें विश्व सूचना तंत्र के बारे में जानने के लिए टिरनेट के खंगालना होगा। इंटरनेट को अर्थ है किसी विषय विशेष जैसे फिश (मछली) बिज, पर विश्व भर में एकत्रित की गई जानकारी को परिभाषित करना।

[हिन्दी]

दुनिया में कितने प्रकार की फिश हैं, जो लोग वह जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस सारी जानकारी इकट्ठी करने को ग्लोबल इन्फोर्मेशन सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसका डायरैक्ट बेरोजगारी से रिश्ता जोड़ना मुश्किल है।

[अनुसार]

तीसरे, जहां तक अभियांत्रिकी रूपरेखा का संबंध है—मैं आदरपूर्वक कहूंगा कि यह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। अभियांत्रिकी एक कला है जो एक अभियंता का विषय है और रूपरेखा से अर्थ है कोई योजना बनाना या उसे इंगित करना अलग करना या आसवन करना।

[हिन्दी]

ये जो सारे विषय हैं, ये वैसे तो इससे सम्बन्धित नहीं है। अब उन्होंने बेरोजगारी की बात कही, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें नये-नये रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। आज ही नास्कॉम की रिपोर्ट छपी है जिसके अनुसार 2004-2005 में हमें लगभग 14 लाख सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित लोगों की आवश्यकता होगी, जबकि देश में 8.75 लाख तक लोग ही उपलब्ध हो पाएंगे - मतलब कम से कम पांच लाख लोगों की इस क्षेत्र में और जरूरत है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या 11 सितम्बर के हमले के पश्चात अमरीकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के बाद यह संभव होगा?

श्री प्रमोद महाजन: जब तक अध्यक्षपीठ से अनुमति नहीं मिलती, मैं उत्तर नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र नये-नये रोजगारों को जन्म दे रहा है और सरकार की ओर से विभिन्न कदम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उठाये जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर मिलें। लेकिन सीधे जो प्रश्न पूछा गया है, वह रोजगार से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रतन लाल कटारिया: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आप भारत में टेलीफोन एँक्सचेंज लगा रहे हैं क्या उनमें विदेशी इंजीनियर काम कर रहे हैं या उनकी सेवाएं ली गई हैं? इसी प्रकार से सेल फोन बन रहे हैं तो क्या ज्यादातर सेल फोन विदेश से आ रहे हैं? क्या भारत ने इस प्रकार की टैक्नीक बनाई है कि अपने देश में ही सेल फोन बनें और विदेशों में भारत का पैसा न जाये?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, मुख्य रूप से तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संचार मंत्रालय की ओर चले गये, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हिन्दुस्तान में जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज लग रहे हैं, उसमें अधिकांश भारतीय लोग ही काम कर रहे हैं। कहीं कोई खास टैक्नीकल काम के लिए कोई एकाध विदेशी की मदद ली गई होगी, तो अलग बात है, क्योंकि यह निजी क्षेत्र में भी है, अन्यथा मूलतः भारतीय लोग ही इस क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं।

श्री के. येरननायडू: सभापति महोदय, सूचना-प्रौद्योगिकी का क्षेत्र सेवा उद्योग है। हमें लाखों रोजगार सर्जित करने पड़ेंगे। लेकिन सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मंदी के कारण कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले रहा है। लेकिन नेस्कॉम और यहां तक

कि भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिवेदनों के अनुसार वर्ष 2004-2005 तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15 लाख रोजगार सृजित होंगे। लेकिन एक भ्रम है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस भारी तेजी और मंदी के बाद इस रिपोर्ट और जमीनी सच्चाई में कोई अन्तःसंबंध नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन और इस देश को यह बताएं कि क्या इस क्षेत्र में मंदी की स्थिति है या बेरोजगारों के लिए अवसर हैं।

श्री प्रमोद महाजन: सूचना प्रौद्योगिकी स्वाभाविक रूप से एक वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य है। अत: वैश्विक मंदी इसे प्रभावित करती है। लेकिन कोई भी गर्व से यह कह सकता है कि विश्व अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक खराब दिनों में हमारे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 35 प्रतिशत की वृद्धि की है जो कि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों पर कीटनाशकों का दुष्प्रभाव

***604. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने खाद्य उत्पादों में संदूषकों की समुचित निगरानी करने के लिए कोई प्रणाली तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग का विनियमन कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशकों की प्रभावकारिता और मानव स्वास्थ्य, पशुओं एवं पर्यावरण के लिए उनकी निरापदता के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही देश में खाद्य फसलों पर प्रयोग हेतु कीटनाशकों का पंजीकरण करती है।

कीटनाशकों का पंजीकरण करते समय पंजीकरण समिति फसलों, नाशी जीव और रोगों जिनके लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना होता है, उनकी मात्रा, उनके प्रयोग की विधि और कीटनाशकों के उपयोग हेतु अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षा सावधानियां या अनुदेश निर्धारित करती है।

यदि कीटनाशकों का प्रयोग अनुमोदित मात्रा में और उनके प्रयोग हेतु सुरक्षा सावधानियों का अनुदेशों के अनुपालन संबंधी शर्तों के अनुसार किया जाता है तो उनके प्रयोग से खाद्य निरापदता और/या मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय विभिन्न खाद्य उत्पादों एवं फसलों में कीटनाशकों के अवशेष के बारे में समय-समय पर सर्वेक्षण करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1993-98 से कीटनाशक अवशेषों पर एक समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू की थी। कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉनीटरिंग प्रणाली शुरू कर रहा है।

खाद्य उत्पादों और फसलों में संदूषकों की मात्रा सुरक्षा सीमा से अधिक न हो, इस क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों की अधिकतम सहन सीमाएं निर्धारित की हैं।

भारत-म्यांमार-थाइलैंड सम्बन्ध

***605. श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री विजय हान्दिक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, म्यांमार और थाइलैंड के विदेश मंत्रियों ने तीनों देशों के बीच सम्बन्ध बढ़ाने के उद्देश्य से हाल में यांगून में मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत स्थित मोरे से म्यांमार होते हुए थाइलैंड तक एक राजमार्ग का निर्माण करने की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना में भारत कितना निवेश करेगा?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) 5 और 6 अप्रैल, 2002 को भारत, थाइलैंड और म्यांमा के विदेश मंत्रियों के बीच यांगोन, म्यांमा में त्रिपक्षीय परिवहन संपर्कों पर एक मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। बैठक में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की गयी:

(1) म्यांमा में बगान से गुजरने वाली भारत में मोरेह से थाइलैंड में माइ सोट तक राजमार्ग का निर्माण जिसे दो वर्षों की समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना है;

(2) थाइलैंड में कंचनाबुरी से म्यांमा में दवेई दीप बंदरगाह तक एक राजमार्ग का निर्माण और भारत के बंदरगाहों के साथ उसका नौवहन संपर्क समन्वित पैकेज का एक अभिन्न भाग होगा;

(3) सीमा के आर-पार मालों और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाये जाने के द्वारा व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना;

(4) मानव संसाधन विकास तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण पर सामूहिक प्रयास; तथा

(5) परिवहन संपर्कों के लिए देशों, क्षेत्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से निधियां हासिल करने का सामूहिक प्रयास।

बैठक में दो कार्यबलों के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई एक वित्तीय और दूसरा तकनीकी मामलों पर जिनकी अध्यक्षता क्रमश: थाइलैंड और भारत द्वारा की जानी है। इन दोनों कार्यबलों की बैठक जून, 2002 में होनी अपेक्षित है। इस परियोजना में भारत के निवेश की लागत और मात्रा कार्यबलों की रिपोर्टों के पश्चात ज्ञात होगी।

बैठक में विदेश मंत्रियों की वार्षिक मंत्रिमंडलीय बैठक के आयोजन पर भी सहमति व्यक्त की गई जो कि वरिष्ट अधिकारियों की बैठक (वरि. अ. बै.) के लिए प्रस्ताव, समीक्षा और नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करेगी। वरि.अ.बै. के साथ-साथ आयोजित होगी और सहयोग तंत्र पर विचार करेगी। अगली मंत्रिस्तरीय बैठक ब्रूनेई दारेसलाम में होगी। अगली वरि.अ.बै. आसियान-भारत वार्ता वरि.अ.बै. के साथ-साथ आयोजित होगी।

तीनों देशों के बीच सहयोग बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी, मीकांग-गंगा सहयोग और साथ ही साथ आसियान-भारत वार्ता के लिए सहायक और अभिपूरक होगा।

भारत की छवि

*606. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:**
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार-पत्र में ''नेशन्स इमेज टेक्स अबीटिंग'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के दंगों के पश्चात् भारत की छवि सुधारने के उद्देश्य से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस विषय में अब तक कितनी सफलता मिली है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 8 अप्रैल, 2002 से 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार को देखा है।

विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित इसके मिशनों ने गुजरात में हिंसा से संबंधित तथ्यों का खुलासा करने, इस प्रकार की असामान्यता से निपटने के लिए भारत के लाचीलेपन पर भी बल देने के लिए तथा एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था की वचनबद्धता के लिए, जहां राज्य की संस्था में इस प्रकार की सभी के लिए गलतियों का समाधान करने और नियंत्रित करने की क्षमता है, समर्थनकारी उपाय किए हैं। इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि किसी प्रभावशाली लोकतन्त्र की भांति गुजरात की घटनाओं के बारे में हमारी संस्थाएं और जनमत एक खुली और मुक्त बहस में व्यस्त हैं। और स्वयं सुधारक प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं कार्यकर रही हैं। हिंसा, जान और माल की हानि तथा तात्कालिक मानवीय राहत की आवश्यकता से संबंधित हित-चिन्ताओं का भारतीय मीडिया, जनमत और सभ्य समाज, सरकार द्वारा संसद द्वारा और अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य निकायों के साथ-साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सशक्त रूप से तथा प्रभावी ढंग से समाधान किया गया है।

विदेश स्थित सरकार के प्रतिनिधियों ने, स्थानीय विदेश कार्यालयों के साथ सार्थक क्रियाकलाप के अलावा, भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए समाचार-पत्रों तथा टी वी चेनलों में साक्षात्कार भी दिए हैं। अप्रवासी भारतीय संगठनों को भी इस घटनाक्रम से संबद्ध विस्तृत ब्रीफिंग प्रदान की गई है। भारत की सामाजिक संस्कृति, इसकी धर्मनिरपेक्ष परम्पराएं और इसकी क्षमता तथा इस प्रकृति की असामान्यताओं से निपटने की इच्छा शक्ति पर बल देने का प्रयास किया गया है।

इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर सकारात्मक रूप से गौर किया गया है तथा अपने प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं के प्रति भारत के दृढ़ निश्चय की बाध्यता को व्यापक रूप से स्वीकृति और मान्यता मिली है।

तीव्र गति डाटा-संचार सुविधाओं का विस्तार

***607. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की सॉफ्यवेटर निर्यात इकाइयों के हितार्थ तीव्रगति डाटा-संचार सुविधाओं तथा उद्भवन-सुविधाओं (इनक्यूबेशन फैसिलिटिज) का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संख्या में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक स्वायत्त संस्था ने संलग्न विवरण-I में दी गई राज्यवार सूची के अनुसार देश भर में पहले ही 35 केंद्र स्थापित कर लिए हैं। ये केन्द्र सॉफ्टवेयर निर्यातकारी इकाइयों को उच्च गति डेटा संचार सुविधा सहित एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

(ग) और (घ) एसटीपीआई संलग्न विवरण-II में दी गई सूची के अनुसार 14 अन्य केन्द्र स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। ये केन्द्र कार्यान्वय के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-I

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

नई दिल्ली-110003

एसटीपीआई के प्रचालनरत केन्द्र

क्र. सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	बंगलौर	कर्नाटक
2.	मणिपाल	कर्नाटक
3.	मैसूर	कर्नाटक
4.	मंगलौर	कर्नाटक
5.	हुबली	कर्नाटक
6.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
7.	राउरकेला	उड़ीसा
8.	पुणे	महाराष्ट्र
9.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
10.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	नागपुर	महाराष्ट्र
12.	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश
13.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
14.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
15.	वारंगल	आंध्र प्रदेश
16.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
17.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
18.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
20.	देहरादून	उत्तरांचल
21.	गांधी नगर	गुजरात
22.	तिरुवनन्तपुरम	केरल
23.	चेन्नै	तमिलनाडु
24.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
25.	त्रिची	तमिलनाडु
26.	मदुरै	तमिलनाडु
27.	मोहाली	पंजाब
28.	जयपुर	राजस्थान
29.	गुवाहाटी	असम

1	2	3
30.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
31.	इंदौर	मध्य प्रदेश
32.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
33.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
34.	भिलाई	छत्तीसगढ़
35.	पांडिचेरी	पांडिचेरी

विवरण-II

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

नई दिल्ली-110003

क्र. सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	शिलांग	मेघालय	व्यावहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बुनियादी योजना (सीआईबी) के अंतर्गत राज्य सरकार को वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से राशि प्राप्त करनी है।
2.	गंगटोक	सिक्किम	एसटीपीआई सिडिको के साथ पहले ही एक समझौते-पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी है। राज्य सरकार से भूमि और भवन की प्रतीक्षा है।
3.	जालंधर	पंजाब	राज्य सरकार द्वारा अभी स्थान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
4.	अगरतला	त्रिपुरा	राज्य सरकार के लिए समझौता-पत्र का मसौदा भेजा गया है।
5.	नासिक	महाराष्ट्र	डेटाकॉम उपस्कर पहले ही खरीद लिया गया है और इसके प्रतिष्ठापन एवं चालू करने की प्रक्रिया चल रही है।
6.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	डेटा कॉम उपस्कर पहले ही खरीद लिया गया है और उसके प्रतिष्ठापन एवं चालू करने की प्रक्रिया चल रही हैं।
7.	आगरा	उत्तर प्रदेश	समझौता-पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। राज्य सरकार से भूमि, भवन और 100 लाख रुपए के सहायता अनुदान की प्रतीक्षा है।
8.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	डेटाकॉम उपस्कर के खरीद की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
9.	गुड़गांवा	हरियाणा	राज्य सरकार के साथ एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। भवन का सिविल निर्माण कार्य अभी शुरू होना है। वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकार के लिए 250 लाख रुपए की मंजूरी दी है और इसकी प्रतीक्षा है।
10.	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार से तीन एकड़ भूमि, 3000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र और 100 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
11.	खड़कपुर	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार से तीन एकड़ भूमि, 3000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र और 100 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
12.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार से तीन एकड़ भूमि, 3000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र और 100 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3	4
13.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार से तीन एकड़ भूमि, 3000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र और 100 लाख रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
14.	तिरूनेवेली	तमिलनाडु	डेटाकॉम उपस्कर प्रतिष्ठापित और चालू कर लिया गया है। रेडियो मास्ट का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा-सहायता केंद्र

***608. श्री मानसिंह पटेल: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों के लिये चिकित्सा-सहायता राहत-केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे चिकित्सा-सहायता राहत-केंद्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का चिकित्सा-सहायता राहत-केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम नामक स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों को दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना स्थल से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए एम्बुलेंस और क्रेनें प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा-सहायता राहत-केन्द्र स्थापित नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोगिक परियोजना के तौर पर रा.रा.8 पर कोटपुतली-आमेर खंड पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

पोत-परिवहन सेवाएं आरम्भ करना

***609. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कम वेतन वाले कामगारों के लाभार्थ भारत से खाड़ी देशों को और वहां से स्वदेश के लिए रियायती दर पर पोत-परिवहन सेवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) भारत सरकार स्वत: नौवहन सेवाओं का प्रचालन नहीं करती है। नौवहन सेवाओं का प्रचालन विभिन्न नौवहन कम्पनियों/पोत मालिकों द्वारा किया जाता है जो ऐसी सेवाओं का प्रचालन यात्रियों और पोत की सुरक्षा के लिए [वाणिज्य पोत परिवहन (यात्री पोतों का निर्माण और सर्वेक्षण) नियमावली, 1981] और अन्तर्राष्ट्रीय नियमावली में यथा उपबंधित अपेक्षाओं के अनुसार कर सकते हैं। नौवहन सेवा का प्रचालन करना प्रचालकों का एक व्यापारिक निर्णय है और यह बाजार की शक्तियों के अध्यधीन है। वास्तव में, इस क्षेत्र में गैर-सरकारी प्रचालक द्वारा जिन नौवहन सेवाओं का प्रचालन किया जाता था, उन्हें भी व्यापारिक कारणों से रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

अंतरिक्ष उपग्रह

***610. श्री बृजलाल खाबरी:**
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अंतरिक्ष में अपने विभिन्न उपग्रहों का प्रक्षेपण अभी तक विदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता से करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अब स्वदेशी प्रौद्योगिकी से अंतरिक्ष-उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के उपग्रहों का प्रक्षेपण कब तक किये जाने की सम्भावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं। अभी तक प्रमोचित किए गए उपग्रहों का डिजाइन, विकास, संविरचन, समाकलन और जांच कार्य स्वदेशी रूप में आयोजित किए गए हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) जी, हां। इस समय, निम्न 8 उपग्रहों के संबंध में कार्य प्रगति में है:

1. जीसैट-2	–	प्रायोगिक संचार उपग्रह।
2. मेटसैट-1	–	मौसमविज्ञानीय उपग्रह।
3. इन्सैट-3ए	–	संचार, प्रसारण और मौसमविज्ञानीय सेवाओं के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह।
4. इन्सैट-3डी	–	उन्नत मौसमविज्ञानीय उपग्रह।
5. इन्सैट-3ई	–	संचार और प्रसारण उपग्रह।
6. रिसोर्ससेट-1	–	प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण उपयोग।
7. कार्टोसैट-1 और 2	–	मानचित्रकला संबंधी उपयोगों के लिए।

(ङ) इन उपग्रहों का प्रमोचन 2002-2004 के समय ढांचें में किए जाने का लक्ष्य है।

अस्पतालों में प्रतिबंधित दवाओं की आवक

***611. श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार-पत्र में ''प्रतिबंधित दवाएं भारत में खपाने पर अमादा हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ऐसा कार्य भारतीय कानूनों के लचीलेपन और उनमें विद्यमान खामियों की वजह से कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रतिबंधित दवाएं लाने पर अंकुश लगाने के लिए संगत कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई कठोर कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो उक्त संशोधन कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (छ) जी, हां। औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय को इस आशय की कोई शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है कि विकसित देशों में प्रतिबंधित/प्रतिषिद्ध औषधों का दिल्ली के सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाता है अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रोगियों पर प्रयोग किया जाता है जैसा कि समाचार में आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि श्रीमती आदर्श मिश्रा, तत्कालीन प्रधान सचिव (एच) द्वारा न तो कोई बैठक ली गई न ही डा. आर.एन. वैश्य, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को कोई निदेश दिया गया था जैसा कि समाचार में बताया गया था।

सेप्ट्रान (को-ट्राइमेक्साजोल), सिप्रोबिड (सिप्रोफ्लाक्सेसिन), एनाटेन (एनालाप्रिल), पैरासिटामोल आदि जैसी औषधें बहुत पहले से प्रमाणित औषधें हैं और इनका एक बड़ी संख्या में भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विनिर्माण किया जाता है। इसलिए, औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अधीन अत्यावश्यक है कि फार्मूलेशन के हरेक बैच का इसकी गुणवत्ता विनिर्देश की जांच के बाद ही विपणन किया जाए। अत: समाचार-पत्र में दिया गया वक्तव्य कि इन औषधों का विभिन्न कंपनियों द्वारा जांच किए बिना ही विपणन किया जाता है, सही नहीं है।

एक फिलीपीन कंपनी द्वारा औषधों के आयात से संबंधित मामला लेबल लगाने के उपबधों के संबंध में है। इन उत्पादों का संवितरण तत्काल बंद कर दिया गया था और फर्म को यह निदेश दिया गया था कि वे स्वदेशी मानदण्डों के अनुसार लेबलों पर सभी प्रकार की सूचना प्रदान करें। सहायक औषध नियंत्रक (भारत) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली को हिदायत दी

गई थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि वस्तुओं को जारी करने से पहले निर्धारित लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है।

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में कोई लचीलापन अथवा कमी नहीं है जिससे ऐसी औषधों की संभावित बिक्री हो सके जिन पर रोक लगी हुई है। अधिनियम की धारा 26(क) में केन्द्रीय सरकार को जनहित में औषधों और प्रसाधन सामग्री के विनिर्माण और बिक्री का प्रतिषेध करने की शक्ति प्राप्त है। प्रतिबंधित औषधों की किसी भी बिक्री पर अधिनियम के अधीन धारा 28(ख) के दाण्डिक उपबंध लागू होंगे। चूंकि, खतरनाक अथवा असंगत पाई गई किसी औषध के आयात, विनिर्माण और बिक्री को प्रतिषिद्ध करने के लिए पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं, इसलिए कानून को संशोधित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

[अनुवाद]

भारत-चीन आतंकवाद विरोधी समूह का गठन

***612. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री ज्योदिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा पार से संचालित आतंकवादी गतिविधियों सहित आतंकवाद की समस्या पर काबू पाने के लिए चीन का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक भारत-चीन आतंकवाद रोधी परामर्श समूह का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समूह का स्पष्ट उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या अभी तक इस समूह की कोई बैठक आयोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समूह द्वारा क्या-क्या टिप्पणियां और सुझाव दिए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां। भारत और चीन ने आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध एक वार्षिक वार्ता तंत्र की स्थापना की है।

(ग) आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध भारत-चीन वार्ता तंत्र की पहली बैठक 23 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में हुई।

(घ) दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में अपने-अपने राष्ट्रीय अनुभव बांटे, आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया जिसमें इस क्षेत्र की घटनाओं, संयुक्त राष्ट्र में सहयोग और द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाएं शामिल थीं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वार्ता प्रक्रिया की पहली बैठक आपसी समझबूझ बढ़ाने के लिहाज से उपयोगी रही। अगला दौर अगले वर्ष बीजिंग में आयोजित किये जाने की आशा है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. द्वारा सेल्युलर सेवाएं

***613. श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ मासों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने देश में सेल्युलर सेवा आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो शुरू में यह निर्णय किस तारीख को लिया गया था;

(ग) शुरू में लिए गए इस निर्णय के अनुसार उक्त सेवा किस तिथि से शुरू की जानी थी;

(घ) उक्त निगम द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस सेवा की शुरूआत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अब देश के किन-किन क्षेत्रों में इस सेवा को आरंभ किये जाने की सम्भावना है और यह सेवा क्षेत्रवार किन-किन तिथियों से आरंभ की जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) बी.एस.एन.एल. ने सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए टर्नकी परियोजना हेतु विस्तृत निविदा विनिर्देशनों को अंतिम रूप दे दिया था और इस संबंध में जनवरी 2001 में निविदा आमंत्रण सूचना जारी की थी। वित्त वर्ष 2001-2002 की अंतिम तिमाही में नेटवर्क रॉल आउट की योजना बनाई गई थी क्योंकि आशा थी कि उपस्कर अक्तूबर 2001 तक प्राप्त हो जाएंगे। बोलियों का विस्तृत तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन करने तथा मूल्यों में कमी करने के लिए वेंडरों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद ही दिसम्बर 2001/जनवरी 2002 में निविदा को अंतिम रूप दिया जाना संभव हुआ।

(ङ) खरीद आदेश में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में नेटवर्क स्थापित किए जाने की संभावना है:

- दक्षिणी क्षेत्र : अगस्त 2002
- पश्चिमी क्षेत्र : सितम्बर 2002
- उत्तरी क्षेत्र : अक्तूबर 2002
- पूर्वी क्षेत्र : नवम्बर 2002

[अनुवाद]

दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***614. श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आशा के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में यदि कोई कमी दर्ज की गई है तो वह कितनी है;

(ङ) क्या ऊर्जा क्षेत्र के पश्चात् दूरसंचार का क्षेत्र ही दूसरा ऐसा सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें इतने अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है; और

(च) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम और बढ़ाने की दृष्टि से अन्य क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। गत दो वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबकि अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1999 तक कुल 4221.1 करोड़ रु. के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह हुआ वहीं पिछले दो वर्षों के दौरान ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह कुल 4259.5 करोड़ रु. तक पहुंच गया।

(ग) और (घ) हालांकि दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वास्तविक अंतर्वाह के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, फिर भी दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह में वृद्धि अत्यंत संतोषजनक रही है।

(ङ) जी, हां। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदन को देखते हुए दूरसंचार क्षेत्र देश में ईंधन (बिजली और तेल शोधन) के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

(च) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह में और वृद्धि करने की दृष्टि से किए गए मुख्य उपायों में निम्नलिखित शमिल हैं:-

- अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं को मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना।
- इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति देना।
- सेल्युलर फोनों और उनके पुर्जों पर कुल सीमा शुल्क में कटौती।
- दूरसंचार विनिर्माणकारी क्षेत्र को संबल प्रदान करने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) स्कीम में आशोधन।
- दूरसंचार सेवा क्षेत्र को 4 प्रतिशत के एकसमान बिक्री कर का लाभ उठाने की अनुमति देते हुए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन।

''लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड'' के साथ संयुक्त उद्यम

***615. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु विद्युत निगम, ''लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड'' के साथ एक संयुक्त उद्यम बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी संस्था के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए परमाणु विद्युत निगम क्या कदम उठा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) मौजूदा कुल 2720 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता को दसवीं योजना के अंत तक (मार्च, 2007) बढ़ाकर 4020 मेगावाट और ग्यारहवीं योजना के अंत तक (मार्च, 2012) 9935 मेगावाट करने की योजना है। वर्ष 2020 तक कुल परमाणु विद्युत क्षमता को 20,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जोकि कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 7% हिस्सा होगा। वर्ष 2020 तक परमाणु विद्युत क्षमताओं में महत्वपूर्ण योजनागत वृद्धि करने के बावजूद, परमाणु विद्युत के योगदान का अंश, देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में फिर भी सीमित ही होगा।

''ट्राई'' का प्रारूप-पत्र

***616. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर-संयोजन (इंटर कनेक्शन) आदि से संबद्ध मुद्दों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ''ट्राई'' ने कोई प्रारूप-पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में ''ट्राई'' ने कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) ट्राई ने निम्नांकित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक परामर्श पत्र तैयार किया:

(i) इंटरकनेक्शन के एक सामान्य ढांचे का विकास करना;

(ii) लम्बी दूरी कॉल उदगम, पारेषण और समापन संबंधी घटकों के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी के लिए प्रणाली का विकास करना,

(iii) राष्ट्रीय लम्बी दूरी नेटवर्क तक सभी उपभोक्ताओं की समान रूप से आसानी से पहुंच जिसमें ''प्री-सलेक्शन'' और डिफाल्ट कैरियर'' से संबंधित मुद्दे शामिल हैं; और

(iv) इंटरकनेक्ट बिलिंग प्रणाली की एक रूपरेखा प्रस्तुत करना।

यह परामर्श-पत्र इंटरकनेक्शन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संबंधित स्टेक होल्डरों से परामर्श करने के लिए तैयार किया गया है। विभिन्न दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ शुरू हुई खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बहुत से प्रचालकों और बहुत सी सेवाओं के विकल्प के परिदृश्य में इंटरकनैक्शन ही सफलता का जरिया है ताकि टेलीफोन प्रयोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर उच्चस्तरीय सेवा का लाभ प्राप्त हो सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

'सी-डॉट' प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद

***617. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, देश में कुल कितने मूल्य के ''सेंटर फॉर डेवलपमेंट एण्ड टेलीमेटिक्स'' (सी-डॉट) प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद तैयार किये गए;

(ख) क्या कुछ निर्माण इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 'सी-डॉट' का उन्नयन न हो पाने की वजह से एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में उसकी भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्थिति को बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विनिर्मित सी-डॉट प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है:

1999-2000	—	997.00 करोड़ रु.
2000-2001	—	1537.00 करोड़ रु.
2001-2002	—	841.00 करोड़ रु. (अनंतिम)

(ख) से (ङ) यद्यपि इस प्रकार की विनिर्माण इकाइयों के बन्द होने के संबंध में हाल में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा खरीद की मात्रा, इन इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए

उनकी आवश्यकता के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। प्रौद्योगिकीय उन्नयन प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है तथा तदनुसार सी-डॉट ने दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं इस तरीके से शुरू की हैं कि बदलते प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में यह एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखे, ताकि ऐसे प्रयासों से इसके विनिर्माताओं को भी लाभ पहुंचे।

यूरेनियम रिएक्टर

***618. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थित यूरेनियम रिएक्टरों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इन रिएक्टरों की यूरेनियम की आवश्यकता सम्पूर्णतः पूरी नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन रिएक्टरों ने इष्टतम विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) देश में कुल चौदह परमाणु विद्युत रिएक्टर हैं। कुल 2720 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता के अन्तर्गत, तारापुर, महाराष्ट्र के दो यूनिट (2×160 मेगावाट); रावतभाटा, राजस्थान के चार यूनिट (1×100 मेगावाट + 1×220 मेगावाट); कलपाक्कम, तमिलनाडु के दो यूनिट (2×170 मेगावाट); नरोरा, उत्तर प्रदेश के दो यूनिट (2×220 मेगावाट); ककरापार, गुजरात के दो यूनिट (2×220 मेगावाट) तथा कैगा, कर्नाटक के दो यूनिट (2×220 मेगावाट) शामिल हैं।

(ख) ऊपर उल्लिखित रिएक्टरों की यूरेनियम ईंधन संबंधी आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी की जा रही हैं।

(ग) ऊपर (ख) के मद्देनजर लागू नहीं।

(घ) रिएक्टरों ने अपनी निर्धारित उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है।

(ङ) क्षमता गुणकों में, जोकि संयंत्रों के कार्य-निष्पादन के प्रमुख सूचकों में से एक है, पिछले वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। वित्त-वर्ष 2001-2002 के दौरान, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने लगभग 85 प्रतिशत वार्षिक औसतन क्षमता गुणक रिकार्ड किया है।

(च) ऊपर (ङ) के मद्देनजर लागू नहीं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति का संरक्षण

***619. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को किसी के द्वारा शोषण से बचाने के लिए इसे संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई ठोस फार्मूला तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) सरकार इस बात से अवगत है कि अन्य देशों द्वारा हमारे पदपों के औषधीय उपयोग की नवीनता का दावा करते हुए पेटेन्ट करा लिया गया है। अतः, सरकार ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर रही है, जिसमें पहले चरण में 35,000 आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशनों को कवर किया जा रहा है। इससे जनता के अधिकार क्षेत्र में पहले से विद्यमान औषधीय उपयोग को पेटेन्ट कराए जाने पर रोक लगेगी। आयुर्वेद के लिए ट्रेडिशलन नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के इस वर्ष तैयार हो जाने की आशा है। सिद्ध और यूनानी के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बाद में तैयार की जाएगी।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों के लिए अनुसंधान

***620. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधि-निर्माण के उद्देश्य से देश के वन्य क्षेत्र में पायी जाने वाली जड़ी-बूटियों की बड़ी पैमाने पर खोज शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन जड़ी-बूटियों से औषधि तैयार करने के लिए किन-किन राज्यों में छोटे या बड़े पैमाने पर भेषज निर्माणी इकाइयां स्थापित की गई हैं और इन इकाइयों द्वारा किन-किन जड़ी-बूटियों से औषधियों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कितनी-कितनी भेषज निर्माणी इकाइयां कार्यरत हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) वन औषधियों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के मूलभूत स्त्रोत हैं। इस संबंध में अनुसंधान परिषदें जातीय-वानस्पातिक सर्वेक्षण करती रही हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की लगभग 9832 फार्मेसियां हैं, जिनमें से लगभग 43 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं अलग-अलग इकाइयों द्वारा प्रयुक्त जड़ी-बूटियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

अपव्यय में कमी

6218. श्री अमर राय प्रधान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त-मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें अपव्यय अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी इस प्रयोजन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा पहचान की गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए कितने अपव्यय की पहचान की गई है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार का सतत प्रयास, आयोजना-भिन्न और विकासात्मक से इतर व्यय नियंत्रित करने का रहा है जिसके संबंध में वित्त-मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को सामान्य अनुदेशों के रूप में व्यय-प्रबंधन-वित्तीय सूझ-बूझ और मितव्ययिता के बारे में समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग) वित्त-मंत्रालय द्वारा कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय में कोई क्षेत्र विशेष नहीं पहचाना गया है। फिर भी, वित्त-मंत्रालय, व्यय-विभाग द्वारा स्थापित किए गए व्यय-सुधार-आयोग द्वारा, व्यय कम किए जाने के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं।

कॉयर का न्यूनतम समर्थन मूल्य

6219. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉयर का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.ई.पी.) चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छोटे क्षेत्रों और कामगारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को चरणबद्ध तरीके से वापिस लिए जाने का विरेध किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को वापिस लिए जाने से कॉयर के निर्यात पर विपरीत प्रभाव न पड़े?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) कॉयर एवं कॉयर उत्पादों के निर्यात संवर्धन में सभी प्रतिबन्धों को हटाने की दृष्टि से, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी.) नियम हटा लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) कॉयर एवं कॉयर उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए कॉयर बोर्ड द्वारा संवर्धनात्मक प्रयास जैसे कि प्रदर्शनियों/विदेशी मेलों में भागीदारी के माध्यम से विपणन विकास, अध्ययन दौरे, क्रेता-विक्रेता सहमिलन आदि आयोजत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातकों को बाह्य विपणन सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कॉयर उत्पादों को गुणवत्ता एवं मूल्यों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, उत्पाद विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयास, उत्पाद विविधीकरण और गुणवत्ता सुधार भी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के विकास में सिडबी की भूमिका

6220. श्री बीर सिंह महतो: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की क्या भूमिका रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण प्रदान कर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं/का पुनरुद्धार किया गया है;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का विचार राज्य में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र को पश्चिम बंगाल सहित अखिल भारतीय स्तर पर संचालित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के माध्यम से नई विद्यमान परियोजनाओं के लिए आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ख) सिड़बी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता नीचे दी गई है:

वर्ष	इकाइयों की संख्या	संस्वीकृत राशि (रु. करोड़)	संवितरित राशि (रु. करोड़)
1999-2000	786	218.55	183.58
2000-2001	220	228.29	104.29
2001-2002(अ)	342	145.41	99.59

(अ) अनंतिम

सिडबी ने पश्चिम बंगाल में इसकी पुनर्वित पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 9 लघु उद्योग इकाइयों को आरंभ होने से (अर्थात अप्रैल 1990 से मार्च 2000 तक) अब तक क्रमशः 40.58 लाख रु. और 40.93 लाख रु. संस्वीकृत और संवितरित किए हैं।

(ग) सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र की स्वस्थ वृद्धि को सुविधाजनक बनाने हेतु लगातार नई कार्यशैलियां अपनाता रहा है। सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नई पहलें करता रहेगा और नए क्रियाकलाप पश्चिम बंगाल सहित देश भर को कवर करेंगे।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका

6221. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंकों द्वारा क्या भूमिका अदा की गई है;

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण प्रदान कर लघु उद्योग में कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं/ पुनरुद्धार किया गया है;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का राज्य में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)लघु उद्योग क्षेत्र की नई और मौजूदा परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्कीमों जोकि जम्मू और कश्मीर राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन में है, के माध्यम से आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता विस्तारित करता है।

(ख) सिडबी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर को प्रदान की गई सहायता निम्नोक्त है:

वर्ष	यूनिटों की सं.	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
1999-2000	673	17.90	16.90
2000-2001	454	15.37	11.34
2001-2002(अ)	220	17.07	12.06

(अ) अनंतिम

(ग) सिडबी लघु उद्योग सेक्टर को हेल्दी ग्रोथ प्रदान करने के लिए निरन्तर नई रणनीतियां अपना रही है। सिडबी लघु उद्योग सेक्टर के लिए लगातार नई पहलें करती रहेगी तथा नए क्रियाकलाप जम्मू और कश्मीर सहित सारे देश को कवर करेगा।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

6222. श्री अनन्त नायक: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी समीक्षा अवधि क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, इनका वित्त पोषण और उनके विकास की दिशा में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के कार्यनिष्पादन की नियमित अन्तरालों पर समीक्षा करती है।

(ग) और (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), नई एवं विद्यमान परियोजनाओं हेतु और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वित्तीय योजनाएं, जो अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन में हैं, के माध्यम से आधुनिकीकरण और विविधीकरण हेतु लघु उद्योगों का संवर्धन करता है और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विगत तीन वर्षों 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान उड़ीसा एवं अखिल भारत में लघु उद्योग क्षेत्र को सिडबी द्वारा प्रदान की गई सहायता निम्नोक्त है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	उड़ीसा		अखिल भारत (उड़ीसा सहित)	
	संस्वीकृतियां	संवितरण	संस्वीकृतियां	संवितरण
1999-2000	188	137	10265	6964
2000-2001	203	159	10821	6441
2001-2002(अ)	116	83	9026	5919

(अ) अनंतिम

इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी

6223. श्री सुबोध मोहिते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के विद्यार्थियों द्वारा प्रैक्टिस की अनुमति देने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था जिसमें इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के छात्रों को प्रस्तावित अर्हता दिलाने की बात परिकल्पित थी। उस प्रस्ताव में बम्बई होम्योपैथिक चिकित्सक अधिनियम 1959 में संशोधन करने की मांग की गई थी क्योंकि प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम 1973 के उपबंधों का उल्लंघन करता था। चूंकि, होम्योपैथी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 1999 के बाद से बन्द कर दिया गया है, इसलिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी जा सकी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने भी ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की सम्भावना से इन्कार कर दिया था।

उत्तरांचल की ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं

6224. **श्री ए. नरेन्द्रः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में, विशेषकर रुद्रप्रयाग जिले में उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक टेलीफोन सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) रुद्रप्रयाग जिले की सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, उत्तरांचल राज्य में 1695 ग्राम पंचायतों और रुद्रप्रयाग जिले में 41 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा से जोड़ा नहीं गया है।

(ख) पर्वतीय राज्य होने के कारण, उत्तरांचल में दूरसंचार सुविधा रहित ग्राम पंचायतें दूर-दराज के क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तकनीकी रूप से इन गांवों को परंपरागत स्थलीय मीडिया से जोड़ना संभव नहीं था।

(ग) और (घ) शेष सभी गांवों को दिसम्बर 2002 तक वायरलेस इन लोकर लूप (डब्ल्यूएलएल) और उपग्रह प्रणाली द्वारा दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है बशर्ते उपस्कर उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन सुविधा

6225. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 में किये गये समझौते के अंतर्गत मैसर्स श्याम टेलीलिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कितने गांवों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ा जाना था;

(ख) क्या मैसर्स श्याम टेलीलिंक लिमिटेड ने समझौते की सेवा शर्तों के अनुसार गांवों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या वर्ष 2002-2003 तक राजस्थान के जोधपुर जिले के सभी गांवों को टेलीकॉम सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) लाइसेंस करार के अनुसार, प्रभावी तारीख (4.3.1998) से प्रथम तीन वर्षों के दौरान 31834 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) मै. श्याम टेलीलिंक ने पूरे राजस्थान में अपनी सेवाओं का विस्तार अभी तक नहीं किया है। सरकार ने उनके कार्य-निष्पादन में विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों को वसूल कर लिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके वचनबद्ध कार्य-निष्पादन दायित्वों को किसी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। सरकार ने उन्हें दिसम्बर 2002 तक अधूरे वचनबद्ध रोल आउट दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा है जिसमें जोधपुर जिले के गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल होगा।

[अनुवाद]

सहायक और प्रवर श्रेणी लिपिक की स्व-स्थाने प्रोन्नति

6226. **श्री टी. गोविन्दनः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उन सहायक श्रेणी और फीडर ग्रेड के प्रवर श्रेणी लिपिकों को स्व-स्थाने प्रोन्नति देने का कोई प्रस्ताव है जो शाखा अधिकारियों और अवर सचिवों, जिनको हाल ही में ऐसी प्रोन्नति दी गई है, की तुलना में अपने संबंधित श्रेणी में एक ही पद पर काफी समय से कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीधे भर्ती और पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता के बारे में अरसे तक चली लम्बी मुकदमेबाजी की वजह से वर्ष, 1986 के पश्चात् अनुभाग अधिकारियों की और वर्ष 1993 के पश्चात् अवर सचिवों की पदोन्नति की किसी भी प्रवर सूची के जारी नहीं किए जा सकने के कारण, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों का स्वस्थाने उन्नयन किया गया। जहां तक सहायतों और उच्च श्रेणी-लिपिकों का संबंध है, उपर्युक्त ग्रेडों की प्रवर सूचियां, नियमित अन्तराल पर जारी की जाती आ रही हैं और इसलिए सहायकों और उच्च श्रेणी-लिपिकों का वैयक्तिक आधार पर स्वस्थाने उन्नयन किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में नए डाकघर खोले जाना

6227. श्री महेश्वर सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे सुदूर, पहाड़ी और सीमांत राज्यों में डाकघर शाखाएं खोलने हेतु निर्धारित मानदंड में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो मानदंडों/शर्तों में दी गई छूट का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितनी डाकघर शाखाएं खोलने और उन्नयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उदार मानदंडों सहित शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) हिमाचल प्रदेश में नौवीं पंचवर्षीय योजना में 36 नए शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित था और 20 नए शाखा डाकघर खोले गए। शाखा डाकघरों का खोलना तथा उन्नयन निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता था।

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में नए डाकघर खोलने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है। लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है हां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^1/_3$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

राजस्थान संवर्ग में रिक्त पद

6228. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में स्वीकृत पदों, रिक्त पड़े पदों की संवर्ग-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है और इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) राज्य में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग और अन्य श्रेणियों के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन सेवाओं और श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व उनको आबंटित कोटा के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भरे गए पदों और रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, 01.05.2002 को मौजूद स्थिति के मुताबिक, राजस्थान राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के संवर्गों में रिक्त चल रहे पदों की संख्या क्रमशः 25, 11 और 7 थी। उपर्युक्त राज्य सरकार द्वारा उपर्युत्त रिक्त पद शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 13 मामले और भारतीय वन-सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 17 मामले अन्वेषण हेतु लंबित चल रहे हैं। भारतीय पुलिस-सेवा के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी मामला अन्वेषण हेतु लंबित नहीं चल रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 8, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 2 और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 9 अनुशासनिक मामले विभिन्न चरणों में लंबित चल रहे हैं। लंबित चल रहे अन्वेषण और संगत सांविधिक नियमों के अनुसार शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निबटाए जाने की कोई समय-सीमा विशेष बता पाना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार आरक्षण, संबंधित सेवा के संबंध में समग्रत: मुहैया करवाया जाता है, न कि राज्य-संवर्ग-वार। उपर्युक्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा और भारतीय वन सेवा में कुल आरक्षण, क्रमश: 21.39%, 17.60% और 22.34% है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सुविधा

6229. श्री सुनील खां: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण टेलीफोन के चयन हेतु जिम्मेदार प्राधिकारी कौन हैं और प्राधिकारी के चयन के लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बरजोरा ग्राम पंचायत के मानाणा और गोदारदिही ग्राम पंचायत तलानजुरी गांव के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बीएसएनएल के दूरसंचार जिला प्रमुख द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के अभिरक्षक का चयन किया जाता है और यह चयन करते समय ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन से कॉलें करने के लिए ग्रामवासियों की अभिगम्यता और सुविधा का ध्यान रखा जाता है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बरजोरा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मनाणा और गोदारदिही ग्राम पंचायत के अन्तर्गत जलांगुरी में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

6230. श्री विष्णुदेव साय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिला-वार कितने ग्राम पंचायतों को टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) उनमें से कितने टेलीफोन चालू हालत में हैं और उनमें से कितने खराब हैं;

(ग) उनके कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा खराब टेलीफोनों को ठीक करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को कब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किये जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) अभी तक छत्तीसगढ़ के 6429 ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्राम पंचायतों में 4272 टेलीफोन कार्य कर रहे हैं जबकि 2157 टेलीफोन खराब हैं।

(ग) अधिकांश खराब टेलीफोन पुरानी एमएआरआर प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे हैं जो विश्वशनीय सिद्ध नहीं हुई है। लम्बी ओवरहैड तारों के अनुरक्षण में कठिनाई भी इसका एक कारण है।

(घ) वार्षिक अनुरक्षण ठेका एमएआरआर प्रणालियों के विनिर्माताओं को दिया गया है। सर्किल में संस्थापित वायरलैस इन लोकल लूप प्रणालियों के कवरेज-क्षेत्र में आने वाले खराब टेलीफोनों को उत्तरोत्तर रूप से बदलने की भी योजना है।

(ङ) दिसम्बर, 2002 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है।

विवरण

छत्तीसगढ़ में टेलीफोन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र. सं.	जिला	दूरसंचार सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	बस्तर	1177
2.	बिलासपुर	300
3.	चम्पा-जांजगीर	140
4.	दन्तवाड़ा	302
5.	धमतरी	163
6.	दुर्ग	925
7.	जसपुर	387
8.	कांकड़	453
9.	कवरधा	196
10.	कोरबा	220
11.	कोरिया	53
12.	महासमन्द	219
13.	रायगढ़	641
14.	रायपुर	563
15.	राजनन्दगांव	515
16.	सरगुजा	175
	जोड़	6429

[अनुवाद]

फेरी सेवाएं

6231. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्देशीय जल परिवहन को विकसित करने हेतु तिरूचेन्दूर-तुतीकोरिन-कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच फेरी सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के लिए तिरूचेन्दूर-तुतीकोरिन-कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के बीच फेरी सेवाएं शुरू करने का सरकार का कोई विचार नहीं है क्योंकि तमिलनाडु अथवा केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसंधान और विकास हेतु आबंटन में वृद्धि

6232. श्री वाई.वी. राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पिछले वर्षों की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास हेतु अपने आबंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा तय किए जा रहे विशिष्ट लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटन वर्ष 2001-2002 के 76.42 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 में 113.3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अनुसंधान एवं विकास में जिन क्षेत्रों को शामिल करने की संभावना है, इस प्रकार हैं— कम्प्यूटर (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) विकास, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी एवं पूंजीगत वस्तुओं का विकास, सम्मिलन एवं सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी, ई-वाणिज्य एवं सूचना, सुरक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जा एवं सामग्री विकास, स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी अनुप्रयोग, जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, फोटॉनिकी विकास उच्च निष्पादन अभिकलन, भाषा प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म तंरग आदि।

निम्नलिखित कार्यकलापों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है:

— चुने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी/उत्पाद विकास

— चुनिंदा क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास।

अपहरणकर्त्ता की गिरफ्तारी

6233. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में आई.सी.-814 के अपहरणकर्त्ताओं में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे भारत को सौंपने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी नहीं। भारत में सीमा-पार आतंकवाद प्रायोजित करने की अपनी नीति के भाग के रूप में पाकिस्तान ने भारत में कानून से भागे अनेक अपराधियों जिसमें आई सी-814 विमान को अपहृत कर कन्धार ले जाने वाले अपहर्ता भी शामिल हैं, को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना जारी रखा है।

31 दिसम्बर, 2001 को सरकार ने पाकिस्तान को कानून के 20 भगोड़ों की एक सूची सौंपी और कहा कि उन्हें पकड़कर भारत के हवाले किया जाए ताकि इस देश में किये गये अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सके। हालांकि इस संबंध में पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 12 जनवरी को राष्ट्र को दिये गये अपने संबोधन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुले तौर पर कहा कि भारत द्वारा सौंपी गये 20 लोगों की सूची में शामिल किसी पाकिस्तानी राष्ट्रिक को सौंपने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उस सूची में जो गैर-पाकिस्तानी थे उनकी उपस्थिति के संबंध में राष्ट्रपति ने यह कहते हुए इस मसले को टालना चाहा कि पाकिस्तान ने ऐसे किसी व्यक्ति को आश्रय नहीं दिया है।

परामर्शदाता की नियुक्ति

6234. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हाल ही में विकास की गति धीमी पड़ने के कारणों की पहचान हेतु दो वर्षों की अवधि के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति करने के वास्ते सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रस्ताव पर सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है;

(ग) क्या भारतीय सॉफ्टवेयर क्षेत्र की मिल रही विदेशी चुनौतियों से निपटने हेतु विभिन्न विभागों और परामर्शदात्री परिषदों के आदान अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस परिदृश्य में परामर्शदाता के कर्तव्य क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग पर अध्ययन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (नेसकॉम) और मेकिंनी के एक संयुक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवा उद्योग के विकास की गति को बनाए रखने के लिए समुचित नीतियों का विकास करना है। यह अध्ययन रिपोर्ट जून, 2002 में जारी होने की संभावना है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

6235. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में किन देशों के साथ सहयोग है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) परमाणु ऊर्जा का शांतिमय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, भारत सरकार का बेल्जियम, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पोलैंड, रूसी परिसंघ, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, सीरिया, थाइलैंड तथा वियतनाम के साथ सहयोग तथा सहकार करने का कार्यक्रम है।

(ख) सहयोग तथा सहकार कार्यक्रम के अन्तर्गत, वैज्ञानिकों का तथा प्रकाशित सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान किया जाता है। यह सहकार, मुख्यत: निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है:

(i) नाभिकीय सुरक्षा के नियमन के क्षेत्र में सूचना का आदान-प्रदान तथा सहकार;

(ii) मूलभूत अनुसंधान;

(iii) रिएक्टरों का उपयोग;

(iv) नाभिकीय तथा अन्य विश्लेषक तकनीकें;

(v) पदार्थ विज्ञान;

(vi) त्वरक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; और

(vii) उत्तक-रोपणों, और विकिरणभेषज उत्पादों तथा अन्य पदार्थ-ऊत्तक बैंक का विकिरण की सहायता से निर्जर्मीकरण।

मार्जिन मनी स्कीम

6236. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में मार्जिन मनी स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु किन विभिन्न स्लैबों पर धनराशि प्रदान कर रही है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को मार्जिन मनी के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) इसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) देशभर में, कृषि एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु ग्रामीण रोज़गार

सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है और 10 लाख रु. से ऊपर 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत हेतु मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/ संस्थान एवं पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह' लक्षद्वीप के लिए मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% है, लेकिन इस राशि से अधिक और 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए परियोजना की शेष लागत का 10% है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 10% अंशदान देना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य गैर-लाभान्वित वर्गों के मामले में, लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का केवल 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को मार्जिन मनी के रूप में प्रदान की गई कुल निधियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (30.11.2001 तक)
(करोड़ रु. में)	2.17	4.76	4.25

(ङ) चूंकि ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम का वित्त पोषण सीधे बैंकों द्वारा किया जाता है, अत: केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव किसी अनुमोदन/संस्वीकृति हेतु नहीं आता।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन

6237. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1,00,877 आवेदन-पत्र लंबित थे।

(ख) एक्सचेंज-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रतीक्षा-सूची निपटाने के लिए, तारशुदा लाइनों और वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणालियों के माध्यम से 2,16,000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

विवरण

राजस्थान टेलीकॉम सर्किल

1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन प्रतीक्षा सूची

एक्सचेंज संख्या	एक्सचेंज का नाम	एसएसए	जिला	कुल प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5
1.	अजमेर डी भाटा	अजमेर	अजमेर	0
2.	अजमेर ई-10-बी	अजमेर	अजमेर	0
3.	अजमेर ईडब्ल्यूएसडी	अजमेर	अजमेर	0
4.	अजमेर एफवाईएस	अजमेर	अजमेर	0

1	2	3	4	5
5.	अजमेर पी गंज	अजमेर	अजमेर	0
6.	अजमेर एसएनआर	अजमेर	अजमेर	0
7.	अजमेर एसएनआर ईडब्ल्यूएसडी	अजमेर	अजमेर	0
8.	अजमेर वीएनआर	अजमेर	अजमेर	0
9.	बबैचा	अजमेर	अजमेर	4
10.	बडखेरा	अजमेर	अजमेर	0
11.	बघेरा	अजमेर	अजमेर	13
12.	बघसूरी	अजमेर	अजमेर	40
13.	बड़वारा	अजमेर	अजमेर	0
14.	बंदासींदरी	अजमेर	अजमेर	8
15.	बर्ना	अजमेर	अजमेर	21
16.	बियावर एमबीएम	अजमेर	अजमेर	0
17.	बियावर रिको	अजमेर	अजमेर	0
18.	बियावर आरएसयू टीसी	अजमेर	अजमेर	0
19.	बियावर एससीएल	अजमेर	अजमेर	0
20.	बियावर खास	अजमेर	अजमेर	27
21.	बेगलियावास	अजमेर	अजमेर	1
22.	भादून	अजमेर	अजमेर	6
23.	भगवानपुर	अजमेर	अजमेर	37
24.	भंटवा	अजमेर	अजमेर	54
25.	भटियानी	अजमेर	अजमेर	2
26.	भवानीखेड़ा	अजमेर	अजमेर	59
27.	भिनय	अजमेर	अजमेर	32
28.	बिजयनगर	अजमेर	अजमेर	58
29.	बिरला	अजमेर	अजमेर	0
30.	बोगला	अजमेर	अजमेर	21
31.	बोरादा	अजमेर	अजमेर	30

1	2	3	4	5
32.	चौ. नारायणा	अजमेर	अजमेर	1
33.	चाचियावास	अजमेर	अजमेर	3
34.	चपानेरी	अजमेर	अजमेर	57
35.	दौलतपुर	अजमेर	अजमेर	16
36.	डिंडवारा	अजमेर	अजमेर	1
37.	देवगांव	अजमेर	अजमेर	0
38.	देवलीकलां	अजमेर	अजमेर	17
39.	धासूक	अजमेर	अजमेर	26
40.	फतेहगढ़	अजमेर	अजमेर	10
41.	गगल	अजमेर	अजमेर	3
42.	घुघरा	अजमेर	अजमेर	100
43.	गोविन्दगढ़	अजमेर	अजमेर	0
44.	हरमादा	अजमेर	अजमेर	3
45.	हताँदी	अजमेर	अजमेर	0
46.	जलिया-दो	अजमेर	अजमेर	16
47.	जमोला	अजमेर	अजमेर	19
48.	जवाजा	अजमेर	अजमेर	182
49.	जूनिया	अजमेर	अजमेर	18
50.	कदेल	अजमेर	अजमेर	13
51.	कदेरा	अजमेर	अजमेर	14
52.	कानपुरा	अजमेर	अजमेर	101
53.	कारकेदी	अजमेर	अजमेर	10
54.	करनोश	अजमेर	अजमेर	0
55.	केकरी	अजमेर	अजमेर	87
56.	खरवा	अजमेर	अजमेर	0
57.	किरप	अजमेर	अजमेर	0
58.	कुचील	अजमेर	अजमेर	3
59.	मदनगंज	अजमेर	अजमेर	29

1	2	3	4	5
60.	मदनगंज-एक क	अजमेर	अजमेर	9
61.	मंगलीवास	अजमेर	अजमेर	0
62.	मसूदा	अजमेर	अजमेर	15
63.	महरूकलां	अजमेर	अजमेर	26
64.	नेगलओ	अजमेर	अजमेर	27
65.	नसिराबाद	अजमेर	अजमेर	157
66.	नोसल	अजमेर	अजमेर	42
67.	पिसागांव	अजमेर	अजमेर	57
68.	प्राणहेरा	अजमेर	अजमेर	26
69.	पुष्कर	अजमेर	अजमेर	19
70.	राजगढ़	अजमेर	अजमेर	12
71.	राजीवास	अजमेर	अजमेर	33
72.	रामगढ़	अजमेर	अजमेर	28
73.	रामसर	अजमेर	अजमेर	59
74.	रूपनगढ़	अजमेर	अजमेर	64
75.	सलेमबाद	अजमेर	अजमेर	17
76.	सनपला	अजमेर	अजमेर	12
77.	सरधाना	अजमेर	अजमेर	10
78.	सराना	अजमेर	अजमेर	14
79.	सरमालिया	अजमेर	अजमेर	0
80.	सरवार	अजमेर	अजमेर	77
81.	सावर	अजमेर	अजमेर	90
82.	सिंगवाल	अजमेर	अजमेर	37
83.	सिरौंज	अजमेर	अजमेर	18
84.	श्रीनगर	अजमेर	अजमेर	89
85.	सुरसुरा	अजमेर	अजमेर	3
86.	तंतोती	अजमेर	अजमेर	36
87.	तिकावाड़ा	अजमेर	अजमेर	0

1	2	3	4	5
88.	तिलोनिया	अजमेर	अजमेर	0
89.	तोड़गढ़	अजमेर	अजमेर	4
90.	अरेन	अजमेर	अजमेर	26
91.	अजबपुरा	अलवर	अलवर	51
92.	अजरका	अलवर	अलवर	58
93.	अकबरपुर	अलवर	अलवर	40
94.	अलावाड़ा	अलवर	अलवर	26
95.	अलवर सी-डॉट मेन	अलवर	अलवर	114
96.	अलवर कलेक्ट्रट	अलवर	अलवर	0
97.	अलवर ई-10 बी मेन	अलवर	अलवर	120
98.	अलवर एचककेएम नगर	अलवर	अलवर	45
99.	अलवर एनईबी	अलवर	अलवर	172
100.	बागर का तिराया	अलवर	अलवर	38
101.	बहादुरपुर	अलवर	अलवर	111
102.	बम्बोली	अलवर	अलवर	84
103.	बनसूर	अलवर	अलवर	197
104.	बरौदा मेओ	अलवर	अलवर	98
105.	बरौदाकन	अलवर	अलवर	100
106.	बरौद	अलवर	अलवर	173
107.	बसनी	अलवर	अलवर	18
108.	बिजवाड़ चौहान	अलवर	अलवर	74
109.	बहरोर	अलवर	अलवर	412
110.	बहरौर शहर	अलवर	अलवर	103
111.	भानोकर	अलवर	अलवर	72
112.	भिंदूसी	अलवर	अलवर	135
113.	भिवाड़ी	अलवर	अलवर	286
114.	भूदा	अलवर	अलवर	20
115.	बीबीरानी	अलवर	अलवर	150

1	2	3	4	5
116.	बीचगांव	अलवर	अलवर	95
117.	बिलेता	अलवर	अलवर	2
118.	बूंतोली	अलवर	अलवर	55
119.	बुरजा	अलवर	अलवर	44
120.	बूतेरी	अलवर	अलवर	5
121.	चतरपुरा	अलवर	अलवर	97
122.	दसोद	अलवर	अलवर	40
123.	धमरेर	अलवर	अलवर	101
124.	धमूकर	अलवर	अलवर	35
125.	दिगवाड़ा	अलवर	अलवर	119
126.	गडोज	अलवर	अलवर	32
127.	गंडाला	अलवर	अलवर	283
128.	गधोला	अलवर	अलवर	63
129.	गंधुरा	अलवर	अलवर	148
130.	गढ़ी सवाईराम	अलवर	अलवर	127
131.	धाता बंदरोल	अलवर	अलवर	56
132.	धातला	अलवर	अलवर	3
133.	गोलकाबस	अलवर	अलवर	27
134.	गोथड़ा	अलवर	अलवर	94
135.	गोविन्दगढ़	अलवर	अलवर	119
136.	गुंताशहापुर	अलवर	अलवर	105
137.	हाजीपुर	अलवर	अलवर	45
138.	हरसौली	अलवर	अलवर	38
139.	हरसोरा	अलवर	अलवर	16
140.	इस्माइलपुर	अलवर	अलवर	6
141.	जैनपुरवास	अलवर	अलवर	22
142.	जखराना	अलवर	अलवर	153
143.	जाटबहरोर	अलवर	अलवर	95

1	2	3	4	5
144.	जिंदौली	अलवर	अलवर	31
145.	कंहावास	अलवर	अलवर	88
146.	कराना	अलवर	अलवर	16
147.	कथुमार	अलवर	अलवर	122
148.	किलपुर खेड़ा	अलवर	अलवर	2
149.	खैरथाल	अलवर	अलवर	73
150.	खानपुर अहिर	अलवर	अलवर	75
151.	खानपुर मेवान	अलवर	अलवर	75
152.	खेरली	अलवर	अलवर	91
153.	खेरली पिचनौट	अलवर	अलवर	53
154.	खोहो	अलवर	अलवर	26
155.	खोहो दरीबा	अलवर	अलवर	30
156.	खोहरा मालावाली	अलवर	अलवर	40
157.	खोरी	अलवर	अलवर	18
158.	खुशखेरा	अलवर	अलवर	169
159.	किशनगढ़बस	अलवर	अलवर	82
160.	किशोरी	अलवर	अलवर	104
161.	कोथकासिम	अलवर	अलवर	158
162.	लक्ष्मणगढ़	अलवर	अलवर	0
163.	लक्ष्मणगढ़ शहर	अलवर	अलवर	83
164.	एमआई एरिया	अलवर	अलवर	15
165.	मचेरी	अलवर	अलवर	149
166.	महराजवास	अलवर	अलवर	16
167.	मालाखेड़ा	अलवर	अलवर	134
168.	मंडावर	अलवर	अलवर	85
169.	मंधन	अलवर	अलवर	246
170.	मुबारकपुर	अलवर	अलवर	65
171.	नंगलवानी	अलवर	अलवर	31

1	2	3	4	5
172.	नारायणपुर	अलवर	अलवर	57
173.	नतोज	अलवर	अलवर	77
174.	निमराना	अलवर	अलवर	93
175.	नौगांव	अलवर	अलवर	69
176.	पतान	अलवर	अलवर	2
177.	पेहल	अलवर	अलवर	27
178.	पिनान	अलवर	अलवर	58
179.	प्रतापगढ़	अलवर	अलवर	55
180.	पृथ्वीपुरा	अलवर	अलवर	28
181.	राजगढ़	अलवर	अलवर	65
182.	राजपुर	अलवर	अलवर	136
183.	रजवाड़ा	अलवर	अलवर	143
184.	रामगढ़	अलवर	अलवर	159
185.	रामपुर कस्बा	अलवर	अलवर	33
186.	रेनी	अलवर	अलवर	335
187.	रोनीजथान	अलवर	अलवर	70
188.	सहदोली	अलवर	अलवर	97
189.	सरिस्का	अलवर	अलवर	14
190.	शहपुर देहरा	अलवर	अलवर	15
191.	शाहजहांपुर	अलवर	अलवर	166
192.	शेखपुर अहिर	अलवर	अलवर	111
193.	श्यामगंगा	अलवर	अलवर	97
194.	सोड़ावास	अलवर	अलवर	129
195.	श्रीयानी	अलवर	अलवर	99
196.	सुरेर	अलवर	अलवर	22
197.	टपूकारा	अलवर	अलवर	268

1	2	3	4	5
198.	तासिंह	अलवर	अलवर	8
199.	ततारपुर	अलवर	अलवर	36
200.	टिकरी	अलवर	अलवर	30
201.	तेहला	अलवर	अलवर	95
202.	थानागाजी	अलवर	अलवर	173
203.	तिजारा	अलवर	अलवर	207
204.	उमरैन	अलवर	अलवर	39
205.	अजीत	बाडमेर	बाडमेर	47
206.	अकाल	बाडमेर	बाडमेर	80
207.	अरनियाली	बाडमेर	बाडमेर	48
208.	असादा	बाडमेर	बाडमेर	22
209.	असोतरा	बाडमेर	बाडमेर	65
210.	बाबावास	बाडमेर	बाडमेर	27
211.	बैतू	बाडमेर	बाडमेर	112
212.	बलोतरा	बाडमेर	बाडमेर	4
213.	बरासन	बाडमेर	बाडमेर	30
214.	बाड़मेर	बाडमेर	बाडमेर	12
215.	बटाडू	बाडमेर	बाडमेर	99
216.	भादका	बाडमेर	बाडमेर	77
217.	भटाला	बाडमेर	बाडमेर	43
218.	भिंनियाड़	बाडमेर	बाडमेर	80
219.	भूका	बाडमेर	बाडमेर	44
220.	भिसाला	बाडमेर	बाडमेर	88
221.	चादोन की धानी	बाडमेर	बाडमेर	32
222.	चौहतान	बाडमेर	बाडमेर	17
223.	डांडली	बाडमेर	बाडमेर	57
224.	धनाऊ	बाडमेर	बाडमेर	46
225.	घोरीमना	बाडमेर	बाडमेर	99

1	2	3	4	5
226.	डोली	बाड़मेर	बाड़मेर	19
227.	गदरा रोड़	बाड़मेर	बाड़मेर	3
228.	गंधवा	बाड़मेर	बाड़मेर	39
229.	गिरब	बाड़मेर	बाड़मेर	3
230.	गुड़ामलानी	बाड़मेर	बाड़मेर	37
231.	गूंगा	बाड़मेर	बाड़मेर	46
232.	हरसानी	बाड़मेर	बाड़मेर	1
233.	हीरा की धा	बाड़मेर	बाड़मेर	50
234.	हूदू	बाड़मेर	बाड़मेर	41
235.	इन्द्राना	बाड़मेर	बाड़मेर	81
236.	जेएम खेड़ा	बाड़मेर	बाड़मेर	60
237.	जैसिंधर	बाड़मेर	बाड़मेर	7
238.	जसई	बाड़मेर	बाड़मेर	42
239.	जसोल	बाड़मेर	बाड़मेर	25
240.	जठन्तरी	बाड़मेर	बाड़मेर	32
241.	झंकली	बाड़मेर	बाड़मेर	28
242.	कलेवा	बाड़मेर	बाड़मेर	44
243.	कलूरी	बाड़मेर	बाड़मेर	6
244.	कल्याणपुर	बाड़मेर	बाड़मेर	88
245.	कनारा	बाड़मेर	बाड़मेर	98
246.	कनौड़ा	बाड़मेर	बाड़मेर	124
247.	कटारी	बाड़मेर	बाड़मेर	29
248.	कवास	बाड़मेर	बाड़मेर	228
249.	खंडक	बाड़मेर	बाड़मेर	20
250.	किलोड़	बाड़मेर	बाड़मेर	19
251.	कोनरा	बाड़मेर	बाड़मेर	98
252.	कूंडल	बाड़मेर	बाड़मेर	25

1	2	3	4	5
253.	कूरी	बाडमेर	बाडमेर	61
254.	लोहरवा	बाडमेर	बाडमेर	51
255.	मजाल	बाडमेर	बाडमेर	24
256.	मेलीवाधा	बाडमेर	बाडमेर	8
257.	मोकलसर	बाडमेर	बाडमेर	61
258.	नगाना	बाडमेर	बाडमेर	21
259.	नागर	बाडमेर	बाडमेर	14
260.	नोखरा	बाडमेर	बाडमेर	100
261.	पचपादरा	बाडमेर	बाडमेर	22
262.	पदरू	बाडमेर	बाडमेर	90
263.	परेउ	बाडमेर	बाडमेर	84
264.	पटोदी	बाडमेर	बाडमेर	24
265.	पएला कल्ला	बाडमेर	बाडमेर	24
266.	राखी	बाडमेर	बाडमेर	23
267.	रामसर	बाडमेर	बाडमेर	59
268.	एसपी सिंह	बाडमेर	बाडमेर	27
269.	एस परोहितान	बाडमेर	बाडमेर	46
270.	संदरी	बाडमेर	बाडमेर	64
271.	सानावाड़ा	बाडमेर	बाडमेर	104
272.	शान्तरा	बाडमेर	बाडमेर	41
273.	सरनू	बाडमेर	बाडमेर	95
274.	साता	बाडमेर	बाडमेर	65
275.	सेव	बाडमेर	बाडमेर	10
276.	शिवकर	बाडमेर	बाडमेर	60
277.	सिन्दारी	बाडमेर	बाडमेर	53
278.	सिवाना	बाडमेर	बाडमेर	56
279.	तपरा	बाडमेर	बाडमेर	75
280.	थोब	बाडमेर	बाडमेर	56

1	2	3	4	5
281.	उत्तरलई	बाडमेर	बाडमेर	93
282.	अजान	भरतपुर	भरतपुर	27
283.	अरोदा	भरतपुर	भरतपुर	27
284.	असतावन	भरतपुर	भरतपुर	126
285.	बागरेन	भरतपुर	भरतपुर	24
286.	बंसीपहाड़पुर	भरतपुर	भरतपुर	73
287.	बरोली धाउ	भरतपुर	भरतपुर	11
288.	बरौली छर	भरतपुर	भरतपुर	83
289.	बरखेड़ा	भरतपुर	भरतपुर	23
290.	बयाना	भरतपुर	भरतपुर	10
291.	बयाना एमबीएम	भरतपुर	भरतपुर	33
292.	बिरमपुर	भरतपुर	भरतपुर	50
293.	भदिरा	भरतपुर	भरतपुर	20
294.	भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	170
295.	भरतपुर आरएसयूएचडी	भरतपुर	भरतपुर	70
296.	भरतपुर आरएसयूआरएन	भरतपुर	भरतपुर	0
297.	भूसावड़	भरतपुर	भरतपुर	51
298.	बोलखेड़ा	भरतपुर	भरतपुर	10
299.	ब्रहमवाड़	भरतपुर	भरतपुर	51
300.	छोकरवाड़ा	भरतपुर	भरतपुर	110
301.	चिकसाना	भरतपुर	भरतपुर	44
302.	डीग	भरतपुर	भरतपुर	59
303.	देहरा	भरतपुर	भरतपुर	55
304.	धदरेन	भरतपुर	भरतपुर	35
305.	ध्ययाना का बास	भरतपुर	भरतपुर	0
306.	गदोली	भरतपुर	भरतपुर	101
307.	गामड़ी	भरतपुर	भरतपुर	62
308.	गोपालगढ़	भरतपुर	भरतपुर	14

1	2	3	4	5
309.	हलेना	भरतपुर	भरतपुर	150
310.	हिलक	भरतपुर	भरतपुर	108
311.	जलूकी	भरतपुर	भरतपुर	4
312.	जनुधर	भरतपुर	भरतपुर	77
313.	जूरेहरा	भरतपुर	भरतपुर	21
314.	कैथवाड़ा	भरतपुर	भरतपुर	22
315.	कल्सादा	भरतपुर	भरतपुर	3
316.	कामन	भरतपुर	भरतपुर	128
317.	कंदोली	भरतपुर	भरतपुर	65
318.	खोह	भरतपुर	भरतपुर	56
319.	कोरर	भरतपुर	भरतपुर	4
320.	कुमा	भरतपुर	भरतपुर	47
321.	कुम्हेर	भरतपुर	भरतपुर	101
322.	लखनपुर	भरतपुर	भरतपुर	92
323.	मदरियापुरा	भरतपुर	भरतपुर	20
324.	महुवा	भरतपुर	भरतपुर	90
325.	नदवई (नया)	भरतपुर	भरतपुर	0
326.	नदवई	भरतपुर	भरतपुर	195
327.	नगर	भरतपुर	भरतपुर	179
328.	निथार	भरतपुर	भरतपुर	69
329.	नोनरा	भरतपुर	भरतपुर	10
330.	पहाड़ी	भरतपुर	भरतपुर	95
331.	पालका	भरतपुर	भरतपुर	100
332.	पपरेरा	भरतपुर	भरतपुर	26
333.	पथेना	भरतपुर	भरतपुर	149
334.	रारा	भरतपुर	भरतपुर	99
335.	रसिया	भरतपुर	भरतपुर	39

1	2	3	4	5
336.	रूदावल	भरतपुर	भरतपुर	25
337.	रूपवास	भरतपुर	भरतपुर	38
338.	समई	भरतपुर	भरतपुर	16
339.	सम्तोकपुरा	भरतपुर	भरतपुर	45
340.	सऊ	भरतपुर	भरतपुर	16
341.	सिकरी	भरतपुर	भरतपुर	24
342.	सिर्संनी	भरतपुर	भरतपुर	27
343.	उचैन	भरतपुर	भरतपुर	135
344.	ऊंचा नगला	भरतपुर	भरतपुर	107
345.	बेर	भरतपुर	भरतपुर	125
346.	अनगई	भरतपुर	धौलपुर	32
347.	वारी	भरतपुर	धौलपुर	270
348.	बसैना वाओ	भरतपुर	धौलपुर	31
349.	बसेरी	भरतपुर	धौलपुर	185
350.	धौलपुर	भरतपुर	धौलपुर	331
351.	धोलपुर आरएसयू	भरतपुर	धौलपुर	60
352.	कंचनपुर	भरतपुर	धौलपुर	48
353.	मनिया	भरतपुर	धौलपुर	115
354.	मरेना	भरतपुर	धौलपुर	64
355.	मरहौली	भरतपुर	धौलपुर	40
356.	पंचगाव	भरतपुर	धौलपुर	79
357.	राजखेड़ा	भरतपुर	धौलपुर	51
358.	रजौरा खुर्द	भरतपुर	धौलपुर	12
359.	सर्माथरा	भरतपुर	धौलपुर	243
360.	तसीमो	भरतपुर	धौलपुर	87
361.	अगुचा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	9
362.	अमरवासी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	51

1	2	3	4	5
363.	अंताली	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	34
364.	आशाहोली	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	20
365.	असिंध	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	118
366.	बीके सरेरी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	27
367.	बचखेड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	36
368.	बदलीआस	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	46
369.	बदनौर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	46
370.	बगौर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	65
371.	बलदारखा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	36
372.	बनेरा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	72
373.	बरदौद	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	14
374.	बावलास	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	36
375.	भादों की कोटरी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	4
376.	भगवान पुरा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	53
377.	भिलवाड़ा ए नगर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	32
378.	भिलवाड़ा बिलिया	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	16
379.	भिलवाड़ा सी-डॉट	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	57
380.	भिलवाड़ा-ईडब्ल्यूएसडी मेन	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	63
381.	भिलवाड़ा-गांधीनगर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	39
382.	भिलवाड़ा-गंवादी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	7
383.	भिलवाड़ापुर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	21
384.	भिलवाड़ा एस नगर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	19
385.	भिलवाड़ा सुभाषनगर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	9
386.	भिलवाड़ा वीएस पथिकनगर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	7
387.	दिगोद	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	70
388.	बिजोलियानकला	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	17
389.	बिलेठा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	23
390.	छपरेल	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	30

1	2	3	4	5
391.	ददला	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	10
392.	दौतलगढ़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	111
393.	डिकोला	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	7
394.	गदरमाला	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	19
395.	गगेड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	18
396.	गंगापुर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	74
397.	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	45
398.	हमीरगढ़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	28
399.	हजलकॉलोनी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	0
400.	जहाजपुर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	83
401.	कछोला	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	25
402.	कलियास	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	30
403.	कनेचनकलां	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	27
404.	करोई	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	72
405.	कस्याखान	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	34
406.	कतार	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	32
407.	खानखला	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	49
408.	कोदूकोटा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	37
409.	कोसीथाल	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	83
410.	कोतरी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	46
411.	लाडपुरा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	3
412.	लहुरी कलां	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	68
413.	लोहरिया	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	28
414.	महेन्द्रगढ़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	40
415.	महुबा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	40
416.	मंडल	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	77
417.	मंडल गढ़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1
418.	मंगरोप	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	14

1	2	3	4	5
419.	मखुंदा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	24
420.	नन्दराई	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	32
421.	निम्हेरा जटान	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	51
422.	पंडेर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	61
423.	परौली	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	22
424.	पतान	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	8
425.	फुलियाकलां	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	14
426.	पिपलूंद	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	21
427.	पिथास	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	36
428.	पोतलान	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	37
429.	रैलारोड़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	42
430.	रायपुर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	62
431.	राजजी का करेरा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	70
432.	रूपहेली	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	40
433.	रोपन	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	22
434.	सलावतिया	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	43
435.	संगरिया	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	45
436.	सरेरी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	35
437.	सहपुर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	69
438.	सकरगढ़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	25
439.	सम्मगढ़	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	38
440.	श्यामपुरा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	24
441.	सिंगोली	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	15
442.	सोदर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	4
443.	सोनयाआना	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	5
444.	सवईपुर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	73
445.	तिक्कर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	4
446.	टोकारबार	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	19

1	2	3	4	5
447.	उपरेदा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	56
448.	अक्सार	बीकानेर	बीकानेर	14
449.	अर्जुनसार	बीकानेर	बीकानेर	6
450.	बज्जू	बीकानेर	बीकानेर	24
451.	बमनवाली	बीकानेर	बीकानेर	0
452.	बरसिंहसर	बीकानेर	बीकानेर	14
453.	बीठनौठ	बीकानेर	बीकानेर	12
454.	बेरासर	बीकानेर	बीकानेर	44
455.	भामात्सर	बीकानेर	बीकानेर	11
456.	भिकमपुर	बीकानेर	बीकानेर	2
457.	बीकानेर ई-10बी	बीकानेर	बीकानेर	552
458.	बीकानेर ओसीवी 283 एनएल	बीकानेर	बीकानेर	0
459.	बीकानेर आरएसयू जीएसआर	बीकानेर	बीकानेर	51
460.	बीकानेर आरएसयूजेएनवी	बीकानेर	बीकानेर	50
461.	बीकानेर आरएसयू एलजीएच	बीकानेर	बीकानेर	60
462.	छत्तरगढ़	बीकानेर	बीकानेर	3
463.	दंतौर	बीकानेर	बीकानेर	56
464.	देसलसर	बीकानेर	बीकानेर	4
465.	देशनोक	बीकानेर	बीकानेर	20
466.	धिरेरा	बीकानेर	बीकानेर	0
467.	दियातरा	बीकानेर	बीकानेर	16
468.	दूलमेरा	बीकानेर	बीकानेर	8
469.	ददियाला	बीकानेर	बीकानेर	19
470.	गड़वाल	बीकानेर	बीकानेर	13
471.	गजनेर	बीकानेर	बीकानेर	23
472.	गिरीराजसर	बीकानेर	बीकानेर	0
473.	गोडू	बीकानेर	बीकानेर	8
474.	गोसाईसर	बीकानेर	बीकानेर	35

1	2	3	4	5
475.	हिमतसर	बीकानेर	बीकानेर	31
476.	जैमलसर	बीकानेर	बीकानेर	3
477.	जलवाली	बीकानेर	बीकानेर	3
478.	जामसर	बीकानेर	बीकानेर	21
479.	जसरासर	बीकानेर	बीकानेर	12
480.	जेठपुर	बीकानेर	बीकानेर	0
481.	झांझू	बीकानेर	बीकानेर	55
482.	कक्कू	बीकानेर	बीकानेर	31
483.	कालू	बीकानेर	बीकानेर	0
484.	करमिसर	बीकानेर	बीकानेर	3
485.	केस्सार देसार जटान	बीकानेर	बीकानेर	12
486.	खजूवाला	बीकानेर	बीकानेर	87
487.	खारा	बीकानेर	बीकानेर	17
488.	खारी	बीकानेर	बीकानेर	0
489.	खारी चरनाल	बीकानेर	बीकानेर	9
490.	खिनीयेरा	बीकानेर	बीकानेर	0
491.	किशनसर	बीकानेर	बीकानेर	14
492.	कोलासर	बीकानेर	बीकानेर	30
493.	कुछोरअगुनी	बीकानेर	बीकानेर	31
494.	कुदसू	बीकानेर	बीकानेर	21
495.	कुन्डल	बीकानेर	बीकानेर	2
496.	लुकानसर	बीकानेर	बीकानेर	22
497.	महाजन	बीकानेर	बीकानेर	0
498.	मेहराना	बीकानेर	बीकानेर	0
499.	मुंडसर	बीकानेर	बीकानेर	20
500.	नल	बीकानेर	बीकानेर	58
501.	नपोसर	बीकानेर	बीकानेर	40
502.	नाथूसर	बीकानेर	बीकानेर	35

1	2	3	4	5
503.	नोखा	बीकानेर	बीकानेर	80
504.	नौरांदेसार	बीकानेर	बीकानेर	26
505.	पालना	बीकानेर	बीकानेर	16
506.	पंचू	बीकानेर	बीकानेर	18
507.	पिपेरा	बीकानेर	बीकानेर	0
508.	पिथारसर	बीकानेर	बीकानेर	30
509.	पुग्गल	बीकानेर	बीकानेर	0
510.	रायसर	बीकानेर	बीकानेर	5
511.	राम्सर	बीकानेर	बीकानेर	30
512.	राशिसर	बीकानेर	बीकानेर	2
513.	आरडी 465	बीकानेर	बीकानेर	23
514.	आरडी 682	बीकानेर	बीकानेर	0
515.	सांख्ला बस्ती	बीकानेर	बीकानेर	11
516.	सत्तासर	बीकानेर	बीकानेर	1
517.	सेखसर	बीकानेर	बीकानेर	5
518.	सोड़वाली	बीकानेर	बीकानेर	0
519.	श्रीकोलायत	बीकानेर	बीकानेर	33
520.	सुरधाना चौहान	बीकानेर	बीकानेर	22
521.	सुरपुरा	बीकानेर	बीकानेर	23
522.	उदयरामसर	बीकानेर	बीकानेर	15
523.	उदसर	बीकानेर	बीकानेर	65
524.	उत्तममदेसहर	बीकानेर	बीकानेर	0
525.	आबापुरा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	0
526.	आनन्दपुरी	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	47
527.	अर्थूना	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	9
528.	बोगी दोरा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	9
529.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	100
530.	बरीसारेड्डी	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1

1	2	3	4	5
531.	बारिसरवा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1
532.	बारौदिया	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	22
533.	भीमपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	0
534.	भुगगरा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	7
535.	बोरबट	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	0
536.	चंदूजी का गड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	28
537.	छींछ	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	12
538.	छोटा डूंगरा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1
539.	छोटी सरवा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	0
540.	दानपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	16
541.	देलवारा लोकिया	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	11
542.	गंगारतलई	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	48
543.	गटील	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	29
544.	जोलना	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	25
545.	कलिंजरा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	16
546.	खोदान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	2
547.	कुशलगढ़	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	15
548.	लोहारिया	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	15
549.	महिदम	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	0
550.	नहरपुरा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	42
551.	नरवाली	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	14
552.	प्रतापुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	50
553.	पिपालखंट	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	9
554.	सज्जनगढ़	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	8
555.	सल्लोपथ	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	8
556.	सेनावासा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	30
557.	शरगढ़	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	12
558.	तलवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	0

1	2	3	4	5
559.	अंतरी	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	17
560.	असपुर	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	7
561.	बंकोरा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	51
562.	बंसिया	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	2
563.	भिलूदा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	4
564.	बिछीवाड़ा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	37
565.	बोरीगामावाड़ा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	47
566.	छोटादिबरा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	56
567.	चिखली	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	24
568.	डुंगरपुर	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	313
569.	गलियाकोट	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	51
570.	घाता का गांव	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	1
571.	कन्वा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	1
572.	कोकापुर	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	38
573.	माड़ा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	15
574.	मंडली	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	0
575.	मेवाड़ा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	5
576.	नदिया	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	25
577.	नंदलिया हरा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	62
578.	नवलश्याम	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	11
579.	निथवगामरी	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	35
580.	ओवेरी	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	30
581.	पडवा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	32
582.	पालदेवल	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	12
583.	पारलीगुजेस्वर	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	56
584.	फलोज	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	22
585.	पोनाली	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	18
586.	कुंजपुर	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	160

1	2	3	4	5
587.	रामगढ़	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	51
588.	साबला	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	106
589.	सबली	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	111
590.	सगवाड़ा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	130
591.	सरौदा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	131
592.	समालवाड़ा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	73
593.	सिरौद	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	12
594.	ठकारदा	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	59
595.	वस्सी	बांसवाड़ा	डुंगरपुर	19
596.	अल्फानगर	बूंदी	बूंदी	42
597.	अलौद	बूंदी	बूंदी	16
598.	अरनेठा	बूंदी	बूंदी	29
599.	बड़ाखेरा	बूंदी	बूंदी	4
600.	बड़ानया गांव	बूंदी	बूंदी	20
601.	बंसी	बूंदी	बूंदी	6
602.	बरौदिया	बूंदी	बूंदी	23
603.	बरनधान	बूंदी	बूंदी	13
604.	बूंदी	बूंदी	बूंदी	16
605.	बूंदी-नैनवा रोड़ आरएसयू	बूंदी	बूंदी	0
606.	डाबी	बूंदी	बूंदी	20
607.	डबलाना	बूंदी	बूंदी	6
608.	दही खेड़ा	बूंदी	बूंदी	0
609.	देहीत	बूंदी	बूंदी	0
610.	देई	बूंदी	बूंदी	10
611.	गोथारा	बूंदी	बूंदी	0
612.	गुढ़ा नाथवट	बूंदी	बूंदी	21
613.	हिन्दौली	बूंदी	बूंदी	57
614.	जैथाल	बूंदी	बूंदी	0
615.	जायावड़	बूंदी	बूंदी	0

1	2	3	4	5
616.	जवाहरसागर	बूंदी	बूंदी	0
617.	झाली जी का वाड़ा	बूंदी	बूंदी	9
618.	कपरैन	बूंदी	बूंदी	0
619.	करवर	बूंदी	बूंदी	0
620.	केसोरई पतान	बूंदी	बूंदी	0
621.	खटकर	बूंदी	बूंदी	29
622.	लखेरी	बूंदी	बूंदी	4
623.	मटुंडा	बूंदी	बूंदी	3
624.	मायाजा	बूंदी	बूंदी	14
625.	नैनवा	बूंदी	बूंदी	21
626.	नम्ना	बूंदी	बूंदी	3
627.	नम्ना रोड़ा	बूंदी	बूंदी	32
628.	पेंच का बबरी	बूंदी	बूंदी	25
629.	पिपलिया	बूंदी	बूंदी	14
630.	रानी पुरा	बूंदी	बूंदी	42
631.	सुमेर गंज मंड	बूंदी	बूंदी	15
632.	सुभाषा	बूंदी	बूंदी	1
633.	तलेरा	बूंदी	बूंदी	20
634.	तलवास	बूंदी	बूंदी	0
635.	थाना	बूंदी	बूंदी	0
636.	अकोला	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	140
637.	हरनौद	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	59
638.	अरनौदा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	23
639.	बड़े संथाली	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	3
640.	बंसी बोहेरा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	117
641.	बाराबर्धा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	12
642.	बारी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	35
643.	बारी सादरी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	122

1	2	3	4	5
644.	बस्सी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	28
645.	बेगुन	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	78
646.	बधेसर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	110
647.	बधसोरा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	131
648.	भुपालसागर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	71
649.	विजयपुर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	26
650.	बिनौता	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	105
651.	चंदेरिया आरएसयू	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	0
652.	चेंची	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	20
653.	छोटी सादरी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	186
654.	चिकारदा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	11
655.	चितौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	493
656.	चुपना	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	23
657.	दलौत	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	36
658.	दतना	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	44
659.	धमना	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	32
660.	धमौतर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	45
661.	धोलापानी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	8
662.	डिंडोली	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	47
663.	डोरिया	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	66
664.	डुगला	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	139
665.	गंडेर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	23
666.	गंगरार	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	43
667.	घाटियावाली	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	9
668.	घोसुंद	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	31
669.	हथियाना	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	77
670.	कनेरा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	83
671.	कपासंद	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	87

1	2	3	4	5
672.	केली	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	36
673.	केसुंदा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	22
674.	कोनी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	77
675.	मंडप्पिया	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	27
676.	मंगलवाड़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	114
677.	मंगौर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	70
678.	नागरी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	6
679.	नंदवई	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	9
680.	नेवारिया	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	58
681.	निकुम्भ	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	44
682.	निम्हेरा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	204
683.	पहुना	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	89
684.	पनमोदी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	132
685.	पारसोली	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	31
686.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	101
687.	रसनी	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	134
688.	रूध	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	47
689.	सदास	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	33
690.	सलामगढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	1
691.	साबा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	75
692.	सम्भूपुरा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	92
693.	सिंहपुर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	38
694.	सुहागपुरा	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	4
695.	सुवानिया	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	9
696.	टुकरई	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	37
697.	उंखलिया	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	21
698.	अबरसर	चुरू	चुरू	10
699.	अवसर	चुरू	चुरू	18

1	2	3	4	5
700.	अड़सर	चुरू	चुरू	0
701.	असलसर	चुरू	चुरू	0
702.	बडेला	चुरू	चुरू	31
703.	बैन	चुरू	चुरू	9
704.	वाना	चुरू	चुरू	0
705.	बंधनऊ	चुरू	चुरू	1
706.	बेनीसर	चुरू	चुरू	0
707.	बदासर उतरदा	चुरू	चुरू	2
708.	भलेरी	चुरू	चुरू	0
709.	भाम्सी	चुरू	चुरू	0
710.	भीमसर	चुरू	चुरू	0
711.	भोवाड़ी	चुरू	चुरू	0
712.	बिदासयर	चुरू	चुरू	0
713.	बिग्गा	चुरू	चुरू	20
714.	ब्रह्मसर	चुरू	चुरू	30
715.	बुचावस	चुरू	चुरू	8
716.	बुर्कसर छोटा	चुरू	चुरू	0
717.	चांदगोठी	चुरू	चुरू	157
718.	चंगोई	चुरू	चुरू	0
719.	छापर	चुरू	चुरू	0
720.	चुबकिया ताल	चुरू	चुरू	0
721.	चुरू	चुरू	चुरू	0
722.	दागरेवा	चुरू	चुरू	0
723.	डिरवास	चुरू	चुरू	20
724.	दूधबखरा आरएस	चुरू	चुरू	25
725.	दूधबखरा गांव	चुरू	चुरू	0
726.	दुलारसर	चुरू	चुरू	0
727.	फोगाभरतारी	चुरू	चुरू	0

1	2	3	4	5
728.	गोरीसर	चुरू	चुरू	2
729.	गेह्राप	चुरू	चुरू	0
730.	गंघू	चुरू	चुरू	33
731.	गोगासर	चुरू	चुरू	0
732.	गोलसर	चुरू	चुरू	6
733.	अमीरवास	चुरू	चुरू	19
734.	हरमपालूताल	चुरू	चुरू	43
735.	इनीयारा	चुरू	चुरू	0
736.	जसारसर	चुरू	चुरू	0
737.	जेतपुरा	चुरू	चुरू	0
738.	जेतसिसार	चुरू	चुरू	0
739.	झरिया	चुरू	चुरू	37
740.	झरसार	चुरू	चुरू	19
741.	जोगलिया	चुरू	चुरू	9
742.	कामन	चुरू	चुरू	63
743.	कनूता	चुरू	चुरू	0
744.	कत्तार	चुरू	चुरू	0
745.	खंदवारा	चुरू	चुरू	0
746.	खरियाकनीराम	चुरू	चुरू	0
747.	खिंवासर	चुरू	चुरू	25
748.	खुदेरा	चुरू	चुरू	0
749.	खुरी	चुरू	चुरू	3
750.	किशनपुरी	चुरू	चुरू	37
751.	कोहिना	चुरू	चुरू	0
752.	कुसुम देसार	चुरू	चुरू	0
753.	लक्षारसर	चुरू	चुरू	20
754.	लालगढ़	चुरू	चुरू	9
755.	लम्बोखाड़ी	चुरू	चुरू	15

1	2	3	4	5
756.	लसेदी	चुरू	चुरू	33
757.	लिखनदेसार	चुरू	चुरू	0
758.	लिलाखी	चुरू	चुरू	35
759.	लोहाहाल्ट	चुरू	चुरू	0
760.	मालासिसार	चुरू	चुरू	0
761.	मेहरासर चचरन	चुरू	चुरू	0
762.	मेहरावानसर	चुरू	चुरू	0
763.	मेलूसर	चुरू	चुरू	0
764.	मोमासर	चुरू	चुरू	0
765.	नांगलवाड़ी	चुरू	चुरू	40
766.	नौरंगपुरा	चुरू	चुरू	0
767.	नेसल	चुरू	चुरू	101
768.	पहाड़सर	चुरू	चुरू	42
769.	पंढेरेव तिब्बा	चुरू	चुरू	0
770.	परिहारा	चुरू	चुरू	0
771.	परसानेऊ	चुरू	चुरू	5
772.	पीठीसर	चुरू	चुरू	8
773.	पुलासर	चुरू	चुरू	0
774.	राजलदेसार	चुरू	चुरू	35
775.	रजियासर	चुरू	चुरू	0
776.	रामपुरा वेरी	चुरू	चुरू	77
777.	राणासर	चुरू	चुरू	0
778.	रतनगढ़	चुरू	चुरू	0
779.	रतन नगर	चुरू	चुरू	5
780.	रतनपुरा	चुरू	चुरू	0
781.	रिड़ी	चुरू	चुरू	24
782.	सदुवाड़ी	चुरू	चुरू	0
783.	सदुलपुर	चुरू	चुरू	0

1	2	3	4	5
784.	सहवा	चुरू	चुरू	0
785.	सलासर	चुरू	चुरू	0
786.	संदवा	चुरू	चुरू	0
787.	संखूकिला	चुरू	चुरू	32
788.	सावंतसर	चुरू	चुरू	36
789.	सरदार साहर	चुरू	चुरू	0
790.	सरोठिया	चुरू	चुरू	6
791.	सतारा	चुरू	चुरू	42
792.	सतयू	चुरू	चुरू	29
793.	सुरैना	चुरू	चुरू	2
794.	सिंद्धमुख	चुरू	चुरू	16
795.	श्रीडुंगरगढ़	चुरू	चुरू	0
796.	सुदसार	चुरू	चुरू	4
797.	सुजानगढ़	चुरू	चुरू	0
798.	तारा नगर	चुरू	चुरू	0
799.	तोलिया सर	चुरू	चुरू	11
800.	उडासर बिदवातन	चुरू	चुरू	0
801.	अलूदा	जयपुर	दौसा	9
802.	बडियालकलां	जयपुर	दौसा	65
803.	बालहेरी	जयपुर	दौसा	121
804.	बालाजी	जयपुर	दौसा	97
805.	बांदीकुई (*)	जयपुर	दौसा	342
806.	बनियाना	जयपुर	दौसा	5
807.	बापी	जयपुर	दौसा	56
808.	बसोवा	जयपुर	दौसा	173
809.	बेजुपाड़ा	जयपुर	दौसा	97
810.	भाईपुरा	जयपुर	दौसा	10
811.	भंडाना	जयपुर	दौसा	28

1	2	3	4	5
812.	भड़ारेज	जयपुर	दौसा	161
813.	बिलौना	जयपुर	दौसा	66
814.	बिवई	जयपुर	दौसा	18
815.	चंदरेना	जयपुर	दौसा	8
816.	छरेदा	जयपुर	दौसा	33
817.	चौदियावास	जयपुर	दौसा	30
818.	दौलतपुरा	जयपुर	दौसा	65
819.	दौसा (*)	जयपुर	दौसा	46
820.	गिजगढ़	जयपुर	दौसा	163
821.	गुधाकतला	जयपुर	दौसा	53
822.	गुधालिया	जयपुर	दौसा	84
823.	खेरला	जयपुर	दौसा	50
824.	कुंडल	जयपुर	दौसा	34
825.	कुटलवास	जयपुर	दौसा	122
826.	लालसौक (*)	जयपुर	दौसा	99
827.	लावन	जयपुर	दौसा	62
828.	महसर कलां	जयपुर	दौसा	10
829.	महवा (*)	जयपुर	दौसा	197
830.	महवा रोड़	जयपुर	दौसा	61
831.	मंडावाड़ी	जयपुर	दौसा	67
832.	मानपुर	जयपुर	दौसा	1
833.	नांगल राजावताल	जयपुर	दौसा	71
834.	पवता-II	जयपुर	दौसा	137
835.	पापरदा	जयपुर	दौसा	97
836.	रामगढ़ पचवाड़ा	जयपुर	दौसा	54
837.	सैंथाल	जयपुर	दौसा	20
838.	सिन्द्रा	जयपुर	दौसा	139

1	2	3	4	5
839.	सिकरई	जयपुर	दौसा	29
840.	ठिकरिई	जयपुर	दौसा	30
841.	उकरूंद	जयपुर	दौसा	29
842.	अचरौंल (*)	जयपुर	जयपुर	9
843.	अकोदा	जयपुर	जयपुर	17
844.	अमरसर	जयपुर	जयपुर	189
845.	अंधी	जयपुर	जयपुर	33
846.	असलपुर	जयपुर	जयपुर	120
847.	अस्तीकलां	जयपुर	जयपुर	3
848.	बागावास	जयपुर	जयपुर	27
849.	बागावास चौरासी	जयपुर	जयपुर	0
850.	बागरू	जयपुर	जयपुर	15
851.	बनेती	जयपुर	जयपुर	60
852.	बंसखो	जयपुर	जयपुर	40
853.	बस्सी (*)	जयपुर	जयपुर	125
854.	बिल्वा	जयपुर	जयपुर	27
855.	बेगुस	जयपुर	जयपुर	8
856.	भदाल	जयपुर	जयपुर	83
857.	भडवना	जयपुर	जयपुर	42
858.	भाम्बोरी	जयपुर	जयपुर	3
859.	भांडे के बालाजी	जयपुर	जयपुर	183
860.	बिचून	जयपुर	जयपुर	0
861.	बोराज	जयपुर	जयपुर	50
862.	चकसू	जयपुर	जयपुर	5
863.	चंदावाजी	जयपुर	जयपुर	29
864.	चिंठवाड़ी	जयपुर	जयपुर	7
865.	चितौरा रेनवाड़ा	जयपुर	जयपुर	29
866.	चोमू (*)	जयपुर	जयपुर	55
867.	चोरू	जयपुर	जयपुर	5

1	2	3	4	5
868.	चौउप	जयपुर	जयपुर	40
869.	देवगांव	जयपुर	जयपुर	47
870.	धांड	जयपुर	जयपुर	30
871.	धनकिया	जयपुर	जयपुर	5
872.	धोला	जयपुर	जयपुर	38
873.	डूडू (*)	जयपुर	जयपुर	0
874.	गठवाड़ी	जयपुर	जयपुर	66
875.	धेनोई	जयपुर	जयपुर	0
876.	गोनैर	जयपुर	जयपुर	25
877.	गोनेरा	जयपुर	जयपुर	106
878.	गोविंदगढ़	जयपुर	जयपुर	55
879.	हसमपुरा	जयपुर	जयपुर	30
880.	हस्टेदा	जयपुर	जयपुर	2
881.	हिंगोनिया	जयपुर	जयपुर	76
882.	इटवा भोपजी	जयपुर	जयपुर	48
883.	जहोटा	जयपुर	जयपुर	14
884.	जैयरामपुरा	जयपुर	जयपुर	2
885.	जामवारामगढ़	जयपुर	जयपुर	9
886.	जेटवाड़ा	जयपुर	जयपुर	12
887.	जेटपुरा	जयपुर	जयपुर	39
888.	झांग	जयपुर	जयपुर	0
889.	जोबनेर	जयपुर	जयपुर	68
890.	जेपी-अंबैर एल-53	जयपुर	जयपुर	0
891.	जेपी-बजाजनगर एल-51	जयपुर	जयपुर	0
892.	जेपी-बजाजनगर एल-70/71	जयपुर	जयपुर	0
893.	जेपी-बरकतनगर एल-59	जयपुर	जयपुर	0
894.	जेपी-भांकरोटा एल-25	जयपुर	जयपुर	0
895.	जेपी-सेंट्रल एल 38	जयपुर	जयपुर	0

1	2	3	4	5
896.	जेपी-दुर्गापुरा एल 54	जयपुर	जयपुर	0
897.	जेपी-दुर्गापुरा एल-55	जयपुर	जयपुर	0
898.	जेपी-दुर्गापुरा एल-72	जयपुर	जयपुर	0
899.	जेपी-गोविंद नगर एल-87	जयपुर	जयपुर	0
900.	जेपी-जामरोली एल-68	जयपुर	जयपुर	0
901.	जेपी-जवाहरनगर एल-65	जयपुर	जयपुर	0
902.	जेपी-झोटवाड़ा एल-34	जयपुर	जयपुर	0
903.	जेपी-लालकोठी एल-74	जयपुर	जयपुर	0
904.	जेपी-महेश नगर एल-50	जयपुर	जयपुर	0
905.	जेपी-मालवीय नगर एल-75	जयपुर	जयपुर	0
906.	जेपी-मालवीयनगर एल-52	जयपुर	जयपुर	0
907.	जेपी-मानसरोवर-1 एल-390	जयपुर	जयपुर	0
908.	जेपी-मानसरोवर-2 एल-395	जयपुर	जयपुर	0
909.	जेपी-मानसरोवर-3 एल 78	जयपुर	जयपुर	0
910.	जेपी-एमआईआरडी एल-20/21	जयपुर	जयपुर	0
911.	जेपी-एनआईआडी एल-31/32	जयपुर	जयपुर	0
912.	जेपी-प्रताप नगर-1 एल-58	जयपुर	जयपुर	0
913.	जेपी-प्रताप नगर-2 एल-79	जयपुर	जयपुर	0
914.	जेपी-आरएमएन एल-29	जयपुर	जयपुर	0
915.	जेपी-सांगेनर एल-73	जयपुर	जयपुर	0
916.	जेपी-सेक्रेटेरियट एल-227	जयपुर	जयपुर	0
917.	जेपी-एसजीएल-56	जयपुर	जयपुर	0
918.	जेपी-एसजी एल-57	जयपुर	जयपुर	0
919.	जेपी-एसजी एल-60/61	जयपुर	जयपुर	0
920.	जेपी-शास्त्री नगर एल-30	जयपुर	जयपुर	0
921.	जेपी-सिरसी एल-24	जयपुर	जयपुर	0
922.	जेपी-सीतापुरा एल-77	जयपुर	जयपुर	0
923.	जेपी-साउथ एल-22	जयपुर	जयपुर	0

1	2	3	4	5
924.	जेपी-साउथ एल-2ई	जयपुर	जयपुर	0
925.	जेपी-साउथ एल-36/37	जयपुर	जयपुर	0
926.	जेपी-सुभाष नगर एल-28	जयपुर	जयपुर	0
927.	जेपी-तिलक नगर एल-62	जयपुर	जयपुर	0
928.	जेपी-ट्रांसपोर्ट नगर एल-64	जयपुर	जयपुर	0
929.	जेपी-त्रिवेनी नगर एल-76	जयपुर	जयपुर	0
930.	जेपी-वैशाली एल-35 और 245	जयपुर	जयपुर	0
931.	जेपी-विध्याधर नगर 1 एल-335	जयपुर	जयपुर	0
932.	जेपी-विधाधनगर 2 एल-231	जयपुर	जयपुर	0
933.	जेपी-विश्वकर्मा एल-330	जयपुर	जयपुर	0
934.	जेपी-विश्वकर्मा-2 एल-26	जयपुर	जयपुर	0
935.	जेपी-डब्ल्यूआईएलएल एल-27	जयपुर	जयपुर	0
936.	जेपी-जोरावरसिंह गेट एल-63	जयपुर	जयपुर	0
937.	कडेरा	जयपुर	जयपुर	30
938.	कलाडेरा	जयपुर	जयपुर	128
939.	कलवार	जयपुर	जयपुर	31
940.	कलवाड़ा	जयपुर	जयपुर	14
941.	कनोटा	जयपुर	जयपुर	49
942.	ककारानसार	जयपुर	जयपुर	124
943.	करीड़ी	जयपुर	जयपुर	12
944.	खानिपुरा	जयपुर	जयपुर	7
945.	खेजरोली	जयपुर	जयपुर	56
946.	खोड़ा बिसाल	जयपुर	जयपुर	17
947.	खोड़ा लडकानी	जयपुर	जयपुर	0
948.	कोठुन	जयपुर	जयपुर	46
949.	कोटखवाड़ा	जयपुर	जयपुर	20
950.	कोटपुतली (*)	जयपुर	जयपुर	104
951.	कुकास	जयपुर	जयपुर	10

1	2	3	4	5
952.	लडाना	जयपुर	जयपुर	23
953.	लोहारवाड़ा	जयपुर	जयपुर	5
954.	मछवा	जयपुर	जयपुर	21
955.	माधोराजपुरा	जयपुर	जयपुर	28
956.	महापुरा	जयपुर	जयपुर	85
957.	महिलान	जयपुर	जयपुर	0
958.	मम्माना	जयपुर	जयपुर	21
959.	मंडाभिंडा	जयपुर	जयपुर	1
960.	मंधा भीमसिंह	जयपुर	जयपुर	70
961.	मनोहरपुर	जयपुर	जयपुर	0
962.	मानपुर मचेडी	जयपुर	जयपुर	14
963.	मरवान	जयपुर	जयपुर	0
964.	मेड	जयपुर	जयपुर	102
965	मोजामाबाद	जयपुर	जयपुर	0
966.	मुंदिया रामसर	जयपुर	जयपुर	18
967.	नैला	जयपुर	जयपुर	0
968.	नांगाल पुरोहितन	जयपुर	जयपुर	23
969.	नारायना	जयपुर	जयपुर	25
970.	नरेहदा	जयपुर	जयपुर	76
971.	नयाबांस	जयपुर	जयपुर	29
972.	नीमेदा	जयपुर	जयपुर	18
973.	पछेर	जयपुर	जयपुर	5
974.	पाओटा 1	जयपुर	जयपुर	130
975.	पिपली	जयपुर	जयपुर	0
976.	फागी (*)	जयपुर	जयपुर	35
977.	फुलेरा	जयपुर	जयपुर	220
978.	रायसर	जयपुर	जयपुर	0
979.	रैथल	जयपुर	जयपुर	72

1	2	3	4	5
980.	राजनोटा	जयपुर	जयपुर	30
981.	रामपुरा	जयपुर	जयपुर	23
982.	रेनवाल	जयपुर	जयपुर	55
983.	रोजदा	जयपुर	जयपुर	20
984.	रूंदल	जयपुर	जयपुर	33
985.	रूंगतपुरम	जयपुर	जयपुर	15
986.	सैपुरा	जयपुर	जयपुर	15
987.	साम्भर लेक (*)	जयपुर	जयपुर	25
988.	समोद	जयपुर	जयपुर	70
989.	संदासर	जयपुर	जयपुर	0
990.	संवारदा	जयपुर	जयपुर	0
991.	शाहपुरा (*)	जयपुर	जयपुर	0
992.	शिवदासपुरा	जयपुर	जयपुर	25
993.	सिरसिली	जयपुर	जयपुर	8
994.	सुदारपुरा	जयपुर	जयपुर	71
995.	सुरमालिकपुर	जयपुर	जयपुर	23
996.	ताला	जयपुर	जयपुर	0
997.	थोलाई	जयपुर	जयपुर	1
998.	टूंगा	जयपुर	जयपुर	5
999.	त्रिवेनी	जयपुर	जयपुर	0
1000.	उरसेवा	जयपुर	जयपुर	0
1001.	विराहनगर	जयपुर	जयपुर	0
1002.	वाटिका	जयपुर	जयपुर	30
1003.	अवाई	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1004.	भरत का गांव	जैसलमेर	जैसलमेर	24
1005.	भागु का गांव	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1006.	भानियाना	जैसलमेर	जैसलमेर	27
1007.	भीखोडाई	जैसलमेर	जैसलमेर	71

1	2	3	4	5
1008.	चानधान	जैसलमेर	जैसलमेर	12
1009.	डबला	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1010.	डेंगरी	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1011.	देवीकोट	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1012.	फतेहगढ़	जैसलमेर	जैसलमेर	12
1013.	हाबूर	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1014.	जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1015.	झाबड़ा	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1016.	कनोई	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1017.	खेतोलाई	जैसलमेर	जैसलमेर	2
1018.	खुरी	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1019.	लाथी	जैसलमेर	जैसलमेर	10
1020.	मयाजलार	जैसलमेर	जैसलमेर	4
1021.	मोहनगढ़	जैसलमेर	जैसलमेर	14
1022.	नाचना	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1023.	नोख	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1024.	फालसुंड	जैसलमेर	जैसलमेर	44
1025.	पीठाला	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1026.	पोखरण	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1027.	रामदेहोरा	जैसलमेर	जैसलमेर	31
1028.	रामगढ़	जैसलमेर	जैसलमेर	11
1029.	रांधा	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1030.	साम	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1031.	सांकरा	जैसलमेर	जैसलमेर	10
1032.	श्री भाडराजी	जैसलमेर	जैसलमेर	0
1033.	उजाला	जैसलमेर	जैसलमेर	17
1034.	हरनावाडा साहजी	झालावाड़	झालावाड़	0
1035.	अकलेरा	झालावाड़	झालावाड़	0

1	2	3	4	5
1036.	अनवाली कलन	झालावाड़	झालावाड़	25
1037.	असनवाड़	झालावाड़	झालावाड़	63
1038.	बकनी	झालावाड़	झालावाड़	0
1039.	भालटा	झालावाड़	झालावाड़	0
1040.	भावनी-मंडी	झालावाड़	झालावाड़	14
1041.	बींडा	झालावाड़	झालावाड़	0
1042.	चौमहला	झालावाड़	झालावाड़	0
1043.	दाग	झालावाड़	झालावाड़	0
1044.	दही खेड़ा	झालावाड़	झालावाड़	74
1045.	घाटोली	झालावाड़	झालावाड़	22
1046.	गुरदिया जोगा	झालावाड़	झालावाड़	0
1047.	हरी गढ़	झालावाड़	झालावाड़	10
1048.	हेमरा	झालावाड़	झालावाड़	0
1049.	जे. पटन	झालावाड़	झालावाड़	93
1050.	जावइ	झालावाड़	झालावाड़	17
1051.	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	167
1052.	खानपुर	झालावाड़	झालावाड़	76
1053.	खुरी	झालावाड़	झालावाड़	0
1054.	मंडावाड़	झालावाड़	झालावाड़	38
1055.	मनोहर थाना	झालावाड़	झालावाड़	33
1056.	मिशरोली	झालावाड़	झालावाड़	3
1057.	पागरिया	झालावाड़	झालावाड़	0
1058.	पिपलिया	झालावाड़	झालावाड़	0
1059.	पिरावा	झालावाड़	झालावाड़	72
1060.	रायपुर	झालावाड़	झालावाड़	14
1061.	रतलाई	झालावाड़	झालावाड़	0
1062.	रिछावा	झालावाड़	झालावाड़	5
1063.	सलोटिया	झालावाड़	झालावाड़	9

1	2	3	4	5
1064.	सामरई	झालावाड़	झालावाड़	0
1065.	सरोला	झालावाड़	झालावाड़	85
1066.	सुनेल	झालावाड़	झालावाड़	18
1067.	तराज	झालावाड़	झालावाड़	34
1068.	टिटरी	झालावाड़	झालावाड़	10
1069.	उंनहेल	झालावाड़	झालावाड़	23
1070.	अलसीसार	झुनझुनू	झुनझुनू	31
1071.	बाबई	झुनझुनू	झुनझुनू	128
1072.	बाडेट	झुनझुनू	झुनझुनू	50
1073.	बागर	झुनझुनू	झुनझुनू	92
1074.	बखतारपुर	झुनझुनू	झुनझुनू	70
1075.	बकरा	झुनझुनू	झुनझुनू	33
1076.	बांगोठरी	झुनझुनू	झुनझुनू	119
1077.	बारागांव	झुनझुनू	झुनझुनू	111
1078.	बराउ	झुनझुनू	झुनझुनू	55
1079.	बारवासी	झुनझुनू	झुनझुनू	159
1080.	बासवा	झुनझुनू	झुनझुनू	253
1081.	भांडारवास	झुनझुनू	झुनझुनू	18
1082.	भलोथ	झुनझुनू	झुनझुनू	117
1083.	भीमसर	झुनझुनू	झुनझुनू	107
1084.	बिनजुसर	झुनझुनू	झुनझुनू	107
1085.	बिरमी	झुनझुनू	झुनझुनू	147
1086.	बिसाउ	झुनझुनू	झुनझुनू	55
1087.	बूहना	झुनझुनू	झुनझुनू	90
1088.	चंदाना	झुनझुनू	झुनझुनू	10
1089.	छपोली	झुनझुनू	झुनझुनू	18
1090.	छवसारी	झुनझुनू	झुनझुनू	135
1091.	चिराना	झुनझुनू	झुनझुनू	174

1	2	3	4	5
1092.	चिरावान	झुनझुनू	झुनझुनू	2
1093.	डाबरी (धीरसिंह)	झुनझुनू	झुनझुनू	33
1094.	धनूरी	झुनझुनू	झुनझुनू	237
1095.	डुलनिया	झुनझुनू	झुनझुनू	61
1096.	गांगियासर	झुनझुनू	झुनझुनू	40
1097.	धारदानाखुर्द	झुनझुनू	झुनझुनू	203
1098.	गुडा गोरजिका	झुनझुनू	झुनझुनू	143
1099.	इंडाली	झुनझुनू	झुनझुनू	147
1100.	इस्लामपुर	झुनझुनू	झुनझुनू	31
1101.	जाबासर	झुनझुनू	झुनझुनू	72
1102.	जाखाल	झुनझुनू	झुनझुनू	252
1103.	जकोड	झुनझुनू	झुनझुनू	120
1104.	जखोरा	झुनझुनू	झुनझुनू	106
1105.	जासरापुर	झुनझुनू	झुनझुनू	99
1106.	जेजुसर	झुनझुनू	झुनझुनू	246
1107.	झुनझुनु	झुनझुनू	झुनझुनू	0
1108.	झुनझुनु (आरआईसीसीओ)	झुनझुनू	झुनझुनू	0
1109.	खेत्री नगर	झुनझुनू	झुनझुनू	34
1110.	खेत्री टाउन	झुनझुनू	झुनझुनू	31
1111.	खुदानिया	झुनझुनू	झुनझुनू	45
1112.	किडवाना	झुनझुनू	झुनझुनू	10
1113.	कुहारवास	झुनझुनू	झुनझुनू	133
1114.	महापलवास	झुनझुनू	झुनझुनू	65
1115.	मैनपुरा	झुनझुनू	झुनझुनू	54
1116.	मलिओन की धानी	झुनझुनू	झुनझुनू	98
1117.	मलसिसार	झुनझुनू	झुनझुनू	70
1118.	मांडवा	झुनझुनू	झुनझुनू	123
1119.	मंडरेला	झुनझुनू	झुनझुनू	32

1	2	3	4	5
1120.	मंकाश	झुनझुनू	झुनझुनू	105
1121.	मेहरा	झुनझुनू	झुनझुनू	75
1122.	मुकुंदगढ़	झुनझुनू	झुनझुनू	126
1123.	नंदकबास	झुनझुनू	झुनझुनू	35
1124.	नरहर	झुनझुनू	झुनझुनू	89
1125.	नवलगढ़	झुनझुनू	झुनझुनू	10
1126.	निराधानू	झुनझुनू	झुनझुनू	75
1127.	नुआ	झुनझुनू	झुनझुनू	98
1128.	पचेरी	झुनझुनू	झुनझुनू	260
1129.	पपुराना	झुनझुनू	झुनझुनू	87
1130.	परसरामपुरा	झुनझुनू	झुनझुनू	114
1131.	पिलानी	झुनझुनू	झुनझुनू	41
1132.	पिफली	झुनझुनू	झुनझुनू	65
1133.	पोंख	झुनझुनू	झुनझुनू	156
1134.	पुहानिया	झुनझुनू	झुनझुनू	52
1135.	रघुनाथपुरा	झुनझुनू	झुनझुनू	57
1136.	सेफरा-गनवर	झुनझुनू	झुनझुनू	42
1137.	सिगड़ा	झुनझुनू	झुनझुनू	55
1138.	सिमला	झुनझुनू	झुनझुनू	109
1139.	सुलताना	झुनझुनू	झुनझुनू	76
1140.	सुराजगढ़	झुनझुनू	झुनझुनू	156
1141.	टेमकोर	झुनझुनू	झुनझुनू	22
1142.	तानी	झुनझुनू	झुनझुनू	45
1143.	तितावाड़	झुनझुनू	झुनझुनू	45
1144.	उदयापुरवाटी	झुनझुनू	झुनझुनू	80
1145.	आउ	जोधपुर	जोधपुर	39
1146.	अंगोलाई	जोधपुर	जोधपुर	79
1147.	अरतिया कला	जोधपुर	जोधपुर	10

1	2	3	4	5
1148.	असोप	जोधपुर	जोधपुर	38
1149.	बैथवासिया	जोधपुर	जोधपुर	22
1150.	बाला	जोधपुर	जोधपुर	0
1151.	बालावा	जोधपुर	जोधपुर	20
1152.	बालेसर	जोधपुर	जोधपुर	81
1153.	बांबोरे	जोधपुर	जोधपुर	45
1154.	बानर	जोधपुर	जोधपुर	14
1155.	बाओरी	जोधपुर	जोधपुर	113
1156.	बओरी कलान	जोधपुर	जोधपुर	4
1157.	बाप	जोधपुर	जोधपुर	7
1158.	बासनी मान्ना	जोधपुर	जोधपुर	29
1159.	बंवारिया	जोधपुर	जोधपुर	34
1160.	बेलवा	जोधपुर	जोधपुर	66
1161.	बेरू	जोधपुर	जोधपुर	30
1162.	भांडू खुर्द	जोधपुर	जोधपुर	19
1163.	भावी	जोधपुर	जोधपुर	2
1164.	भीकमकोर	जोधपुर	जोधपुर	29
1165.	भोपालगढ़	जोधपुर	जोधपुर	115
1166.	बिलारा	जोधपुर	जोधपुर	0
1167.	बिराई	जोधपुर	जोधपुर	17
1168.	बीसलपुर	जोधपुर	जोधपुर	93
1169.	बोरानाडा	जोधपुर	जोधपुर	4
1170.	बोरूदा	जोधपुर	जोधपुर	31
1171.	बुछ कला	जोधपुर	जोधपुर	13
1172.	चाबा	जोधपुर	जोधपुर	37
1173.	चिड़ाई	जोधपुर	जोधपुर	21
1174.	चोखा	जोधपुर	जोधपुर	1
1175.	दैजार	जोधपुर	जोधपुर	0

1	2	3	4	5
1176.	देजू	जोधपुर	जोधपुर	62
1177.	देनोक	जोधपुर	जोधपुर	9
1178.	दानारी कलान	जोधपुर	जोधपुर	23
1179.	धावा	जोधपुर	जोधपुर	29
1180.	धुंधरा	जोधपुर	जोधपुर	8
1181.	फीच	जोधपुर	जोधपुर	2
1182.	गजशिंगपुरा	जोधपुर	जोधपुर	15
1183.	गंगानी	जोधपुर	जोधपुर	0
1184.	घेवाड़ा	जोधपुर	जोधपुर	21
1185.	गुधा बिशनोई	जोधपुर	जोधपुर	0
1186.	हरलई	जोधपुर	जोधपुर	63
1187.	हिंदालगोल	जोधपुर	जोधपुर	3
1188.	हिरादेसार	जोधपुर	जोधपुर	18
1189.	जलेली फोजदारा	जोधपुर	जोधपुर	3
1190.	जलोदा	जोधपुर	जोधपुर	28
1191.	जेलू गगरी	जोधपुर	जोधपुर	22
1192.	झांवर	जोधपुर	जोधपुर	16
1193.	जोधपुर (ई-100 बी)	जोधपुर	जोधपुर	10
1194.	जोधपुर (ओसीबी)	जोधपुर	जोधपुर	0
1195.	जोधपुर बीएसएन	जोधपुर	जोधपुर	69
1196.	जोधपुर केएनएन	जोधपुर	जोधपुर	11
1197.	जोधपुर केयुबी	जोधपुर	जोधपुर	6
1198.	जोधपुर केयूएम	जोधपुर	जोधपुर	211
1199.	जोधपुर एमकेएच	जोधपुर	जोधपुर	434
1200.	जोधपुर एस/एनजीआर	जोधपुर	जोधपुर	0
1201.	जोधपुर डब्ल्यूपीएन	जोधपुर	जोधपुर	73
1202.	जुद	जोधपुर	जोधपुर	7
1203.	कगाल	जोधपुर	जोधपुर	10

1	2	3	4	5
1204.	कानासर	जोधपुर	जोधपुर	0
1205.	कपरडा	जोधपुर	जोधपुर	0
1206.	केरू	जोधपुर	जोधपुर	27
1207.	खाबराखुर्द	जोधपुर	जोधपुर	43
1208.	खंगटा	जोधपुर	जोधपुर	11
1209.	खाराबेरा पुरोहिता केबीपी	जोधपुर	जोधपुर	20
1210.	खरिया खांगर	जोधपुर	जोधपुर	36
1211.	खरिया मीठापुर	जोधपुर	जोधपुर	5
1212.	खवासपुरा	जोधपुर	जोधपुर	53
1213.	खेडापा	जोधपुर	जोधपुर	61
1214.	खेजारला	जोधपुर	जोधपुर	28
1215.	कोसाना	जोधपुर	जोधपुर	75
1216.	कुंदाल	जोधपुर	जोधपुर	24
1217.	लक्ष्मण नगर	जोधपुर	जोधपुर	26
1218.	लोहावत	जोधपुर	जोधपुर	113
1219.	लोरडिया	जोधपुर	जोधपुर	26
1220.	लूनी	जोधपुर	जोधपुर	84
1221.	मलार	जोधपुर	जोधपुर	9
1222.	मनाई	जोधपुर	जोधपुर	10
1223.	मथानिया	जोधपुर	जोधपुर	31
1224.	मोगरा कलान	जोधपुर	जोधपुर	29
1225.	मोरिया	जोधपुर	जोधपुर	19
1226.	नदसर	जोधपुर	जोधपुर	9
1227.	नदरा कलान	जोधपुर	जोधपुर	0
1228.	नंदरी	जोधपुर	जोधपुर	0
1229.	ओसियन	जोधपुर	जोधपुर	39
1230.	पीतवां	जोधपुर	जोधपुर	55
1231.	फलोडी	जोधपुर	जोधपुर	15

1	2	3	4	5
1232.	पीपर सिटी	जोधपुर	जोधपुर	45
1233.	पीपर रोड	जोधपुर	जोधपुर	15
1234.	रामरावास	जोधपुर	जोधपुर	26
1235.	रांसीगांव	जोधपुर	जोधपुर	20
1236.	राथकुडिया	जोधपुर	जोधपुर	22
1237.	रोहिचा कलान	जोधपुर	जोधपुर	24
1238.	सालावास	जोधपुर	जोधपुर	9
1239.	सांवरागांव	जोधपुर	जोधपुर	0
1240.	सरेजा	जोधपुर	जोधपुर	20
1241.	सतलाना	जोधपुर	जोधपुर	23
1242.	सतरावा	जोधपुर	जोधपुर	22
1243.	शेरगढ़	जोधपुर	जोधपुर	9
1244.	शिवगांव	जोधपुर	जोधपुर	32
1245.	सोलंकिया टाला	जोधपुर	जोधपुर	18
1246.	सोयला	जोधपुर	जोधपुर	33
1247.	सुरपुरा खुर्द	जोधपुर	जोधपुर	13
1248.	तेना	जोधपुर	जोधपुर	81
1249.	तिलवासनी	जोधपुर	जोधपुर	0
1250.	तिनवाड़ी	जोधपुर	जोधपुर	23
1251.	अंताह	कोटा	बारन	33
1252.	अतरू	कोटा	बारन	22
1253.	आदान	कोटा	बारन	11
1254.	बदोरा	कोटा	बारन	33
1255.	बादवा	कोटा	बारन	0
1256.	बैंगना	कोटा	बारन	27
1257.	बामबूलियान	कोटा	बारन	0
1258.	बामला	कोटा	बारन	35
1259.	बामोरि कलान	कोटा	बारन	5

1	2	3	4	5
1260.	बारन सी डॉट	कोटा	बारन	40
1261.	भंवरगढ़	कोटा	बारन	11
1262.	बोहट	कोटा	बारन	0
1263.	छबरा	कोटा	बारन	20
1264.	छिपाबारोड	कोटा	बारन	30
1265.	देवरी	कोटा	बारन	7
1266.	गरदा	कोटा	बारन	0
1267.	झालवाड़ा	कोटा	बारन	0
1268.	गासबाथाना	कोटा	बारन	4
1269.	केलवाड़ा	कोटा	बारन	12
1270.	किशनगंज	कोटा	बारन	14
1271.	कोयला	कोटा	बारन	5
1272.	कुंजेड	कोटा	बारन	18
1273.	ममोनी	कोटा	बारन	1
1274.	मंगरोल	कोटा	बारन	15
1275.	मोथपुर	कोटा	बारन	10
1276.	नहरगढ़	कोटा	बारन	10
1277.	पचेलकलान	कोटा	बारन	0
1278.	परानिया	कोटा	बारन	0
1279.	राजपुर	कोटा	बारन	1
1280.	रेलवान	कोटा	बारन	2
1281.	साकातपुर	कोटा	बारन	14
1282.	सालपुरा	कोटा	बारन	11
1283.	सामरानिया	कोटा	बारन	7
1284.	सारथाल	कोटा	बारन	10
1285.	शाहबाद	कोटा	बारन	4
1286.	सिंधपुरी	कोटा	बारन	0
1287.	सिसवाली	कोटा	बारन	2

1	2	3	4	5
1288.	बदोदिया	कोटा	चित्तौड़गढ़	0
1289.	भेंनरोदगढ़	कोटा	चित्तौड़गढ़	15
1290.	एकलिंगपुरा	कोटा	चित्तौड़गढ़	0
1291.	राप्प	कोटा	चित्तौड़गढ़	2
1292.	रवातभाटा	कोटा	चित्तौड़गढ़	274
1293.	अलानिया	कोटा	कोटा	4
1294.	अनवा	कोटा	कोटा	0
1295.	अरनखेड़ा	कोटा	कोटा	1
1296.	अयाना	कोटा	कोटा	16
1297.	बापावार	कोटा	कोटा	12
1298.	बरोद	कोटा	कोटा	13
1299.	भांडाहेरा	कोटा	कोटा	2
1300.	बोरखांडी	कोटा	कोटा	4
1301.	चेचाट	कोटा	कोटा	24
1302.	दारा	कोटा	कोटा	5
1303.	डेओलीमाजी	कोटा	कोटा	0
1304.	धुलेट	कोटा	कोटा	0
1305.	डिगोड	कोटा	कोटा	7
1306.	गाडेपान	कोटा	कोटा	0
1307.	गेंटा	कोटा	कोटा	2
1308.	इटावा	कोटा	कोटा	0
1309.	कैथुन	कोटा	कोटा	19
1310.	कंवास	कोटा	कोटा	5
1311.	खोतोली	कोटा	कोटा	0
1312.	खेदरूधा	कोटा	कोटा	0
1313.	केटी ईडब्ल्यूएसडी	कोटा	कोटा	5
1314.	केटी कुनाडी	कोटा	कोटा	0
1315.	केटी आरएलयू जेएन	कोटा	कोटा	0

1	2	3	4	5
1316.	केटी रसुआनांतपुरा	कोटा	कोटा	0
1317.	केटी रसुछावनी	कोटा	कोटा	0
1318.	केटी रसुदादाबाड़ी	कोटा	कोटा	0
1319.	केटी श्रीनाथपुरम	कोटा	कोटा	0
1320.	केटी विज्ञान-नगर	कोटा	कोटा	20
1321.	कुंदनपुर	कोटा	कोटा	0
1322.	मदनपुरिया	कोटा	कोटा	0
1323.	मंदाना	कोटा	कोटा	7
1324.	मंछावाड़ा	कोटा	कोटा	3
1325.	मोरक	कोटा	कोटा	35
1326.	निमोडा	कोटा	कोटा	2
1327.	पिपलदा	कोटा	कोटा	0
1328.	रामगंजमंडीर	कोटा	कोटा	24
1329.	रंगपुर	कोटा	कोटा	1
1330.	सनीजा	कोटा	कोटा	0
1331.	सांगोड	कोटा	कोटा	19
1332.	सिमलिया	कोटा	कोटा	15
1333.	सुकेट	कोटा	कोटा	5
1334.	सुल्तानपुर	कोटा	कोटा	3
1335.	थाथेर	कोटा	कोटा	5
1336.	उंडवा	कोटा	कोटा	0
1337.	अकोडा	नागौर	नागौर	26
1338.	अलाई	नागौर	नागौर	26
1339.	बडी खटू	नागौर	नागौर	43
1340.	बड्डू	नागौर	नागौर	141
1341.	बकोट	नागौर	नागौर	82
1342.	बजवास	नागौर	नागौर	0
1343.	बामाना	नागौर	नागौर	0

1	2	3	4	5
1344.	बासनी	नागौर	नागौर	24
1345.	बेवाल	नागौर	नागौर	0
1346.	बेरीखुर्द	नागौर	नागौर	40
1347.	बेसरोली	नागौर	नागौर	78
1348.	भाडवासी	नागौर	नागौर	56
1349.	भैरूंदा	नागौर	नागौर	12
1350.	भागरी	नागौर	नागौर	31
1351.	भागरोड	नागौर	नागौर	34
1352.	बिदियाड	नागौर	नागौर	81
1353.	बुदसू	नागौर	नागौर	79
1354.	बूताटी	नागौर	नागौर	89
1355.	चंपा खेड़ी	नागौर	नागौर	41
1356.	छपारा	नागौर	नागौर	20
1357.	छोटी खाटू	नागौर	नागौर	26
1358.	चिमरानी	नागौर	नागौर	42
1359.	दौलतपुरा	नागौर	नागौर	68
1360.	दयालपुरा	नागौर	नागौर	56
1361.	दीदवाना	नागौर	नागौर	65
1362.	देगांना	नागौर	नागौर	57
1363.	देगाना गुंव	नागौर	नागौर	5
1364.	देह	नागौर	नागौर	35
1365.	धानखोली	नागौर	नागौर	34
1366.	दोदियाना	नागौर	नागौर	44
1367.	दुगासताउ	नागौर	नागौर	66
1368.	गाछीपुरा	नागौर	नागौर	77
1369.	गगराना	नागौर	नागौर	15
1370.	गोगेलाओ	नागौर	नागौर	50
1371.	गोटन	नागौर	नागौर	18

1	2	3	4	5
1372.	गुधा भागवानदास	नागौर	नागौर	61
1373.	गुधा साल्ट	नागौर	नागौर	18
1374.	सरसोलाव	नागौर	नागौर	54
1375.	हरसोर	नागौर	नागौर	32
1376.	इडवा	नागौर	नागौर	32
1377.	जाखेड़ा	नागौर	नागौर	41
1378.	जानगर	नागौर	नागौर	33
1379.	जवाला	नागौर	नागौर	16
1380.	जायाल	नागौर	नागौर	40
1381.	झेरेलीन	नागौर	नागौर	68
1382.	जिटिया	नागौर	नागौर	138
1383.	जोधियासी	नागौर	नागौर	81
1384.	कैराप	नागौर	नागौर	29
1385.	काथैटी	नागौर	नागौर	23
1386.	कटयासांनी	नागौर	नागौर	18
1387.	खजवाना	नागौर	नागौर	68
1388.	खीनवसार	नागौर	नागौर	126
1389.	खियाला	नागौर	नागौर	29
1390.	खोखर	नागौर	नागौर	25
1391.	खुकुना	नागौर	नागौर	76
1392.	खुरी कलान	नागौर	नागौर	10
1393.	कोलिया	नागौर	नागौर	16
1394.	कुचमान सिटी	नागौर	नागौर	154
1395.	कुचमान रोड	नागौर	नागौर	24
1396.	कुवेरा	नागौर	नागौर	18
1397.	कुकनवाली	नागौर	नागौर	119
1398.	कुराडा	नागौर	नागौर	28
1399.	लाडरिया	नागौर	नागौर	25

1	2	3	4	5
1400.	लादगुन	नागौर	नागौर	384
1401.	लालास	नागौर	नागौर	200
1402.	लांबा जट्टन	नागौर	नागौर	22
1403.	लेडी	नागौर	नागौर	10
1404.	लूनवा	नागौर	नागौर	38
1405.	मकसना	नागौर	नागौर	353
1406.	मानाना	नागौर	नागौर	75
1407.	मंगालाना	नागौर	नागौर	44
1408.	मरोथ	नागौर	नागौर	70
1409.	मरवार मुंडवा	नागौर	नागौर	38
1410.	मौलासर	नागौर	नागौर	104
1411.	मेरटा सिटी	नागौर	नागौर	40
1412.	मेरटा रोड	नागौर	नागौर	53
1413.	भिंडा	नागौर	नागौर	40
1414.	मिठारी (केसीआर)	नागौर	नागौर	40
1415.	मिठारी (एलडीएन)	नागौर	नागौर	20
1416.	मोलकाता	नागौर	नागौर	10
1417.	नागौर	नागौर	नागौर	63
1418.	नारायनपुरा	नागौर	नागौर	24
1419.	निंबी जोधान	नागौर	नागौर	30
1420.	निमबोड	नागौर	नागौर	43
1421.	नोखा चंडवाटान	नागौर	नागौर	32
1422.	नूवा	नागौर	नागौर	71
1423.	पाडू कलान	नागौर	नागौर	14
1424.	पांचवा	नागौर	नागौर	36
1425.	पारबस्तर	नागौर	नागौर	57
1426.	पीह	नागौर	नागौर	6
1427.	रानीगांव	नागौर	नागौर	50

1	2	3	4	5
1428.	रतौ	नागौर	नागौर	60
1429.	रेन	नागौर	नागौर	57
1430.	रियान बाड़ी	नागौर	नागौर	23
1431.	रोडू	नागौर	नागौर	31
1432.	रोहिंडी	नागौर	नागौर	59
1433.	रोहिसा	नागौर	नागौर	3
1434.	रोल	नागौर	नागौर	53
1435.	रून	नागौर	नागौर	53
1436.	रोटू	नागौर	नागौर	134
1437.	संजू	नागौर	नागौर	29
1438.	संकखवास	नागौर	नागौर	0
1439.	श्यामगढ़	नागौर	नागौर	46
1440.	श्री बालाजी	नागौर	नागौर	35
1441.	टांकला	नागौर	नागौर	77
1442.	तरनाऊ	नागौर	नागौर	87
1443.	थानवाला	नागौर	नागौर	60
1444.	तोशिना	नागौर	नागौर	32
1445.	उंचैंडा	नागौर	नागौर	0
1446.	अनंदपुरकालू	पाली	पाली	0
1447.	अन्ना	पाली	पाली	60
1448.	अटबारा	पाली	पाली	69
1449.	औवा	पाली	पाली	17
1450.	बाबरा	पाली	पाली	43
1451.	बागवास	पाली	पाली	65
1452.	बागोल	पाली	पाली	6
1453.	बागरी नगर	पाली	पाली	7
1454.	बालादा	पाली	पाली	12
1455.	बाली	पाली	पाली	18

1	2	3	4	5
1456.	बालाराई	पाली	पाली	0
1457.	बालूंदा	पाली	पाली	91
1458.	बांकी	पाली	पाली	7
1459.	बेंटा	पाली	पाली	52
1460.	बाड़	पाली	पाली	8
1461.	बसना	पाली	पाली	25
1462.	बांसनी दादवरिया	पाली	पाली	0
1463.	बीलावास	पाली	पाली	12
1464.	बीरामी	पाली	पाली	6
1465.	बीसलपुर	पाली	पाली	0
1466.	बेड़ा	पाली	पाली	0
1467.	बेरकलान	पाली	पाली	81
1468.	भरवाड़ी	पाली	पाली	68
1469.	बारूंडा	पाली	पाली	47
1470.	भाटुंड	पाली	पाली	0
1471.	भीमाना	पाली	पाली	6
1472.	भीटवाड़ा	पाली	पाली	18
1473.	भेसाना	पाली	पाली	3
1474.	भीमालिया	पाली	पाली	31
1475.	बीथू	पाली	पाली	0
1476.	बोमादरा	पाली	पाली	0
1477.	चड़वास	पाली	पाली	62
1478.	चंचोरी	पाली	पाली	0
1479.	चंदवाल	पाली	पाली	0
1480.	चंडवाल एसटीएन	पाली	पाली	69
1481.	चांग	पाली	पाली	36
1482.	चानोद	पाली	पाली	19
1483.	चेलवास	पाली	पाली	95

1	2	3	4	5
1484.	चोउकाडिया	पाली	पाली	46
1485.	दादल	पाली	पाली	125
1486.	दैलाना कलान	पाली	पाली	18
1487.	डारी	पाली	पाली	0
1488.	देओली औवा	पाली	पाली	35
1489.	देओली कलान	पाली	पाली	0
1490.	देओली पाबूजी	पाली	पाली	4
1491.	देसूरी	पाली	पाली	5
1492.	देवरिया	पाली	पाली	3
1493.	धाबर	पाली	पाली	58
1494.	धामली	पाली	पाली	0
1495.	धानी	पाली	पाली	27
1496.	धानला	पाली	पाली	68
1497.	दुडोड	पाली	पाली	11
1498.	दुजाना	पाली	पाली	0
1499.	फाल्का	पाली	पाली	62
1500.	फालना	पाली	पाली	80
1501.	गेलावास	पाली	पाली	0
1502.	धानेराओ	पाली	पाली	157
1503.	धेनरी	पाली	पाली	5
1504.	गिराद्रा की धानी	पाली	पाली	0
1505.	गिरी	पाली	पाली	4
1506.	गुडा एंडला	पाली	पाली	105
1507.	गुड कलान	पाली	पाली	46
1508.	गुडा राम सिंह	पाली	पाली	33
1509.	गुंदोज	पाली	पाली	226
1510.	जादान	पाली	पाली	19
1511.	जैतारान	पाली	पाली	29

1	2	3	4	5
1512.	जावाडिया	पाली	पाली	0
1513.	जावाली	पाली	पाली	201
1514.	जेतपुर	पाली	पाली	0
1515.	जोजापुर	पाली	पाली	3
1516.	कंट्यालिया	पाली	पाली	23
1517.	कराड़ी	पाली	पाली	2
1518.	कारमावास पट्टा	पाली	पाली	10
1519.	खरड़ी	पाली	पाली	50
1520.	खेरवा	पाली	पाली	104
1521.	खिनवाड़ा	पाली	पाली	77
1522.	खोड	पाली	पाली	29
1523.	किशनपुरा	पाली	पाली	20
1524.	कोसेलाओ	पाली	पाली	0
1525.	कुडकी	पाली	पाली	28
1526.	कुनेजा	पाली	पाली	76
1527.	कुशालपुरा	पाली	पाली	1
1528.	लांबिया	पाली	पाली	23
1529.	लापोड	पाली	पाली	46
1530.	लातारा	पाली	पाली	18
1531.	लुनावा	पाली	पाली	20
1532.	मांडा	पाली	पाली	23
1533.	मंडावास	पाली	पाली	0
1534.	मारवार जेएन.	पाली	पाली	116
1535.	मोहराई	पाली	पाली	17
1536.	मुंदारास	पाली	पाली	0
1537.	नाडोल	पाली	पाली	33
1538.	नाना	पाली	पाली	42
1539.	नारालाई	पाली	पाली	84

1	2	3	4	5
1540.	नीमली हुडा	पाली	पाली	103
1541.	नेतरा	पाली	पाली	72
1542.	निमाज	पाली	पाली	9
1543.	निमबोल	पाली	पाली	95
1544.	निप्पले	पाली	पाली	10
1545.	नोवी	पाली	पाली	0
1546.	पलडी जोड	पाली	पाली	38
1547.	पाली सिटी ईएक्स (1)	पाली	पाली	123
1548.	पाली सिटी ईएस (2)	पाली	पाली	0
1549.	पाली एन.बी.	पाली	पाली	12
1550.	पाली मंडिआ आरडी	पाली	पाली	23
1551.	पावा	पाली	पाली	28
1552.	पीपलिया कलान	पाली	पाली	32
1553.	सेबडीआवास	पाली	पाली	3
1554.	रायपुर मारवार	पाली	पाली	84
1555.	रायपुरिया	पाली	पाली	8
1556.	राजकियावास	पाली	पाली	13
1557.	रनावास	पाली	पाली	53
1558.	रानी	पाली	पाली	35
1559.	रास	पाली	पाली	50
1560.	रोहट	पाली	पाली	81
1561.	रूपावास (पी)	पाली	पाली	0
1562.	रूपावास (एस)	पाली	पाली	32
1563.	सादरी	पाली	पाली	8
1564.	संदराओ	पाली	पाली	2
1565.	सरदार समंद	पाली	पाली	58
1566.	संदेरा	पाली	पाली	107
1567.	सेवारी	पाली	पाली	1

1	2	3	4	5
1568.	सिंदारली	पाली	पाली	115
1569.	सिराना	पाली	पाली	43
1570.	सिरियारी	पाली	पाली	41
1571.	सोडावास	पाली	पाली	163
1572.	सोजट सिटी	पाली	पाली	9
1573.	सोजट रोड	पाली	पाली	22
1574.	सोजट रोड-2	पाली	पाली	4
1575.	सोकड़ा	पाली	पाली	29
1576.	सामेसार	पाली	पाली	11
1577.	सुमेरपुर	पाली	पाली	50
1578.	सुरायाटा	पाली	पाली	71
1579.	टाखाटगढ़	पाली	पाली	25
1580.	व्याद	पाली	पाली	86
1581.	भानक पुरा	सवाई माधोपुर	करौली	73
1582.	भोपुर	सवाई माधोपुर	करौली	10
1583.	गारखुरा	सवाई माधोपुर	करौली	46
1584.	गुडाचंडराजी	सवाई माधोपुर	करौली	15
1585.	हडोटी	सवाई माधोपुर	करौली	0
1586.	हिंदौन	सवाई माधोपुर	करौली	298
1587.	करौली	सवाई माधोपुर	करौली	235
1588.	करीरी गाजीपुर	सवाई माधोपुर	करौली	49
1589.	कासाई	सवाई माधोपुर	करौली	19
1590.	कला देवी	सवाई माधोपुर	करौली	12
1591.	कुडगांव	सवाई माधोपुर	करौली	65
1592.	मेहसुआ	सवाई माधोपुर	करौली	24
1593.	महू	सवाई माधोपुर	करौली	43
1594.	मासालपुर	सवाई माधोपुर	करौली	16
1595.	नाडोटी	सवाई माधोपुर	करौली	29

1	2	3	4	5
1596.	नगाल शेरपुर	सवाई माधोपुर	करौली	55
1597.	नारालिडांग	सवाई माधोपुर	करौली	10
1598.	पटोंडा	सवाई माधोपुर	करौली	57
1599.	सपोतरा	सवाई माधोपुर	करौली	106
1600.	शहर	सवाई माधोपुर	करौली	20
1601.	शोरपुर	सवाई माधोपुर	करौली	8
1602.	सोप	सवाई माधोपुर	करौली	19
1603.	श्री महावीरजी	सवाई माधोपुर	करौली	54
1604.	सुरोथ	सवाई माधोपुर	करौली	58
1605.	टोडा भीम	सवाई माधोपुर	करौली	80
1606.	टोडु पुरा	सवाई माधोपुर	करौली	75
1607.	अजनौती	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	35
1608.	बलेर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1609.	बामन बरोदा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	13
1610.	बामन बास	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	135
1611.	बनंडा खुर्द	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1612.	बटौदा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	43
1613.	बहरान बड़ा कला	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1614.	भदौती	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	4
1615.	भागवतगढ़	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	8
1616.	बोनली	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	13
1617.	छोटकाबारबरा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1618.	जीजीशहर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	98
1619.	जीवाली	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	38
1620.	खंडर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1621.	खिलचीपुर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	12
1622.	कुंडेरा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	34
1623.	कुस्ताला	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0

1	2	3	4	5
1624.	लहसोडा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	3
1625.	मालरमा स्टेशन	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1626.	मालारनाचौर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	5
1627.	मालारना डुंगर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1628.	मेडी	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	57
1629.	मित्रपुरा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1630.	फलौदी	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	14
1631.	पिलौदा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	39
1632.	पिपालदा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	12
1633.	पिपलवाड़ा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	1
1634.	पिपलई	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	7
1635.	रावजनाचौर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	4
1636.	सिवार	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	0
1637.	सुरवाल	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	31
1638.	एसडब्ल्यू सिटी	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	15
1639.	एसडब्ल्यूआरएस	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	25
1640.	तालवाड़ा	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	11
1641.	वजीरपुर	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	23
1642.	13 केएसपी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	2
1643.	अजीतपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1644.	अनुप शहर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	7
1645.	बेहलोल नगर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1646.	भाद्रा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1647.	बिरानी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1648.	बिरकली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	31
1649.	छनीबाड़ी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	20
1650.	चोहिलावाली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	12
1651.	डाबलीस्थान	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0

1	2	3	4	5
1652.	दलपतपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	25
1653.	दौलतनवाली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	6
1654.	देईदास	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	14
1655.	धाबन	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	14
1656.	धलिया	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1657.	धनिमिनोरवाली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	25
1658.	धाननसर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	28
1659.	धोलीपाल	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1660.	फतेहगढ़	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	6
1661.	गंधेली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	95
1662.	गांधीवाड़ी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1663.	गोलूवाला	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	90
1664.	गोरखाना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	71
1665.	हनुमानगढ़ (जंक्शन)	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1666.	हनुमानगढ़ (टाउन)	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1667.	हरिपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1668.	हीरनावाली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1669.	इन्द्रपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	19
1670.	जान्डावाली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1671.	जासना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	36
1672.	जेडासर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	13
1673.	पालना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1674.	फिनानिया	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	4
1675.	कोटवाली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	9
1676.	किकरालिया	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	126
1677.	किशनपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	70
1678.	कुलचंद	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	100
1679.	लीखमीसर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	15

1	2	3	4	5
1680.	लोंगेवाला	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	19
1681.	मसीतावालीहेड	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	21
1682.	नेहारवाला	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	38
1683.	मिर्जेवालीमेर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	30
1684.	मोरजान्दा सिखान	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	30
1685.	नगराना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	35
1686.	मिथराना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	2
1687.	नोहर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	47
1688.	नौरंग देसार	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	3
1689.	पक्काशरना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	8
1690.	पल्लू	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	15
1691.	पंडितवाली	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	2
1692.	परलीका	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	26
1693.	पिरकमरिया	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1694.	फेफना	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	106
1695.	पिलीबंगन	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	5
1696.	प्रेमपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1697.	रामगढ़ उजलवास	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	98
1698.	रामगढ़िया	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1699.	रामपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	20
1700.	रावतसर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	97
1701.	शालीवाला	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	22
1702.	संगरिया	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	0
1703.	संतपुरा	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	5
1704.	सरदारगड़िया	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	19
1705.	तलवाड़ा झील	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	32
1706.	थलारका	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	14
1707.	तिबी	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	57

1	2	3	4	5
1708.	11 ए	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1709.	12 जी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1710.	12 जीबी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	56
1711.	12 एचएच	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1712.	14 एनपी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	29
1713.	15 एफएफ	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	13
1714.	19 पीएस	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1715.	19 जेड	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	59
1716.	2 एफ एफ	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1717.	27 ए	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	28
1718.	28 एफएफ	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1719.	281 आरडी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	33
1720.	30 ओ	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	67
1721.	33 बीबी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	16
1722.	33 एच	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	94
1723.	34 पीएस	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1724.	365 आरडी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	18
1725.	37 जीजी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	38
1726.	4 डीएलडी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1727.	41 जीबी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	68
1728.	5 एमएलडी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1729.	6 जी 2	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	6
1730.	61 एफ	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	80
1731.	7 केएनडी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1732.	74 जीबी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	10
1733.	8 एसएचपीडी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	53
1734.	एयरफोर्स एसटीजी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1735.	अमरगढ़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	158

1	2	3	4	5
1736.	अनूपगढ़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1737.	अरैन	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1738.	बगीचा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	4
1739.	बाजूवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	40
1740.	बांदा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	13
1741.	बनवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	215
1742.	बिंज बयला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	90
1743.	बिरमाना	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1744.	भगवानसर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1745.	भाटीवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1746.	बीरदवाल स्टेशन	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1747.	बुधारवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1748.	चक महराजका	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	4
1749.	चुनावड़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1750.	डाबला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	81
1751.	दौलतपुरा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	65
1752.	धावनझालर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1753.	धनुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1754.	डुडाखिचड़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	111
1755.	फकीरवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	20
1756.	फतुही	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	20
1757.	फ्यूजवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1758.	गजसिंहपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1759.	गणेशगढ़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	8
1760.	गंगूवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	5
1761.	घमंडिया	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	16
1762.	घरसाना	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	13
1763.	गुलाबेवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	64

1	2	3	4	5
1764.	गुरसरमोडिया	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1765.	हिन्दुमलकोटे	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1766.	जाखरनवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	8
1767.	जलोकी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	63
1768.	जानकीदासवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1769.	जेतसर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1770.	जेतसरफारम	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	13
1771.	कलियान	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	19
1772.	कलवासिया	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	105
1773.	कमरानियां	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1774.	केसरीसिंहपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1775.	कुपली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	36
1776.	कुम्हारनवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	8
1777.	लड्डूवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	2
1778.	लालगढ़जटान	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	38
1779.	महियावाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	10
1780.	मिर्जेवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	56
1781.	मोरजंदा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	126
1782.	मुकलावा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1783.	नाहरनवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	20
1784.	नरसिंहपुरा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	60
1785.	नेतेवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	5
1786.	पदमपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1787.	पतरौदा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	7
1788.	रघुनाथपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1789.	रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1790.	रजियासर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1791.	रामसिंहपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0

1	2	3	4	5
1792.	रामसरा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1793.	रतेवाला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	112
1794.	रावला	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	34
1795.	रिदमालसर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	129
1796.	रोहिरनवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	30
1797.	रोजारी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	1
1798.	रोतानवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	40
1799.	एसटीपीएस	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1800.	सदुलशहर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	123
1801.	समेजा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1802.	संगराना	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	3
1803.	सरदारगढ़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1804.	सतजन्दा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1805.	सावनसर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	48
1806.	सिलवानी	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	25
1807.	श्रीविजयनगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1808.	श्रीकरनपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	1
1809.	श्रीनगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1810.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	7
1811.	श्रीगंगानगर जंक्शन	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1812.	श्रीगंगानगर जंक्शन-1	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1813.	श्रीगंगानगर एमडब्ल्यू	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1814.	सुन्दरपुरा	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	14
1815.	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1816.	तखरानवाली	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	8
1817.	उद्योगविहार	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	0
1818.	उड़सर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	9
1819.	अजितगढ़	सीकर	सीकर	196

1	2	3	4	5
1820.	अजमेरी	सीकर	सीकर	133
1821.	अलखापुरा गोदान	सीकर	सीकर	60
1822.	असपुरा	सीकर	सीकर	140
1823.	अथावस	सीकर	सीकर	91
1824.	बदुसर	सीकर	सीकर	90
1825.	बजोर	सीकर	सीकर	0
1826.	बालारन	सीकर	सीकर	163
1827.	बतारनउ	सीकर	सीकर	118
1828.	बे	सीकर	सीकर	188
1829.	बेरी	सीकर	सीकर	72
1830.	बेसवा	सीकर	सीकर	100
1831.	भोजासरबड़ा	सीकर	सीकर	110
1832.	भोजपुर	सीकर	सीकर	147
1833.	भुरदौनकाबस	सीकर	सीकर	13
1834.	बीबीपुरबड़ा	सीकर	सीकर	67
1835.	बिदासर	सीकर	सीकर	214
1836.	बिरानियां	सीकर	सीकर	94
1837.	चिपलाता	सीकर	सीकर	7
1838.	डावला	सीकर	सीकर	202
1839.	दंतारामगढ़	सीकर	सीकर	184
1840.	दौलतपुरा	सीकर	सीकर	151
1841.	धौद	सीकर	सीकर	196
1842.	दुधवालोंकावास	सीकर	सीकर	117
1843.	डुकिया	सीकर	सीकर	92
1844.	फतेपुर	सीकर	सीकर	849
1845.	गणेश्वर	सीकर	सीकर	0
1846.	गरोदा	सीकर	सीकर	90
1847.	घाना	सीकर	सीकर	96

1	2	3	4	5
1848.	धासुकाबस	सीकर	सीकर	201
1849.	गोविन्दपुरा	सीकर	सीकर	95
1850.	गोहाला	सीकर	सीकर	50
1851.	गुनाथु	सीकर	सीकर	129
1852.	परसावा	सीकर	सीकर	80
1853.	पसामपुर	सीकर	सीकर	64
1854.	होलियाकाबस	सीकर	सीकर	150
1855.	जजोद (एलजीआर)	सीकर	सीकर	61
1856.	जजोद (एसएनडी)	सीकर	सीकर	185
1857.	जिलो	सीकर	सीकर	71
1858.	झारली	सीकर	सीकर	102
1859.	झिगारछोटी	सीकर	सीकर	208
1860.	जोरावर नगर	सीकर	सीकर	101
1861.	कछवा	सीकर	सीकर	110
1862.	कनवट	सीकर	सीकर	130
1863.	कराड़	सीकर	सीकर	15
1864.	कसली	सीकर	सीकर	317
1865.	कयामसर	सीकर	सीकर	150
1866.	खचारीयावास	सीकर	सीकर	204
1867.	खंडेला	सीकर	सीकर	87
1868.	खाटूश्यामजी	सीकर	सीकर	31
1869.	खीरावा	सीकर	सीकर	84
1870.	खूर	सीकर	सीकर	255
1871.	कोछर	सीकर	सीकर	190
1872.	कोटारी लोहारवास	सीकर	सीकर	32
1873.	कुड़ान	सीकर	सीकर	289
1874.	लक्ष्मणगढ़	सीकर	सीकर	23
1875.	लोसाल	सीकर	सीकर	53

1	2	3	4	5
1876.	मंगलूना	सीकर	सीकर	84
1877.	मंडावाडा	सीकर	सीकर	173
1878.	मंडेलाबड़ा	सीकर	सीकर	20
1879.	मंडोली	सीकर	सीकर	99
1880.	मांवडा	सीकर	सीकर	180
1881.	मंदरू	सीकर	सीकर	155
1882.	मुंडवाड़ा	सीकर	सीकर	111
1883.	नेगवा	सीकर	सीकर	50
1884.	नेछवा	सीकर	सीकर	22
1885.	निमकाथाना	सीकर	सीकर	17
1886.	निमोद	सीकर	सीकर	73
1887.	पचार	सीकर	सीकर	27
1888.	पलसाना	सीकर	सीकर	119
1889.	पृथ्वीपुरा	सीकर	सीकर	85
1890.	पटान	सीकर	सीकर	151
1891.	पटौदा	सीकर	सीकर	184
1892.	खदानपुरा	सीकर	सीकर	105
1893.	फगवाला	सीकर	सीकर	184
1894.	पिलियोंकादहार	सीकर	सीकर	184
1895.	पिपराली	सीकर	सीकर	7
1896.	रघुनाथगढ़	सीकर	सीकर	77
1897.	रामगढ़	सीकर	सीकर	80
1898.	रनौली	सीकर	सीकर	144
1899.	रसीदपुरा	सीकर	सीकर	218
1900.	रिंगुस	सीकर	सीकर	22
1901.	रोलसाहासर	सीकर	सीकर	190
1902.	रूपगढ़	सीकर	सीकर	113
1903.	सांगलिया	सीकर	सीकर	14

1	2	3	4	5
1904.	सामपलुदापरोहितान	सीकर	सीकर	70
1905.	शिवसिंहपुरा	सीकर	सीकर	0
1906.	सिहोतबाड़ी	सीकर	सीकर	100
1907.	सिहोतछोटी	सीकर	सीकर	248
1908.	सिकर	सीकर	सीकर	200
1909.	सिरोही	सीकर	सीकर	19
1910.	श्रीमाधोपुर	सीकर	सीकर	532
1911.	सुरेरा	सीकर	सीकर	52
1912.	तपीपलीया	सीकर	सीकर	44
1913.	टाटानावा	सीकर	सीकर	151
1914.	थिकारिया (शाहपुर)	सीकर	सीकर	110
1915.	थोई	सीकर	सीकर	175
1916.	तिहावली	सीकर	सीकर	100
1917.	टोडा	सीकर	सीकर	40
1918.	अहोर	सिरोही	जालौर	250
1919.	बदानवाड़ी	सिरोही	जालौर	75
1920.	बगोड़ा	सिरोही	जालौर	18
1921.	बागारा	सिरोही	जालौर	93
1922.	बकरारोड	सिरोही	जालौर	4
1923.	बलवाड़ा	सिरोही	जालौर	37
1924.	बरगांव	सिरोही	जालौर	40
1925.	भंडारजुने	सिरोही	जालौर	82
1926.	भागली	सिरोही	जालौर	7
1927.	भालनी	सिरोही	जालौर	33
1928.	भावरानी	सिरोही	जालौर	40
1929.	भिनमाल	सिरोही	जालौर	235
1930.	भूती	सिरोही	जालौर	151
1931.	होरदा	सिरोही	जालौर	62

1	2	3	4	5
1932.	दिवलसर	सिरोही	जालौर	6
1933.	बिसानगढ़	सिरोही	जालौर	55
1934.	बोरता	सिरोही	जालौर	22
1935.	चंदरई	सिरोही	जालौर	80
1936.	चंदूर	सिरोही	जालौर	17
1937.	चितलवाना	सिरोही	जालौर	68
1938.	चोरठ	सिरोही	जालौर	20
1939.	दसपन	सिरोही	जालौर	92
1940.	डेडवा	सिरोही	जालौर	140
1941.	देवरा	सिरोही	जालौर	45
1942.	धनसा	सिरोही	जालौर	40
1943.	धूमबधिया	सिरोही	जालौर	75
1944.	डूंगरी	सिरोही	जालौर	40
1945.	गुडाबालोतन	सिरोही	जालौर	281
1946.	खड़ेचा	सिरोही	जालौर	92
1947.	हलीबग	सिरोही	जालौर	116
1948.	हरजी	सिरोही	जालौर	138
1949.	जालौर	सिरोही	जालौर	5
1950.	जसवन्तपुरा	सिरोही	जालौर	30
1951.	जीवना	सिरोही	जालौर	35
1952.	झाब	सिरोही	जालौर	96
1953.	झुनझून	सिरोही	जालौर	40
1954.	करदा	सिरोही	जालौर	36
1955.	केसवाना	सिरोही	जालौर	42
1956.	कूड़ा	सिरोही	जालौर	20
1957.	लियादरा	सिरोही	जालौर	178
1958.	मालवाड़ा	सिरोही	जालौर	30
1959.	मंडावाला	सिरोही	जालौर	48

1	2	3	4	5
1960.	मोडरन	सिरोही	जालौर	171
1961.	मोरसिन	सिरोही	जालौर	29
1962.	नंदिया	सिरोही	जालौर	80
1963.	नारता	सिरोही	जालौर	15
1964.	नोसरा	सिरोही	जालौर	75
1965.	पंचला	सिरोही	जालौर	44
1966.	पठमेड़ा	सिरोही	जालौर	10
1967.	पावली	सिरोही	जालौर	25
1968.	पोसाना	सिरोही	जालौर	185
1969.	पोनासा	सिरोही	जालौर	220
1970.	रायपुरिया	सिरोही	जालौर	10
1971.	राजपुरा	सिरोही	जालौर	10
1972.	रामा	सिरोही	जालौर	35
1973.	रामसिन	सिरोही	जालौर	11
1974.	रानीवाड़ा	सिरोही	जालौर	30
1975.	रैवातारा	सिरोही	जालौर	45
1976.	संचोर	सिरोही	जालौर	38
1977.	संकरना	सिरोही	जालौर	82
1978.	सरनौव	सिरोही	जालौर	237
1979.	सायला	सिरोही	जालौर	6
1980.	सेवाड़ा	सिरोही	जालौर	152
1981.	सेवाड़ी	सिरोही	जालौर	52
1982.	संखवाली	सिरोही	जालौर	38
1983.	सियानी	सिरोही	जालौर	9
1984.	सुरावा	सिरोही	जालौर	57
1985.	तवाब	सिरोही	जालौर	5
1986.	थोबाऊ	सिरोही	जालौर	145
1987.	तिलोदा	सिरोही	जालौर	60

1	2	3	4	5
1988.	उम्मेदवाद	सिरोही	जालौर	45
1989.	विरोल	सिरोही	जालौर	36
1990.	आबूरोड़	सिरोही	सिरोही	497
1991.	अचलगढ़	सिरोही	सिरोही	8
1992.	आइया	सिरोही	सिरोही	0
1993.	अल्पा	सिरोही	सिरोही	50
1994.	अंदरा	सिरोही	सिरोही	11
1995.	भारजा	सिरोही	सिरोही	34
1996.	भाटना	सिरोही	सिरोही	4
1997.	दन्तरई	सिरोही	सिरोही	2
1998.	दतानी	सिरोही	सिरोही	2
1999.	गिरवर	सिरोही	सिरोही	0
2000.	गोल	सिरोही	सिरोही	0
2001.	गुरूसिखर	सिरोही	सिरोही	0
2002.	जेके पुरम	सिरोही	सिरोही	80
2003.	जैतवारा	सिरोही	सिरोही	35
2004.	जवाल	सिरोही	सिरोही	19
2005.	कैलाश नगर	सिरोही	सिरोही	58
2006.	कलन्दरी	सिरोही	सिरोही	26
2007.	केर	सिरोही	सिरोही	3
2008.	केशवगंज	सिरोही	सिरोही	32
2009.	खेजारिया	सिरोही	सिरोही	17
2010.	किवरली	सिरोही	सिरोही	35
2011.	कृष्णगंज	सिरोही	सिरोही	10
2012.	मदानी	सिरोही	सिरोही	15
2013.	मदिया	सिरोही	सिरोही	4
2014.	मगरीवाड़ा	सिरोही	सिरोही	21
2015.	मानादार	सिरोही	सिरोही	11

1	2	3	4	5
2016.	मंदर	सिरोही	सिरोही	35
2017.	मवाल	सिरोही	सिरोही	10
2018.	माउन्ट आबू	सिरोही	सिरोही	230
2019.	मूंगथाला	सिरोही	सिरोही	17
2020.	नदिया	सिरोही	सिरोही	27
2021.	नदानी	सिरोही	सिरोही	14
2022.	नयासनवारा	सिरोही	सिरोही	100
2023.	निम्बज	सिरोही	सिरोही	5
2024.	पडिब	सिरोही	सिरोही	20
2025.	पालरी	सिरोही	सिरोही	160
2026.	पिंडवारा	सिरोही	सिरोही	45
2027.	कोशालिया	सिरोही	सिरोही	61
2028.	रेवडार	सिरोही	सिरोही	29
2029.	रोहिरा	सिरोही	सिरोही	82
2030.	शिवगंज	सिरोही	सिरोही	156
2031.	सिधारथ	सिरोही	सिरोही	10
2032.	सिलदर	सिरोही	सिरोही	22
2033.	सिरोड़ी	सिरोही	सिरोही	36
2034.	सिरोही	सिरोही	सिरोही	70
2035.	स्वरूपगंज	सिरोही	सिरोही	19
2036.	तलहेटी	सिरोही	सिरोही	64
2037.	तानवाड़ी	सिरोही	सिरोही	4
2038.	वार्धा	सिरोही	सिरोही	5
2039.	अलीगढ़	टोंक	टोंक	30
2040.	अन्वा	टोंक	टोंक	2
2041.	अबीकानगर	टोंक	टोंक	43
2042.	बनेठा	टोंक	टोंक	59
2043.	बंसथाली	टोंक	टोंक	3

1	2	3	4	5
2044.	चेनाली	टोंक	टोंक	8
2045.	छन	टोंक	टोंक	30
2046.	चोरू	टोंक	टोंक	20
2047.	डंगस्थाल	टोंक	टोंक	6
2048.	दतोप	टोंक	टोंक	54
2049.	दतवास	टोंक	टोंक	14
2050.	देवली	टोंक	टोंक	6
2051.	देवरवास	टोंक	टोंक	0
2052.	धौनकला	टोंक	टोंक	2
2053.	डिग्गी	टोंक	टोंक	47
2054.	दुनी	टोंक	टोंक	3
2055.	घर	टोंक	टोंक	4
2056.	घांस	टोंक	टोंक	90
2057.	हथुना	टोंक	टोंक	50
2058.	झिराना	टोंक	टोंक	15
2059.	करोड़	टोंक	टोंक	81
2060.	करेदा बुजुर्ग	टोंक	टोंक	14
2061.	लम्बा बबरी	टोंक	टोंक	104
2062.	लम्बा हरीसिंह	टोंक	टोंक	50
2063.	लावा	टोंक	टोंक	0
2064.	मालपुरा	टोंक	टोंक	81
2065.	मेदवास	टोंक	टोंक	50
2066.	मोर	टोंक	टोंक	30
2067.	मुडिया	टोंक	टोंक	12
2068.	नगर	टोंक	टोंक	5
2069.	नगर फोर्ट	टोंक	टोंक	4
2070.	नसिरदा	टोंक	टोंक	2
2071.	नेगरिया	टोंक	टोंक	0

1	2	3	4	5
2072.	नेवई	टोंक	टोंक	28
2073.	नेवारिया	टोंक	टोंक	3
2074.	पचेवार	टोंक	टोंक	10
2075.	पहाड़ी	टोंक	टोंक	0
2076.	पनवाडर	टोंक	टोंक	5
2077.	पिपलु	टोंक	टोंक	9
2078.	रहोली	टोंक	टोंक	8
2079.	राजमहल	टोंक	टोंक	2
2080.	सिरास	टोंक	टोंक	57
2081.	सीताराम पुरा	टोंक	टोंक	32
2082.	सोहेला	टोंक	टोंक	12
2083.	तोड़रई सिंह	टोंक	टोंक	188
2084.	टोंक	टोंक	टोंक	600
2085.	टोरड़ी	टोंक	टोंक	38
2086.	उनियारा	टोंक	टोंक	15
2087.	आत्मा	उदयपुर	राजसमंद	2
2088.	अजीतगढ़	उदयपुर	राजसमंद	2
2089.	उमेत एसडीसीसी	उदयपुर	राजसमंद	175
2090.	बागना	उदयपुर	राजसमंद	0
2091.	बालीजस्सा खेड़ा	उदयपुर	राजसमंद	32
2092.	बनेडिया	उदयपुर	राजसमंद	21
2093.	बरार	उदयपुर	राजसमंद	18
2094.	बरजल	उदयपुर	राजसमंद	0
2095.	भीम एसडीसीसी	उदयपुर	राजसमंद	20
2096.	बिनोल	उदयपुर	राजसमंद	1
2097.	चराना	उदयपुर	राजसमंद	42
2098.	चाराभुजा जी एसडीसीसी	उदयपुर	राजसमंद	54
2099.	दरीबा	उदयपुर	राजसमंद	35

1	2	3	4	5
2100	दबेर एसडीसीसी	उदयपुर	राजसमंद	12
2101.	देलवाड़ा	उदयपुर	राजसमंद	2
2102.	देवगढ़ एसडीसीसी	उदयपुर	राजसमंद	20
2103.	गाजपुर	उदयपुर	राजसमंद	51
2104.	गालवा	उदयपुर	राजसमंद	51
2105.	गांव गुड़ा	उदयपुर	राजसमंद	6
2106.	गोराघाटी	उदयपुर	राजसमंद	41
2107.	गिलुड़	उदयपुर	राजसमंद	26
2108.	गुगली	उदयपुर	राजसमंद	57
2109.	हीरा का बदिया	उदयपुर	राजसमंद	3
2110.	छिलोला	उदयपुर	राजसमंद	26
2111.	जोगेला	उदयपुर	राजसमंद	0
2112.	कलादेह	उदयपुर	राजसमंद	7
2113.	कामला	उदयपुर	राजसमंद	0
2114.	केलवा	उदयपुर	राजसमंद	117
2115.	केलवाड़ा	उदयपुर	राजसमंद	50
2116.	खम्नोर	उदयपुर	राजसमंद	31
2117.	खीमाखेड़ा	उदयपुर	राजसमंद	0
2118.	के.के.आर.एम. चौक आरएसयू	उदयपुर	राजसमंद	12
2119.	के.के.आर. मेन एसडीसीसी	उदयपुर	राजसमंद	19
2120.	कोन्ठाल	उदयपुर	राजसमंद	20
2121.	कोंडवा	उदयपुर	राजसमंद	25
2122.	कोंवरिया	उदयपुर	राजसमंद	5
2123.	कुरज	उदयपुर	राजसमंद	67
2124.	लाखागुड़ा	उदयपुर	राजसमंद	1
2125.	लम्बोरी	उदयपुर	राजसमंद	65
2126.	लावा सरदार गढ़	उदयपुर	राजसमंद	88
2127.	मचिंद	उदयपुर	राजसमंद	16

1	2	3	4	5
2128.	मदारिया	उदयपुर	राजसमंद	5
2129.	मंडावार	उदयपुर	राजसमंद	0
2130.	मोही	उदयपुर	राजसमंद	21
2131.	नामना	उदयपुर	राजसमंद	14
2132.	नाथडवाड़ा एसडीसीसी	उदयपुर	राजसमंद	0
2133.	पदासाली	उदयपुर	राजसमंद	9
2134.	पिपली	उदयपुर	राजसमंद	9
2135.	पुनावली	उदयपुर	राजसमंद	0
2136.	रेलमागरा	उदयपुर	राजसमंद	83
2137.	रिचहेड	उदयपुर	राजसमंद	82
2138.	सलोरे	उदयपुर	राजसमंद	37
2139.	सेमा	उदयपुर	राजसमंद	22
2140.	सिवांत्री	उदयपुर	राजसमंद	3
2141.	शीशोदा	उदयपुर	राजसमंद	15
2142.	ताल	उदयपुर	राजसमंद	2
2143.	ठीकरवास	उदयपुर	राजसमंद	28
2144.	असोलियाक मदरी	उदयपुर	उदयपुर	74
2145.	बागडुंडा	उदयपुर	उदयपुर	18
2146.	भागपुरा	उदयपुर	उदयपुर	14
2147.	बंबबोरा	उदयपुर	उदयपुर	42
2148.	बाथरदा कलान	उदयपुर	उदयपुर	39
2149.	बावालवाड़ा	उदयपुर	उदयपुर	53
2150.	भाबराना	उदयपुर	उदयपुर	12
2151.	भानपुरा	उदयपुर	उदयपुर	9
2152.	भातेवाड़	उदयपुर	उदयपुर	103
2153.	भिंडर	उदयपुर	उदयपुर	165
2154.	भोमाटावाड़ा	उदयपुर	उदयपुर	31
2155.	चंदेसरा	उदयपुर	उदयपुर	71

1	2	3	4	5
2156.	चावांट एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	117
2157.	चिरवा	उदयपुर	उदयपुर	28
2158.	डाबोक	उदयपुर	उदयपुर	153
2159.	धारीआवाड एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	86
2160.	फतेहनगर एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	150
2161.	घासा	उदयपुर	उदयपुर	101
2162.	घोरी	उदयपुर	उदयपुर	45
2163.	गिंगला	उदयपुर	उदयपुर	63
2164.	मोमुंडा एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	145
2165.	एचएम आरएसयू-4	उदयपुर	उदयपुर	91
2166.	इंटाली खेड़ा	उदयपुर	उदयपुर	9
2167.	जगत	उदयपुर	उदयपुर	15
2168.	जावाड	उदयपुर	उदयपुर	80
2169.	जावास	उदयपुर	उदयपुर	31
2170.	चेतेना	उदयपुर	उदयपुर	77
2171.	झाडोल (पी) एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	210
2172.	झाडोल (एस)	उदयपुर	उदयपुर	75
2173.	कड़िया	उदयपुर	उदयपुर	63
2174.	कलोडा	उदयपुर	उदयपुर	21
2175.	कल्यानपुर	उदयपुर	उदयपुर	83
2176.	कनौड	उदयपुर	उदयपुर	111
2177.	कारावली	उदयपुर	उदयपुर	43
2178.	कठार	उदयपुर	उदयपुर	22
2179.	खेमपुर	उदयपुर	उदयपुर	16
2180.	खेरोडा	उदयपुर	उदयपुर	60
2181.	खेरवाड़ा एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	156
2182.	खुंटा	उदयपुर	उदयपुर	2
2183.	कोलयारी	उदयपुर	उदयपुर	18

1	2	3	4	5
2184.	कोतरा एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	2
2185.	कुन	उदयपुर	उदयपुर	1
2186.	कुंनथवास	उदयपुर	उदयपुर	42
2187.	कुराबार	उदयपुर	उदयपुर	84
2188.	लाकरवास	उदयपुर	उदयपुर	75
2189.	मदार	उदयपुर	उदयपुर	51
2190.	मावली	उदयपुर	उदयपुर	32
2191.	मुंगना	उदयपुर	उदयपुर	46
2192.	नाय	उदयपुर	उदयपुर	36
2193.	नंदेशमा	उदयपुर	उदयपुर	136
2194.	नयागांव	उदयपुर	उदयपुर	186
2195.	पालना कलान	उदयपुर	उदयपुर	52
2196.	पलोदारा	उदयपुर	उदयपुर	33
2197.	परसाड	उदयपुर	उदयपुर	29
2198.	परसोला	उदयपुर	उदयपुर	35
2199.	फालसिया	उदयपुर	उदयपुर	7
2200.	रामा	उदयपुर	उदयपुर	26
2201.	रिखाबदेओ	उदयपुर	उदयपुर	85
2202.	रूंदेरा	उदयपुर	उदयपुर	114
2203.	साकरोदा	उदयपुर	उदयपुर	52
2204.	सलेदा	उदयपुर	उदयपुर	31
2205.	सलुंबर एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	218
2206.	सरोली	उदयपुर	उदयपुर	44
2207.	सेमाडन	उदयपुर	उदयपुर	122
2208.	सेमारी	उदयपुर	उदयपुर	81
2209.	सेरिया	उदयपुर	उदयपुर	57
2210.	थामला	उदयपुर	उदयपुर	46
2211.	टीडी	उदयपुर	उदयपुर	30

1	2	3	4	5
2212.	टोकर	उदयपुर	उदयपुर	27
2213.	यूपी अंबामाटा-आरएसयू	उदयपुर	उदयपुर	86
2214.	यूपी ई10बी मेन एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	834
2215.	यूपी ईडब्ल्यूसएसडी मेन	उदयपुर	उदयपुर	0
2216.	यूपी फतेह पुरा आरएसयू	उदयपुर	उदयपुर	31
2217.	यूपी केयूएम आरएलयू-1	उदयपुर	उदयपुर	0
2218.	यूपी केयूएम आरएसयू-1	उदयपुर	उदयपुर	577
2219.	यूपी मदरी आरएसयू-2	उदयपुर	उदयपुर	163
2220.	यूपी सुखेर आरएसयू-3	उदयपुर	उदयपुर	265
2221.	वल्लभनगर एसडीसीसी	उदयपुर	उदयपुर	123
2222.	वाना	उदयपुर	उदयपुर	149
2223.	वास	उदयपुर	उदयपुर	19
2224.	जावर	उदयपुर	उदयपुर	25
	जोड़			100877

परिणत अवकाश

6238. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों (अराजपत्रित) को, आर.एम.पी. डॉक्टर द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत कर परिणत छुट्टी प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव सरकार के पास कब से विचाराधीन है; और

(ग) इस मामले पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) इस बारे में दिनांक 15.06.2001 और 17.08.2001 के आदेश द्वारा अपेक्षित आदेश जारी कर दिए गए।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति

6239. डा. रमेश चंद तोमर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त/स्वीकृत/निजी अस्पतालों विशेषकर बत्रा हास्पिटल, नई दिल्ली में हृदय शल्य चिकित्सा और इलाज पर किए गए खर्च की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको स्वीकार्य धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

वाले क्षेत्रों में रहने वाले लेकिन सबसे निकट के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहर के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के रूप में पंजीकृत केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी संबंधित औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्व अनुमति को प्राप्त करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में हृदय ऑपरेशन तथा उपचार हेतु व्यय हुए चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति पाने के पात्र हैं।

यदि केन्द्रीय सरकार का कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के साथ पंजीकृत है, तो वह बतरा अस्पताल, नई दिल्ली सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार का पात्र है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों की सूची के साथ विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं/जांचों/परीक्षणों हेतु परिसीमित दरों को स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 15.3.2002 और 6.5.2002 को कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा हाल ही में संशोधित किया जा चुका है, जिसकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को पहले से ही परिचालित की जा चुकी हैं।

आयुर्वेदिक इलाज के लिए मेडिक्लेम बीमा

6240. श्री किरीट सोमैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिक्लेम के अन्तर्गत आयुर्वेदिक इलाज के अतिरिक्त एलोपैथिक एवं अन्य सभी प्रकार के इलाज शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें विभाग से नीति को स्पष्ट करने और यदि आवश्यकता हो, तो उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक इलाज को मेडिक्लेम बीमा के अन्तर्गत सम्मिलित करके आयुर्वेदिक इलाज को संरक्षा एवं समर्थन प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कं. लि., चेन्नई और द न्यू इंडिया एश्योरैंस कंपनी लि., मुंबई ने सूचित किया है कि मेडिक्लेम बीमा में किसी भी अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक कोई भी उपचार कवर होता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मेडिक्लेम नीति के अंतर्गत आयुर्वेदिक उपचार प्रतिपूर्ति हेतु पहले से ही पात्र है। मेडिक्लेम नीति में किसी पंजीकृत अर्हता प्राप्त चिकित्साभ्यासी के परामर्श पर रोगी अथवा जख्मी होने पर अस्पताल में भर्ती होने के व्यय शामिल हैं।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

6241. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक-तार विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के क्या मानदंड हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2001 के दौरान कितने कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई;

(ग) क्या उपर्युक्त वर्षों के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के सभी योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर उपयुक्त रोजगार प्रदान कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन आश्रितों को, जिनकी अभ्यर्थता विभाग प्रमुखों द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं, को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) डाक एवं दूरसंचार विभागों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए मार्गनिर्देशों में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है। उक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को नियुक्ति दी जाती है जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है या जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो जाता है और इस प्रकार अपने परिवार को आजीविका के किसी साधन के बिना गरीबी की स्थिति में छोड़ देता है। इसका उद्देश्य संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय संकट से उबारना तथा संकटकाल से उबरने में उसकी सहायता करना है। ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों में सीधी भर्ती के कोटे के तहत एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से अनुकंपा के आधार पर अधिकतम 5% पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) नोडल मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष में होने वाले रिक्त पदों के 5% तक सीमित रखा जाता है। नियुक्ति निर्धारित सीमा के भीतर रिक्त पद की उपलब्धता के अध्यधीन आवेदकों के बीच परस्पर उपयुक्तता और दरिद्रावस्था की स्थिति पर निर्भर करती है।

अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

6242. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विशेषकर देश के पूर्वी राज्यों में अन्तर्देशीय जलमार्गों सहित जलमार्गों के विकास की कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की ओर से उनके संबंधित राज्यों में विभिन्न जलमार्गों के विकास हेतु वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) देश के पूर्वी राज्यों में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करने की एक विशेष योजना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी का सरकार अर्न्देशीय नौचालन के लिए विकास कर रही है। पूर्वी राज्यों में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करने के लिए पश्चिम बंगाल में डी.वी.सी. नहर और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ब्राह्मणी नदी के साथ एकीकृत पूर्व तटीय नहर के तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं। इन जलमार्गों की घोषणा और तदनन्तर उनका विकास कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन का केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत विकास किए जाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से संबंधित राज्यों को अनुमोदित स्कीम की प्रतिपूर्ति के आधार पर ऋण के रूप में 50% लागत तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, गोवा, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के पास केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ अनुमोदित स्कीमें हैं जिनके तहत संलग्न विवरण में उल्लिखित चल रही संस्वीकृत स्कीमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की सूची - संस्वीकृत स्कीमें

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	स्कीम का नाम	संस्वीकृत लागत	केन्द्र का हिस्सा	2001-2002 तक जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	गंडक और कोसी नदी पर जलराशिक सर्वेक्षण	47.076	20.000	7.000
2.	उत्तर प्रदेश	घाघरा नदी पर जलराशिक सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन	56.000	28.000	22.570
3.	गोवा	मांडोवी, जुआरी और मुपुसा नदियों का कैपिटल निकर्षण	159.660	79.830	62.580

1	2	3	4	5	6
4	क. पश्चिम बंगाल	चुनिंदा स्थानों पर हुगली नदी पर 5 टर्मिनलों का निर्माण	225.000	112.500	106.900
	ख. पश्चिम बंगाल	हल्दिया, कछुबेरिया और लॉट 8 पर जेट्टियों का निर्माण	630.520	315.260	315.260
	ग. पश्चिम बंगाल	राइचक में जेट्टी का निर्माण	140.000	70.000	70.000
5	क. केरल	फेरी सेवाओं के लिए 55 जेट्टियों का आधुनिकीकरण	136.380	68.190	53.446
	ख. केरल	379 जेट्टियों का आधुनिकीकरण। समेकित परियोजना प्रस्ताव	614.570	307.290	266.000
	ग. केरल	कोट्टि से कोट्टापुरम तक जलमार्ग का आधुनिकीकरण और सुधार।	321.210	160.610	60.000
		जोड़			963.756

एड्स का टीका

6243. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एड्स रोधी टीका विकसित करने हेतु कोई परियोजना शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो टीके के परीक्षण में नैतिक एवं सामाजिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार टीके के विकास में भेषज कंपनियों से सहयोग मांग रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने भारत में उपयोग करने हेतु उपयुक्त एक एड्स वैक्सीन के विकास के लिए चल रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए इन्टरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार तथा इन्टरनैशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव के बीच करार वैक्सीन परीक्षणों तथा वैक्सीन के विकास में सहभागिताओं तथा पारदर्शिता हेतु प्रतिबद्धता पर आधारित है। अनुसंधानकर्ता भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए नैतिक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। एड्स वैक्सीन के अनुसंधान तथा विकास में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सलाहकार दल का गठन किया गया है जिसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, लिंग विशेषज्ञ, जानपदिक रोग विज्ञानी, अर्थशास्त्री, एच आई वी/एड्स से ग्रस्त लोगों के प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ, मीडिया तथा गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार वैक्सीन के विकास में भेषज कम्पनियों का सहयोग केवल तब लेगी जब किसी उम्मीदवार (वैक्सीन) को उसकी सुरक्षा और प्रभाविकता के लिए विकसित करके कड़ाई से उसकी जांच की जा चुकी होगी।

एचआईवी/एड्स से विश्वभर में होने वाली मौतें

6244. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एन-एड्स द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार दिसम्बर 1999 तक विश्वभर में एच.आई.वी./एड्स के कारण 16.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारत में मृत्यु के वर्ष-वार और राज्य-वार, कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार सूचित की गई मौतों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	53
2.	असम	–	1	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	अंडमान व निकोबार	–	7	2
5.	बिहार	5	7	1
6.	चंडीगढ़	–	13	29
7.	पंजाब	–	–	–
8.	दिल्ली	–	24	27
9.	दमन व दीव	–	–	–
10.	दादरा व नगर हवेली	2	–	–
11.	गोवा	–	3	15
12.	गुजरात	12	–	20
13.	हरियाणा	–	5	–
14.	हिमाचल प्रदेश	6	–	–
15.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–
16.	कर्नाटक	20	19	27
17.	केरल	13	–	–
18.	लक्षद्वीप	4	–	–
19.	मध्य प्रदेश	–	50	5
20.	महाराष्ट्र	80	77	176
21.	मणिपुर	2	17	50
22.	मिजोरम	–	7	–
23.	मेघालय	1	–	–
24.	नागालैण्ड	12	25	28
25.	उड़ीसा	–	–	–
26.	पांडिचेरी	71	–	–
27.	राजस्थान	–	–	–
28.	सिक्किम	1	–	–
29.	तमिलनाडु	–	119	249
30.	त्रिपुरा	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	4	15
32.	पश्चिम बंगाल	–	–	68
	कुल	229	378	765

भारतीय चिकित्सा परिषद् में भ्रष्टाचार

6245. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 29 मार्च, 2002 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा परिषद् में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या नए प्रशासक ने भारतीय चिकित्सा परिषद् में भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं उसके कार्यकरण में सुधार हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् के कार्यकरण में सुधार और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। प्रशासक ने सी.ए. संख्या 605-605-भारत सरकार बनाम डा. हरीश भल्ला और अन्य में एक आई ए दायर की है। इस आई ए में उठाए गए मुद्दों को इंडियन एक्सप्रेस में छपे समाचार में भी प्रतिबिम्बित किया गया है। इस मामले की सुनवाई भारत के उच्चतम न्यायालय में जुलाई, 2002 के तीसरे सप्ताह में होगी।

कर्नाटक के लिए हज कोटा

6246. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अम्बरीश:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य को आबंटित हज यात्री कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक केन्द्र सरकार से राज्य के लिए हज कोटा में वृद्धि करने का अनुरोध करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) हज 2002 के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित हजयात्री कोटे के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) हज सीमित (भारत) को कोटा बढ़ाये जाने के संबंध में कर्नाटक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

हज 2002 के दौरान राज्य-वार आबंटित कोटे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	कोटा
1	2	3
1.	दमन व दीव	40
2.	दादरा और नगर हवेली	40
3.	गोवा	60
4.	मध्य प्रदेश	2165
5.	महाराष्ट्र	5030
6.	गुजरात	2378
7.	कर्नाटक	3451
8.	आंध्र प्रदेश	3906
9.	अंडमान निकोबार	60
10.	पांडिचेरी	60
11.	तमिलनाडु	2013
12.	केरल	4476
13.	लक्षद्वीप	121
14.	असम	4270
15.	बिहार	8432
16.	मणिपुर	88
17.	उड़ीसा	381
18.	त्रिपुरा	130
19.	पश्चिम बंगाल	10600
20.	चंडीगढ़	60
21.	दिल्ली	587
22.	हरियाणा	504
23.	हिमाचल प्रदेश	50
24.	पंजाब	158
25.	राजस्थान	2325
26.	जम्मू-कश्मीर	2718
27.	उत्तर प्रदेश	15897
	सरकारी कोटा	2000
	कुल	72000

स्मारक टिकट

6247. श्री अम्बरीश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों द्वारा महान नेताओं/व्यक्तियों की स्मृति में स्मारक टिकट जारी करने संबंधी बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों का राज्य-वार, वर्ष वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से जिन महान नेताओं और व्यक्तियों पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उनका राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से जिन महान नेताओं/व्यक्तियों पर स्मारक डाट-टिकट जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनका राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य	जिस विभूति के नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ	की-गई-कार्रवाई
1	2	3	4
वर्ष-1999			
1.	महाराष्ट्र	1. साने गुरुजी	1. डाक टिकट 25-1-2001 को जारी किया गया।
		2. प्रबोधनकार ठाकरे	2. डाक-टिकट 2002 में जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
		3. दादासाहेब कन्नमवार	3. इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जीवनवृत्त का ब्यौरा नहीं भेजा गया था।
2.	हिमाचल प्रदेश	शहीद दुर्गामल थापा और दल बाहादुर थापा	प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया क्योंकि यह मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप नहीं था।
3.	तमिलनाडु	मुत्थु विजयरघुनाथ मुत्थुरामलिंग सेतुपति	इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जीवनवृत्त का ब्यौरा नहीं भेजा गया था।
4.	जम्मू और कश्मीर	ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह	डाक-टिकट 27-10-1999 को जारी किया गया।
5.	मध्य प्रदेश	सम्राट पृथ्वीराज चौहान	डाक-टिकट 31-12-2000 को जारी किया गया।
6.	गुजरात	बलवंतराय मेहता	डाक-टिकट 17-2-2000 को जारी किया गया।
वर्ष-2000			
1.	आंध्र प्रदेश	एन.टी. रामाराव	डाक-टिकट 28-5-2000 को जारी किया गया
2.	असम	गोपीनाथ बारदोलाई	डाक-टिकट 5-8-1991 को पहले ही जारी किया जा चुका है।
3.	राजस्थान	आचार्य जवाहरलाल जी महाराज	प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।

1	2	3	4
4.	पश्चिम बंगाल	डा. सुकुमार सेन	प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।
5.	तमिलनाडु	भारतीदासन	डाक-टिकट 9-10-2001 को जारी किया गया।
6.	महाराष्ट्र	1. विठलराव विखे पाटील	1. डाक-टिकट 2002 में जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
		2. अण्णा भाऊ साठे	2. डाक-टिकट 2002 में जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
7.	हिमाचल प्रदेश	सरदार सोभा सिंह	डाक-टिकट 29-11-2001 को जारी किया गया।
वर्ष 2001			
1.	आंध्र प्रदेश	1. डा. बी. विश्वनाथ	1. प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।
		2. सी.आर. रेड्डी	2. प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।
2.	पंजाब	1. भगत पूरण सिंह	1. प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।
		2. महाराणा रणजीत सिंह	डाक-टिकट 15-11-2001 को जारी किया गया।
3.	महाराष्ट्र	1. क्रांतिसिंह नाना पाटील	1. इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जीवनवृत्त का ब्यौरा नहीं भेजा गया था।
		2. संत तुकाराम	2. डाक-टिकट 2002 में जारी करने का अनुमोदन किया गया।
4.	गुजरात	प्रो. चंद्रवदन सी. मेहता	इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जीवनवृत्त का ब्यौरा नहीं भेजा गया था।
5.	हिमाचल प्रदेश	यशपाल शर्मा	डाक-टिकट वर्ष 2003 में जारी करने का अनुमोदन किया गया है।
6.	उड़ीसा	कुंतला कुमारी सबत	विशेष आवरण जारी करने का अनुमोदन किया गया।
7.	राजस्थान	महाराजा सूरजमल	प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।

डाक्टरों के लिए दिशानिर्देश

6248. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से डाक्टरों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं जिनमें डाक्टरों द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार शास्त्र) विनियम, 2002 दिनांक 6 अप्रैल, 2002 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों को विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के किसी मामले, जो इसके समक्ष लाया जा सकता है, के संबंध में जांच करने के बाद ऐसा दंड देने, जो आवश्यक समझा जाए, अथवा यहां तक कि किसी पंजीकृत व्यवसायी का नाम रजिस्टर से पूर्णतया अथवा एक निश्चित अवधि के लिए हटाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उन्हें अब तक नए विनियमों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

हाई-टेक सेन्सर्स

6249. श्री के. येरननायडू: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के उपग्रहों द्वारा कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना की गतिविधियों की नजदीक से निगरानी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार, किसी भी देश के उपग्रह विश्व के किसी भी भाग की प्रतिबिम्बकियां ले सकते हैं। उपग्रह प्रतिबिम्बकियों का उपयोग, सामरिक महत्व के उपयोगों तथा भूमि पर होने वाले कुछ परिवर्तनों की निगरानी सहित, विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, देश के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने उपयुक्त उपाय किए हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को क्रियान्वित न किया जाना

6250. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री अनंत गुढे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2001 में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और मानसिक रोगियों से संबंधित अन्य अधिनियमों के क्रियान्वयन से संबंधित कतिपय निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भी राज्य सरकार ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेशों का 29 जनवरी, 2002 तक अनुपालन करने का निर्देश दिया है और सभी संबंधित मुख्य स्वास्थ्य सचिवों को भी उस तारीख को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत होने को कहा गया था;

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र/राज्य सरकारों ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों द्वारा उपर्युक्त निदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.10.2001 के अपने आदेश में राज्य सरकारों और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के धारा-3 के अधीन गठित केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को अखिल भारतीय आधार पर इस दृष्टिकोण से एक सर्वेक्षण कराने का निदेश दिया है कि वे पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत मानसिक अरोग्यशालाओं की पहचान करें तथा ऐसे मानसिक अरोग्यशालाओं में मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में भी सर्वेक्षण करें और तीन महीनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। केन्द्रीय सरकार ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया और इसका शपथपत्र दाखिल कर दिया। फिर भी, 21.1.2002 और 29.1.2002 को जब मामले की सुनवाई हुई तब कुछ राज्य सरकारों ने माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन हेतु और अधिक समय दिए जाने की मांग की और तत्पश्चात् उन्हें समय दिया गया है।

पेरिस स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा हार्डवेयर की खरीद

6251. श्री रामजी मांझी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी 2002 (सिविल) की रिपोर्ट संख्या 2 के पैरा 9.1 में पेरिस स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा आवश्यक सोफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर की खरीद पर किए गए अपव्यय संबंधी तथ्य प्रकाशित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय जिसको मिशन ने 1997 में साफ्टवेयर की खरीद के बारे में सूचना दी थी, वर्ष 2000 तक कोई निर्णय नहीं ले पाया था;

(ग) क्या जुलाई 1997 में खरीदा गया हार्डवेयर पुराना पड़ गया और इस पर किया गया व्यय निष्फल हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। विदेश मंत्रालय एक समान साफ्टवेयर लगाने का कार्य कर रहा है, जो विदेश स्थित उन सभी मिशनों/केन्द्रों पर लागू होगा जहां कोंसली खण्डों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने उक्त साफ्टवेयर को बनाने के लिए मैसर्ज बिरलासोफ्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है।

(ग) पेरिस स्थित भारत के राजदूतावास में कम्प्यूटर हार्डवेयर का संरूपण ब्रसेल्स स्थित भारत ट्रेड सेन्टर के भूतपूर्व सलाहकार (कम्प्यूटर्स) द्वारा किया गया था और खरीदे गए हार्डवेयर को उपलब्ध साफ्टवेयर के साथ प्रयोग के लिए रखा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा प्रणाली की समीक्षा

6252. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा प्रणाली और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, नहीं। संगत नियमों में प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर, संवर्ग की समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। फिर भी, संघ लोक सेवा आयोग ने भी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की मौजूदा योजना की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उपर्युक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट संघ-लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

पदों को समाप्त करना

6253. श्री नागमणि: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवें वेतन आयोग की तीन लाख पदों को समाप्त करने की सिफारिश के अनुपालन में अब तक, श्रेणी-वार कितने पदों को समाप्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002 और 2003 के दौरान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ 3.50 लाख खाली पदों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस बारे में आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था और आवश्यकता पर आधारित भर्ती जारी रखी गई थी। लेकिन, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने अगस्त 1999 में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अनुदेश जारी करके अन्य बातों के साथ-साथ उनसे यह अनुरोध किया था कि वे जो पद खाली पड़े हैं, उन सभी पदों की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के साथ परामर्श करके समीक्षा करें। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया गया था कि जब तक समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुमोदन के बिना कोई भी खाली पद नहीं भरा जाएगा।

(ख) और (ग) वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ नई भर्ती को वार्षिक आधार पर कुल सिविल कर्मचारियों की संख्या के 1 प्रतिशत तक (प्रतिवर्ष होने वाली 3 प्रतिशत सेवा-निवृत्ति की एवज में) सीमित करने की घोषणा की थी ताकि पांच वर्षों में 10 प्रतिशत पदों को कम करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने तदनुसार एक वर्ष में होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों की भर्ती को एक-तिहाई तक सीमित करने के संबंध में 16 मई, 2001 को अनुदेश जारी किये थे जिसमें आगे यह भी एक सीमा रखी गई थी कि यह संख्या किसी मंत्रालय/विभाग की कुल स्वीकृत संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मंत्रालयों/विभागों को तदनुसार सलाह दी गई है कि वे वर्ष 2001-2002 से शुरू करके वार्षिक सीधी भर्ती योजनाएं तैयार करें।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर अभी तक 17,200 पद समाप्त कर दिए गए हैं/समाप्त करने हेतु चिन्हित कर लिये गये हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान समाप्त किये जाने वाले पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा एक जगह नहीं रखा गया है।

[अनुवाद]

दूध में एफ्लाटाक्सिन की मात्रा

6254. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किए गए एक अध्ययन से देश में दूध में एफ्लाटाक्सिन की मात्रा गैर-अनुमत्य स्तर पर पायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दूध में उपर्युक्त की मात्रा को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा पशुपालन और डेरी विभाग के डेरी प्रभाग के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वैसे, खाद्य अमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन दूध सहित सभी खाद्य पदार्थों में एफ्लाटाक्सिन की 0.03 मि.ग्रा./कि.ग्रा. की अधिकतम सह्य सीमा निर्धारित की गई है।

बाल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम

6255. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गरीब परिवार के पांच वर्ष तक के बच्चों में लोहा, फोलिक एसिड और जिंक की कमी है जिससे उनका पूरा विकास नहीं हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है; और

(घ) इस पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई और इसके लाभ कुपोषित बच्चों तक न पहुंचने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) लौह अल्पता के कारण रक्ताल्पता सबसे अधिक रूप से व्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व अल्पता रोग है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998-99) के अनुसार 6-35 महीने की आयु समूह के 74.3% बच्चों में भिन्न-भिन्न हद तक रक्ताल्पता पाई गई। इनमें मन्द रक्ताल्पता वाले 23% बच्चे, मध्यम रक्ताल्पता वाले 46% बच्चे और गम्भीर रक्ताल्पता वाले 5% बच्चे शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, अनपढ़ माताओं के बच्चों और ऐसे बच्चे जिनकी माताओं को गंभीर रक्ताल्पता थी, में रक्ताल्पता की व्याप्तता उच्च देखी गई। प्रमाणों से पता चलता है कि 1-5 वर्षों के आयु समूह के बच्चों में आर.बी.सी.-फोलेट स्तरों में 20% कमी थी। जनसंख्या में जिंक अल्पता की मात्रा का ठीक-ठीक पता नहीं लगाया गया है।

प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में रक्ताल्पता के निवारण और उपचार के लिए आयरन और फोलिक एसिड गोलियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बच्चों की पौषणिक स्थिति को सुधारने के लिए एकमात्र स्तनपान और उपयुक्त अनुपूरक आहार तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान ऊपरलिखित सेवाओं को मुहैया करने के लिए हुए खर्च सहित इन कार्यक्रमों पर व्यय नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

वर्ष	कार्यक्रम	किया गया व्यय (रुपए करोड़ में)
1997-98	सीएसएसएम $	296.50
	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य	148.50
1998-99	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य	542.02
1999-00	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य	688.55
2000-01	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य	820.73
2001-02	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य	945.68*

* आबंटित राशि

$ बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व

[हिन्दी]

अन्तर-हिमालय विकास प्राधिकरण की स्थापना

6256. श्री पदमसेन चौधरी:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमालय क्षेत्र के विकास के लिये एक अन्तर-हिमालय विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्र सरकार के पास अन्तर हिमालय विकास प्राधिकरण स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मुख्यालय का स्थानांतरण

6257. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मुख्यालय को कोच्चि से तिरुअनन्तपुरम स्थानांतरित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसा कोई भी अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्डों की ओर नाभिकीय विद्युत निगम की बकाया राशि

6258. श्री टी.एम. सेल्वागणपति:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड नाभिकीय विद्युत निगम से बिजली खरीदने में रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह ताप और जल विद्युत की तुलना में मंहगी है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को देश में उपलब्ध नाभिकीय विद्युत का इस्तेमाल करने हेतु कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार नाभिकीय विद्युत निगम को राज्य विद्युत बोर्डों से वसूली जाने वाली कुल बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नाभिकीय विद्युत की दरों को कम से कम ताप/जल विद्युत की दरों के समकक्ष लाने के लिए क्या उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वित्त-वर्ष 2001-2002 के दौरान, परमाणु बिजलीघरों ने करीबन 85% के क्षमता गुणक पर लगभग 19,200 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की। इस कुल विद्युत की खपत संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबीज) ने उन्हें किए गए आबंटन के हिसाब से कर ली, सिवाय कुछेक के जो अपने ही कारणों से अपना हिस्सा लेने के लिए सहमत नहीं हुए। ऐसे मामलों में, यह विद्युत अन्य जरूरतमंद राज्य विद्युत बोर्डों को अंतरित कर दी गई। जहां तक उत्पादन संबंधी शुल्क का प्रश्न है, यह पूंजीगत लागत या बातचीत के जरिए निर्धारित शुल्क-स्तर के आधार पर अलग-2 बिजलीघरों के मामले में अलग-2 होता है। सभी परमाणु बिजलीघरों से प्राप्त औसत शुल्क 2.39 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है जोकि उस शुल्क के काफी तुलनीय है जिस पर ताप बिजलीघरों द्वारा बिजली दी जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) 28.02.2002 की स्थिति के अनुसार न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की तरफ 3743 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिनमें 1565 करोड़ रुपए

का विलम्बित भुगतान प्रभार भी शमिल है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन परियोजनाओं की गैस्टेशन-अवधि को, डिजायनों का मानकीकरण करके, निर्माण की आधुनिक विधियां और बेहतर परियोजना प्रबन्धक तकनीकें अपनाकर कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठा रहा है। इसके अतिरिक्त, रिएक्टरों के यूनिट आकार को भी, परिचालन में मितव्ययता-मान हासिल करने के लिए उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाया जा रहा है।

विवरण

28.2.2002 की स्थिति अनुसार

(लाख रुपए)

राज्य	ऊर्जा	डीपीसी*	कुल
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (मध्य प्रदेश)	73920	64622	138542
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश)	15200	33480	48680
गुजरात विद्युत बोर्ड (गुजरात)	11596	4198	15794
जे एंड के (जम्मू एंड काश्मीर)	33383	12929	46312
एचवीपीएनएल (हरियाणा)	25156	12271	37427
दिल्ली विद्युत बोर्ड (दिल्ली)	10420	12271	22691
एपट्रांस्को (आंध्र प्रदेश)	8858	7621	16479
केपीटीसीआईएल (कर्नाटक)	9237	3759	12996
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (महाराष्ट्र)	1005	2342	3347
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (तमिलनाडु)	11113	1119	12232
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (हिमाचल प्रदेश)	1411	631	2042
आरआरवीपीएनएल (राजस्थान)	15514	126	15640
केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केरल)	119	660	779
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पंजाब)	836	433	1269
चंडीगढ़	35	6	41
पांडिचेरी	0	2	2
कुल	217803	156470	374273

* डीपीसी - विलम्बित भुगतान प्रभार।

[हिन्दी]

वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना के लिए दिल्ली को आवंटित धनराशि

6259. **श्री सुबोध राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली को वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या उक्त वार्षिक योजना में विद्युत क्षेत्र को मुख्य वरीयता दी गयी है;

(ग) क्या वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना के लिए पिछले वर्ष अर्थात् 2001-2002 की योजना की तुलना में आवंटन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है;

(घ) क्या गत वर्ष के दौरान वार्षिक योजना के आवंटित धनराशि का दिल्ली सरकार ने उपयोग किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वार्षिक योजना 2002-2003 के लिए परिव्यय के रूप में 4700 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दिल्ली सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2001-2002 के लिए अनुमोदित 3800 करोड़ रुपये के परिव्यय का पूर्ण रूप से खर्च कर लिए जाने की संभावना है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का प्रभाव

6260. **श्री राम प्रसाद सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू के दुष्प्रभाव के विषय में कोई विशेष अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य और पर्यावरण पर तम्बाकू से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) तम्बाकू उपभोग एक प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत में किए गए कुछ समुदाय-आधारित सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि तम्बाकू के उपयोग से प्रतिवर्ष आठ लाख मौतें होती हैं। तीन दशकों से अधिक समय के दौरान की गई वैज्ञानिक जांचों ने यह पुष्टि की है और यह प्रमाण सुलभ कराया है कि कार्डियोवास्कूलर रोगों, आघात, अवरोधक वायुमार्ग रोग, अन्तः गर्भाशय वृद्धि बाधा सहित गर्भावस्था जटिलताओं और मुख-विवर कंठ, ग्रासनली, मूत्रीय थैली, वृक्क, पेट, अग्न्याशय, गर्भाशय ग्रीवा और हाल ही का होमोटोपाइटिक प्रणाली के कैंसरों सहित कई प्रकार के अर्बुद के कारण सिगरेट/बीड़ी धूम्रपान हैं। अध्ययनों में निश्चित रूप से सुझाव दिया गया है कि सभी धूम्रकर्ताओं में से 50% धूम्रपान से मरते हैं और गैर-धूम्रपानकर्ताओं की अपेक्षा धूम्रपान करने वालों की औसत उत्तरजीविता 7.5 वर्ष कम होती है। धूम्रपानकर्ताओं के अतिरिक्त, उनके बच्चों में श्वसन और मध्य कान संक्रमण बार-बार होते हैं और उनमें क्षतिग्रस्त लंग फंक्शन का जोखम होता है जिससे दमे की घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार जानपदिक रोग विज्ञान अध्ययनों ने भी निष्क्रिय धूम्रपान से होने वाले कारोनरी हृदय रोगों के बढ़े हुए जोखिम को सिद्ध किया है।

(ग) तम्बाकू उत्पादों को हतोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एक विधेयक नामतः "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2001" राज्य सभा में 7 मार्च, 2001 को प्रस्तुत किया। तम्बाकू उपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से गहन सूचना शिक्षा संचार अभियान भी शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में विश्राम क्षेत्र

6261. **श्री दिनशा पटेल:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोले गए/प्रस्तावित विश्राम क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): गुजरात से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय कोई विश्राम क्षेत्र नहीं खोला गया है। तथापि, अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रैस मार्ग के 23-24 कि.मी. और 78-79 कि.मी. में विश्राम क्षेत्रों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति

6262. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के औषधालयों विशेषत: पश्चिमोत्तर दिल्ली के औषधालयों से दवाएं लेने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी अत्यन्त कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति करने वाले दवा विक्रेताओं द्वारा हड़ताल के कारण उन्हें दवाएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दवा विक्रेताओं द्वारा दवाओं की आपूर्ति को रोकने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा औषधालयों की सामान्य आपूर्ति को बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है जिससे लाभार्थियों को और कठिनाई से बचाया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट 1.4.2002 से 12.4.2002 के दौरान हड़ताल पर थे। हड़ताल दिल्ली तक ही सीमित थी। केमिस्ट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को पेश किए गए उनके बिलों के 10 प्रतिशत को रोक लिए जाने का विरोध कर रहे थे। केमिस्टों द्वारा बिक्री कर लगाने से संबंधित मामले को देखते हुए इस राशि पर रोक लगाई जा रही है। ये मामले अब नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजे गए हैं।

हड़ताल की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को किसी कठिनाई से बचाने के लिए उन्हें खुले बाजार से औषधियों की खरीद करने तथा सेवारत कर्मचारियों की स्थिति में संबंधित कार्यालयों से और पेंशनर लाभार्थियों की स्थिति में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

[हिन्दी]

लघु उद्योग की इकाइयों में बढ़ोतरी

6263. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1998-99 से वर्ष 2001-2002 तक देश में लघु उद्योग की इकाइयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों की संख्या में किस सीमा तक बढ़ोतरी हुई है;

(ग) क्या इनमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो बढ़े हुए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार ने अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) वित्त वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक देश में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि क्रमश: 3.84 लाख और 20.65 लाख अनुमानित है।

(ङ) और (च) हालांकि, लघु उद्योगों का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार इन उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों के प्रयासों में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, एकीकृत आधारित संरचना विकास, परामर्श सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सेवा सुविधाएं, उद्यमिता विकास इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सहायता कर रही है। यह योजनाएं अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले उद्योगों

सहित सम्पूर्ण लघु उद्योग क्षेत्र पर लागू होती हैं। लघु उद्योगों के संवर्द्धन और विकास के लिए और घरेलू वैश्विक दोनों स्तरों पर इसकी प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई। नीति पैकेज में बढ़ी हुई राजस्व और ऋण सहायता, अपेक्षाकृत उत्तम आधारिक संरचना और विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी विकास हेतु इन्सैन्टिव शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 और 12 पर पुल और पुलिया

6264. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जबलपुर और कटनी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 और 12 पर उन पुलों की संख्या कितनी है जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) क्या इनकी मरम्मत, इन्हें मजबूत बनाने और इन्हें चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जबलपुर और कटनी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 और 12 पर पुलों और पुलियों की जीवन अवधि समाप्त नहीं हुई है और इसलिए उनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीधी एक्सचेंज लाइनें

6265. डा. डी.वी.जी. शंकर राव:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कितनी सीधी एक्सचेंज लाइनें स्थापित की गयी;

(ख) क्या वर्ष 2002-2003 में सरकार का विचार अतिरिक्त सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित सीधी एक्सचेंज लाइनों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31 मार्च, 2002 तक भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लि. ने क्रमशः 33,4,32,874 तथा 47,43,575 सीधी एक्सचेंज लाइनें संस्थापित की थी।

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 2002-2003 में विभिन्न राज्यों में संस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित सीधी एक्सचेंज लाइनों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रस्तावित वृद्धि का सर्किल-वार ब्यौरा (2002-2003)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	सीधी एक्सचेंज लाइनों की प्रस्तावित वृद्धि
1	2	3
1.	अंडमान-निकोबार	4000
2.	आंध्र प्रदेश	478,000
3.	असम	80,000
4.	बिहार	253,800
5.	छत्तीसगढ़	41,500
6.	गुजरात	586,000
7.	हरियाणा	231,000
8.	हिमाचल प्रदेश	96,500
9.	जम्मू कश्मीर	48,000
10.	झारखण्ड	100,200
11.	कर्नाटक	414,000
12.	केरल	930,000
13.	मध्य प्रदेश	167,500

1	2	3
14.	महाराष्ट्र	626,000
15.	पूर्वोत्तर-1	21,500
16.	पूर्वोत्तर-2	15,000
17.	उड़ीसा	160,000
18.	पंजाब	456,000
19.	राजस्थान	301,000
20.	तमिलनाडु	322,000
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	297,000
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	240,500
23.	उत्तरांचल	60,500
24.	पश्चिम बंगाल	266,000
25.	चेन्नई	146,000
26.	कोलकाता	92,000
	बीएसएनएल जोड़	6,434,000
27.	दिल्ली	268200
28.	मुम्बई	280800
	एमटीएनएल जोड़	549000

[हिन्दी]

रोबॉट द्वारा शल्यक्रिया

6266. डा. अशोक पटेल:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रोबॉट से शल्य-चिकित्सा के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग

6267. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के बड़े बाजार के रूप में कौन से देश हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बाजार का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) ऐसे देशों की सूची जो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के बड़े बाजार हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों को किए गए सॉफ्टवेयर निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1998-2002 के दौरान वर्षवार अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रु.)

1998-99	—	12,500
1999-2000	—	17,300
2000-2001	—	28,350
2001-2002	—	36,500 (अनुमानित)

विवरण

भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात के शीर्ष गंतव्य देश

(मूल्य करोड़ रु. में)

क्र. सं.	देश	2000-2001 में निर्यात	1999-2000 में निर्यात	1998-1999 में निर्यात
1.	संयुक्त राज्य अमरीका	16686.61	11258.11	7000.00
2.	ग्रेट ब्रिटेन	3744.24	2350.95	1800.00
3.	जर्मनी	1080.86	687.66	420.00
4.	सिंगापुर	1004.70	235.68	200.00
5.	अन्य	5833.59	2767.60	3080.00

[हिन्दी]

लघु उद्योग को वित्तीय सहायता

6268. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात राज्य के लघु उद्योगों की संख्या क्या है जिन्हें उक्त लाभ दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार ने लघु उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें वार्षिक प्रौजेक्टिड कुल बिक्री के न्यूनतम 20% के आधार पर गणना की जाने वाली कार्यशील पूंजी सीमा को 4 करोड़ रु. से बढ़ा कर 5 करोड़ रु. करना, संयुक्त ऋण सीमा को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 25 लाख रु. करना, राष्ट्रीय इक्विटी फण्ड स्कीम के तहत परियोजना लागत सीमा को 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. करना, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत पात्र ऋण सीमा को 10 लाख रु. से 25 लाख रु. करना इत्यादि शामिल हैं।

(ग) यूनिट की जीवनक्षमता के आधार पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा देश में गुजरात राज्य सहित लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट

6269. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी/पेंशनभोगियों के लिए अपना वेबसाइट खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस वेबसाइट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस वेबसाइट से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक वेबसाइट अर्थात् डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एमओएचएफडब्ल्यू.एनआईसी.इन है। जिसमें विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं/जांचों/अन्वेषणों के लिए दरों के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों की सूची सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संबंधी सूचना शामिल है।

मधुमेह का उन्मूलन

6270. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 अप्रैल, 2002 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिन शुरू किए गए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मधुमेह से लड़ने के लिए लोगों को शिक्षित करने हेतु क्या विशेष उपाय किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कोई नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) देश में मधुमेह रोगियों की अनुमानित संख्या 25 मिलियन है। ऐसे जानपदिक रोग विज्ञानीय प्रमाण हैं जो यह दर्शाते हैं कि विशेषतः देश के शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्यापकता में वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार, 2025 तक भारत में 57 मिलियन मधुमेह के रोगी होंगे और तब भारत जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, वयोवृद्ध जनसंख्या और जीवनशैली परिवर्तनों के कारण ऐसा देश बन सकता है जिसमें मधुमेह के रोगियों की संख्या अधिकतम होगी।

(ङ) राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को स्थानान्तरित कर दिया गया है। मधुमेह नियन्त्रण कार्यक्रम के माध्यम से मधुमेह मेलिटन की सम्भावित महामारी पर काबू पाने के लिए एक संशोधित व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने विशेषज्ञ दल की एक बैठक बुलाई। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पर जोर दिया जायेगा:-

(i) *प्राथमिक निवारण कार्यकलाप:* सूचना, शिक्षा, संचार कार्यकलाप और जन-जागरूकता अभियान, जिनमें स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधियों जैसे उपायों पर जोर दिया जायेगा।

(ii) *द्वितीयक निवारण:* मधुमेह परिचर्या पर कम लागत वाले प्रबन्धन दिशा-निर्देश विकसित करना।

उत्तर प्रदेश में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

6271. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विस्तार किए गए और आधुनिक संचार सुविधा उपलब्ध कराए गए दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विस्तारित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या का वर्ष-वार तथा जिल-वार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ii) वर्ष 1999-2000 में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट सुविधा प्रदान कर दी गई है। इंटलीजेंट नेटवर्क (आईएन) तथा इंटीग्रेटेड सर्विसेज़ डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) सुविधाएं प्रदान करने संबंधी वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-II और III के रूप में संलग्न है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विस्तारित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	विस्तारित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	8	31	15
2.	कौशाम्बी	2	0	3
3.	आजमगढ़	16	41	33
4.	बहराइच	5	12	14
5.	बलिया	6	15	8
6.	बांदा	22	7	2
7.	चित्रकूट	2	5	0
8.	बाराबंकी	14	14	10
9.	बस्ती	13	14	8
10.	सिद्धार्थनगर	2	4	2
11.	संत कबीर नगर	0	7	2
12.	देवरिया	5	8	20
13.	कुशीनगर	10	4	3
14.	इटावा	8	6	4
15.	औरैया	1	4	1
16.	फैजाबाद	15	12	8
17.	अम्बेडकर नगर	4	6	2
18.	फर्रूखाबाद	27	6	17
19.	कन्नौज	3	14	5
20.	फतेहपुर	9	18	5
21.	गाज़ीपुर	12	6	3
22.	गोंडा	8	11	12
23.	बलरामपुर	0	7	3

1	2	3	4	5
24.	गोरखपुर	6	29	15
25.	महाराजगंज	2	9	3
26.	हमीरपुर	14	8	3
27.	महोबा	0	4	1
28.	हरदोई	15	12	2
29.	जौनपुर	18	26	25
30.	झांसी	6	8	6
31.	ललितपुर	2	2	2
32.	कानपुर	25	21	24
33.	कानपुर देहात	0	4	8
34.	लखीमपुर	32	34	18
35.	लखनऊ	11	22	20
36.	मैनपुरी	14	5	8
37.	मऊ	14	27	8
38.	मिर्जापुर	29	19	29
39.	सोनभद्र	24	7	7
40.	जालौन (उरई)	7	17	6
41.	प्रतापगढ़	12	20	20
42.	रायबरेली	10	14	10
43.	शाहजहांपुर	14	16	14
44.	सीतापुर	7	17	12
45.	सुल्तानपुर	31	30	17
46.	उन्नाव	22	26	9
47.	वाराणसी	23	14	28
48.	भदोही	4	14	6
49.	चंदौली	1	10	7
50.	श्रावस्ती	0	4	6
51.	आगरा	9	7	8

1	2	3	4	5
52.	फिरोज़ाबाद	2	2	2
53.	अलीगढ़	7	10	13
54.	हाथरस	4	6	2
55.	बरेली	3	6	16
56.	बदायूं	2	5	7
57.	बिजनौर	22	24	32
58.	बुलंदशहर	2	4	7
59.	एटा	3	10	8
60.	गाजियाबाद	22	29	36
61.	मेरठ	21	21	19
62.	बागपत	14	8	5
63.	मथुरा	5	5	4
64.	मुरादाबाद	21	19	19
65.	जे.पी. नगर	9	10	8
66.	मुंजफ्फरनगर	8	4	3
67.	जी.बी. नगर	11	9	13
68.	पीलीभीत	4	9	7
69.	रामपुर	10	16	7
70.	सहारनपुर	11	14	15
	जोड़	725	889	725

विवरण-II

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में इंनटरनेट सुविधा प्रदान की गई

वर्ष 1999-2000 के दौरान	वर्ष 2000-2001 के दौरान	वर्ष 2001-2002 के दौरान
1	2	3
कानपुर	उन्नाव	वाराणासी
आगरा	बाराबंकी	गोरखपुर
गाजियाबाद	इलाहाबाद	झांसी
मेरठ	इटावा	फैजाबाद
जी.बी. नगर	बरेली	मिर्जापुर
		बस्ती
		प्रतापगढ़
		उरई

1	2	3
		आजमगढ़
		रायबरेली
		जौनपुर
		बांदा
		हमीरपुर
		फतेहपुर
		गाजीपुर
		देवरिया
		फर्रूखाबाद
		हरदोई
		मऊ
		मैनपुरी
		शाहजहांपुर
		मुरादाबाद
		मुजफ्फरनगर

विवरण-III

उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में आई एस डी एन सुविधा प्रदान की गई

वर्ष 1999-2000 के दौरान	वर्ष 2000-2001 के दौरान	वर्ष 2001-2002 के दौरान
1	2	3
बस्ती	फिरोज़ाबाद	आजमगढ़
खलियाबाद	मथुरा	दिबियापुर (इटावा)
फर्रूखाबाद		सुल्तानपुर
आगरा		हरदोई
अलीगढ़		देवरिया
बरेली		रायबरेली

1	2	3
बदायूं		लखीमपुर
बिजनौर		शाहजहांपुर
बुलन्दशहर		बहराइच
एटा		गोंडा
गाजियाबाद		मऊ
मेरठ		प्रतापगढ़
बागपत		मिर्जापुर
मुरादाबाद		राबर्टगंज (सोनभद्र)
जे.पी. नगर		चंदौली
मुजफ्फरनगर		उरई
जी.बी. नगर		पिलीभीत
रामपुर		
सहारनपुर		

[हिन्दी]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

6272. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान आधुनिकीकरण के मद्देनजर कम्प्यूटरीकरण किए जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान कम्प्यूटरीकृत किए जाने वाले डाकघरों की संख्या वर्ष के लिए आवंटित निधि पर निर्भर करेगी, जो कि अभी प्राप्त होनी है।

नए डाक और तार घर और दूरभाष केन्द्र खोलना

6273. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाक और तार घर तथा दूरभाष केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समूचे देश में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार तथा एस टी डी और फैक्स सुविधाओं के साथ नई टेक्नालॉजी की शुरूआत होने से तार की मांग में व्यापक कमी आई है। इसलिए 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश के दूरदराज के तथा ग्रामीण इलाकों में नए तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश के दूरदराज के तथा ग्रामीण इलाकों में एसटीडी सुविधाओं के साथ नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 2002-2003 के दौरान जिन नए टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेजों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	स्थान
1	2	3
1.	बेतुल	कल्याणपुर
2.	बेतुल	खोमारी (ढ़ाबा)
3.	बेतुल	मदाई बुजुंग
4.	बेतुल	मेहतपुर
5.	बेतुल	पोनी (बिहार गांव)
6.	बेतुल	सोनोरा
7.	छतरपुर	बजना
8.	छतरपुर	बमहोरी
9.	छतरपुर	रंगवान
10.	छतरपुर	पहरा
11.	गुना	घाट बमोरिया
12.	माण्डला	डितोरी
13.	माण्डला	ककैया
14.	माण्डला	लिमारुआ
15.	मंदसौर	अजयपुर
16.	नरसिंहपुर	भोरझर
17.	पन्ना	पहाड़ी खुदा
18.	रतलाम	अश्वति
19.	रतलाम	खजुरीदेवडा
20.	रतलाम	लोड
21.	रतलाम	सेखेडी
22.	रीवा	सोनौरी
23.	सागर	बलेह
24.	सागर	बिजोरा
25.	सागर	झिला
26.	सागर	लुहारी
27.	सतना	बधौरा
28.	सतना	बरौंदा
29.	सतना	भुंखार
30.	सतना	चण्डो
31.	सतना	छिबोरा
32.	सतना	चुराहाटा
33.	सतना	गोराइया
34.	सतना	करसारा
35.	सतना	करीगोही
36.	सतना	कारमऊ

1	2	3
37.	सतना	लगरगावन
38.	सतना	नाकैला
39.	सतना	रौद
40.	सतना	सुरवाह
41.	सतना	उसरार
42.	सिओनी	भीमगढ़
43.	सिओनी	सलुआ (झिंझरी)
44.	शहडोल	बरदवा
45.	शहडोल	पापुण्ड
46.	शिवपुरी	करारखुडा
47.	सिधी	गुडुआ
48.	सिधी	खुतार
49.	सिधी	मादा
50.	सिधी	मवई (दधिया)
51.	सिधी	पडरैया
52.	सिधी	पटपाड़ा (कमारजी)
53	टीकमगढ़	बुधेरा
54.	टीकमगढ़	डेरी
55.	टीकमगढ़	जिवार
56.	टीकमगढ़	सेंद्री
57.	टीकमगढ़	वर्माडोंग
58.	विदिशा	इन्दरवास

माफ किए गए टेलीफोन बिल

6274. डा. बलिराम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रत्येक ज़ोनल महाप्रबंधक के अन्तर्गत 1.11.98 से 31.3.2002 के बीच जिनके टेलीफोन बिल माफ किए गए हैं उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि माफ की गयी;

(ग) बिल राशि को माफ करने का आधार क्या है; और

(घ) भविष्य के बिलों को माफ किए जाने की प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दिल्ली में 13,000 से अधिक, और मुम्बई में 18,000 से अधिक चूककर्त्ता हैं जहां बकाया राशियों को बट्टे खाते डाल दिया गया है। मामलावार ब्यौरा तत्काल प्रस्तुत करना संभव नहीं है। 1-11-1998 से 31-3-2002 की अवधि के दौरान कुल मामलों की संख्या और बट्टे खाते डाले गए बिलों की राशि इस प्रकार है:-

	दिल्ली	मुम्बई
मामलों की संख्या	13818	18137
राशि	66.58 लाख रु.	1,97,48 लाख रु.

(ग) किसी व्यापार संगठन में कुछ चूककर्ता ऐसे होते हैं जो बिलों का भुगतान नहीं करते। जिन मामलों में चूककर्ताओं का पता नहीं चलता, टेलीफोन/सहबद्ध टेलीफोन काटने, राजस्व प्राधिकारियों, पुलिस प्राधिकारियों को मामले भेजने और यहां तक बकाया राशियां वसूल करने के लिए क्षेत्रीय स्टाफ को नियुक्त करने के बाद भी संदेय राशि वसूल नहीं होती ऐसे मामलों में संदेय राशि को बट्टे खाते डालने हेतु उन्हें उच्च स्तरीय समिति अथवा परिनिर्धारण बोर्ड को भेजा जाता है।

(घ) चूककर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं और अंतिम विकल्प के रूप से राशि को बट्टे खाते डाला जाता है। इसके अलावा, दो बिलिंग चक्रों के बाद टेलीफोन काटने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है ताकि बकाया राशि में वृद्धि न हो। जिन मामलों में अधिक राशि शामिल होती है और न्यायालय में मामला दायर करने के लिए जिनका समय समाप्त नहीं हुआ हो, उनके संबंध में न्यायालय में भी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

6275. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को शुरू किए जाने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ विकासशील देश अपने देशों में जनसंख्या नियंत्रण में सफल हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में इन देशों के उपायों को अपनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) यह कहना अनुचित है कि बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए नीतियां और कार्यक्रम अप्रभावी रहे हैं। देश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1951 में 13.31% से 1961 में 21.64% तक बढ़ी और 1971 में यह 24.80% के अब तक के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई। 1971 के पश्चात्, जनसंख्या की औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर ने निम्न प्रकार से गिरना शुरू कर दिया:-

1981	-	24.66%
1991	-	23.86%
2001	-	21.34%

संपूर्ण राष्ट्र हेतु "राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम" के अन्तर्गत उपलब्धियां काफी अधिक रही हैं। कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों यथा गोवा, नागालैण्ड, दिल्ली, केरल, पाण्डिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, चण्डीगढ़ और मिजोरम ने प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर (कुल प्रजनन दर 2.1) को प्राप्त कर लिया है। अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश यथा मणिपुर, दमण और दीप, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप 2.1 के कुल प्रजनन दर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब हैं। वैसे कुछ, राज्यों, द्वारा, मुख्यत: सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की धीमी उपलब्धि के कारण, पिछड़े रहना जारी है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए, और कुछ विकासशील देशों यथा श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया द्वारा प्राप्त की गई संबंधित उपलब्धियों और 1994 में काहिरा में सम्पन्न हुए प्रोग्राम आफ एक्शन आफ इंटरनेशनल कान्फ्रेंस ऑन पापुलेशन एंड डवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कतिपय सामाजिक जनांकिकीय लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया गया है। ये इस प्रकार हैं:-

1. बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना।
2. स्कूल शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।
3. शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।
4. मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।
5. सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।
6. लड़कियों के विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं, और बेहतर रूप से 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा देना।
7. 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।
8. सूचना/परामर्श की व्यापक सुलभता प्राप्त करना और ढेर सारे विकल्पों के साथ प्रजनन विनियमन और गर्भनिरोधन के लिए सेवाएं प्रदान करना।
9. जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।
10. एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और जनन-मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
11. संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण।
12. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने और इन्हें परिवारों तक पहुंचाने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करना।

13. कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।

14. संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सके।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 को अपनाने के पश्चात् उठाए गए प्रभावी कदम निम्नलिखित हैं:

* राज्य सरकारों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की सामान्य भावना बनाए रखते हुए राज्य की विशिष्ट नीतियों के साथ राज्य जनसंख्या नीति बनाने की सलाह दी गई है तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन हेतु उसकी समीक्षा, अनुवीक्षण और दिशा-निर्देशन करने के लिए अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य जनसंख्या आयोग बनाने की भी सलाह दी गई है।

* राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जमीनी वास्तविकताओं और उनकी क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं (क्षेत्रवार/जिलावार) पर विचार करते हुए ठोस तथा विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।

* औसत से सामान्यत: कम सामाजिक-जनांकिकीय सूचकांकों वाले राज्यों में निष्पादन के संवर्धन और गति देने के लिए पिछड़ रहे राज्यों पर विशेष जोर देने के साथ क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक समर्थ कार्य समूह का गठन किगया है। परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में सहायता करने के लिए आठ राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखण्ड हेतु एक विस्तृत डेटाबेस संकलित किया गया है।

* भारत सरकार ने 11 मई, 2000 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की उपाध्यक्षता के अधीन एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य कार्य नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा, अनुवीक्षण और दिशा-निर्देश देना है।

[हिन्दी]

मास्को दूतावास को धमकी भरे पत्र

6276. श्री तूफानी सरोज:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मास्को में भारतीय दूतावास को कोई धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीयों को रूस छोड़ने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को रूस की सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। भारतीय दूतावास मास्को को 8 अप्रैल, 2002 को एक व्यक्ति, जिसका दावा था कि वह रूस के स्किनहेड समूह का अध्यक्ष है, से ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें विदेशी राष्ट्रिकों और राजनयिकों से तत्काल रूस से चले जाने अथवा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गयी थी।

(ग) से (घ) जी हां। सरकार ने रूसी विदेश मंत्रालय और भारत में रूसी परिसंघ के दूतावास के साथ मामले को उठाया है तथा रूसी परिसंघ में युवा नव-फासिस्ट तत्वों (स्किनहेड) से भारतीय राष्ट्रिकों को उत्तरोतर हो रहे खतरों पर अपनी चिंता संप्रेषित की है। रूसी सरकार ने इस मामले में सहायता का आश्वासन दिया है और कहा है कि इस दिशा में अन्य समुचित उपाय किये जाएंगे। सरकार विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों के कल्याण पर निरन्तर नजर रखती है।

[अनुवाद]

बेंगलूर में संजय गांधी अस्पताल

6277. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि संजय गांधी दुर्घटना (आपातकालीन) अस्पताल, बेंगलूर में उपचार और प्रशासन की स्थिति बहुत खराब है और सी-आर्म्स, आर्थोस्कोपी जैसे आवश्यक यंत्र इस समय अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पताल के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्यीय विषय है, इसलिए लोगों की आवश्यकता के अनुसार अपने अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगरों/शहरों के राजकीय अस्पतालों की आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव हुआ है जिसमें संजय गांधी आपात अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

खादी का उत्पादन और मांग

6278. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खादी का उत्पादन और मांग कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इसके निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या खादी उत्पादकों को कोई राजसहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) 31.3.2001 की स्थिति अनुसार खादी उद्योग की उत्पादन क्षमता और मांग निम्नोक्त है:-

	अनुमानित उत्पादन क्षमता	वास्तविक रिपोर्ट
क्लाथ-मात्रा (मिलियन स्क्वेयर मीटर)	74.10	75.39
मूल्य (करोड़ रुपये में)	459.38	465.17

(ख) वर्ष 2000-2001 में खादी की मांग 570.55 करोड़ रु. की आंकलित की गई है। के.वी.आई. उत्पादों के निर्यात संवर्धन सहित देश में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास और सम्वर्धन हेतु सरकार ने 14.5.2001 को खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं हैं, पांच वर्ष के लिए छूट नीति, छूट तथा मार्किट विकास सहायता (एम.डी.ए.) में विकल्प, खादी कारीगरों का बीमा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, मार्किटिंग संवर्धन, ब्रांड बिल्डिंग, क्लटर विकास इत्यादि।

(ग) खादी उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. में अनियमितताएं

6279. श्री शिवाजी माने: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. में अनेक अनियमितताओं का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने अधिकारी लिप्त पाए गए;

(ग) सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इनमें से कितने अधिकारी अब भी सरकारी सेवा में हैं और इन अनियमितताओं में उनके संलिप्त होने के बावजूद उनके सेवा में बने रहने का क्या औचित्य है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नदी की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा

6280. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के बाद इसे नौवहन योग्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने माल की ढुलाई की गई; और

(घ) बांग्लादेश होते हुए बारक नदी की अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाएं विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) ब्रह्मपुत्र नदी के धुबरी-सदिया खंड की राष्ट्रीय जलमार्ग सं. के रूप में घोषणा के बाद बंडालिंग, चैनल मार्किंग आदि सहित नदीं संरक्षण की वार्षिक स्कीमें नौचालन योग्य चैनल बनाए रखने की दृष्टि से वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर कार्यान्वित की गई हैं। अन्तर्देशीय जल परिवहन के जलयानों के लिए पायलटिज सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। निकर्षण कार्य करने के लिए एक हाइड्रोलिक सर्फेस ड्रेजर का निर्माण किया गया है।

(ख) 9वीं योजना के दौरान भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर कुल 25.66 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी। वर्षवार किया गया खर्च इस प्रकार है:-

(करोड़ रु.)

1997-98	2.59
1998-99	5.83
1999-2000	3.22
2000-2001	5.26
2001-2002	8.76 (अनन्तिम)
जोड़	25.66

(ग) नवीं योजना (1997-2002) के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में सरकारी क्षेत्र द्वारा ढोए गए माल की कुल मात्रा लगभग 1.50 लाख टन थी।

(घ) बराक नदी राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। तथापि, बराक नदी के करीमगंज-लखीपुर खंड के विकास के तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किया जाता है। बराक नदी के इस खंड की घोषणा और बाद का विकास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। बराक नदी बंगलादेश के जलमार्गों के जरिए हल्दिया पत्तन के साथ जुड़ी हुई है जिसके लिए भारत और बंगलादेश के बीच अन्तर्देशीय जलपारगमन और व्यापार प्रोटोकाल मौजूद है।

आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. संवर्ग के अधिकारी

6281. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. संवर्ग के अधिकारियों को उनके राज्यों में न भेजने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों ने इस संबंध में क्या कारण दिए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल की राज्य सरकार ने अगले दो वर्ष तक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को राज्य में आबंटित नहीं किए जाने का अनुरोध किया है, क्योंकि उपर्युक्त राज्य सरकार विकट वित्तीय संकट से जूझ रही है। हरियाणा राज्य सरकार ने सीधी भर्ती के कोटे का अधिक उपयोग कर लिए जाने के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा-2000 के, 2001 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लेना अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष में अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्ग के पदों की संख्या 15% कम करने की दृष्टि से, सिविल सेवा परीक्षा, 2001 से, भारतीय पुलिस सेवा का कोई भी अधिकारी आबंटित नहीं किए जाने का अनुरोध किया है। सिक्किम राज्य सरकार ने भी सीधी भर्ती का अपना प्राधिकृत कोटा पहले से ही पूरा हो जाने के कारण, सिविल सेवा परीक्षा 2001 से, भारतीय पुलिस सेवा का कोई भी अधिकारी आबंटित नहीं किए जाने का अनुरोध किया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने भी अगले दो वर्ष तक भारतीय वन सेवा का कोई अधिकारी आबंटित नहीं किए जाने का अनुरोध किया है, क्योंकि मणिपुर-त्रिपुरा के संयुक्त संवर्ग के त्रिपुरा भाग में मई, 2005 तक सीधी भर्ती के कोटे में कोई भी रिक्ति उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

6282. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002-2003 के दौरान महाराष्ट्र में मौजूदा दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक संचार सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल (बीएसएनएल) में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता संबंधी राजस्व जिला-वार नियोजित विस्तार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम (लिमिटेड जिसमें थाणे और नवी मुम्बई राजस्व जिले शामिल हैं) ने आधुनिक संचार सुविधा प्रदान करने के लिए 3,00,000 लाइनों द्वारा मुम्बई में नये प्रौद्योगिकी एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने और साथ ही 110 डिजिटल लाइन कन्सेन्ट्रेटर (डीएलसी) प्रदान करके 50,000 लाइनों द्वारा ग्रुप स्पेशल मोबाइल (जीएसएम) का विस्तार, करने, वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएफ) का विस्तार करने और 50,000 लाइनों से स्विच क्षमता (सीडीएमए प्रौद्योगिकी) का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के लिए महाराष्ट्र सर्किल में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का राजस्व जिला-वार प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित लाइनों की क्षमता
1	2	3
1.	अहमदनगर	28000
2.	अकोला	3988
3.	वाशिम	2430
4.	अमरावती	4150
5	औरंगाबाद	16808
6.	बीड	2430
7.	भंडारा	2900
8.	गोंदिया	930
9.	बुल्धाना	964
10.	चन्द्रपुर	5714
11.	धुले	2360
12.	नंदूबार	1500
13.	गडचिरौली	1152
14.	जलगांव	10018
15.	जालना	1360
16.	कल्याण	51584
17.	कोल्हापुर	31008
18.	लातूर	8140
19.	नागपुर	17214
20.	नांदेड	9420
21.	नासिक	21124
22.	ओस्मानाबाद	4570
23.	परभनी	4500
24.	हिंगोली	2210
25.	पूणे	67310
26.	रायगढ़	1710
27.	रत्नागिरी	10860
28.	सांगली	9214
29.	सतारा	7832

1	2	3
30.	सिंधुदुर्ग	8992
31.	सोलापुर	15206
32.	वर्धा	4430
33.	यवतमाल	4462

अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्य में भारत-अमेरिका समन्वयन

6283. श्री बी. वेंकटेस्वरलु: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमेरिका ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्य में समन्वयन करने और उस देश में स्थिरता बढ़ाने हेतु बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देश अफगानिस्तान की सेना और पुलिस को प्रशिक्षित करने हेतु सहमत हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु अफगानिस्तान भेजा जाएगा; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के हमारे प्रयासों के भाग के तौर पर भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय भागीदारी की है। भारत रक्षा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में अफगान अंतरिम प्रशासन के संस्था निर्माण से संबंधित पक्षों पर चर्चा हेतु संयुक्त राज्य सहित अफगानिस्तान में रुचि रखने वाले अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुआ है।

एड्स संबंधी अनुसंधान

6284. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने एड्स के बारे में अनुसंधान के विभिन्न विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों की सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एड्स पर अनुसंधान में सहायता देने के लिए विदेशों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) जी, हां। एचआईवी/यौन संचारित रोग निवारण एवं नियंत्रण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सरकार के बीच 3 जून, 2000 को भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय एलेर्जी और संक्रामक रोग संस्थान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य और मानव विकास संस्थान इत्यादि जैसे अन्य संबंधित संस्थानों के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे, क्षयरोग, अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे इत्यादि जैसे भारतीय अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ व्यवहार संबंधी नैदानिक कार्यनीतियों और निगरानी, यौन संचारित रोग उपचार तथा प्रजनन स्वास्थ्य सहित एचआईवी/एड्स तथा योन संचारित रोगों से संबंधित जानपदिक रोग विज्ञानीय एवं प्रचालनात्मक अनुसंधान सहित अनेक एचआईवी/एड्स तथा यौन संचारित रोग निवारण संबंधी अनुसंधान प्रयासों को शुरू करने हेतु सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं चलाएंगे।

सेल्युलर सेवाएं

6285. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय सेलफोन सुविधा प्रदान करने वाले सेल्युलर सेलफोन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त सुविधा हेतु इस समय कितना प्रशुल्क लिया जा रहा है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक सरकार को इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(घ) क्या सेल्युलर सेवाएं धीरे-धीरे कुछ कम्पनियों के हाथों में सिमटती जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र पर ऐसी कम्पनियों के बढ़ते एकाधिकार को रोकने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इन सेवा क्षेत्रों को 4 मैट्रो शहर सेवा क्षेत्रों तथा 20 दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों में बांटा गया है। लाइसेंस राज्य-वार प्रदान नहीं किए गए हैं, तथापि, अधिकांश दूरसंचार सर्किल राज्य की सीमाओं के साथ संलग्न हैं। जिन कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, उनके नाम और सेवा प्रदान करने संबंधी स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) सीएमटीएस सहित, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। टीआरएआई द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999, में टीआरएआई ने मानक टैरिफ पैकेज के लिए सीएमटीएस हेतु टैरिफ निर्दिष्ट किया है। इस मानक टैरिफ पैकेज की पेशकश हमेशा उपभोक्ताओं को की जानी चाहिए और इसके अलावा, सेल्युलर सेवा प्रदाता वैकल्पित पैकेजों की पेशकश भी कर सकते हैं। इस समय मैट्रो शहरों में सेल्युलर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित अनिवार्य टैरिफ पैकेज में 475/- रु. का मासिक किराया और 4/- रु. प्रति मिनट का एयरटाइम प्रभार शामिल है। दूरसंचार सर्किलों में इसके सदृश पैकेज में 500/- रु. का मासिक किराया और 4.50/- रु. का एयरटाइम प्रभार शामिल है। अनेक दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में सेल्युलर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित टैरिफ कम हैं। सेल्युलर सेवा प्रदाता, अनिवार्य मानक पैकेज के अलावा, टीआरएआई के अनुमोदन के अध्यधीन अलग विशेषताओं वाले अनेक वैकल्पिक पैकेजों की भी पेशकश करते हैं। जनवरी, 2002 में देश भर में किराए और एयरटाइम प्रभाव के विभिन्न संयोजनों वाली लगभग 740 टैरिफ योजनाएं विद्यमान थीं। उपभोक्ता मानक पैकेज अथवा कोई भी वैकल्पिक पैकेज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) सरकार द्वारा लाइसेंस शुल्क और बेतार स्पैक्ट्रम प्रभारों से प्राप्त किए गए राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (छ) सीएमटीएस के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी स्कीम में प्रत्येक सेवा क्षेत्र में बहुसंख्य ऑपरेटरों की परिकल्पना की गई है। इस समय, अनुबंध-I में दी गई सूची के अनुसार, 24 सेवा क्षेत्रों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सहित 26 कम्पनियों के पास 80 लाइसेंस हैं। अधिकतर दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में सीएमटीएस प्रदान करने के लिए 4 लाइसेंस दिए गए हैं। सीएमटीएस लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, एक ही सेवा क्षेत्र में किसी भी एक कम्पनी/वैधानिक व्यक्ति की एक से अधिक लाइसेंसधारक कम्पनी में 10 प्रतिशत या इससे अधिक की होल्डिंग नहीं होगी। एक ही सेवा क्षेत्र के लिए किसी प्रवर्तक कम्पनी का एक से अधिक लाइसेंसधारक कम्पनी में दावा (स्टेक) नहीं हो सकता। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी सेवा क्षेत्र में एकाधिकार नहीं हो।

विवरण I

दूरसंचार सर्किलों और महानगरीय शहरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की स्थिति

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र (महानगरीय शहर/दूरसंचार सर्किल)	लाइसेंसधारकों की संख्या	लाइसेंसधारक कम्पनी का नाम	सेवा शुरू की है हां/नहीं
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	4	भारती सेल्यूलर लि.	हां
			स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.	हां
			महानगर टेलीफोन निगम लि.	हां
			बिरला टाटा एटी एंड टी लि.	नहीं

1	2	3	4	5
2.	मुम्बई	4	बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.	हां
			हुटचीसन मैक्स टेलीकॉम लि.	हां
			महानगर टेलीफोन निगम लि.	हां
			भारती सेल्यूलर लि.	नहीं
3.	कोलकाता	4	भारती मोबीटेल लि.	हां
			उषा मार्टिन टेलीकॉम लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	हां
			रिलायन्स इन्टरनेट सर्विसेज लि.	नहीं
4.	चेन्नई	4	आरपीजी सेल्यूलर सर्विसेज लि.	हां
			भारती मोबीनेट लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसेज लि.	नहीं
5.	आध्र प्रदेश	4	बिरला टाटा एटी एंड टी लि.	हां
			भारत मोबाइल लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसेज्ञ लि.	नहीं
6.	असम	2	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
7.	बिहार	2	रिलायंस टेलीकाम (प्रा.) लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	हां
8.	गुजरात	4	फैस्सल लि.	हां
			बिरला टाटा एटी एंड टी लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			भारती सेल्यूलर लि.	नहीं
9.	हरियाणा	4	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (प्रा) लि.	हां
			एयरसैल डिजीलिंक इंडिया लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			भारती सेल्यूर लि.	नहीं

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	4	भारती टेलीनेट लि.	हां
			रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			एस्कोटर्स टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	नहीं
11.	कर्नाटक	4	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	हां
			भारती मोबाइल लि.	हां
			भारत संचार निगम लिमिटेड लि.	नहीं
			बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसेज लि.	नहीं
12.	केरल	4	बीपीएल सेल्यूलर लिमिटेड	हां
			एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			भारती सेल्यूलर लि.	नहीं
13.	महाराष्ट्र	4	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	हां
			बिरला टाटा एटी एंड टी लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			भारती सेल्यूलर लि.	नहीं
14.	मध्य प्रदेश	4	आरपीजी सैलकॉम लि.	हां
			रिलायंस टेलीकॉम प्रा. लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			भारती सेल्यूलर लि.	नहीं
15.	उत्तरपूर्व	3	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	हां
			हैक्साकॉम इंडिया लि.	नहीं
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
16.	उड़ीसा	2	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
17	पंजाब	4	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.	हां
			भारती मोबाइल लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	नहीं

1	2	3	4	5
18.	राजस्थान	4	एयरसैल डिजीलिंक इंडिया लि.	हां
			हैक्साकॉम इंडिया लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			एसकोर्टस टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	नहीं
19.	तमिलनाडु	4	बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लि.	हां
			एयरसैल लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			भारती सेल्यूलर लि.	नहीं
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	3	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			भारती सेल्यूलर लि.	नहीं
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	4	एयरसैल डिजीलिंक इंडिया लि.	हां
			कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
			एस्कोर्टस टेलीकम्यूनिकेशन्स लि.	नहीं
22.	पश्चिम बंगाल	2	रिलायंस टेलीकॉम (प्रा.) लि.	हां
			भारत संचार निगम लि.	नहीं
23.	अंडमान व निकोबार	1	भारत संचार निगम लि.	नहीं
24.	जम्मू व कश्मीर	1	भारत संचार निगम लि.	नहीं

विवरण II

दूरसंचार विभाग द्वारा सीएमटीएस ऑपरेटरों से लाइसेंस फीस और वायरलैस स्पेक्ट्रम प्रभारों के रूप में वसूल किया गया राजस्व

(लगभग करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रवेश शुल्क	नियत की गई लाइसेंस फीस	राजस्व शेयर के रूप में लाइसेंस फीस	वायरलैस स्पेक्ट्रम प्रभार	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	2000-2001			51168	73.42	585.10
2.	2001-2002	1633.57		525.04	232.63	2391.24
3.	1.04.2002 से 30.4.2002			44.19	53.86	98.05

1	2	3	4	5	6	7
4.	1999-2000			290.86		290.86
5.	1994-95 से शुरू होकर 30.4.2002 तक		6794.30			6794.30
6.	1994-95 से शुरू होकर 2000 तक				89.06	89.06
	कुल जोड़					10248.61

टिप्पणी: नियत लाइसेंस फीस और राजस्व शेयर के संबंध में उपर्युक्त आंकड़ों में ब्याज शामिल है जिनके भुगतान देय तिथियों के पश्चात प्राप्त हुए।

[हिन्दी]

नेशनल एरोमेटिक एंड ड्रग अनुसंधान सेंटर

6286. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के आनन्द जिले के कोरयावी में चलाया जा रहा नेशनल एरोमेटिक एंड ड्रग रिसर्च सेंटर पिछले तीन वर्ष से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र द्वारा किए गए अनुसंधान और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और केन्द्र ने उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि का किस ढंग से उपयोग किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों से बोरियावी, जिला आनन्द, गुजरात में एक राष्ट्रीय चिकित्सीय एवं सुगधित पादप अनुसंधान केन्द्र चलाया जा रहा है।

(ख) इस केन्द्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए अनुसंधान और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस केन्द्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए धन आवंटन और इस केन्द्र द्वारा इस धन का किस तरह से उपयोग किया गया, इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में देखा जा सकता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय चिकित्सीय और सुगंधित पादप अनुसंधान केन्द्र द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान बोरियावी, जिला आनन्द, गुजरात में किए गए अनुसंधान का ब्यौरा

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर अनुसंधान किया गया है: (i) कुछ औषधीय पादपों का एकत्रण, संरक्षण, विशेषता वर्णन और प्रलेखन; (ii) गुजरात की अर्धशुष्क कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली के अधीन इसबगोल (प्लाटिगो-ओवाटा) और सफेद मुसली (क्लोरोफाइटम बोरी विल्लानभ) के लिए उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास; (iii) सेन्ना (कैसला एंगुस्टलफोलिया, वहल) में कार्बनिक खेती और फसल ज्यमिति का प्रभाव और गुग्गल (कौमीफोरा विग्टल, अर्नोट) के तेजी से बहुलीकरण के लिए तकनीकों का विकास, (iv) गुजरात में अर्ध शुष्क कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली के अधीन लैमनग्रास (सिम्बोपोगोन फ्लेक्सुओसस) और पल्मारोसा (सिम्बोपोगोन मार्टिनल) के लिए उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास, (v) अश्वगंधा (विटानिया सोमनीफेरा) के लिए गौण पोषक तत्वों की मात्रा और लवणीय दवाब को अनुकूलतम बनाना, (vi) एन.ए.टी.पी. पादप जैव विविधता: पादव जैव विविधता का सतत प्रबंधन, (vii) सफेद मुसली (क्लोराफाइटम बोरल विल्लानम) का कटाई उपरान्त प्रबंधन और (viii) औषधीय एवं सुगंधित पादप संदर्भ सूचना प्रणाली का विकास।

उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(i) इस समय राष्ट्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित पादम अनुसंधान केन्द्र 12 भिन्न-भिन्न औषधीय पादपों में कुल 339 जर्मप्लाज्म संग्रहण का रख-रखाव करता है।

(ii) प्रजनक जीव विज्ञान क्लोरोफाइटम बोरिविल्लियानम (सफेद मुसली) का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है।

(iii) सफेद मुसली के उत्साहवर्धक जीनोटाइपों का अच्छी संख्या में चयन किया गया है।

(iv) सेन्ना की एक अच्छी सिंकोरस पुष्प किस्म का पृथक्करण किया गया है,

(v) सेन्ना, सफेद मुसली और इसबगोल की उत्पादन प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया है,

(vi) अनेक शोध पत्रों के अतिरिक्त पांच विस्तार बुलेटिन और एक तकनीकी बुलेटिन का प्रकाशन किया गया।

विवरण-II

केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान किया गया धन आबंटन और इस धन का केन्द्र द्वारा किस तरह से उपयोग किया गया इसका ब्यौरा

प्लान (लाख रुपये में)

	वास्ताविक व्यय		
नौवीं योजना परिव्यय	1999-2000	2000-01	2001-02
600.00	157.00	129.97	223.61

धन का उपयोग प्रयोगशाला भवनों, उपकरणों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, जड़ी-बूटी उद्यान, आर्बोरिटम और अनुसंधान क्षेत्र जैसा आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए किया गया है।

[अनुवाद]

मिनरल वाटर की बिक्री पर प्रतिबंध

6287. **श्रीमती रेणुका चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेस्टले द्वारा उत्पादित प्रीमियम ब्रांड के बोतल बंद मिनरल वाटर "पेरियर" की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न प्रकार के पैकबंद पानी के लिए किन्हीं नए मानकों को पिछले वर्ष अधिसूचित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अधीन किसी अपमिश्रित खाद्य, किसी गलत ब्रांड के खाद्य और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध अथवा उसके अधीन बने किसी नियम का उल्लंघन करने वाले खाद्य पदार्थ के आयात पर प्रतिषेध है।

प्राकृतिक खनिज जल के मानक दिनांक 29.9.2000 की अधिसूचना जी एस आर सं. 759(ई) के तहत निर्धारित किए गए हैं जो 29.3.2001 से लागू हुए। बिक्री अथवा बिक्री हेतु प्रदर्शित किए जाने वाला सारा प्राकृतिक खनिज जल केवल भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न (मार्क) के अधीन विनिर्मित किया जाएगा।

मैसर्स नेस्टले इंडिया लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पेरियार प्राकृतिक खनिज जल पी.एच. तथा कैल्शियम के संदर्भ में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन निर्धारित खनिज जल की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता।

(ग) और (घ) पैकेज-बन्द पेय जल के मानक 29.9.2000 की अधिसूचना जी एस आर सं. 760(ई) के तहत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए हैं जो 29.3.2001 से लागू हुई।

केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची

6288. **श्री कमलनाथ:**
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में व्यावसायिक चिकित्सा विभाग में काम करने वाले मानसिक रोगियों को पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह एक रुपया मिलता है;

(ख) यदि हां, तो यह पारिश्रमिक किस आधार पर दिया जाता है और कब से;

(ग) क्या सरकार इस पारिश्रमिक अथवा भत्ते को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) मानसिक रोगियों को न केवल भेषजगुण विज्ञान संबंधी उपचार की आवश्यकता होती है वरन विभिन्न मनचिकित्साओं के रूप में गैर-भेषजगुण विज्ञान संबंधी उपचार की भी आवश्यकता होती हैं। सांकेतिक (टोकन) अर्थव्यवस्था चिकित्सा का ऐसा ही एक रूप है। केन्द्रीय मनचिकित्सा संस्थान, रांची, में रोगियों को व्यावसायिक चिकित्सा विभाग में विभिन्न किस्म की व्यावसायिक दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण ऐसे रोगियों की चिकित्सा का एक हिस्सा है। रोगियों को व्यावसायिक चिकित्सा विभाग में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए अन्य लाभों के साथ-साथ ईनाम के रूप में 1 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह धनराशि उपचार के एक भाग के रूप में दी जाती है न कि वृतिका के रूप में।

कर्नाटक को उपकर की धनराशि जारी करना

6289. श्री आर.एल. जालप्पाः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर से एकत्रित धनराशि में से कर्नाटक को उपकर एकत्र करने की शुरूआत से लेकर आज तक सड़क अवसंरचना के विकास हेतु कितनी धनराशि जारी की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): केंद्रीय सड़क निधि के तहत पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर से जमा धनराशि और कर्नाटक में राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए जारी की गई धनराशि इस प्रकार है-

वर्ष	जमा धनराशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु. में)	स्कीकृत निर्माण कार्य (करोड़ रु. में)
2000-2001	57.50	19.17	48.05
2001-2002	55.50	11.96	77.53

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के कारण मौतें

6290. श्री राम टहल चौधरीः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए अन्य देशों द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक उपायों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मारे गए?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) भारत और अन्य देशों में सड़क सुरक्षा पद्धति के संबंध में किए गए अध्ययन के आधार पर 'सड़क डिजाइन में सुरक्षा के लिए मैनुअल' तैयार किया गया है। सड़क संकेत/चिह्नांकन, रेखांकक, सुरक्षा दीवार, माध्यिका अवरोधक, पैदल पथ, पैदल यात्रियों के लिए भूमिगत मार्ग/क्रासिंग, ट्रकों और बसों के लिए विश्राम स्थल आदि जैसे सुधारात्मक इंजीनियरी उपाय, राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन में शामिल किए जाते हैं। सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा देते हुए एक राजमार्ग सुरक्षा कोड भी तैयार किया गया है।

(घ) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के कारण मृत व्यक्तियों की अनंतिम संख्या क्रमशः 26682, 28713 और 30150 है।

[अनुवाद]

कोरिलपट्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

6291. श्री एस. मुरूगेसनः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोरिलपट्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जो मदुरै-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है और पुलियनकुडी जो मदुरै-सेन गोट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) मदुरै-कन्याकुमारी खंड पर कोविलपट्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर-दक्षिण महामार्ग कार्यक्रम के तहत 4 लेन बनाने का प्रस्ताव है जिसे दिसंबर, 2007 तक पूरा किया जाना है।

मदुरै-सेनगोट्टा खंड में यातायात की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुये इस खंड में पुलियनकुडी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 208 को चौड़ा करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

डाक वितरण प्रणाली

6292. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों में डाक वितरण हेतु डाक नियमों का ब्यौरा क्या है और इन नियमों का अनुसरण किस सीमा तक किया जा रहा है;

(ख) नोएडा स्थित केन्द्रीय विहार परिसर में डाक वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त शिकायतों की जांच करने के बाद डाक वितरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) शहरी क्षेत्रों में प्राप्तकर्ताओं के परिसरों में या प्राप्तकर्ताओं द्वारा डाकघरों में किराये पर लिए गए पोस्ट बाक्स अथवा पोस्ट बैगों द्वारा डाक के दैनिक वितरण की निर्धारित प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है।

(ख) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि नोएडा में स्थित केन्द्रीय विहार परिसर में डाक वितरण की स्थिति संतोषजनक है। पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय विहार परिसर में निवासियों से डाक वितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पौषणिक खाद्य परियोजनाओं को स्वीकृति

6293. **श्री रामदास आठवले:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र समेत अन्य राज्य सरकारों ने समेकित बाल विकास योजना के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पौषणिक खाद्य परियोजनाओं का अनुमोदन करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है जो पिछले तीन वर्षों से योजना आयोग के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) योजना आयोग के पास समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के तहत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कोई भी पौषणिक खाद्य परियोजना लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी दूरसंचार कम्पनियां

6294. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख में कौन-कौन सी विदेशी दूरसंचार कम्पनियां काम कर रही हैं;

(ख) उनका कार्य क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन कम्पनियों पर नियंत्रण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) देश में दूरसंचार क्षेत्र में किसी विदेशी दूरसंचर कम्पनी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र में केवल भारतीय पंजीकृत कम्पनियां कार्य कर सकती हैं। दूरसंचार क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार विदेशी कम्पनियों की इक्विटी भागीदारी हो सकती है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग

6295. **श्रीमती कान्ति सिंह:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में और राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने हेतु कोई मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार में दरभंगा जयनगर, बेरपुर-मधेपुरा, हाजीपुर-मुशरीगारारी सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राजमार्गों पर निर्माण कब शुरू किया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी हां। सरकार को विभिन्न राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए 307 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) दरभंगा-जयनगर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 105 घोषित किया गया है, बेरपुर-मधेपुरा सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 106 का हिस्सा है और हाजीपुर-मुशरीगारारी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 103 घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

इंटरनेट टेलीफोन की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ दल

6296. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई टेलीफोन नीति 1999 के अनुरूप इंटरनेट टेलीफोन की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी हां। नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी-99) के अनुसार, सरकार को प्रौद्योगिकीय नवीनता और राष्ट्रीय विकास पर उसके प्रभाव की मॉनिटरिंग तथा उपयुक्त समय पर इंटरनेट टेलीफोनी की शुरूआत करने के संबंध में समीक्षा करनी थी। तद्नुसार, सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी की शुरूआत करने के संबंध में समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए एक आंतरिक दल का गठन किया।

(ग) और (घ) आंतरिक दल की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात्, सरकार ने 1 अप्रैल, 2002 से इंटरनेट टेलीफोनी शुरू करने का निर्णय लिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से इंटरनेट टेलीफोनी की शुरूआत करने के लिए निबंधन और शर्तों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया । ट्राई ने 20 फरवरी, 2002 को सरकार को अपनी सिफारिशें दीं। 15 मार्च, 2002 को सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी और इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने के लिए 21 मार्च, 2002 को दिशानिर्देश घोषित किये गये।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

6297. श्री मोहन रावले:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2000 तक सभी को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने संबंधी वचनबद्धता को पूरा करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बुनियादी सुविधाएं संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकासशील देशों के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर के अनुरूप है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सरकार सभी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने की अपनी नीति के समग्र उद्देश्य के प्रति समर्पित है। इस प्रतिबद्धता को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना सुविधाओं का एक व्यापक तन्त्र स्थापित किया है। विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रत्येक राज्य सरकार अपने लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने की इच्छुक है। वैसे, संसाधनों के दबाव के कारण कुछ स्थानों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी विशेषकर औषधों, उपस्करों की आपूर्ति, डाक्टरों और पराचिकित्सा स्टाफ आदि की तैनाती के संबंध में वांछित स्तर तक नहीं है।

(घ) से (च) देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार कुष्ठ, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, मलेरिया और एड्स जैसे रोगों के नियन्त्रण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेन्सियों से विदेशी सहायता जुटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों के संवर्धन हेतु सभी प्रयास कर रही है। विश्व बैंक सहायता से चुनिंदा राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन भी कर रही है। दसवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में समाहित नीति निर्धारणों को देखते हुए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच और गुणवता को और अधिक सुधारने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधें प्रदान करने, शहरी स्वास्थ्य अवसंरचना के संवर्धन और जल जनित रोगों के नियंत्रण के लिए सरकार ने पहलें शुरू की हैं।

ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का प्रसार करना

6298. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का प्रसार करने के लिए सूचना शिक्षा और संप्रेषण कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं और आम जनता के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन स्वास्थ्य परियोजनाओं और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को बेहतर बनाने और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों को चलाने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामस्तर पर समुदाय को शामिल करने हेतु दो विशेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

(i) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विषयों के संबंध में अन्तरवैयक्तिक पारस्परिक मेलजोल के जरिए जागरूकता पैदा करने के लिए 79,512 गांवों में ग्रामस्तर पर महिला स्वास्थ्य संघ गठित किए गए हैं।

(ii) 227 जिलों में जिला साक्षरता समितियों को लोक प्रचार माध्यम कार्यशालाओं तथा सामूहिक सभाओं के जरिए अपने जिलों में विभिन्न मामलों के संबंध में सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों को चलाने के लिए निधियां प्रदान की गई है।

इसके अलावा, डी.ए.वी.पी., गीत एवं नाटक प्रभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्र प्रचार निदेशालय की सेवाओं का उपयोग प्रदर्शनियों, फिल्म शो, सांस्कृतिक समारोह तथा लोक कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यकलापों के जरिए ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में निम्नतम स्तर पर प्रचार करने में किया जाता है। स्वयं स्वास्थ्य, प्रदानकर्ता भी परामर्श-देने और समझाने में प्रशिक्षित होते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण के संदेशों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए नियमित रूप से टेलिकास्ट/प्रसारित किया जाता है। राज्यों में टेलीविजन और रेडियो के स्थानीय चैनलों का उपयोग भी स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्यवार और योजनावार आबंटन को दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नौवीं यौजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों को बहुत अधिक स्वायत्ता दी है। गैर-सरकारी संगठन मुख्यत: विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में समझाने एवं जागरूकता पैदा करने के कार्य में लगे हैं। इस समय 105 मूल गैर-सरकारी संगठन 437 जिलों में क्षेत्रीय गैर-सरकारी संगठनों के जरिए इन कार्यकलापों को चला रहे हैं। इसके अलावा, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 680 गैर-सरकारी संगठन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत देशभर में

लक्षित निदान प्रदान करने, दूर-परामर्श और सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों को चलाने में लगे हुए हैं। गैर-सरकारी संगठनों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी तंत्र अपर्याप्त है सेवा प्रदानगी में अधिकाधिक जुट जाएं।

विवरण

नौवीं योजनावधि के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल नौवीं योजना (रुपये लाख में)		
		नकद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	71726.84	15160.17	86887.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	1197.17	560.14	1757.31
3.	असम	29802.27	7040.76	36843.03
4.	बिहार	69128.21	22537.95	91666.16
5.	गोवा	1139.19	373.96	1513.15
6.	गुजरात	50197.69	12953.24	63150.93
7.	हरियाणा	164.86.52	5338.52	21825.04
8.	हिमाचल प्रदेश	10216.81	1902.39	12119.20
9.	जम्मू व कश्मीर	9316.28	2255.02	11571.30
10.	कर्नाटक	57441.54	10575.64	68017.18
11.	केरल	40251.45	6300.00	46551.45
12.	मध्य प्रदेश	45772.56	22410.71	68183.27
13.	महाराष्ट्र	66931.02	18851.71	85782.73
14.	मणिपुर	4386.29	720.26	5106.55
15.	मेघालय	2853.03	731.75	3585.70
16.	मिजोरम	2079.37	369.07	2448.44
17.	नागालैण्ड	1957.89	493.32	2451.21
18.	उड़ीसा	29250.45	8521.42	37771.87
19.	पंजाब	14383.22	6078.34	20460.56
20.	राजस्थान	57261.03	15767.68	73028.71
21.	सिक्किम	2394.69	268.19	2662.88

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	74668.59	10379.10	85047.69
23.	त्रिपुरा	6158.44	963.19	7121.63
24.	उत्तर प्रदेश	129329.60	48587.92	177917.52
25.	पश्चिम बंगाल	52925.65	15262.62	68188.27
26.	छत्तीसगढ़	3661.06	1432.44	5093.50
27.	झारखण्ड	5578.31	1392.54	6970.85
28.	उत्तरांचल	2615.07	1163.12	3778.19
	कुल (राज्य)	859109.24	238391.17	1097500.41
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
1.	पांडिचेरी	1300.19	213.71	1513.90
2.	दिल्ली	6410.81	2946.08	9356.89
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	7711.00	3159.79	10870.79
	कुल योग	866820.24	241550.96	1108371.20

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए नौवीं योजना आबंटन को योजनावार दर्शाने वाला विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	नौवीं योजना आबंटन
1	2	3
1.	(क) राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम	1000.00
	(ख) राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम	35.00
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	301.00
3.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	450.00
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	448.00
5.	राष्ट्रीय गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम	2.00
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	760.00
7.	राज्यों में औषध नियंत्रण एवं खाद्य मानदण्ड प्रशासनों का सुदृढ़ीकरण; राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला खाद्य निरीक्षण एककों की स्थापना करना	5.00

1	2	3
	8. गैर-संचारी रोगों का नियंत्रण: राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	190.00
	9. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	18.00
	10. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	28.00
	11. स्वैच्छिक संगठन को सहायता	10.00
	चिकित्सा सेवाओं में सुधार:	
	12. नर्सिंग सेवाओं का प्रशिक्षण/विकास: मौजूदा नर्सिंग-स्कूलों का सुदृढ़ीकरण/ उनमें सीटों में वृद्धि	4.50
	13. पर्यावरणिक स्वास्थ्य एवं जोखिम मूल्यांकन	6.00
	14. राष्ट्रीय व्यावसायिक रोग नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम	25.00
	15. क्षमता सृजित करने के लिए राज्यों को सहायता	60.00

विकिरणों का बाहर निकलना

6299. **श्री जार्ज ईडन:**
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में परमाणु विद्युत केन्द्रों से विकिरणों के बाहर निकलने के कुल कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) सरकार ने इस प्रकार के विकिरणों को बाहर निकलने से रोकने के लिए क्या निवारात्मक उपाय किए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विकिरणसक्रियता के अनुमेय सीमाओं से अधिक उन्मुक्त होने के कोई मामले नहीं हुए हैं।

(ख) विनिर्देशनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए काम में लाए जाने वाले उपायों में से कुछ हैं— परमाणु विद्युत संयंत्रों का डिजायन, अन्तर्निहित सुरक्षा की विधि, अतिरेकता, विविधता, भौतिक पृथक्करण और दोष-सुरक्षा संबंधी विशिष्टताएं अपनाना, संयंत्र के अभिकल्पन, निर्माण और परिचालन के दौरान गुणता आश्वासन कार्यक्रम का अनुपालन, संयंत्र के सुरक्षा संबंधी पहलुओं का मॉनीटरन/समीक्षा और संयंत्र के कार्मिकों का प्रशिक्षण।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियों का वितरण

6300. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सड़क निधि और अंतर क्षेत्र आर्थिक महत्व हेतु राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी निधियां आबंटित और वितरित की गई हैं;

(ख) निधियों के आबंटन का आधार क्या है;

(ग) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति सौ वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कितनी लंबाई की सड़कें हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चार लेन और छह लेन बनाने के लिए चुने गए राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत तथा अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए जारी की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) नवीकृत केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि संबंधित राज्य में ईंधन खपत के लिए 60 प्रतिशत और उसके भौगोलिक क्षेत्र के 40 प्रतिशत महत्व के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जमा होती है। अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए धनराशि ऐसी सड़कों के लिए प्रदान की गई संस्वीकृतियों के आधार पर जारी की जाती है।

(ग) क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग कि.मी. में सतह बनाई गई सड़कों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार लंबाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) उन राजमार्गों के ब्यौरे, जिन पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के 4 और 6 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया, संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत तथा अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए जारी की गई धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-1998		1998-1999		1999-2000		2000-2001			2001-2002	
		सीआर एफ	ई एंड आई	सीआर एफ	ई एंड आई	सीआर एफ	ई एंड आई	सीआर एफ (पुरानी)	सीआर एफ (नवीकृत)	ई एंड आई	सी आर एफ	ई एंड आई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	312.00	33.00	261.31	-	223.90	-	1000.00	2720.00	0.00	5137.66	-
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00	-	78.89	-	0.00	371.00	0.00	371.00	-
3.	असम	39.00	0.00	34.43	-	26.52	-	0.00	503.00	0.00	463.00	-
4.	बिहार	10.00	0.00	2.31	-	0.00	-	0.00	856.00	0.00	0.00	-
5.	चंडीगढ़	61.00	0.00	59.77	-	0.00	-	0.00	101.00	0.00	0.00	-
6.	छत्तीसगढ़		0.00		-	0.00	-	0.00	768.00	0.00	1536.00	-
7.	दिल्ली	106.000	0.00	26.25	-	0.00	-	0.00	1068.34	0.00	0.00	-
8.	गोवा	7.00	0.00	2.09	-	0.00	-	0.00	131.00	0.00	0.00	-
9.	गुजरात	116.00	0.00	613.91	-	304.99		0.00	2336.00	0.00	3636.00	-
10.	हरियाणा	130.00	0.00	33.12	-	0.00	-	0.00	1047.00	0.00	2094.00	-
11.	हिमाचल प्रदेश	25.00	0.00	6.49	-	0.00	-	0.00	348.00	0.00	394.55	-
12.	जम्मू और कश्मीर	5.00	0.00	1.52	-	0.00	-	0.00	1028.00	0.00	446.31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	झारखंड	–	0.00	–	–	0.00	–	0.00	607.00	0.00	0.00	–
14.	कर्नाटक	266.00	947.25	245.67	1150.00	16.01	663.34	232.50	1917.00	0.00	1196.00	–
15.	केरल	321.00	0.00	187.04	–	12.19	–	0.00	923.00	0.00	0.00	–
16.	मध्य प्रदेश	99.00	0.00	25.27	–	287.02	–	0.00	2084.00	918.49	914.05	280.00
17.	महाराष्ट्र	63.00	0.00	15.80	–	961.14	68.28	0.00	3627.00	0.00	933.0	–
18.	मणिपुर	13.00	0.00	3.11	–	26.24	–	0.00	111.00	0.00	111.00	–
19.	मेघालय	0.48	0.00	55.26	–	8.11	–	0.00	149.00	0.00	298.00	–
20.	मिजोरम	10.49	0.00	5.32	300.00	3.94	208.00	0.00	202.00	23.93	590.0००	–
21.	नागालैंड	2.02	0.00	32.17	–	4.92	–	0.00	85.00	0.00	126.00	10.00
22.	उड़ीसा	2.15	44.72	155.75	50.00	16.14	500.00	0.00	970.00	151.56	0.00	–
23.	पांडिचेरी	–	–	0.00	–	105.00	–	0.00	73.00	0.00	0.00	–
24.	पंजाब	343.00	–	192.81	–	12.56	–	0.00	1433.00	0.00	1027.00	–
25.	राजस्थान	133.00	250.00	127.46	–	138.02	–	128.25	2527.00	0.00	5054.00	–
26.	सिक्किम	0.67	–	0.00	–	14.56	–	1.97	37.00	0.00	37.00	120.00
27.	तमिलनाडु	309.00	525.00	401.39	500.00	130.54	42.57	0.00	2234.00	0.00	4000.00	–
28.	त्रिपुरा	0.19	–	19.39	–	3.94	5.00	3.44	64.00	50.00	143.70	88.97
29.	उत्तर प्रदेश	334.00	100.00	285.21	–	264.27	38.78	256.01	2932.00	0.00	123.68	–
30.	उत्तरांचल	–	0.00	0.00	–	0.00	–	0.00	367.00	0.00	453.00	70.00
31.	पश्चिम बंगाल	145.00	0.00	132.17	–	95.10	–	87.95	1191.00	0.00	874.05	–
32.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4.00	0.00	0.22	–	0.00	–	0.00	58.23	0.00	0.00	–
33.	दमन और दीव	–	0.00	0.00	–	7.77	–	0.00	30.00	0.00	0.00	–
34.	दादरा नगर हवेली	–	0.00	0.00	–	13.15	–	0.00	40.67	0.00	0.00	–
35.	लक्षद्वीप	–	0.00	0.00	–	–	–	0.00	2.33	0.00	0.00	–
36.	अन्य संस्थाएं	–	0.00	0.00	–	105.00	–	–	260.00	–	40.8	–

विवरण-II

31.3.1997 की स्थिति के अनुसार सतह बनाई गई सड़क लंबाई के घनत्व का वितरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सतह बनाई गई सड़क लंबाई कि.मी./100 वर्ग कि.मी.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	39.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.77
3.	असम	14.78
4.	बिहार	18.98
5.	चंड़ीगढ़	1537.72
6.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश में शामिल
7.	दिल्ली	1623.13
8.	गोवा	153.84
9.	गुजरात	40.50
10.	हरियाणा	57.76
11.	हिमाचल प्रदेश	27.20
12.	जम्मू और कश्मीर	3.70
13.	झारखंड	बिहार में शामिल
14.	कर्नाटक	51.80
15.	केरल	116.43
16.	मध्य प्रदेश	19.98
17.	महाराष्ट्र	88.30
18.	मणिपुर	16.11
19.	मेघालय	17.57
20.	मिजोरम	9.41
21.	नागालैंड	31.61
22.	उड़ीसा	55.83
23.	पांडिचेरी	373.54
24.	पंजाब	104.09
25.	राजस्थान	22.44
26.	सिक्किम	21.52
27.	तमिलनाडु	107.96
28.	त्रिपुरा	43.65
29.	उत्तर प्रदेश	50.37
30.	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश में शामिल
31.	पश्चिम बंगाल	47.95
32.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	15.43
33.	दादरा नगर हवेली	108.55
34.	दमन और दीव	90.18
35.	लक्षद्वीप	3.10

विवरण-III

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए लक्ष्य और उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1997-2000 के लिए लक्ष्य (कि.मी.)	वर्ष 1997-2000 के दौरान उपलब्धि (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	86.00	87.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	-	-
4.	बिहार	2.00	2.00
5.	चंडीगढ़	2.00	-
6.	छत्तीसगढ़	20.00	18.00
7.	दिल्ली	9.00	28.00

1	2	3	4
8.	गोवा	–	–
9.	गुजरात	237.80	298.00
10.	हरियाणा	296.06	279.94
11.	हिमाचल प्रदेश	2.22	2.22
12.	जम्मू और कश्मीर	–	–
13.	झारखंड	43.00	43.00
14.	कर्नाटक	132.00	158.50
15.	केरल	20.00	24.80
16.	मध्य प्रदेश	6.00	1.80
17.	महाराष्ट्र	239.30	215.18
18.	मणिपुर	2.00	–
19.	मेघालय	–	–
20.	मिजोरम	–	–
21.	नागालैंड	1.00	1.00
22.	उड़ीसा	35.50	40.00
23.	पांडिचेरी	–	–
24.	पंजाब	171.25	167.57
25.	राजस्थान	192.00	206.50
26.	सिक्किम	–	–
27.	तमिलनाडु	25.00	20.80
28.	त्रिपुरा	–	–
29.	उत्तर प्रदेश	84.50	153.55
30.	उत्तरांचल	–	–
31.	पश्चिम बंगाल	83.90	89.20
	जोड़	1690.53	1837.56

कुवैत में गुरूद्वारे का बंद होना

6301. श्री रामजीवन सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुवैत में साहवा में गुरूद्वारे के बंद होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुवैत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) कुवैत के साहवा क्षेत्र में गुरूद्वारा अभी भी मौजूद है। 17 और 18 अप्रैल के समाचार-पत्रों के लेखों में जो हाल की घटनाओं का उल्लेख हुआ है वह मकान-मालिक और किरायेदार के बीच विवाद के कारण उत्पन्न हुआ। जून, 2001 को दायर एक मुकदमें में उस मकान, जिसमें गुरूद्वारा था, के मकान मालिक ने परिसर खाली करने के लिए कहा। जनवरी, 2002 में न्यायालय ने मकान-मालिक के पक्ष में फैसला दिया परन्तु ऐसा लगता है कि बाद में मकान-मालिक और किरायेदार के बीच विवाद का निपटारा हो गया और गुरूद्वारा अभी भी मौजूद है।

नई बिल प्रणाली

6302. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने मासिक बिल पर उपभोक्ताओं द्वारा की गई एस.टी.डी./आई.एस.डी. कालों का पूर्ण विवरण देने की प्रणाली को बंद कर दिया है जिससे वे अपने टेलीफोनों से एस.टी.डी./आई.एस.डी. कालों के ब्यौरों की जांच कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे विवरण के अभाव में उपभोक्ता उन फोन कालों के बारे में अपनी सूचना के अधिकार से वंचित हो गए हैं जिसके लिए उन्हें बिल दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को ऐसे अपूर्ण बिलों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूर्व टेलीफोन प्रणाली को पुनः बहाल करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। दिल्ली में नेमी तौर पर विस्तृत ब्यौरों वाले बिल जारी करने की प्रणाली बंद कर दी गई है और मुंबई में इस प्रणाली को बंद किए जाने का प्रस्ताव है।

तथापि, जो उपभोक्ता लिखित रूप में इसकी मांग करते हैं, उन्हें विस्तृत ब्यौरों वाले बिल दिए जाते हैं।

(ख) यह देखा गया था कि प्रत्येक उपभोक्ता को प्रत्येक बिल के साथ एस.टी.डी./आई.एस.डी. कालों का ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप कागज की भारी बरबादी होती थी, अधिक डाक खर्च और ब्यौरों के मुद्रण में काफी समय लगता था। इन ब्यौरों का इस्तेमाल प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा था। ये विचार उपभोक्ताओं के समूहों तथा विभिन्न उपभोक्ता मंचों के साथ हुई अनेक बैठकों में भी व्यक्त किए गए थे। अतः नैमित्तिक तौर पर विस्तृत ब्यौरा देने की इस प्रणाली को बंद करने और उपभोक्ताओं के लिखित अनुरोध पर उन्हें इस विस्तृत ब्यौरों वाले बिल प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। एम.टी.एन.एल. के उपभोक्ताओं को प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन के जरिए तथा टेलीफोन बिलों में संदेश छाप कर सूचित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, समाचार-पत्रों में इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्त नोडल अधिकारियों के नाम एवं पते दे कर भी उपभोक्ताओं को सूचित किया जा चुका है।

(ग) जी, नहीं। एस.टी.डी./आई.एस.डी. कालों का ब्यौरा मांगने वाले उपभोक्ताओं को ब्यौरा निःशुल्क दिया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस प्रकार के सभी मामलों में एस.टी.डी. कालों के ब्यौरे दिए जाते हैं और भावी बिलों में यह सुविधा जारी रखने के लिए इस प्रणाली में आवश्यक व्यवस्था की जाती है।

जमा राशि (सिक्यूरिटी) की वापसी

6303. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित ईदगाह एक्सचेंज में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने दूरभाष कनेक्शन का अभ्यर्पण कर दिया है और जमा राशि वापस किए जाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक की तिथि के अनुसार जमा राशि वापस करने संबंधी लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा जमा राशि के तत्काल वापस करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान ईदगाह में कार्यरत 86000 (लगभग टेलीफोन कनेक्शनों में से कुल 776 उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोन कनेक्शनों का अभ्यर्पण कर दिया है और अपनी जमा राशि लौटाने का अनुरोध किया है।

(ख) आज तक की स्थिति के अनुसार जमा राशि की वापसी के कुल 18 मामले लंबित हैं। ये मामले उपभोक्ताओं द्वारा टेलीफोन उपकरण और निर्देशिका न लौटाए जाने अथवा कुछ दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के अभाव में लंबित पड़े हैं।

(ग) सभी लंबित मामलों में प्रतिभूति जमा राशि शीघ्र लौटाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

उपकरणों की खरीद की अनुमति दिए जाने में विलम्ब

6304. श्री अरुण कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय ने अगस्त 1990 में न्यूक्लियर फ्यूल कम्पलैक्स, हैदराबाद में पुराने और अप्रचलित उपकरणों को तुरन्त बदलने के लिए एक विदेशी फर्म को ''आयनाइजेशन मास स्पैक्टोमीटर'' इसके उपसाधनों और पुर्जों की आपूर्ति का क्रयादेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि क्रय और भंडार निदेशालय ने उपकरण प्राप्त होने पर इसका तुरंत निपटान नहीं किया जिससे धन की हानि हुई;

(ग) यदि हां, तो उपकरण की खेप का तुरन्त निपटान नहीं किए जाने और प्रीमियम का भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) करार की शर्तों के अनुसार, विदेशी संभरक ने खरीददार को अग्रिम सूचना भेजनी थी ताकि खेप कम से कम अवधि में निकाली जा सके। तथापि, विदेश संभरक से ऐसी कोई अग्रिम सूचना प्राप्त नहीं हुई। जब तक सूचना प्राप्त हुई। तब तक खेप का पैकेज, भारी वर्षा के परिणामस्वरूप एअर कार्गों कम्प्लैक्स

मुंबई एअरपोर्ट में पानी आ जाने से भीग गया और क्षतिग्रस्त हो गया। चूंकि यह खेप बीमे के अंतर्गत आती थी, अत: इसे, बीमा कम्पनी और उपभोक्ता विभाग के संबद्ध प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर किए गए एक संयुक्त सर्वेक्षण के द्वारा, खेप को पहुंची क्षति का मूल्यांकन करने के बाद ही निकाला जाना था। बीमे के प्रीमियम का भुगतान चैक द्वारा किया गया था और बीमाकर्ता ने भी विभाग के चैक का नकदीकरण करा लिया था।

(घ) खेप की मरम्मत पर हुए किसी व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने के बारे में बीमा कम्पनी द्वारा दिए लिखित आश्वासन के आधार पर विभाग ने अतिरिक्त व्यय करके उपस्कर की आवश्यक मरम्मत कराई। चूंकि मरम्मत संबंधी प्रभारों की प्रतिपूर्ति के संबंध में विभाग द्वारा किए गए दावे को बीमा फर्म ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए बीमा के साथ हुए विवाद को निपटाने के लिए यह मामला मंत्रिमंडल सचिवालय की ''विवाद समिति'' के पास भेजा गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई

6305. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी हैं;

(ख) राज्य में कितनी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशाखापट्टनम पत्तन शहर को एक्सप्रैस राजमार्ग के द्वारा हैदराबाद से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4092 कि.मी. है।

(ख) इस समय 128.04 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की 50 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

(ग) से (ङ) इस समय विशाखापट्टनम पत्तन शहर को एक्सप्रैस राजमार्ग द्वारा हैदराबाद से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हज कोटा

6306. **श्री राजो सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान बिहार के लिए हज तीर्थयात्रियों का वर्ष-वार कितना कोटा था;

(ख) क्या उक्त कोटा राज्य में मुस्लिम आबादी के अनुपात में था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्य के लिए हज तीर्थयात्रियों के कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) पिछले चार वर्षों के दौरान बिहार के लिए हज यात्रियों का कोटा वर्षवार निम्नानुसार है:-

वर्ष	बिहार राज्य का कोटा
1999	7709
2000	7709
2001	8432
2002	8432

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरों की मांग

6307. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी, ताईवान, सिंगापुर, थाईलैंड और अस्ट्रेलिया जैसे देशों के रोजगार बाजार में भारतीय इंजीनियरों की भारी मांग हैं;

(ख) क्या वर्तमान संख्या अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में अधिक सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उच्च कोटि के हार्डवेयर इंजीनियरों की मांग ऊंची बनी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में हार्डवेयर इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) नैस्कॉम के अनुसार जर्मनी, ताइवान और सिंगापुर जैसे विभिन्न देशों में भारतीय सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की मांग है। 'सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास कार्यदल' की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की वर्तमान क्षमता वर्तमान मांग के अनुमानों के अनुसार पर्याप्त प्रतीत होती है। किन्तु, इस बात का पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि अन्य देश कितनी सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उच्च कोटि के इंजीनियरों की मांग ऊंची रहने की संभावना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बी.ई./बी.टेक तथा एम ई/एम.टेक स्तर पर वीएलएसआई डिजाइन और संबंधित सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में वीएलएसआई प्रौद्योगिकी/डिजाइनिंग के विभिन्न पहलुओं पर बी.ई./एम.ई. के लगभग 660 इंजीनियरी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने की उम्मीद है।

सी.जी.एच.एस. की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां

6308. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) की विभिन्न आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों, विशेषतः नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली में कितने महिला और पुरुष चिकित्सा अधिकारी हैं;

(ख) आज की तारीख में उक्त डिस्पेंसरियों में चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पद कितने हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन डिस्पेंसरियों विशेषतः नार्थ एवेन्यु डिस्पेंसरी में और अधिक पुरुष चिकित्सा अधिकारी तैनात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना विवरण में दी गई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन आयुर्वेदिक डाक्टरों की कुल स्वीकृत संख्या 40 है। जहां तक औषधालयों/एककों का संबंध है, 29 औषधालय/एकक कार्यरत हैं जैसाकि संलग्न विवरण में बताया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन कार्य रहे विभिन्न आयुर्वेदिक औषधालयों/एककों में आयुर्वेदिक डाक्टरों की तैनाती केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य. योजना, दिल्ली में पुरुष/महिला डाक्टरों की उपलब्ध संख्या में से प्रशासकीय सुविधा के अध्यधीन की जाती है।

विवरण

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय/एकक का नाम	आयुर्वेदिक डाक्टरों की संख्या	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
1.	आर.के. पुरम,-V डिस्पेन्सरी	3	2	1
2.	किदवई नगर डिस्पेंसरी	3	1	2
3.	एम.बी. रोड, आयुर्वेदिक यूनिट	2	1	1
4.	जंगपुरा यूनिट	2	1	1

1	2	3	4	5
5.	जनकपुरी डिस्पेंसरी	4	1	3
6.	पश्चिम बिहार यूनिट	2	1	1
7.	दिल्ली कैंट यूनिट	1	1	–
8.	देवनगर यूनिट	2	1	1
9.	नार्थ एवेन्यु डिस्पेंसरी	2	–	2
10.	काली बाड़ी डिस्पेंसरी	2	1	1
11.	गुड़गांव यूनिट	2	1	1
12.	किंग्जवे कैंप यूनिट	2	2	–
13.	लक्ष्मीनगर यूनिट	2	1	1

उड़ीसा में डाक भवनों का निर्माण

6309. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग, उड़ीसा सर्किल ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर डाक घर/उप-डाकघर भवनों के निर्माण हेतु जमीन खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए खरीदी गई जमीनों पर अब तक उप-डाकघरों के कितने कार्यालय भवन निर्मित किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में खरीदी गई जमीनों पर विभाग का विचार डाक घर/उप डाक घर भवनों का निर्माण कब तक करने का है; और

(घ) तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए खरीदे गए भूखण्डों पर अब तक 101 उप डाकघर भवन बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में 29 निर्माण-स्थल खाली हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिले का नाम	खाली निर्माण-स्थल
1.	खुर्दा	7
2.	बालासोर	1
3.	फुलबनी	1
4.	धेनकनाल	1
5.	जगतसिंगपुर	1
6.	केन्द्रपाड़ा	3
7.	बोलनगीर	1
8.	बौध	1
9.	संबलपुर	1
10.	सुरेन्द्रगढ़	3
11.	क्योंझर	2
12.	बारागढ़	1
13.	गंजम	1
14.	नयागढ़	1
15.	रायगडा	2
16.	मलकानगिरी	1
17.	मयूरभंज	1

खाली भूखण्डों पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

उपग्रहों का छोड़ा जाना

6310. श्री सुकदेव पासवान:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007 तक नई भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसेट) श्रृंखला के अंतर्गत सात उपग्रह छोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपग्रहों की वर्तमान स्थिति क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क): जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग की दसवीं योजना के प्रस्तावों में वर्ष 2007 तक नई भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट-4) श्रृंखला के अन्तर्गत सात उपग्रहों के निर्माण की संकल्पना की गई है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उपग्रहों की इन्सैट-3 श्रृंखला के अन्त तक प्रेषानुकर क्षमता के 113 प्रेषानुकरों से बढ़ा कर दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 250 प्रेषानुकर तक करने की योजना है।

(ग) इन्सैट-4 श्रृंखला में प्रथम दो उपग्रहों के संरूपण पर कार्य किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर में ''नैको'' की गतिविधियां

6311. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नैको) ने पूर्वोत्तर राज्यों में प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या मणिपुर सरकार ने ''नैको'' द्वारा एड्स नियंत्रण और बचाव हेतु आबंटित की गई निधियों का अन्यत्र उपयोग किया था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ''नैको'' ने एड्स नियंत्रण समिति, मणिपुर को कितनी निधियां उपलब्ध कराई हैं; और

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के उचित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार और राज्य-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य-योजनाओं और व्यय के लिए विभिन्न घटकों के अन्तर्गत नाको द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मणिपुर राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा निधियां खर्च की गई हैं।

मॉनिटरिंग त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट जो प्रगति समीक्षा के लिए एक प्रमुख आधारशिला है, के माध्यम से की जाती है और जो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और नगर निकायों द्वारा नाको को सूचित की जाती है। इन रिपोर्टों की लेखा-परीक्षा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य आई.सी.ए.आई. के लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार, भारत के महा-नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित सनदी-लेखाकारों द्वारा की जाती है। यह लेखा-परीक्षा त्रैमासिक आधार पर की जाती है। इसके अलावा, डी.जी.सी.आर. और राज्यों के विभिन्न महा लेखा परीक्षक समय-समय पर व्ययों के इन विवरणों का अध्योरोपित लेखा-परीक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी सोसायटी में हुए व्यय की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विश्व बैंक समीक्षा मिशनों और नाकों के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आवधिक दौरे किए जाते हैं।

जहां तक गैर-सरकारी संगठनों का संबंध है, संबंधित एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा अनुमोदित कार्यकलाप के लिए निधियों का उपयुक्त उपभोग करने के लिए उनसे एक अनुबन्ध-पत्र हस्ताक्षरित करवाया जाता है। प्रत्येक एड्स नियंत्रण सोसायटी के साथ एक गैर-सरकारी संगठन सलाहकारी नियुक्त किया गया है जो गैर-संगठनों द्वारा किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करते हैं। और उन द्वारा किए गए व्यय की मॉनिटरिंग करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए व्ययों के सभी विवरणों की लेखा-परीक्षा सनदी-लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-चरण-II पूर्वोत्तर राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	अरुणाचल प्रदेश	159.00	111.00	214.88
2.	असम	322.00	375.00	653.80
3.	मणिपुर	352.38	415.30	708.15
4.	मेघालय	70.14	87.50	224.93
5.	मिजोरम	168.00	179.00	246.70
6.	नांगालैण्ड	380.00	250.50	635.50
7.	सिक्किम	25.00	66.00	120.02
8.	त्रिपुरा	50.00	92.00	196.67
	कुल	2377.52	2751.30	3000.65

[हिन्दी]

राजदूतों के खिलाफ शिकायतें

6312. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कितने देशों में राजदूत नियुक्त किए हैं और कितने राजदूत पांच वर्ष से अधिक की अवधि से नियुक्त हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राजदूतों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को ओमान में रह रहे भारतीयों की ओर से ओमान में भारत के पूर्व और वर्तमान राजदूत के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) आज की तिथि तक, सरकार ने जिन देशों में राजदूत/हाई कमिश्नर नियुक्त किए हैं, उनकी संख्या 111 है। राजदूत/हाई कमिश्नर का सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि का होता है। वर्तमान में ब्यूनोस आयर्स में मात्र एक राजदूत है, जिसने पांच वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया है।

(ख) से (घ) समय-समय पर मंत्रालय में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। मंत्रालय सभी शिकायतों पर संज्ञेयता लेता है। मामलों पर भारत सरकार के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भारत-पाक संबंध

6313. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में अप्रैल, 2002 में गरीबी उन्मूलन पर दक्षेस देशों के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच भारत-पाक संबंधों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच भारत-पाकिस्तान संबंधों पर कोई चर्चा नहीं हुई।

[हिन्दी]

राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन

6314. श्री कैलाश मेघवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने संबंधी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) राजस्थान में रावतभाटा में 740 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार परमाणु विद्युत रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2×220 मेगावाट क्षमता के यूनिट (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-5 तथा 6) निर्माणाधीन हैं। मौजूदा स्थल की अतिरिक्त क्षमता का अध्ययन करने के अलावा राजस्थान के अतिरिक्त स्थलों की भी खोज, भविष्य में परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए, देश के विभिन्न भागों में किए जाने वाले स्थल संबंधी अन्वेषणों के एक भाग के रूप में, की जा रही है।

[अनुवाद]

बंगलौर शहर में टेलीफोन की संख्या बढ़ाना

6315. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री शशि कुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के बंगलौर शहर में टेली-सघनता में 25 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड निजी बुनियादी दूरसंचार आपरेटरों के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) दूरसंचार विभाग ने किसी भी शहर में टेली-घनत्व से संबंधित कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, भारत संचार निगम लि. बंगलौर शहर में 300 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत संचार निगम लि. ने बंगलौर शहर के लिए 2.15 लाख नए टेलीफोन कनैक्शनों के लक्ष्य की योजना बनायी है। जहां तक निजी बुनियादी दूरसंचार प्रचालकों की भागीदारी का संबंध है, रॉल आउट दायित्व प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) स्थापित करने के संदर्भ में है। मैसर्स भारती टेलीनेट प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स स्थापित कर चुका है जबकि दो अन्य प्रचालकों की अगस्त, 2003 तक प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स स्थापित करने की योजना है।

गर्भ निरोधक तकनीक

6316. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गर्भ निरोधक तकनीक सहित एक नयी बंध्यकरण तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुरुषों के लिए ''रिवर्जीबल कॉन्ट्रासेप्टिव तकनीक'' के रूप में नयी वैकल्पिक प्रक्रिया को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) भारत सरकार पुरुषों और महिलाओं दोनों में गर्भनिरोधकों की पसन्दों को बढ़ाने के लिए लगातार अनुसंधान करवा रही है तथा मौजूदा परिवार नियोजन विधियों में सुधार ला रही है। महिलाओं के लिए विकल्प बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में सी.यू.टी. 380 ए (गर्भाशय के अन्दर लगाये जाने वाली एक दीर्घकालिक 10 वर्ष तक) सुरक्षा प्रदान करेगा। गर्भनिरोधक

प्रयोग न करने की घटना अर्थात असुरक्षित संभोग के समय एक सहायक उपाय के रूप में तथा यौन दुराचार, यौन उत्पीड़न आदि की घटना में अनियोजित गर्भ के प्रति सुरक्षा के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। उनके अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा महिलाओं के लिए सुई से दिए जाने वाले एक मासिक गर्भनिरोधक का नैदानिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

पुरुषों के लिए नो स्केलप वेसेक्टामी के रूप में जानी जाने वाली ''न कोई चीरा, न कोई टांका'' पुरुष नसबन्दी तकनीक कई राज्यों में काफी लोकप्रिय हो रही है। अन्ततः पुरुषों के लिए नए गर्भनिरोधक के बारे में नैदानिक परीक्षण शुरू हो गए हैं। सुई विशिष्ट सह-पालीमर शामिल हैं, जब डाइमिथाइल सलफॉक्साइड के घोल में मिलाया जाता है और शुक्रवाहिका में डाल दी जाती है तो यह पुरुषों को लम्बे समय तक जन्म में अन्तर रखने में सहायता प्रदान करती है।

(ग) पुरुषों के लिए सुई दी जाने वाली इस दवा का चरण-1 नैदानिक परीक्षण वर्ष 1993 में 38 पुरुषों पर स्वैच्छा से किया गया जिनकी पत्नियों ने पहले की बंध्यकरण करा लिया था। चरण-2 नैदानिक परीक्षण वर्ष 1997 में ऐसे लोगों पर किया गया जिनकी पत्नियों की प्रजनन स्थिति सामान्य थी। चरण-1 एवं चरण-2 के नैदानिक परीक्षणों से औषध की निरापदता पुष्ट हुई है। एजूसपर्मिया का प्रदर्शन हुआ है और महिलाओं में किसी संभावित गर्भधारण को पूरी सुरक्षा प्रदान हुई है।

150 लोगों को शामिल करने के उद्देश्य वाला सीमित चरण-3 नैदानिक परीक्षण दिल्ली में तीन केन्द्रों में चल रहा है। शामिल किए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए परीक्षण का जयपुर में एक और केन्द्र पर पहले ही शुरू किया जा चुका है। चरण-3 नैदानिक परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने और संगत आंकड़े के विश्लेषण के बाद ही औषध जारी करने के विषय पर निर्णय किया जाएगा।

आयुर्वेदिक उपचार

6317. श्री अनन्त नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में आयुर्वेदिक उपचार का विस्तार करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान कितने आयुर्वेदिक अस्पताल/औषधालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार पहले से ही आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा दे रही है।

(ख) 10वीं योजना अवधि के दौरान जिला अस्पतालों में आयुर्वेद स्कंध खोलने, विशेषज्ञता क्लीनिक अर्थात् पंचकर्म, क्षार सूत्र इत्यादि खोलने, आयुर्वेद कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्नवीकरण इत्यादि के प्रस्ताव हैं।

(ग) और (घ) अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना करना राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, 10वीं योजना की अनुशंसाओं में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का विस्तार भी है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधालय शामिल हैं।

जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

6318. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) इस कार्यक्रम में शामिल एड्स समितियों और गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत के 5 उच्च व्याप्तता वाले राज्यों नामतः महाराष्ट्र (5) तमिलनाडु (3), आंध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (1) और मणिपुर के 11 केन्द्रों में किए गए अध्ययन के आधार पर माता से बच्चे में एच.आई.वी. संचरण की रोकथाम करने के लिए (जिडोवुडीन) ए जेड टी द्वारा इलाज संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन की रिपोर्ट राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा, तैयार कर ली गई है।

(ख) रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), भारत सरकार को माता से बच्चे में संचरण निवारण कार्यक्रम का विस्तार देशभर में करना चाहिए और

देश में माता से बच्चे में संचरण निवारण कार्यक्रम में क्षमता सृजित करने के लिए 11 संस्थाओं को शीर्ष (नोडल) केन्द्रों के रूप में कार्य करना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकार देश में माता से बच्चे में संचरण निवारण कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध ढंग से करने का निर्णय किया है। कार्यक्रम के पहले चरण में 6 उच्च व्याप्तता वाले राज्यों नामत: महाराष्ट्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर तथा नागालैण्ड में सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों को कवर किया जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में निम्न व्याप्तता वाले राज्यों के मेडिकल कालेज अस्पतालों को कवर किया जा रहा है। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियां गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी।

काबुल मिशन

6319. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काबुल स्थित भारतीय मिशन में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) अफगानिस्तान सरकार के साथ स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास में सहयोग के समन्वय में मिशन द्वारा किये जाने वाले विशेष कार्यों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) भारतीय दूतावास काबुल में भारत आधारित केंद्रों की मौजूदा कुल संख्या 27 है।

(ख) भारत-अफगानिस्तान राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने और सुदृढ़ करने के लिए निर्धारित कार्य के अलावा काबुल स्थित मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी विकास, सार्वजनिक परिवहन और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में काबुल और अफगास्तिान के अन्य भागों में मानवीय और भारत सरकार की अन्य सहायता परियोजनाओं का समन्वयन भी कर रहा है।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के लिए विदेशी धन

6320. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित कतिपय परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कोई परियोजना/प्रस्ताव विदेशी सहायता का है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावों को विदेशी सहायता के लिए भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) चल रही योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। इस समय परिवार कल्याण और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	प्रस्ताव	स्थिति
1	2	3
I	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
क.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	
I.	मातृ स्वास्थ्य कार्यकलापों के अन्तर्गत समन्वित वित्तीय सुविधाएं	आंध्र प्रदेश से वर्ष 2002-03 के लिए योजना को जारी रखने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इस प्रस्ताव में शामिल हैं:-

1	2	3
		* सहायक नर्स धात्री को रात्रि डयूटी पर तैनात करके 285 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चौबीसों घंटे कार्य करना * इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं अनुबन्ध के आधार पर लेना। * क्षेत्र कार्मिकों की आवा-जाही की अनुमति देना। * सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों को सहयोग देना। * अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों को मानदेय का भुगतान करना। उपरोक्त कार्यकलापों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रखने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 12.06 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
	ii. प्रशिक्षण	आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2001 के दौरान समन्वित कार्य कौशल प्रशिक्षण और विशिष्ट कार्य-कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दो वर्ष अर्थात 2001-02 और 2002-03 के लिए वृहद प्रशिक्षण योजना के प्रस्ताव हैं। राज्य के 2001-02 के दौरान समन्वित कार्य कौशल प्रशिक्षण एवं विशिष्ट कार्य-कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। पहले जारी की गई धनराशि में से राज्य के पास पहले ही 2.86 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी। इसलिए राज्य के पास 4.86 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है।
	iii. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उप परियोजना	महबूबनगर जिले में और रंगारेड्डी जिले की 7 नगर पालिकाओं में आधारभूत ढांचे, सेवा प्रदानगी के उन्नयन और मांग उपलब्ध करने पर केन्द्रित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी अनुमोदित लागत 26.68 करोड़ रुपए है।
	iv. सिविल कार्य	वर्ष 1999-2000 के दौरान बड़े सिविल कार्यों के लिए 5.63 करोड़ रुपए की राशि और छोटे सिविल कार्यों के लिए 2.20 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
ख. रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना		राज्य के सभी जिलों में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यह कार्यक्रम पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण के अलावा राज्य स्तरीय अधिकारियों की आवा-जाही, तिमाही बैठकों, कोल्ड चेन की निगरानी के लिए कर्मचारियों और टीकाकरण सुरक्षा उपस्करों के प्रयोग में सहायता करता है। कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।
ग. भारत जनसंख्या परियोजना-VIII		यह परियोजना हैदराबाद शहर में 1993 से कार्यान्वित की जा रही है जिसकी लागत 54.76 करोड़ रुपए है। तत्पश्चात यह परियोजना वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश राज्य के 73 छोटे और मध्यम नगरों तक बढ़ाई गई थी जिसकी लागत 57.13 करोड़ रुपए है। यह परियोजना जून, 2002 में समाप्त हो जाएगी

1	2	3
		और तत्पश्चात परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधाओं/ढांचे को राज्य सरकार द्वारा ले लिया/व्यवस्थित किया जाएगा।
II.	यूरोपीय आयोग से सहायता प्राप्त क्षेत्र निवेश कार्यक्रम:	
i.	राज्य और जिला कार्रवाई योजना और सम्बन्धित कार्यकलाप	आंध्र प्रदेश राज्य से निधि जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उस पर विचार किया गया था। नलगौंडा खम्माम जिलों में जिला कार्रवाई योजना और राज्य कार्रवाई योजना के लिए आंध्र प्रदेश को 2 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। क्षेत्र निवेश कार्यक्रम की शेष अवधि हेतु राज्य के लिए 37.10 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है।
ii.	सामाजिक विपणन परियोजना	सामाजिक विपणन के अन्तर्गत निरोध, मुखसेव्य गर्भ निरोधक गोलियों, मुखसेव्य डीहाइड्रेशन साल्ट और आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां को बेचने की एक परियोजना आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना तीन वर्ष के लिए है जिसकी लागत 4.66 करोड़ रुपए है।

यूनानी चिकित्सा कॉलेजों के लिए सहायता अनुदान

6321. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अम्बरीश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को अपने-अपने राज्य में यूनानी चिकित्सा कॉलेजों के निर्माण के लिये सहायता अनुदान की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) यूनानी चिकित्सा कॉलेजों यथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, हिम्मतगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश; चिकित्सा संकाय, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली; ए.के. तिब्बिया कॉलेज, ए.एम.यू., अलीगढ़, न्यू कश्मीर एजुकेशन सोसाईटी, श्रीनगर में निर्माण कार्य के लिए सहायता अनुदान हेतु 4 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक सरकार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान 2 कॉलेजों, अर्थात् राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, हिम्मतगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और चिकित्सा संकाय, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली को 15-15 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) ए.के. तिब्बिया कॉलेज, ए.एम.यू., अलीगढ़, से उन्हें पहले दिए गए सहायतानुदान से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा की जा रही है। निजी कॉलेज पूंजीगत कार्यों हेतु सहायता अनुदान के पात्र नहीं हैं। न्यू कश्मीर एजुकेशन सोसाइटी, श्रीनगर को कोई भी अनुदान नहीं दिया गया है, क्योंकि यह एक निजी कॉलेज है।

लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर

6322. श्री सुनील खां: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के बजट में लघु उद्योग क्षेत्र की कुछ वस्तुओं के उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किये जाने के पश्चात लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर बढ़ाने के लिए कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में कौन कौन सी वस्तुओं का तेजी से विकास हो रहा है; और

(ग) उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के बीच तुलनात्मक अध्ययन में और पूर्व वर्ष में कौन सा राज्य सर्वप्रथम था।

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) लघु उद्योग क्षेत्र (एस.एस.आई.) का विकास राजकोषीय प्रोत्साहनों सहित कारकों की विभिन्नता पर निर्भर करता है। मार्बल, ग्रेनाइट, बाटल एक्सट्रेक्ट, एयर गन, एयर पिस्टल, एयर राईफल (शस्त्र अधिनियम के तहत कवर नहीं है) इत्यादि जैसी मदों के सम्बन्ध में संघीय बजट 2002-03 में उत्पाद शुल्क के संबंध में किए आशोधनों से सारे देश में लघु उद्योग के इन उप-क्षेत्रों में उच्च विकास में सहायता प्राप्त होगी।

एम्स संघात केन्द्र

6323. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख संस्थान एम्स के संघात केन्द्र के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(ख) क्या इस धनराशि के उपयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश और समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कुल 54.14 करोड़ रुपये की लागत से "दुर्घटना एवं संघात केन्द्र" की अनुमति प्रदान की है। इसका निर्माण जनवरी, 2002 से आरम्भ हो चुका है तथा 24 से 26 महीने में यह परियोजना पूर्ण/स्थापित हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

औषधियों का निर्यात

6324. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक औषधियों का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्यात को बढ़ाने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों का मूल्य निम्नानुसार है:-

	(निर्यात का मूल्य करोड़ रुपयों में)		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
1. आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां	133.60	145.03	221.51
2. होम्योपैथिक औषधियां	1.70	3.86	11.16

(ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) आयात करने वाले देशों में आयुर्वेदिक/हर्बल औषिध के विपणन के लिए आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन लेबल लगाने के प्रावधानों में छूट दी गई है।

(ii) आयुर्वेदिक औषधि के लिए अनुसूची-न में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों पर राजपत्र में अधिसूचना अधिसूचित की गई है, जिससे औषधि की गुणवत्ता में सुधार आएगा और आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

(iii) आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के परीक्षण के लिए सार्वजनिक/निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम के अधीन नियम 160 (क) से (ज) तक संशोधन किया गया है, जिससे आयुर्वेदिक/हर्बल औषधियों की गुणवत्ता प्रमाणित होगी।

(iv) आयुर्वेदिक औषधियों के गुणवत्ता मानक तथा उसमें समरूपता लाने के लिए आयुर्वेदिक फार्मूलरी तथा फार्माकोपिया का प्रकाशन किया गया है।

(v) घरेलू और निर्यात उत्पादों के लिए गुणवत्तायुक्त कच्ची औषधियों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई है।

(vi) आयुर्वेदक/पादप उत्पादों पर अमेरिकी बाजार सर्वेक्षण कार्य को सहायता दी गई है।

(vii) उद्योग को विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(viii) सरकार ने हमारी पद्धतियों और औषधियों के प्रचार के लिए विदेशों में शिष्टमंडल भी भेजे हैं।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत महिलाओं की समस्याएं

6325. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के संगठनों में कार्यरत महिलाओं की बढ़ती समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21.4 प्रतिशत महिलाएं सरकारी सेवाओं में कई समस्याओं का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने संयुक्त रूप से वर्ष 1996 में सिविल सेवाओं के लिये एक क्षमता निर्माण परियोजना कार्यान्वित की थी और इसके उद्देश्यों में एक मुद्दा सिविल सेवाओं में महिलाओं से संबंधित था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एल.बी.एस.एन.ए.ए.) ने परियोजना के अंतर्गत 'परिवर्तन के लिए जागरूकता में बढ़ोतरी - लिंग और सिविल सेवाओं का एक सर्वेक्षण' नामक अध्ययन किया था।

(ख) और (ग) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा किये गये इस अध्ययन में दो अखिल भारतीय सेवाओं, बारह केन्द्रीय सिविल सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित 433 पुरुष अधिकारियों और 222 महिला अधिकारियों को शामिल करके यौन उत्पीड़न संबंधी मुद्दे पर एक सर्वेक्षण किया गया था। इस मुद्दे पर सर्वेक्षण का परिणाम संक्षेप में नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

क्या यौन उत्पीड़न एक समस्या है?

	हां		नहीं	
	प्रत्युत्तरों की संख्या	प्रत्युत्तरों का प्रतिशत	प्रत्युत्तरों की संख्या	प्रत्युत्तरों का प्रतिशत
पुरुष	29	6.70	404	93.30
महिलाएं	48	21.62	174	78.38
कुल	77	11.76	578	88.24

अतः जिन महिला अधिकारियों से सर्वेक्षण किया गया उनमें से 21.62 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि यौन उत्पीड़न एक समस्या है।

(घ) सिविल सेवाओं में महिलाओं से संबंधित मुद्दों के आउटपुट-IV की परियोजना के बाद की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिये कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में एक केन्द्रीय बिन्दु की स्थापना की गई है और सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

पुलिस कर्मियों को जांच के नए तरीके सिखाना

6326. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.एस. फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने सी.बी.आई. के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों को जांच के नए तरीके सुझाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्यों से आने वाले अन्वेषकों, एफ.बी.आई. एजेन्टों की कार्यशाला में पूछताछ की ऐसी नयी तकनीकों का प्रर्दशन किया जिनसे संदिग्ध व्यक्तियों से सच उगलवाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो यू.एस. फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने किस सीमा तक भारतीय अन्वेषकों की सहायता करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यह दोनों देशों के लिए किस सीमा तक लाभप्रद होगा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी हां। अमेरिका के संघीय अन्वेषण-ब्यूरो (फेडरल ब्यूर ऑफ इन्वेस्टीगेशन) ने मार्च, 2002 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद में साक्षात्कार और पूछताछ के बारे में एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया। उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, संदिग्ध व्यक्तियों से जानकारी हासिल करने की दृष्टि से पूछताछ की तकनीक सहित, विधिक, मनोवैज्ञानिक तथा पूछताछ के अन्य पहलुओं पर सकेन्द्रित रखा गया।

(ग) और (घ) कार्मिकों को प्रशिक्षित करने में संघीय अन्वेषण ब्यूरो (एफ.बी.आई.) और भारत में अवस्थित अन्वेषण अभिकरणों के बीच गहरा सहयोग रहा है। संघीय अन्वेषण ब्यूरो (एफ.बी.आई.) द्वारा भारत और अमेरिका में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम, दोनों देशों के अन्वेषकों को अपनी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच मुहैया करवाते हैं।

अमरीकी फौज की उपस्थिति

6327. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 2 अप्रैल, 2002 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित सूचना के अनुसार भारत और रूस दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अमरीकी उपस्थिति का अध्ययन करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा पार से आतंकवाद

6328. श्री वाई.वी. राव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 29 मार्च, 2002 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में पाकिस्तान की भूमिका की अमरीका को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अमरीका के साथ सीमा पार से आतंकवाद के मुद्दे पर पुनः चर्चा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) इस प्रश्न में संदर्भित समाचारों में इसके लेखक के विचार परिलक्षित होते हैं। यह समाचार, अन्य अनेक समाचारों की भांति, इस हित-चिंता को उठाता है कि पाकिस्तान उन प्रतिबद्धताओं से मुकर रहा है जो राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 12 जनवरी, 2002 को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और भारत के विरुद्ध निर्देशित सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद से पाकिस्तान के संपर्क समाप्त करने के लिए की थी। इस समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने जनवरी में गिरफ्तार कम से कम 800 उग्रवादियों और आतंकवादियों, को मार्च के अन्तिम सप्ताह में रिहा किया है और जम्मू और कश्मीर में इन समूहों की घुसपैठ में सहायता बहाल कर दी है।

(ग) और (घ) सरकार प्रत्येक अवसर का आतंकवाद प्रतिकार से संबद्ध भारत-अमरीका संयुक्त कार्यदल की बैठकों सहित भारत में पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवाद के लिए प्रयोजन और समर्थन का अमरीका के लिए संप्रेषित करने के लिए उपयोग करती है। सरकार ने अमरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हाल के सप्ताहों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन की बहाली की सूचना और मूल्यांकन को बांटा है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुएं

6329. **श्री पवन कुमार बंसलः** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या साइकिल के पुर्जों का निर्माण लघु उद्योग के लिए आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या संगठित क्षेत्र साइकिल कलपुर्जों का निर्माण कर उनकी खुले बाजार में बिक्री कर सकता है जबकि यह क्षेत्र लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण संबंधी शर्तों को लागू कर उन्हें संरक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) 34 बाईसिकल कम्पोनेन्टस, केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण हेतु आरक्षित हैं।

(ख) मझौले/बड़े पैमाने के उपक्रमों द्वारा केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण हेतु मदों की ट्रेडिंग अनुमेय है तथा इससे आरक्षण नीति का उल्लंघन नहीं होता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की सिंगापुर और कम्बोडिया यात्रा

6330. **श्री चन्द्रेश पटेलः**
श्री रामपाल सिंहः
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसीः
श्री वाई.वी. रावः
श्री चन्द्रनाथ सिंहः
श्री सुकदेव पासवानः
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पाः
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिकः
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः
श्री माणिकराव होडल्या गावितः
श्री जयभान सिंह पवैयाः
श्री अनन्त नायकः
श्री ए. नरेन्द्रः
श्री जय प्रकाशः
श्री टी. गोविन्दनः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री की हाल की सिंगापुर और कम्बोडिया यात्रा के दौरान उन्होंने कौन-कौन से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की;

(ख) इस अवसर पर कौन-कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और समझौतों की शर्तें क्या हैं;

(ग) उनके साथ जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधान मंत्री और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्येक देश के कौन-कौन से विशिष्ट व्यक्तियों से वार्ता की और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) 7-9 अप्रैल, 2002 तक प्रधान मंत्री की सिंगापुर की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई जिसमें पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। बहुपक्षीय क्षेत्र में उभरते हुए भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मसलों पर चर्चा की गयी।

प्रधान मंत्री की कंबोडिया (9-11 अप्रैल, 2002) यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गयी। बहुक्षीय क्षेत्र में भारत-आसियान शिखर-सम्मेलन, "आसियान एकीकरण के लिए पहल" के प्रति भारत के समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, गरीबी की समस्या से निपटने में सहयोग, और वैश्वीकरण को विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप करने पर चर्चा की गयी।

(ख) सिंगापुर के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापन संपन्न किये गयेः

(i) दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन। इस समझौता ज्ञापन में वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना, दूरसंचार क्षेत्र में निवेश संवर्द्धन, संयुक्त उपक्रम इत्यादि सहित दूरसंचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग सुधारने का प्रावधान है।

(ii) एशियाई सभ्यता संग्रहालय, सिंगापुर को कलाकृतियां उधार दिये जाने से संबद्ध समझौता ज्ञापन। यह समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा एशियाई सभ्यता संग्रहालय, सिंगापुर को 11 कलाकृतियां उधार दिये जाने से संबंधित है।

कंबोडिया के साथ निम्नलिखित करार संपन्न किये गये।

(i) ता प्रोम मंदिर सियाम रीप, कंबोडिया के संरक्षण/जीर्णोद्धार के लिए करार— उपरोक्त करार की शर्तों के अनुसार भारत सरकार ता प्रोम मंदिर के संरक्षण के लिए कंबोडिया की शाही सरकार को विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करेगी।

(ii) हवाई सेवाओं से संबंधित करार— उपरोक्त करार नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और भारत तथा कंबोडिया के बीच हवाई सेवा प्रारंभ किये जाने के लिए एक रूपरेखा करार है।

(iii) राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट से संबद्ध करार। उपरोक्त करार के अंतर्गत दोनों देशों के रायनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा प्राप्त किये बिना एक दूसरे के देश में प्रवेश करने और 60 दिन तक प्रवास करने की अनुमति दी गयी है।

(ग) प्रधान मंत्री के साथ विनिवेश मंत्री, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी गये।

(घ) सिंगापुर में प्रधान मंत्री की राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और सिंगापुर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें हुईं। कंबोडिया में प्रधान मंत्री ने कंबोडिया के महामहिम नरेश के साथ मुलाकात की और वे सीनेट के अध्यक्ष, नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष और कंबोडिया के प्रधान मंत्री से भी मिले। आपसी हित के सभी मसलों पर चर्चा से भारत और दोनों देशों के बीच घनिष्ट सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(ङ) सिंगापुर और कंबोडिया सहित दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ संबंधों का संवर्द्धन एक सतत् प्रक्रिया है। इस दिशा में उठाये गये कदमों में दोनों सरकारों और उद्योग तथा व्यापार के स्तर पर बार-बार होने वाले क्रियाकलाप वाणिज्य शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान और प्रदर्शनियों एवं मेलों में भागीदारी शामिल हैं।

दिल्ली से यमुना नगर तक चार लेनों वाली सड़क

6331. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से यमुना नगर (हरियाणा) तक चार लेनों वाली सड़क के निर्माण के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) दिल्ली से यमुना नगर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, 72 और 73 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से अम्बाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 पहले से ही चार लेन का है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 72 को अम्बाला से शाहजादपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 73 को शाहजादपुर से यमुना नगर तक चार लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

संभार तंत्र डाक सेवा

6332. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग निगमित क्षेत्र के लाभ के लिए संभार तंत्र डाक के नाम के अन्तर्गत भारी सामान की ढुलाई संबंधी एक नयी सेवा आरंभ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेल विभाग और सड़क केरियर्स के साथ क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कार्यरत अंगड़िया (पार्सल) सेवा के लिए डाक विभाग के साथ पंजीकरण अनिवार्य करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) डाक विभाग द्वारा लॉजिस्टिक मेल की शुरूआत करने की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए एक बाजार सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। ऐसी सेवा को शुरू करने के लिए सर्वेक्षण के परिणामों, वित्तीय व्यवहार्यता और परिचालन अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अधीन पार्सलों की ढुलाई केन्द्रीय सरकार का अनन्य विशेषाधिकार नहीं है। अत: अंगड़िया के पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

भारत की छवि पर गुजरात हिंसा का प्रभाव

6333. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में हिंसा के लम्बे दौर से विदेशों में विशेषकर मुस्लिम देशों में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर धब्बा लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इंडोनेशिया ने आतंकवाद से लड़ने हेतु संयुक्त कार्य दल संबंधी समझौते हेतु भारत की पेशकश ठुकरा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाह्य देशों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विश्वास दिलाने हेतु क्या राजनयिक प्रयास किए गए हैं और इस मामले में कितनी सफलता मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) गुजरात में हाल ही हिंसा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अत्यधिक जनहित और हित-चिंता व्यक्त की गई है। इस्लामी देशों में टिप्पणियों सहित इस प्रकार की टिप्पणियों ने गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति हिंसा पर तथा इस प्रकार की हिंसा द्वारा भारतीय गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के सामने चुनौती पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने इंडोनेशिया की सरकार के समक्ष आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। आतंकवाद का मसला पहले ही इंडोनेशिया के साथ भारत के द्विपक्षीय क्रिया-कलाप के एंजेडे में है।

(ङ) सरकार और विदेश स्थित हमारे मिशनों ने प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के प्रयासों को प्रस्तुत करने के लिए समर्थक उपाय किए हैं और इस हिंसा के शिकार लोगों के लिए निष्पक्ष और भेदभाव रहित राहत प्रदान करने के लिए उपाए किए गए हैं। विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रतिनिधियों ने स्थिति के तथ्यों का खुलासा करने के लिए सांसदों और मत निर्माताओं के साथ संपर्क साधे हैं और इस प्रकार की असामान्यता से निपटने के लिए भारत के लचीलेपन के तथ्य पर बल दिया है। इस सभी में, भारत की घनी और समन्वित संस्कृति और इसकी चिरकालिक धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं पर बल देने का प्रयास रहा है। विभिन्न देशों ने इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपनी जागरूकता और समझ-बूझ व्यक्त की है।

केरल में ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.)

6334. **श्री कोडीकुनील सुरेशः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक केरल में बिछायी गयी ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान और अधिक ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) बिछाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) केरल में अब तक बिछाई गई ऑप्टीकल फाइबर केबल की कुल लम्बाई 13138 किलोमीटर है।

(ख) जी हां।

(ग) 2002-2003 के दौरान 1800 किलोमीटर ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने का प्रस्ताव है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पल्स पोलियो कार्यक्रम को वित्तीय सहायता

6335. **श्री बृजलाल खाबरी:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी की सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पल्स पोलियो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये भारत को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पल्स पोलियो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये उक्त सहायता से गुजरात/राजस्थान और महाराष्ट्र को कितनी धनराशि दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन की खरीद के लिए जर्मनी द्वारा भारत को प्रदान की गई वर्ष-वार सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	प्राप्त सहायता
1999-2000	61.64 करोड़ रुपये
2000-2001	-
2001-2002	-

यद्यपि 2001-2002 में 20 मिलियन डी एम की सहायता के लिए एक करार हुआ था तथापि इस सहायता को वैक्सीन के लिए अन्य निधियों की उपलब्धता के कारण 2002-2003 तक आस्थगित कर दिया गया है।

(ग) पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण के लिए जर्मन सहायता केन्द्रीय रूप से प्राप्त की जाती है। इसके अन्तर्गत वैक्सीन की अधिप्रापण यूनिसेफ द्वारा किया जाता है और भारत सरकार को इसकी आपूर्ति की जाती है जहां उसे अन्य आपूर्तियों सहित एकत्र किया जाता है। राज्यों को की गई ओरल पोलियो वैक्सीन की आपूर्तियों के लिए धन के सही स्त्रोत का पता लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, वर्ष 1999-2000 के दौरान इन राज्यों को की गई आपूर्तियों का कुल मूल्य इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

राज्य	भारत सरकार की आपूर्तियां	यूनिसेफ आपूर्तियां	कुल
गुजरात	12.43	0.73	13.16
महाराष्ट्र	24.23	1.43	25.66
राजस्थान	19.25	1.13	20.38

अनुसंधान के लिये बंदरों की अनुपलब्धता

6336. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 2002 को ''राष्ट्रीय सहारा'' में ''49 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी अनुसंधान के लिये बंदरों की अनुपलब्धता'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह अनुसंधान केन्द्र किस स्थान पर चल रहा है;

(घ) इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ङ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 23 मार्च, 2002 को छपे समाचार के बारे में सरकार को जानकारी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रजनन अनुसंधान संस्थान, मुम्बई का ससुन्वाघर बसाई तालुका में एक नर वानर प्रजनन अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आधारभूत ढांचा आदि प्रदान करने के लिए पहले ही 49 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मूल बुनियादी ढांचे के अभाव और इसमें आवेष्टित भारी खर्च के कारण यह परियोजना पूरी नहीं की जा सकी। इस परियोजना के लिए आवश्यक निधियां अब तक इस परिषद की 10वीं पंचवर्षीय योजना में दर्शाई गई हैं तथा इस परिषद ने यह परियोजना शुरू करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों का न भेजा जाना

6337. श्री एस. अजय कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम.टी.एन.एल. ने उपभोक्ताओं को समय से टेलीफोन बिल न भेजकर और बकाये बिल पर अधिभार लगाकर अतिरिक्त आय का स्त्रोत बना रखा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार बकाये बिल की वसूली के द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि एम.टी.एन.एल. अपने उपभोक्ताओं को समय से टेलीफोन बिल भेजे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डाक प्राधिकारियों को बिल 4-5 दिन पहले भेजे जाते हैं ताकि वे उपभोक्ताओं को समय पर मिल जाएं। बिलों के संबंध में भुगतान का समय, बिल जारी होने की तारीख से 21 दिल तक होता है। नियंत्रण से बाहर कारणों की वजह से, बिलों के प्रेषण में यदि कोई विलंब होता है जो भुगतान की तारीख बिना अधिभार के (नियत तारीखें) तदनुसार आगे बढ़ा दी जाती हैं और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नए बिल भी जारी किए जाते हैं।

ओजोन परत में कमी लाने वाले पदार्थ विषय पर कार्यशाला

6338. डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान ने मार्च, 2002 में आंध्र प्रदेश के बालानगर, हैदराबाद में "ओजोन परत में कमी लाने वाले पदार्थ" विषय पर एक-दिवसीय आगरूकता कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला में की गई सिफारिशें क्या थीं; और

(ग) ओजोन परत में कमी लाने वाले पदार्थों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि कार्यशाला का उद्देश्य ओजोन परत में कमी लाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध करने के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता सृजित करना और सूचना प्रदान करना था, अतः कोई विशेष सिफारिशें नहीं की गई थीं। इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित करना नियमित कार्यकलाप है। अब तक, देश के विभिन्न भागों में 30 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

6339. डा. अशोक पटेल:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और दक्षिण कोरिया गणराज्य ने आपसी सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद से निपटने के लिये नियमित अन्तराल पर बातचीत करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) भारत और कोरिया गणराज्य वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्शों में आतंकवाद के विरुद्ध और सुरक्षा मसलों पर सहयोग को शामिल करने पर सहमत हो गये हैं।

[अनुवाद]

नई औषधियों के लिये अनुमति

6340. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 के दौरान नई औषधियों बायो-इक्वीवेलेंस की अनुमति देने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) सभी आवेदनों को कब तक अनुमति दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या अनुमति देने हेतु डी.सी.जी.आई. के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत कितने आवेदनों पर अनुमति दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) वर्ष 2001 के दौरान प्राप्त नई औषधियों के लिए आवेदनों पर संख्या इस प्रकार है-

1. अन्वेषणात्मक नई औषध (आई एन डी) — 2
2. नई औषध आवेदन — 56
3. जैव समानता अध्ययन के लिए नई औषध स्वीकृति हेतु आवेदन लगभग — 400

(ख) नैदानिक परीक्षणों, जैव समानता अध्ययनों और नई औषधों के विपणन के लिए अनुमति के आवेदनों की औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में नए औषध प्रभाग द्वारा जांच की जाती है। स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपेक्षाएं औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 122ए, 122बी, 122सी, 122डी और 122ई तथा अनुसूची-वाई में विनिर्दिष्ट की गई हैं। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अन्तर्गत अनुसूची-वाई के अनुसार नई औषधों/नैदानिक परीक्षण का मूल्यांकन करना एक जटिल प्रक्रिया है और मोलेकुल ड्रग, प्रकाशित आंकडों और आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है। इसलिए आवेदन के स्वरूप के आधार पर नई औषध की जांच (ड्रग मोलेकुल जिसका विश्व में कहीं भी मनुष्य पर परीक्षण नहीं किया गया हो) में औसतन 5 वर्ष से अधिक समय लग सकता है, अन्यत्र पहले से स्वीकृत औषध को पहली बार स्वीकृति, परन्तु पुष्टि के लिए लगभग 1-3 वर्ष तथा पहले स्वीकृत की जा चुकी औषधों के बाद के आवेदनों के लिए लगभग 2-3 माह लग सकते हैं। तथापि यह औषध और प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची वाई के उपबंधों के अनुसार सभी अपेक्षित आंकड़ों को प्रस्तुत किए जाने और विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करेगा। कुछ प्रमुख औषधों, अर्थात् कैंसररोधी, एच आई वी रोधी इम्यूनो सप्रेसेंन्ट आधि औषधें, जो जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, को शीघ्र मंजूरी दी जाती है।

(ग) जी नहीं। सामान्य मानदण्डों का अनुपालन करते हुए एवं तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, न कि विवेकानुसार, अनुमति प्रदान की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

किराये में संशोधन

6341. श्री नरेश पुगलिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंग्लैण्ड में भारतीय उच्चायुक्त के 9, केंसिंगटन, पैलेस गार्डन, लंदन स्थित आवास के किराए में नवम्बर, 1994 में संशोधन किया गया था और यह संशोधित किराया अप्रैल, 1990 से ही प्रभावी हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) यू.के. में भारत के हाई कमिश्नर के 9 के.पी.जी. लंदन स्थित आवास की संपत्ति का पट्टा अप्रैल, 1990 में 65 वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था। पट्टे के नवीकरण की शर्तों में 14 मिलियन स्टर्लिंग पाउण्ड प्रतिवर्ष का भू किराया शामिल है। भू किराया पट्टे के 22वें वर्ष में बढ़कर प्रतिवर्ष 20,000 स्टर्लिंग पाउण्ड हो जाएगा और पट्टे के 42वें वर्ष में 40,000 स्टर्लिंग पाउण्ड प्रतिवर्ष होगा।

प्लास्टिक की थैलियों में इन्ट्रावेनस फ्लूइड्स

6342. श्री राम मोहन गाडे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 19 फरवरी, 2002 के प्रकाशित समाचार के अनुसार नवजात शिशु गहन परिचर्या केन्द्रों (एन आई सी यू) में समयपूर्व जन्मे या नवजात शिशुओं को प्लास्टिक की थैलियों में दिया जाने वाला 'इन्ट्रावेनस (आई वी) फ्लूइड्स' जीवन रक्षक की बजाय जीवन के लिये खतरनाक अधिक साबित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सरकार को 19 फरवरी, 2002 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। इंडियन फार्मेकोपिया (1996) के परिशिष्ट 11.1 में विभिन्न पॉलीमेरों पर प्लास्टिक आधारित फार्मेस्यूटिकल उत्पादों के लिए प्लास्टिक कंटेनरों हेतु विशिष्ट अपेक्षाओं का निर्धारण किया गया है। औषध महानियंत्रक (भारत) के अनुसार किसी भी चिकित्सा संस्थान से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

फोन करने वाले की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी सुविधा

6343. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल अपने उपभोक्ताओं को टेलीफोन करने वाले की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी सुविधा उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में ऐसे कितने उपभोक्ताओं को अब तक यह सुविधा दी गई है; और

(ग) राज्य में इस सुविधा के व्यापक प्रचार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) 30.4.2002 की स्थिति के अनुसार, कुल 75469 उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) प्रेस विज्ञापनों, बीएसएनएल द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों, संवाददाता सम्मेलनों, उपभोक्ता-मुलाकातों और खुले सत्रों आदि के जरिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

सीमा पार से फैलाया जा रहा आतंकवाद

6344. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति ने सीमा पार से फैलाये जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने के लिये 9 मार्च, 2002 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति से दोबारा आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) मीडिया रिपोर्टों में यह टिप्पणियां संयुक्त राज्य प्रशासन के अनामित वरिष्ठ अधिकारी की बताई गई हैं। संयुक्त राज्य राष्ट्रपति जार्ज बुश और वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों ने अनेक अवसरों पर सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने और पाकिस्तान में आधारित आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कहा है।

(ख) इस प्रकार के वक्तव्य इस बात का ठोस प्रमाण हैं कि पाकिस्तान भारत में सीमा पार आतंकवाद के प्रायोजन की अपनी नीति जारी रखे हुए है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि आतंकवादियों और आतंकवाद के प्रति चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को अवश्य ही भारत में सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने और भारत द्वारा अपेक्षित 20 भगोड़ों की सूची पर कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

टेलीफोन अदालत

6345. डा. बलिराम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के प्रत्येक जिले में गत दो वर्षों के दौरान किन तिथियों को टेलीफोन अदालतें लगाई गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिले-वार कितने मामले दर्ज किये गये और कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ग) टेलीफोन अदालत आयोजित करने के लिये क्या नियम बनाये गये हैं और टेलीफोन उपभोक्ताओं को दिये जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उत्तर प्रदेश (पूर्व तथा पश्चिम) के प्रत्येक दूरसंचार जिला, मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किलों और महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित टेलीफोन अदालतों की तारीखें संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश (पूर्व और पश्चिम) तथा मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किलों में दर्ज और निपटाए गए मामलों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

दिल्ली में 1.4.2000 से 31.3.2001 के दौरान, 18 टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई थीं, जिनमें 1467 मामले सामने आए थे। इनमें से 1439 मामलों का निपटान कर दिया गया था। वर्ष 1.4.2001 से 31.3.2002 के दौरान 11 टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई थीं, जिनमें 627 मामले प्राप्त हुए। इनमें से 622 मामलों का निपटान किया गया।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) में टेलीफोन अदालत दिल्ली विधायी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जाती है तथा यह प्राधिकरण प्रत्येक अदालत के लिए वर्तमान/सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश को नामित करता है। एमटीएनएल के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर के एक अधिकारी उक्त पीठासीन अधिकारी को सहयोग करते हैं तथा वे मामलों के निपटान का प्रयास करते हैं। यह अदालत राष्ट्रीय विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों द्वारा शासित है। मामलों का निपटारा परस्पर सहमति आधार किया जाता है।

भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) में टेलीफोन अदालतें दूरसंचार जिला स्तर पर दो महीनें में एक बार तथा दूरसंचार सर्किल स्तर पर तीन महीने में एक बार आयोजित होती हैं।

कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तथापि, अलग-अगल मामलों के औचित्य/गुणदोष को देखते हुए अदालतों द्वारा छूट दी जाती है।

विवरण

वर्ष 2000-01 में उत्तर प्रदेश (पूर्व) के दूरसंचार जिलों में टेलीफोन अदालतों की तिथियां

क्र. सं.	दूरसंचार जिलों के नाम	टेलीफोन अदालतों की तिथियां
1	2	3
1.	इलाहाबाद	10.6.00, 16.9.00, 16.12.00, 24.3.01
2.	आजमगढ़	6.6.00, 26.9.00, 6.12.00, 27.2.01, 7.3.01
3.	बहराइच	15.5.00, 16.11.00, 17.2.01
4.	बलिया	4.6.00, 12.11.00, 3.3.01
5.	बांदा	शून्य
6.	बाराबंकी	30.6.00, 19.9.00, 12.12.00, 16.3.01
7.	बस्ती	शून्य
8.	इटावा	17.5.00, 8.8.00, 17.2.01
9.	फैजाबाद	29.6.00, 27.12.00, 15.3.01
10.	फर्रुखाबाद	11.3.00, 8.6.00, 31.11.00, 19.3.01
11.	फतेहपुर	शून्य
12.	गाजीपुर	शून्य
13.	गोंडा	8.11.00, 13.11.00, 22.2.01, 23.2.01
14.	गोरखपुर	25.7.00
15.	हमीरपुर	0
16.	हरदोई	0
17.	जौनपुर	0
18.	झांसी	24.4.00
19.	कानपुर	31.05.00, 7.2.01
20.	लखीमपुर	23.8.00, 13.12.00
21.	लखनऊ	24.6.00, 30.9.00, 20.1.01
22.	मैनपुरी	0
23.	मऊ	29.6.00, 5.1.00, 28.2.01, 23.3.01
24.	देवरिया	0
25.	मिर्जापुर	15.2.01
26.	ओरई	0
27.	प्रतापगढ़	0
28.	रायबरेली	17.1.01, 12.3.01
29.	शाहजहांपुर	17.5.00, 2.12.00
30.	सीतापुर	24.5.01
31.	सुल्तानपुर	17.2.00, 30.8.00, 14.3.01
32.	उन्नाव	30.5.00, 29.8.00, 9.2.01
33.	वाराणसी	5/0010/00, 1.01

वर्ष 2000-01 में उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के दूरसंचार जिलों में टेलीफोन अदालतों की तिथियां

क्र. सं.	दूरसंचार जिलों के नाम	टेलीफोन अदालतों की तिथियां
1	2	3
1.	इलाहाबाद	25.5.01, 28.7.01, 29.9.01, 19.1.02, 23.3.2002
2.	आजमगढ़	27.7.01, 18.10.01, 22.01.02, 20.3.02
3.	बहराइच	16.5.01, 26.7.01, 15.9.01, 16.11.01, 28.1.02, 14.3.02
4.	बलिया	30.8.01, 12.11.01, 9.2.02
5.	बांदा	10.8.01, 5.9.01, 29.9.01, 8.12.01, 8.2.02, 15.3.02
6.	बाराबंकी	17.5.01, 14.7.01, 26.9.01, 28.11.01, 29.1.02

1	2	3
7.	बस्ती	28.6.01, 27.7.01, 25.9.01, 20.11.01, 21.1.02, 23.3.02
8.	इटावा	20.5.01, 28.7.01, 10.10.01, 17.1.02, 26.2.02, 27.3.02
9.	फैजाबाद	30.5.01, 17.8.01, 29.12.01, 23.3.02
10.	फर्रुखाबाद	13.6.01, 30.8.01, 29.12.01, 19.1.02
11.	फतेहपुर	7.09.01, 7.12.01, 7.3.02
12.	गाजीपुर	20.9.01, 28.11.01, 29.1.02
13.	गोंडा	22.5.01, 29.5.01, 7.8.01, 16.8.01, 20.12.01, 21.12.01
14.	गोरखपुर	20.10.01, 15.12.01
15.	हमीरपुर	13.6.01, 29.9.01, 13.11.01, 20.11.01,5.12.01, 20.12.01, 15.02.02
16.	हरदोई	11.7.01, 24.9.01, 12.12.01, 20.2.02
17.	जौनपुर	20.9.01, 26.12.01, 5.2.02, 5.3.02
18.	झांसी	31.8.01, 28.12.01, 19.1.02, 25.1.02, 7.2.02, 9.2.02, 20.2.02, 22.2.02, 27.2.02
19.	कानपुर	13.6.01, 29.8.01, 12.11.01, 13.2.02
20.	लखीमपुर	30.5.01, 30.7.01, 21.9.01, 27.12.01
21.	लखनऊ	21.4.01, 18.8.01, 3.11.01, 4.1.02, 27.3.02
22.	मैनपुरी	25.10.01, 27.10.01, 5.2.02, 7.2.02
23.	मऊ	15.6.01, 24.9.01, 5.12.01, 21.1.02, 26.3.02
24.	देवरिया	5.12.01, 29.1.01, 23.3.02
25.	मिर्जापुर	2.8.01, 20.11.01, 15.1.02, 15.3.02
26.	ओरई	22.5.01, 24.7.01, 12.10.01, 11.12.01.12/2, 19.3.02
27.	प्रतापगढ़	5.7.01, 30.8.01, 23.11.01, 20.01.02, 22.03.02
28.	रायबरेली	11.5.01, 26.7.01, 10.9.01, 20.11.01, 30/1, 15.3.02
29.	शाहजहांपुर	18.5.01, 1.9.01, 19.1.02
30.	सीतापुर	21.2.02
31.	सुल्तानपुर	13.6.01, 28.8.01, 4.10.01, 12.12.01, 30.1.02, 20.3.02
32.	उन्नाव	30.5.01, 7.8.01, 27.9.01, 31.1.02, 27.2.02
33.	वाराणसी	5/01, 9/01, 1/02, 3/02

वर्ष 2000-01 के दौरान उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के दूरसंचार सर्किल में आयोजित टेलीफोन अदालतों की तिथियां

दूरसंचार सर्किल	2000-01 के लिए तिथियां	2001-02 के लिए तिथियां
1	2	3
आगरा	19/12/00	30/5/01,28/8/01, 16/1/02
अलीगढ़		
बरेली	*	23/6/01, 19/9/01, 6/2/02

1	2	3
बदायूं	26/4/01, 10/6/01, 19/8/01	01/04/01, 06/01/08/01
बिजनौर	9/5,28/6,23/8,222/10,20/12,26/2	3/601, 10/8/01, 15/11
बुलंदशहर	*	22/8/01, 28/11/01
एटा	20/8/00	30/5/01, 20/8/01, 7/12/01, 20/3/02
गाजियाबाद	23/3/01	28/5/01, 28/8/01, 28/12/01
मेरठ	10/8/00, 16/3/01	30/5/01, 5/10/01, 11/3/02
मथुरा	8/6/00, 30/8/00	4/1/02, 27/3/02
मुरादाबाद	18/8/00, 2/1/01	15/6, 17/7, 30/8, 20/11, 21/1
मुजफ्फरपुर	8/7/00	26/5,20/9, 27/11, 24/1,19/3
नोएडा	5/7/00, 20/9/00, 20/11/00, 15/1/01	14/3/02
पीलीभीत	*	25/1/02
रामपुर	17/5/00, 15/2/01	28/5/01, 9/8/01, 20/12/01
सहारनपुर	31/3/00, 28/11/00	24/5/01, 30/8/01

* टेलीफोन अदालत आयोजित हुई।

मध्य प्रदेश सर्किल में 2000-2001 व 2001-02 में लगाई गई दूरभाष-अदालतों की तिथियां

क्रम सं.	एसएसए	वर्ष 2000-01 में लगाई गई दूरभाष अदालतों की तिथियां	वर्ष 2001-02 में लगाई गई दूरभाष - अदालतों की तिथियां
1	2	3	4
1.	बालाघाट	*	23.7.01, 7.12.01, 18.2.02, 19.3.02
2.	बैतुल	*	31.7.01, 28.9, 23.11.01, 31.12.01, 15.2.02, 29.3.02
3.	भोपाल	22.6.00, 28.12.00	29.6.01, 28.8.01, 15.10.01, 19.12.01, 26.2.02
4.	भिंड	*	*
5.	छत्तरपुर	*	12.7.01, 14.9.01, 8.11.01, 27.12.01, 8.2.02, 19.3.02
6.	छिंदवाड़ा	5.03.00, 6.6.00, 18.10.00	15.5.01, 6.8.01, 24.10.01, 20.12.01, 8.3.02
7.	दमोह	10.10.00	8.11.01, 7.12.01, 30.1.02, 25.2.02, 27.3.02
8.	देवास	18.5.00, 12.2.01	27.4.01, 29.6.01, 24.8.01, 1.11.01, 27.12.01, 28.2.02

1	2	3	4
9.	धार	24.4.00	3.5.01, 26.9.01, 5.11.01, 20.12.01, 30.01.02, 1.3.02
10.	गुना	*	4.5.01, 24.8.01, 26.9.01, 28.11.01, 16.1.02, 11.3.02
11.	ग्वालियर	26.5.00, 3.11.00, 5.2.01, 30.3.01	21.6.01, 11.9.01, 21.12.01, 28.1.02, 27.2.02, 20.3.02
12.	होशंगाबाद	14.7.00, 19.2.01, 28.3.01	6.7.01, 28.8.01, 29.9.01, 27.11.01, 30.1.02, 28.2.02
13.	इंदौर	1.6.00, 2.9.00	28.5.01, 19.7.01, 18.9.01, 20.11.01, 21.1.02, 26.3.02
14.	जबलपुर	7.6.00, 5.12.00, 23.1.01, 22.3.01	31.5.01, 25.9.01, 29.11.01, 22.2.02
15.	झाबुआ	*	23.4.01, 26.9.01, 20.11.01, 22.1.02, 29.5.02, 20.3.02
16.	खंडवा	7.6.00, 16.10.00, 10.2.01	29.6.01, 20.8.01, 29.9.01, 16.11.01, 18.1.02, 21.3.02
17.	खरगौन	18.8.00, 20.10.00, 23.2.01, 24.3.01	20.6.01, 21.7.01, 14.9.01, 4.1.02, 22.2.02, 22.3.02
18.	मंडला	*	30.7.01, 27.9.01, 30.10.01, 5.12.01, 13.2.02
19.	मंदसौर	14.9.00, 20.12.00	5.7.01, 28.9.01, 31.10.01, 28.12.01, 25.2.02
20.	मुरैना	—	18.7.01
21.	नरसिंहपुर	19.6.00, 28.9.00, 12.1.01	28.8.1, 20.11.01, 13.12.01, 16.1.02, 12.2.02, 14.3.02
22.	पन्ना	*	*
23.	रायसेन	*	*
24.	राजगढ़	*	21.11.01
25.	रतलाम	7.6.00, 4.1.01	30.4.01, 8.8.01, 8.11.01, 15.1.02. 15.3.02
26.	रीवा	4.4.00	17.1.01, 17.5.01, 8.8.01 16.10.01, 5.3.02
27.	सागर	*	30.7.01, 28.9.01, 20.11.01, 21.1.02, 1.2.02
28.	सतना	*	30.5.01 10.8.01, 25.9.01, 20.11.01, 25.1.02, 22.3.02
29.	सिवनी	*	8.8.01 28.9.01, 27.11.01, 22.1.02, 5.3.02, 27.3.02
30.	शहडोल	23.6.00, 28.12.00, 23.2.01	29.6.01, 17.7.01, 21.9.01, 21.11.01, 21.1.02, 21.3.02

1	2	3	4
31.	शाजापुर	6.7.00	22.2.02
32.	शिवपुरी	27.6.00	29.8.01, 27.11.01, 7.12.01, 8.1.02, 15.2.02, 26.3.02
33.	सीधी	*	10.9.01
34.	उज्जैन	20.4.00, 25.7.00, 24.11.00, 23.3.01	22.5.01, 20.7.01, 30.8.01, 6.11.01, 20.1.02, 20.3.02
35.	विदिशा	6.3.01	15.5.01, 25.7.01, 24.9.01, 27.11.01, 24.1.02, 22.3.02

* दूरभाष-अदालतें नहीं लगीं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा वर्ष 2000-01 व 2001-02 में आयोजित दूरभाष-अदालतों की तिथियां

क्र.सं.	1.4.2000 से 31.3.2001 के बीच आयोजित दूरभाष-अदालतों की तिथियां	1.4.2001 से 31.3.2002 के बीच आयोजित दूरभाष-अदालतों की तिथियां
1.	2.4.2000	22.4.2001
2.	23.4.2000	8.7.2001
3.	14.5.2000	22.7.2001
4.	28.5.2000	19.8.2001
5.	2.7.2000	26.8.2001
6.	16.7.2000	16.9.2001
7.	30.7.2000	30.9.2001
8.	6.8.2000	21.10.2001
9.	20.8.2000	28.10.2001
10.	27.8.2000	16.12.2001
11.	15.10.2000	23.12.2001
12.	22.10.2000	-
13.	3.12.2000	-
14.	17.12.2000	-
15.	18.2.2001	-
16.	25.2.2001	-
17.	18.3.2001	-
18.	25.3.2001	-

वर्ष 2000-01 व 2001-02 में उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार-सर्किल में पंजीकृत व निपटाए गए मामले

क्रम सं.	दूरसंचार जिले का नाम	2000-2001		2001-2002	
		पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले	पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	39	39	60	60
2.	आजमगढ़	228	228	327	327
3.	बहराइच	42	42	29	29
4.	बलिया	38	33	22	20
5.	बांदा	शून्य	शून्य	143	67
6.	बाराबंकी	102	102	130	130
7.	बस्ती	शून्य	शून्य	337	337
8.	इटावा	19	19	40	40
9.	फैजाबाद	34	32	113	104
10.	फर्रुखाबाद	59	59	94	94
11.	फतेहपुर	शून्य	शून्य	5	5
12.	गाजीपुर	शून्य	शून्य	24	24
13.	गोंडा	70	69	90	79
14.	गोरखपुर	10	10	70	39
15.	हमीरपुर	0	0	20	20
16.	हरदोई	0	0	36	36
17.	जौनपुर	0	0	22	22
18.	झांसी	67	67	839	839
19.	कानपुर	121	101	202	182
20.	लखीमपुर	3	3	23	23
21.	लखनऊ	375	375	245	245
22.	मैनपुरी	0	0	29	29
23.	मऊ	89	64	143	98
24.	देवरिया	0	0	96	50
25.	मिर्जापुर	1	1	8	8

1	2	3	4	5	6
26.	ओरई	0	0	22	22
27.	प्रतापगढ़	0	0	84	54
28.	रायबरेली	3	3	10	10
29.	शाहजहांपुर	18	18	37	37
30.	सीतापुर	3	3	1	1
31.	सुल्तानपुर	0	0	27	21
32.	उन्नाव	10	10	39	39
33.	वाराणसी	17	17	21	21
	जोड़	1348	1295	3388	3112

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल में वर्ष 2000-01 व 2001-02 में पंजीकृत व निपटाए गए मामलों की संख्या

	2000-2001		2001-2002	
	पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले	पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5
आगरा	57	45	315	291
अलीगढ़	54	54	21	21
बरेली	0	0	141	105
बड़ौत	68	68	0	0
बिजनौर	20	20	47	42
बुलंदशहर	0	0	41	32
एटा	16	16	58	58
गजियाबाद	58	58	67	65
मेरठ	64	64	25	25
मथुरा	15	12	19	16
मुरादाबाद	31	18	118	101
मुज़फ्फरनगर	24	24	76	76
नोएडा	0	0	70	70

1	2	3	4	5
पीलीभीत	0	0	3	3
रामपुर	6	5	24	23
सहारनपुर	0	0	54	52
कुल	413	384	1079	980

मध्य प्रदेश सर्किल में वर्ष 2000-01 व 2001-02 में आयोजित दूरभाष-अदालतों में पंजीकृत व निपटाए गए मामले

क्रम सं.	एसएसए	वर्ष 2000-01 में आयोजित दूरभाष अदालत		वर्ष 2001-02 में आयोजित दूरभाष अदालत	
		पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले	पंजीकृत मामले	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6
1.	बालाघाट	*	*	29	25
2.	बैतुल	*	*	5	5
3.	भोपाल	97	97	68	68
4.	भिंड	*	*	*	*
5.	छत्तरपुर	*	*	21	21
6.	छिंदवाड़ा	7	7	3	3
7.	दमोह	3	3	11	11
8.	देवास	7	7	4	4
9.	धार	*	*	17	17
10.	गुना	*	*	32	32
11.	ग्वालियर	54	54	40	37
12.	होशंगाबाद	72	72	25	25
13.	इंदौर	119	119	94	93
14.	जबलपुर	198	198	163	163
15.	झाबुआ	*	*	71	71
16.	खंडवा	28	28	46	46
17.	खरगौन	33	33	64	64
18.	मंडला	*	*	25	25

1	2	3	4	5	6
19.	मंदसौर	11	11	15	15
20.	मुरैना	*	*	1	1
21.	नरसिंहपुर	7	7	7	7
22.	पन्ना	*	*	*	*
23.	रायसेन	*	*	*	*
24.	राजगढ़	*	*	*	*
25.	रतलाम	12	12	3	3
26.	रीवा	4	4	38	38
27.	सागर	*	*	20	19
28.	सतना	*	*	34	34
29.	सिवनी	*	*	2	2
30.	शहडोल	10	10	46	46
31.	शाजापुर	*	*	2	*
32.	शिवपुरी	*	*	5	5
33.	सीधी	*	*	11	11
34.	उज्जैन	20	20	6	6
35.	विदिशा	*	*	1	1
	जोड़	682	682	909	898

* दूरभाष अदालतें नहीं लगीं।

[अनुवाद]

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाईयों का निर्माण कार्य

6346. श्री आर.एस. पाटिल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाईयों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाईयों का निर्माण-कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक में स्थित कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के तीसरे और चौथे यूनिटों में से प्रत्येक में 220 मेगावाट क्षमता वाले दो-दो यूनिट हैं। निर्माण-कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और पहली बार रिएक्टर कंकरीट डालने का काम मार्च, 2002 में कर लिया गया है। कैगा यूनिट 3 तथा 4 के क्रमशः मार्च, 2007 तथा सितम्बर, 2007 में वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करने की आशा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेल पटरियों पर समपार

6347. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेल पटरियों पर समपारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) रेल मंत्रालय के परामर्श से इन स्थानों पर ओवर/अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) लेबल क्रासिंग का आर ओ बी/आर यू बी में परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत तथा साध्यता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इस समय 173 आर ओ बी/आर यू बी निर्माणाधीन/प्रस्ताव स्तर पर हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	लेबल क्रासिंग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	89
2.	असम	18
3.	बिहार	64
4.	छत्तीसगढ़	17
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	22
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	झारखंड	14
10.	कर्नाटक	64
11.	केरल	15
12.	मध्य प्रदेश	31
13.	महाराष्ट्र	16
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	26
16.	पंजाब	35
17.	राजस्थान	24
18.	तमिलनाडु	80
19.	उत्तर प्रदेश	95
20.	उत्तरांचल	6
21.	पश्चिम बंगाल	55

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना का मूल्यांकन

6348. श्री शिवाजी माने:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहा और इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस तरह का अध्ययन कब तक कराने का है; और

(घ) सरकार द्वारा योजना को और परिणामोन्मुखी बनाने हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के मूल्यांकन का दूसरा दौर, कार्यक्रम वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान (आईएएमआर),

नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2000-01 में पांच राज्यों- असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और राजस्थान के 13 जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें 16,397 लाभार्थी शामिल थे। मूल्यांकन की अन्तिम रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है। मूल्यांकन अध्ययन (दूसरा दौर) के प्रमुख निष्कर्ष विवरण-I में संलग्न हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-99, 2000-01 तथा 2001-02 (जनवरी, 2000 तक) के दौरान योजना के अन्तर्गत ऋण संवितरित किए गए व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे विवरण-II में संलग्न हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) योजना को और अधिक परिणामजनक बनाने के लिए, आय, शैक्षिक अर्हता, आय मानदण्ड, निवास स्थान संबंधी मानदण्ड, परियोजना लागत, शामिल किए गए क्रियाकलाप, कालैटरल सिक्यूरिटी के प्रावधान आदि के संबंध में योजना के पैरामीटर संशोधित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन अभिकरणों को योजना के अन्तर्गत क्रियाकलापों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए समय अनुसूची का पालन करने के अनुदेश दिए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर समितियां भी गठित की गई हैं।

विवरण-I

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (दूसरा दौर) के मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

1. 61.3 प्रतिशत लाभार्थी सामान्य श्रेणी, 25.6% अन्य पिछड़ी श्रेणियों, 11% अनुसूचित जातियों तथा 2.1% अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। महिलाओं का अनुपात 14% है।
2. स्वीकृति, लक्ष्य का 81.6% तथा स्वीकृति मामलों के 74.7% का संवितरण किया गया।
3. प्रति लाभार्थी 57,403 रु. की औसत राशि संवितरित की गई।
4. प्रति क्रियाशील इकाई सृजित रोजगार 1.94 व्यक्ति है।
5. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का संवितरण क्रमशः 49.9% और 50.1% है।
6. संवितरण किए गए मामलों के 89.7% में परिसम्पतियां सृजित की गई।
7. 36.4% लाभार्थी ऋण किस्त का समय पर भुगतान कर रहे थे।
8. दोषपूर्ण मामलों के 16% में जानबूझकर चूक की गई।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 और 2001-02 (जनवरी, 2002 तक) के दौरान बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राज्यवार संवितरित किए गए ऋण

(आर.बी.आई. रिपोर्ट के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/सं. राज्य क्षेत्र	बैंकों द्वारा संवितरित			
		1998-99	1999-2000 (सं.)	2000-2001 (सं.)	2001-2002 (सं.) जून 2002 तक
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
1.	हरियाणा	5742	5856	5970	2521
2.	हिमाचल प्रदेश	1913	2011	1948	1073
3.	जम्मू एवं कश्मीर	835	871	660	452
4.	पंजाब	8075	8519	7749	3754

1	2	3	4	5	6
5.	राजस्थान	10059	11089	11159	3763
6.	चंडीगढ़	75	51	48	59
7.	दिल्ली	508	614	716	325
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र					
8.	आसाम	5525	5850	3379	445
9.	मणिपुर	407	310	16	0
10.	मेघालय	202	356	213	26
11.	नागालैंड	40	73	26	25
12.	त्रिपुरा	110	244	332	308
13.	अरुणाचल प्रदेश	166	215	265	15
14.	मिजोरम	37	84	75	3
15.	सिक्किम	45	43	40	17
पूर्वी क्षेत्र					
16.	बिहार	8364	9159	8619	2181
17.	झारखंड	–	–	–	922
18.	उड़ीसा	3106	6731	4457	407
19.	पश्चिम बंगाल	2726	2910	2087	502
20.	अंडमान निकोबार	77	128	115	41
केन्द्रीय क्षेत्र					
21.	मध्य प्रदेश	19102	21207	18746	3108
22.	छत्तीसगढ़	–	–	–	660
23.	उत्तर प्रदेश	35023	36919	34857	12708
24.	उत्तरांचल	–	–	–	2559
पश्चिमी क्षेत्र					
25.	गुजरात	10607	10085	7997	2932
26.	महाराष्ट्र	26346	26202	20146	7180
27.	दमन एवं दीव	21	17	19	5

1	2	3	4	5	6
28.	गोवा	300	382	261	75
29.	दादरा एवं नगर हवेली	28	25	22	10
दक्षिण क्षेत्र					
30.	आंध्र प्रदेश	15186	13309	12178	3806
31.	कर्नाटक	13188	15255	9317	2645
32.	केरल	11749	12500	10298	3233
33.	तमिलनाडु	11422	12154	9319	4832
34.	लक्षद्वीप	31	33	16	13
35.	पांडिचेरी	330	252	214	76

नोट: झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के संबंध में योजना की प्रगति को वर्ष 2000-01 तक बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्रगति रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में बेकार पड़ी मशीनें

6349. **श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:**
श्री राजो सिंह:
श्री अबुल हसनत खां:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के अधिकांश अस्पतालों में छोटे ट्यूमर और मस्तिष्क में खून के थक्के की जांच के लिये प्रयुक्त होने वाली पी.टी.वी. सीटी स्कैन और अन्य महत्वपूर्ण मशीनें काफी समय से खराब/बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी परिणामस्वरूप रोगी निजी अस्पतालों में मंहगे और महत्वपूर्ण जांच कराने के लिये बाध्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस तरह की अप्रयुक्त पड़ी मशीनों के लिये कोई जवाबदेही निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या विदेशों से आयात की गई कई मशीनें अब तक स्थापित नहीं की गई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पतालों का सम्बन्ध है, इन अस्पतालों में स्थापित सी.टी. स्कैन की मशीनें पूरी तरह कार्य कर रही हैं।

मुम्बई में केन्द्र सरकार के संस्थान अर्थात अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान में कोई सी.टी. स्कैन मशीन नहीं है।

सी.टी. स्कैन की मशीन के कार्य न करने की दशा में ऐसी जांचों के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों के साथ सहयोग व्यवस्था की जाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के एक लाख रुपए से अधिक लागत वाले उपस्करों के कार्य न करने की दशा की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में प्रतिमाह निगरानी की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में विदेशों से आयात किया गया कोई चिकित्सा उपस्कर ऐसा नहीं है जिसे संस्थापित नहीं किया गया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पताल में हेमोडायलिसिस मशीन और स्पारोमीटर के साथ फुफ्सीय कार्य परीक्षण की मशीन स्थापित की जा रही है।

इस्लामाबाद में भारतीय मिशन का पुनः खोला जाना

6350. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस्लामाबाद में भारतीय मिशन पुनः खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) 27 दिसम्बर, 2001 को सरकार ने भारत और पाकिस्तान स्थित मिशनों में कर्मियों की संख्या में पचास प्रतिशत (50%) कटौती करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यह निर्णय संसद के विरुद्ध 13 दिसम्बर के आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा घोषित राजनयिक उपायों की कड़ी का एक भागस्वरूप है।

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग तब से कर्मियों की घटी हुए संख्या के साथ कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जे.एन.पी.टी. को राजस्व घाटा

6351. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने अपने पास बेकार पड़ी जनशक्ति और उपकरणों से बफरयार्ड को संचालित करने और बनाये रखने हेतु पर्याप्त आधार संरचना के बावजूद इसे बाहर की एक एजेंसी को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप 19.79 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जबावदेही निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने वर्ष 1997 में मैसर्स सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को बफर यार्ड का प्रबन्धन सौंपा था। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के पास बफर यार्ड में प्रचालन करने के लिए पर्याप्त हैंडलिंग उपस्कर (रीच स्टेकर्स और ट्रैक्टर ट्रेलर्स) नहीं थे। पत्तन न्यास के पास वर्ष 1997 में बफर यार्ड के प्रबन्धन और प्रचालन के लिये अपेक्षित प्रशिक्षित और सक्षम जनशक्ति नहीं थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एम.टी.एन.एल. मोबाइल सेवा

6352. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.टी.एन.एल. द्वारा वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान वर्ष-वार और योजना-वार कितने मोबाइल टेलीफोन जारी किये गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण सेवा के संबंध में उपभोक्ताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) एम.टी.एन.एल. द्वारा सेवा में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एम.टी.एन.एल. की सेल्यूलर मोबाइल सेवा फरवरी 2001 में दिल्ली और मुंबई में शुरू की गई थी। पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदान किए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है।

वर्ष	दिल्ली			मुंबई		
	स्कीम सहित	स्कीम रहित	जोड़	स्कीम सहित	स्कीम रहित	जोड़
2000-2001	शून्य	10211	10211	शून्य	8032	8032
2001-2002	56836	32768	89604	71359	36957	108316

स्कीम-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

दिल्ली		मुंबई	
स्कीम अवधि	बुकिंग की संख्या	स्कीम अवधि	बुकिंग की संख्या
30.8.01 से 22.9.01 तक	10371	23.7.01 से 4.8.01 तक	6614
15.11.01 से 10.12.01 तक	21722	8.10.01 से 31.10.01 तक	15446
		13.11.01 से 10.12.01 तक	33644
8.3.02 से 28.3.02 तक	24743	8.3.02 से 28.3.02 तक	15655

(ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	दिल्ली	मुंबई
2000-2001	1321	632
2001-2002	15496	16046

(ग) सेवा में सुधार लाने के लिए एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) दिल्ली और मुंबई क्षेत्र में रेडियो फ्रिक्वेंसी (आरएफ) कवरेज में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त बेस स्टेशनों (बीटीएस) की संस्थापना।

(ii) दिल्ली के साथ संलग्न शहरों अर्थात् नौएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में तथा मुंबई के दो संलग्न शहरों अर्थात् कल्याण और डोम्बिविली में क्रमश: 66 और 26 बीटीएस की संस्थापना करके सेवा का विस्तार करना।

(iii) दोनों शहरों में नेटवर्क की रेडियो फ्रिक्वेंसी को अनुकूल बनाना।

(iv) पूरे देश में राष्ट्रीय रोमिंग सेवा शुरू करना।

(v) सहायता डेस्क में सुधार करना।

(vi) मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरूआत करना।

(vii) मौजूदा बिलिंग प्रणाली में सुधार करना।

ग्रामीण टेलीफोन

6353. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान स्विचिंग क्षमता, नई लाइन, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन और यहां तक कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के संबंध में पूरा लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में कुछ सुधार के बावजूद वर्ष 2001-2002 के दौरान बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के टेलीफोनों के खराब होने की दर ऊंची रही; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) स्विचन क्षमता, नई लाइनों, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों और ऑप्टिकल फाइबर केबलों के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान दोष दर में कमी हुई है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	पैरामीटर	लक्ष्य	उपलब्धियां
बी एस एन एल			
1.	स्विचन क्षमता (लाख लाइनों में)	78.81	68.7
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाख लाइनों में)	68.3	53.21
3.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (संख्या)	83903	70755
4.	ऑप्टिल फाइबर केबल (रूट कि.मी.)	126000	99620
एम टी एन एल			
1.	स्विचन क्षमता (लाख लाइनों में)	3.3	5.3
2.	नई लाइनें (स्थिर लाइनें और मोबाइल सेवा (लाख लाइनों में)	3.5	4.25
3.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	लागू नहीं, क्योंकि एमटीएनएल केवल दो महानगरों में अपनी सेवाएं देता है और वीपीटी प्रदान नहीं करता।	
4.	ऑप्टिकल फाइबर केबल	20,000 फाइबर कि.मी.	27,777 फाइबर कि.मी.

(ख) कमी के कारण

बीएसएनएल

1. स्विचन क्षमता में कमी मुख्यत: सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपस्कर के 15 लाख लाइनों हेतु क्रय आदेश को देने में देरी के कारण हुई। समग्र सीधी एक्सचेंज लाइनों की उपलब्धि लगभग 73 लाख रही जो पिछले किसी वर्ष में से सबसे अधिक थी। तथापि लगभग 20 लाख कनेक्शन कटने के कारण निवल उपलब्धि मात्र 53.21 लाख लाइनों की हो गई।

2. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के मामले में कमी मुख्यत: वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) उपस्करों की आपूर्ति में देरी और पूर्वोत्तर, असम और जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा कारणों से फ्रिक्वेंसी आबंटन हेतु स्थायी सलाहकार समिति की मंजूरी न मिलने के कारण हुई। इसके बावजूद पिछले सर्वोत्तम कार्य निष्पादन एक वर्ष में लगभग 43,000 की तुलना में उपलब्धि सर्वाधिक रही।

3. ओ एफ सी के मामले में कमी मुख्यत: पीएलबी (चिकनाईयुक्त) पाइपों की कम उपलब्धता के कारण हुई क्योंकि यह एक नया उत्पाद था और इसका पहली बार उपयोग किया जा रहा था। यह उपलब्धि भी सर्वाधिक थी।

एमटीएनएल

2001-2002 के दौरान निवल सीधी एक्सचेंज लाइनों में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

1. आर्थिक कारणों से बड़े पैमाने पर टेलीफोनों का अभ्यर्पण
2. अतिरिक्त टेलीफोनों का अभ्यर्पण
3. भुगतान न होने के कारण टेलीफोन-कनेक्शन काट देना
4. प्रतिस्पर्धात्मक दरों के कारण स्थिर लाइनों से मोबाइल सेवा में माइग्रेशन।

मुम्बई पत्तन न्यास को राजस्व घाटा

6354. श्री रामजी मांझी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000 (सिविल) की रिपोर्ट सं. 4 के पैराग्राफ 11.16 में मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा लिये गये गलत फैसले के तथ्य को उजागर किया है जिसके परिणामस्वरूप इसे लाखों करोड़ों रुपये का घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में उजागर किये गये मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एम.बी.पी.टी. की कार्यप्रणाली और इसकी खरीद को चुस्त-दुरूस्त बनाने तथा घाटे के दोषी लोगों पर उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया गया है कि अधिक पाइप खरीदे गए, 1994 में पाइपों को खरीदने के बाद पाइपलाइन डालने में तीन से चार वर्ष का विलम्ब हुआ और पूर्ति के बाद भी छोटी-छोटी दरारें पड़ने और पिन होल में जंग लगाने से हुए रिसाव और परिणामस्वरूप निधियों को रोक दिए जाने के कारण डेढ़ वर्ष तक लाइन का प्रचालन शुरू नहीं किया जा सका। इस मामले की मुम्बई पत्तन न्यास के साथ परामर्श करके जांच की गई। पाइपों की मात्रा 1952/1955 में डाले गए पुराने पाइपों के मार्ग की लम्बाई तथा पुन: मार्गीकरण/पुन: संरेखण के कारण पूर्वानुमानित अतिरिक्त लम्बाई जो कि भूमिगत सेवाओं को बाईपास करने के लिए आवश्यक हो सकती है, के आधार पर खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन डालने में विलम्ब उन अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण हुआ जिनका भूमिगत पाइप लाइन डालते समय सामना करना पड़ा। उसी क्षेत्र में जिसमें पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव था, अन्य एजेंसियों की डाली गई भूमिगत सेवाओं की मौजूदगी का तब पता चला जब ठेकेदारों ने परीक्षण के तौर पर गड्ढे खोदे जिसके लिए कई संबंधित एजेंसियों की अनुमति लेनी पड़ी और पाइपलाइन के संरेखण में परिवर्तन भी करना पड़ा। डाले गए पाइपों को विशिष्ट स्थानों पर आई दरारों के कारण चालू नहीं किया जा सका और विशेषज्ञ एजेंसी के अभिमत के अनुसार ये दरारें दलदली और तलछटीय पर्यावरण और परिणामस्वरूप पिन होल द्वारा पाइपलाइन में लगे जंग के कारण पैदा हुई होंगी। यह महसूस किया गया कि ऐसी परियोजना के निष्पादन के पाइपों को अग्रिम रूप से योजना बनाकर खरीदना और विशिष्टियों के अनुसार उन पर कोट करना तथा कोटिंग के लिए उन्हें तैयार रखना आवश्यक था। न डाले गए पाइपों के एक भाग का उपयोग मरम्मत/प्रतिस्थापन में किया जायेगा और शेष पाइपों को बेच दिया जाएगा। मुम्बई पत्तन को अधिक/फालतू सामग्री को बेचने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। पत्तन ने आगे यह आश्वासन दिया है कि भूमिगत पाइप लाइन डालने का जब भी कोई अवसर आएगा, सावधानीपूर्वक आवश्यक जांच की जाएगी ताकि पथ से विचलित बहाव की मौजूदगी का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि तलछटी और दलदली तो नहीं है।

उपर्युक्त पैरे पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट को इस मंत्रालय के वित्त पक्ष के परामर्श से तैयार करके और लेखापरीक्षा द्वारा इसका पुनरीक्षण करने के बाद लोक सभा सचिवालय को भेजने के लिए वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

निजी दूरसंचार कंपनियों से वसूला गया परिसमापन क्षति प्रभार

6355. श्री टी. गोविन्दन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन निजी दूरसंचार कंपनियों से परिसमापन क्षति संबंधी शुल्क के माध्यम से कुल कितनी धनराशि वसूली गई है जिन्होंने अब तक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विलम्ब किया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विलम्ब करने वाले निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से 82.38 करोड़ रुपये का परिसमापन क्षति प्रभार वसूल किया गया है।

पत्तन न्यासों द्वारा अतिरिक्त भूमि की बिक्री

6356. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और विशाखापत्तनम पत्तन न्यासों से उनकी अतिरिक्त भूमि की बिक्री हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी संपत्तियों की बिक्री हेतु शर्तें निर्धारित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पत्तन न्यासों द्वारा ऐसी भू संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि के लक्षित उपयोग के लिए सौंपी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) मुम्बई पत्तन न्यास को छोड़कर अन्य किसी पत्तन न्यास से अतिरिक्त भूमि की बिक्री हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पत्तन उपयोग के लिए अनावश्यक भूमि की बिक्री से संबंधित मुम्बई पत्तन न्यास के प्रस्ताव में टिटवाला में 28.39 हेक्टेयर भूमि की बिक्री, शहर में विभिन्न स्थानों पर 24 वर्ग मीटर से लेकर 3000 वर्ग मीटर तक के अन्य छोटे खाली प्लाटों की 3.68 हेक्टेयर भूमि और 2951 पट्टेदारों/किरायेदारों को किराए पर दी गई 306.75 हेक्टेयर भूमि की बिक्री शामिल है।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस बिक्री से अर्जित राशि के लक्षित उपयोग के लिए मुम्बई पत्तन ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन

6357. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में पासपोर्ट पंजीकरण शुल्क में की गयी वृद्धि का देश के अधिसंख्य लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पंजीकरण शुल्क को वापस लेने अथवा उसे घटाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार को पासपोर्ट फीस में हाल ही में हुई वृद्धि को वापस लेने अथवा उसमें कटौती करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार निम्नलिखित कारणों से पासपोर्ट फीस में हुई वृद्धि की समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं करती:

1. पासपोर्ट फीस को पिछली बार 1993 में निर्धारित किया गया था और पासपोर्ट को जारी करने की लागत पर्याप्त रूप से बढ़ गई है।

2. प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन हुए हैं और पासपोर्ट पुस्तिका को समय के साथ-साथ अनेक नई सुरक्षा विशेषताओं सहित और अधिक सुरक्षित और हेरफेर रहित बना दिया गया है। पासपोर्ट का मशीनी लेखन चरणबद्ध तरीके से आरंभ हो चुका है और सभी पासपोर्ट कार्यालयों का समेकित कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। ये सभी पूंजी लगने वाले कार्य हैं।

3. पासपोर्ट सेवाओं का विकेंद्रीकरण सरकार द्वारा उठाया गया प्रमुख कदम है और आवेदकों के लिए जिला स्तर पर पासपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना संभव होगा। राज्य सरकारों को उनके द्वारा विकेंद्रीकरण प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित पद

6358. श्री राम टहल चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समूह 'ख' में पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान कितने पदों को भरा गया है;

(ख) क्या आरक्षण के मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसके शब्दश: अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के कदयानल्लूर में प्रधान डाकघर का निर्माण

6359. श्री एस. मुरूगेसन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कदयानल्लूर में प्रधान डाकघर खोलने हेतु एक भवन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) कदयानल्लूर में कोई मुख्य डाकघर नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उच्चायुक्तों/राजदूतों के रूप में एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति

6360. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक विभिन्न देशों में नियुक्त किये गए उच्चायुक्तों/राजदूतों का स्थानवार ब्यौरा क्या है और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति हैं;

(ख) उच्चायुक्तों/राजदूतों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा के कितने अधिकारी हैं और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कितने अधिकारी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशनों में उक्त श्रेणियों के अधिकारियों को उनकी संख्या के अनुपात में नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) विगत तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित देशों में 114 राजदूतों/हाई कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है:

अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंगोला, आर्मेनिया, आस्ट्रिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बेलजियम, भूटान, ब्राजील, बुल्गारिया, कम्बोडिया, चिली, चीन, कम्बोडिया, कोट-डी-आईवरी, क्रोएशिया, क्यूबा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, मिश्र, इथोपिया, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इंडोनिशया, ईरान, इराक, आयरलैण्ड, इजराइल, इटली, जापान, जोर्डन, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, कुवैत, किर्गीजस्तान, लाओस, लेबनान, लीबिया, मेडागास्कर, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, नार्वे, ओमान, पनामा, पेरू, फिलीपीन्स पौलैण्ड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, रूसी परिसंघ, साऊदी अरब, सेनेगल, स्लोवाक गणराज्य, स्पेन, सूडान, सूरीनाम, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, सीरिया, ताजिकिस्तान, थाईलैण्ड, टयूनिशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उक्रेन, संयुक्त राज्य अमरीका, उजबेकिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, यूगोस्लाविया, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बोत्सवाना, ब्रुनेई, दारूस्लाम, साइप्रस, फिजी, घाना, जमैका, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, मौजाम्बिक, नामीबिया, न्यूजीलैण्ड, नाईजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, ट्रिनीडाड एंड टोबागो, उगान्डा, और जिम्बाम्बवे। उल्लिखित में से, कुल 14 राजदूत/हाई कमिश्नर आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तन, उत्तरी कोरिया, लेबनान, पनामा, पेरू रोमानिया, स्वीडन, तुर्कमेनिस्तान, मारीशस, न्यूजीलैण्ड, उगाण्डा और जिम्बाबवे में नियुक्त एस सी श्रेणी के हैं तथा 6 राजदूत/हाई कमिश्नर इथोपिया, ओमान, स्लोवाक गणराज्य, उक्रेन, बोत्सवाना और नामीबिया में नियुक्त एस टी श्रेणी के हैं। वर्ष 1994 से ओ बी सी श्रेणी दर्जे के आधार पर अधिकारियों की भर्ती आरम्भ हुई थी और इसके पश्चात ओ बी सी श्रेणी के अधिकारियों ने अभी भी राजदूत/हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित वरिष्ठता प्राप्त नहीं की है।

(ख) विदेश सेवा से राजदूतों/हाई कमिश्नरों के पद पर नियुक्तियां अनेक मानदण्डों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ उनकी पृष्ठ भूमि, संगत अनुभव तथा कार्य तथा पद के लिये एक पूर्ण उपयुक्तता शामिल है।

(ग) आज की तिथि तक, मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा के कुल 587 अधिकारी हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों के क्रमशः 95, 44 और 26 अधिकारी हैं।

(घ) जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशितता का भर्ती चरण में सख्ती से अनुपालन किया जाता है, राजदूत/हाई कमिश्नर के स्तर सहित विदेश स्थित मिशनों में तैनाती में आरक्षण की कोई नीति नहीं है। तथापि, एस सी/एस टी/ओ बी सी श्रेणियों के उन अधिकारियों की नियुक्ति के प्रति यथार्थ प्रयास किए जाते हैं जिनकी राजदूतों/हाई कमिश्नरों के रूप में अपेक्षित पृष्ठभूमि, अनुभव और वरिष्ठता है।

गरुड़ सेवा के मासिक किराए में कमी

6361. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में सेवारत गरुड़ सेवा हेतु सिक्युरिटी जमा और मासिक किराए की धनराशि को कम करने पर विचार कर रही है ताकि यह आम आदमी की पहुंच के भीतर हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते

6362. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों के बारे में नये द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। हाल में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ निम्नलिखित द्विपक्षीय करार संपन्न हुए हैं:-

थाईलैण्ड के साथ: (नवम्बर 2001 और फरवरी 2002):

- वैज्ञानिक, तकनीकी और पर्यावरणीय सहयोग तथा प्रौद्योगिकी अंतरण से संबद्ध करार,
- शांतिपूर्ण उपायों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अनुसंधान और उपयोग में सहयोग से संबद्ध करार,
- सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन।

म्यांमा के साथ: (फरवरी, 2002):

सौर ऊर्जा के जरिए म्यांमा में एक गांव के विद्युतीकरण संबंधी समझौता ज्ञापन।

इण्डोनेशिया के साथ: (अप्रैल, 2002):

- राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट से संबद्ध करार,
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और लेम्बागा पेनेरबांगान अंतरिक्ष नेशनल (लापान) (इण्डोनेशियन नेशनल इंस्टीटूट आफ एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस) के बीच बाह्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन, और
- निर्माण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षम केन्द्र के गठन से संबंधित समझौता ज्ञापन।

सिंगापुर के साथ: (अप्रैल, 2002):

- दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन; और
- सिंगापुर के एशियन सिविलाइजेशंस म्यूजियम के लिए कलावस्तुओं के ऋण से संबद्ध समझौता ज्ञापन।

कम्बोडिया के साथ: (अप्रैल, 2002):

- एक टा प्रोग टेम्पल श्याम रीप कम्बोडिया के संरक्षण/ पुनरुद्धार के लिए करार,
- वायु सेवाओं से संबंधित करार, और
- राजनयिक तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट से संबद्ध करार।

(ग) दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की बढ़ोतरी एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में किए गए उपायों में सरकारी तथा उद्योग और व्यापारिक स्तर पर बार-बार क्रिया-कलाप, संयुक्त व्यापार समितियां जैसी तंत्र व्यवस्था, व्यापारिक शिष्ट मण्डलों का आदान-प्रदान तथा प्रदर्शनियों और मेलों में सहभागिता है।

केरल में परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना

6363. श्री जार्ज ईडन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) विगत में, परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थलों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) की स्थल चयन समिति (एस एस सी) ने केरल में स्थल संबंधी अध्ययन किए थे। कई स्थलों का अध्ययन किया गया था। किन्हीं उपयुक्त/संभाव्य स्थलों का पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, किसी भी क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र का स्थापित किया जाना, विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें किसी क्षेत्र को उपलब्ध ऊर्जा के विकल्प, संयंत्र की स्थापना

के लिए धनराशि की उपलब्धता, तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होना और उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कंप्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंज

6364. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कार्यरत कंप्यूटरीकृत ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में विस्तारण प्रदान किये गए टेलीफोन एक्सचेंजों और वर्ष 2002-2003 के दौरान विस्तार किये जाने हेतु प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) मध्य प्रदेश के भोपाल में एक दूरस्थ इकाई सहित इंदौर में एक कम्प्यूट्रीकृत ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य में ऐसे कम्प्यूट्रीकृत ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) संलग्न विवरण-I और II के अनुसार।

विवरण I

2001-2002 के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल में स्थानीय एक्सचेंजों की क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि

क्र.सं.	एसएसए	स्टेशन का नाम	बढ़ायी गयी क्षमता
1	2	3	4
1.	बालाघाट	बैहार	660
2.	बालाघाट	बालाघाट	2000
3.	बालाघाट	किरनापुर	400
4.	बालाघाट	लालबुर्रा	400
5.	बालाघाट	तिरोडी	176
6.	बेतूल	आमला	488
7.	बेतूल	अठनेर	176
8.	बेतूल	भैंसदेही	424
9.	बेतूल	भीमपुर	176
10.	बेतूल	चिचोली	152
11.	बेतूल	चोपना	184
12.	भिंड	भिंड	2192
13.	भिंड	गोहद़	128
14.	भिंड	लहार	400
15.	भिंड	मेहगांव	256
16.	भिंड	फूफ	208
17.	भोपाल	बरखेदिहसान	152
18.	भोपाल	बेरासिया	216
19.	भोपाल	भोपाल	10980
20.	भोपाल	दोराहा	144
21.	भोपाल	[illegible]र	360
22.	भोपाल	शाहगंज	144
23.	भोपाल	श्यामपुर	136
24.	भोपाल	सिद्दिकगंज	152
25.	छत्तरपुर	अलीपुरा	296
26.	छत्तरपुर	बडामाल्हेरा	256
27.	छत्तरपुर	बमीठा	152
28.	छत्तरपुर	बिजावर	392
29.	छत्तरपुर	बिनबाडा (टी)	152
30.	छत्तरपुर	छत्तरपुर	1052
31.	छत्तरपुर	गढ़ीमल्छेडा	184
32.	छत्तरपुर	महाराजपुर	384
33.	छत्तरपुर	नौगांव	864

1	2	3	4
34.	छत्तरपुर	बिवारी (टी)	144
35.	छत्तरपुर	पालेरा (टी)	120
36.	छत्तरपुर	राजनगर	184
37.	छत्तरपुर	तेहरका	152
38.	छत्तरपुर	टीकमगढ़	1288
39.	छिंदवाड़ा	अमरवादा	232
40.	छिंदवाड़ा	बनगांव (छ)	152
41.	छिंदवाड़ा	भामोदी	248
42.	छिंदवाड़ा	चांद	152
43.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	2368
44.	छिंदवाड़ा	लिंगा	152
45.	छिंदवाड़ा	लोढ़ी खेड़ा	152
46.	छिंदवाड़ा	रावणवाडा	248
47.	छिंदवाड़ा	शिवपुरी	152
48.	छिंदवाड़ा	सिंगोडी	152
49.	छिंदवाड़ा	थेसगोरा	152
50.	छिंदवाड़ा	उमराबाला	152
51.	दामोह	बंदकपुर	176
52.	दामोह	बतियागढ़	184
53.	दामोह	दामोह	976
54.	दामोह	हत्ता	328
55.	दामोह	हिदोरिया	152
56.	दामोह	नरसिंहगढ़	152
57.	दतिया	दतिया	160
58.	देवास	बाग्ली	216
59.	देवास	देवास	2360
60.	देवास	कमलापुर	152
61.	देवास	कशीपुरा	456
62.	देवास	नेवरी	112
63.	धार	बिडवाल	144
64.	धार	धर्मपुरी	384
65.	धार	कोड	144
66.	धार	नालछा	136
67.	धार	निसारपुर	152
68.	धार	पितमपुर	1000
69.	धार	राजोद	136
70.	धार	सिंधाना	168
71.	धार	तिरला	136
72.	डिंडोरी	डिंडोरी	400
73.	डिंडोरी	करंजिया	176
74.	गुना	अरोन	248
75.	गुना	बहादुरपुर	152
76.	गुना	ईसागढ़	64
77.	गुना	गुना	1804
78.	गुना	कुम्भराज	640
79.	गुना	मकसूदनगढ़	152
80.	गुना	रूठीआई	176
81.	ग्वालियर	अंत्री	184
82.	ग्वालियर	बदोनी	304
83.	ग्वालियर	डाबारा	500
84.	ग्वालियर	ग्वालियर	5366
85.	ग्वालियर	मोहना	500
86.	ग्वालियर	पिछोड़	288
87.	होशंगाबाद	बनाखेड़ी	432
88.	होशंगाबाद	हरदा	816
89.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	2100

1	2	3	4
90.	होशंगाबाद	पिपरिया	488
91.	होशंगाबाद	रेहातगांव	184
92.	होशंगाबाद	सेमरीहरचन्द	160
93.	होशंगाबाद	शोभापुर	288
94.	होशंगाबाद	सिराली	400
95.	होशंगाबाद	सोहानापुर	240
96.	होशंगाबाद	तिमरनी	400
97.	इंदौर	डाकचिया	120
98.	इंदौर	डबलचौकी	136
99.	इंदौर	इंदौर	2358
100.	इंदौर	मंगलिया	360
101.	इंदौर	मंगलिया	124
102.	इंदौर	म्होव	1000
103.	इंदौर	पालदा	256
104.	इंदौर	राउ	472
105.	इंदौर	तिल्लौर	120
106.	जबलपुर	बहरोरीबंद	152
107.	जबलपुर	बरेला	408
108.	जबलपुर	बारगीबाजार	152
109.	जबलपुर	बेलखेड़ा	136
110.	जबलपुर	बोरिया	152
111.	जबलपुर	धानपुरी	152
112.	जबलपुर	जबलपुर	1920
113.	जबलपुर	कटनी	566
114.	जबलपुर	पतान (जबलपुर)	312
115.	जबलपुर	पिपरिया	240
116.	जबलपुर	सिहोर	616
117.	झबुआ	कल्याणपुरा	152
118.	झबुआ	खवासा	152
119.	झबुआ	नैनपुरा	152
120.	खंडवा	बीर	384
121.	खंडवा	बुरहनपुर	1513
122.	खंडवा	खंडवा	1512
123.	खंडवा	फोफनर	168
124.	खंडवा	पुनासा	168
125.	खरगोन	बरबानी	584
126.	खरगोन	बेदिया	120
127.	खरगोन	खरगोन	296
128.	खरगोन	महेश्वर	256
129.	खरगोन	मंडलेश्वर	232
130.	खरगोन	ओझर	152
131.	खरगोन	पानसेभल	248
132.	खरगोन	राजपुर	384
133.	खरगोन	सनावाड	600
134.	खरगोन	सेधवा	600
135.	खरगोन	थिकरी	144
136.	मंडला	बमानीबंजर	176
137.	मंडला	करनझिआ	176
138.	मंडला	निवास	152
139.	मंडसोर	भैइसोडामंडी	152
140.	मंडसोर	भावगढ़	152
141.	मंडसोर	बोलिया	152
142.	मंडसोर	देगोनमाली	152
143.	मंडसोर	गरोथ	304
144.	मंडसोर	कर्जू	152
145.	मंडसोर	कुकदेशवर	248

1	2	3	4
146.	मंडसोर	हांडसोर	740
147.	मंडसोर	नारायणगढ़	152
148.	मंडसोर	नीमच	1128
149.	मंडसोर	निम्बोद	168
150.	मंडसोर	शामगढ़	16
151.	मंडसोर	सुवासरामंडी	304
152.	मोरेना	बिजयपुर	424
153.	मोरेना	केइलारस	264
154.	मोरेना	मोरेना	2188
155.	मोरेना	सबलगढ़	304
156.	नरसिंहपुर	अमागांव	400
157.	नरसिंहपुर	छिछाली	88
158.	नरसिंहपुर	दंगीधाना	176
159.	नरसिंहपुर	गडखारा	344
160.	नरसिंहपुर	गोटेगांव	504
161.	नरसिंहपुर	सालीचोका	656
162.	नरसिंहपुर	सुआटाला	104
163.	नरसिंहपुर	तेंदूखेड़ा	640
164.	पन्ना	माझगवान (एन एम डी सी)	120
165.	पन्ना	सालेहा	120
166.	राइसेन	बकतारा	120
167.	राइसेन	दीवानगंज	120
168.	राइसेन	खरगोन	120
169.	राइसेन	सिलवानी	248
170.	राइसेन	सुल्तानपुर	1020
171.	राजगढ़	बोदा	152
172.	राजगढ़	मछलपुर	144
173.	राजगढ़	राजगढ़	128
174.	राजगढ़	सरंगपुर	304
175.	राजगढ़	सुतालिआ	152
176.	रतलाम	बंगरोड	152
177.	रतलाम	धाराड	168
178.	रतलाम	धोधार	400
179.	रतलाम	जेओरा	1400
180.	रतलाम	राओती	152
181.	रतलाम	रतलाम	1696
182.	रतलाम	रियावान	152
183.	रतलाम	सरसी	152
184.	रतलाम	शिवपुर	152
185.	रतलाम	सिमलेओदा	152
186.	रतलाम	ताल	240
187.	रेवा	दिओतालाब	184
188.	रेवा	गोविंदगढ़	152
189.	रेवा	गुर्ह	152
190.	रेवा	नोबस्ता	152
191.	सागर	बांदा	104
192.	सागर	बांदा	104
193.	सागर	बीना	472
194.	सागर	सागर	4340
195.	सतना	मैइहर	344
196.	सतना	रामपुरबगहेलन	164
197.	सिओनी	बरघट	400
198.	सिओनी	किओलारी	416
199.	सिओनी	कुराई	136
200.	सिओनी	सिओनी	256

1	2	3	4
201.	शाहदोल	अमालाई	400
202.	शाहदोल	बलोमारा	456
203.	शाहदोल	बंगावर	120
204.	शाहदोल	बिजुरी	488
205.	शाहदोल	बीरसिंहपुरपाली	232
206.	शाहदोल	जेथारी	152
207.	शाहदोल	मंगथर	288
208.	शाहदोल	नोरोजाबाद	688
209.	शाहदोल	राजनगर	256
210.	शाजापुर	नलखेड़ा	336
211.	शाजापुर	शुजलपुर	1048
212.	शाजापुर	सुसनेर	456
213.	शिओपुरकाला	शिओपुरकाला	624
214.	शिवपुरी	नरावर	224
215.	सिद्धी	अमलोरी-निगाही	288
216.	सिद्धी	बहारी	184
217.	सिद्धी	गोरबी	152
218.	सिद्धी	जयंत	280
219.	सिद्धी	जियावान	152
220.	सिद्धी	सिद्धी	1096
221.	सिद्धी	विद्यानगर	128
222.	सिद्धी	बैड्धन	528
223.	उज्जैन	बरानगर	1000
224.	उज्जैन	झारदा	120
225.	उज्जैन	मकदोन	152
226.	उज्जैन	नागदा	1000
227.	उज्जैन	नरवर	152
228.	उज्जैन	पीपलीआराधो	104
229.	उज्जैन	उज्जैन	6158
230.	विदिशा	गंजबसोदा	720
231.	विदिशा	लटेरी	176
232.	विदिशा	शमसाबाद	168
233.	विदिशा	विदिशा	500

विवरण-II

2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल में स्थानीय एक्सचेंजों की क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि

क्र. सं.	एसएसए का नाम	स्टेशन का नाम	क्षमता में वृद्धि
1	2	3	4
1.	बालाघाट	लांझी	376
2.	बालाघाट	वरासिओनी	156
3.	बेतुल	बेतुल	1540
4.	बेतुल	मुल्ताई	1520
5.	बेतुल	सारणी	168
6.	बेतुल	भीमपुर	152
7.	बेतुल	पथाखेड़ा	560
8.	बेतुल	छिछोली	428
9.	बेतुल	कैलाशनगर	520
10.	भिंड	माऊ	400
11.	भिंड	मिहोना	640
12.	भिंड	आलमपुर	176
13.	भोपाल	अस्ता	600
14.	भोपाल	बैड्रागढछिछली	144
15.	भोपाल	परावालिआसड़क	136
16.	भोपाल	कोटरी	88
17.	भोपाल	अमलाहा	152

1	2	3	4
18.	भोपाल	बरखेदहासन	88
19.	भोपाल	नसरूलागंज	440
20.	छत्तरपुर	छत्तरपुर	1000
21.	छत्तरपुर	तिकमगढ़	1000
22.	छिन्दवारा	छिन्दवारा	1500
23.	छिन्दवारा	पांढुर्ना	408
24.	छिंन्दवारा	जुन्नारदिओ	520
25.	छिन्दवारा	कुंडा	152
26.	छिन्दवारा	मोहखोड़	176
27.	दमोह	दमोह	408
28.	दमोह	नरसिंहगढ़	104
29.	देवास	देवास	2000
30.	देवास	नेमावर	152
31.	देवास	पीपलरावा	152
32.	देवास	सिया	176
33.	देवास	सोनकुछ	328
34.	देवास	तोंकखुर्द	176
35.	धार	बदनावर	600
36.	धार	सरदारपुर (राजगढ)	552
37.	धार	मनावर	150
38.	धार	खालघाट	348
39.	धार	राजोड़	400
40.	गुना	गुना	1100
41.	गुना	राधोगढ़	296
42.	गुना	शदोरा	400
43.	गुना	विजयपुर (एनएफएल)	216
44.	ग्वालियर	ग्वालियर	200
45.	ग्वालियर	चिनोरे	144
46.	होशंगाबाद	इटारसी	1000
47.	होशंगाबाद	पिपरिया	1000
48.	होशंगाबाद	रेहतगांव (एच)	176
49.	इन्दौर	इन्दौर	5000
50.	जबलपुर	जबलपुर	4480
51.	जबलपुर	कटनी	1100
52.	जबलपुर	सिहोरा	376
53.	जबलपुर	पाटन (जबलपुर)	248
54.	जबलपुर	स्लीमनाबाद	152
55.	जबलपुर	मझागांव	152
56.	जबलपुर	शाहपुर (जबलपुर)	248
57.	जबलपुर	बरगीनगर	400
58.	झाबुआ	भबरा	544
59.	झाबुआ	रंभापुरा	152
60.	खंडवा	बुरहानपुर	1000
61.	खंडवा	नेपानगर	216
62.	खंडवा	पन्धाना	416
63.	खंडवा	डोईफोदिया	152
64.	खरगौन	खरगौन	1500
65.	खरगौन	सेन्धवा	1000
66.	खरगौन	बरवाहा	600
67.	खरगौन	दवाना (बी)	136
68.	खरगौन	निमरानी	24
69.	खरगौन	बरूद	144
70.	खरगौन	थिकरी (बी)	248
71.	खरगौन	अजंद (बी)	248

1	2	3	4
72.	खरगौन	खेतिया (बी)	272
73.	खरगौन	पटी (बी)	152
74.	खरगौन	बालासमूंद (केएस)	208
75.	खरगौन	बेदिया	472
76.	खरगौन	धारगांव	296
77.	खरगौन	गोगाव	240
78.	खरगौन	कराही	296
79.	खरगौन	ओमकारेश्वर	168
80.	खरगौन	सीआगांव	152
81.	खरगौन	पलसु (बी)	144
82.	मंडला	मंडला	1000
83.	मंडला	शाहपुरा	400
84.	मंडला	पंडारी	152
85.	मंडला	अजंनिआ	152
86.	मन्दसौर	मन्दसौर	2000
87.	मन्दसौर	मल्हागढ़	656
88.	मन्दसौर	नारायणगढ़	416
89.	मन्दसौर	भानपुरा	128
90.	मन्दसौर	अमलावाद	152
91.	मन्दसौर	कायमपुर	152
92.	मन्दसौर	रानायारा	192
93.	मन्दसौर	जीरन	480
94.	मन्दसौर	नयागांव	256
95.	मन्दसौर	रतनगढ़	616
96.	मन्दसौर	अठाना	152
97.	मन्दसौर	जमुनिआकलां	152
98.	मन्दसौर	कनजरदा	152
99.	मन्दसौर	सावन	192
100.	मुरैना	मुरैना	2000
101.	मुरैना	अबांह	1248
102.	मुरैना	जौरा	400
103.	मुरैना	जिगनी	208
104.	मुरैना	कैलारास	400
105.	मुरैना	नूराबाद	176
106.	मुरैना	पोरसा	400
107.	मुरैना	सुमाओली	152
108.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	660
109.	नरसिंहपुर	करेली	128
110.	नरसिंहपुर	सैनखेड़ा	664
111.	नरसिंहपुर	बोहानी	152
112.	नरसिंहपुर	कनवास	176
113.	नरसिंहपुर	कोंडीआ	144
114.	नरसिंहपुर	नानदेर	168
115.	नरसिंहपुर	सिंहपुर	640
116.	नरसिंहपुर	सुताला	176
117.	नरसिंहपुर	बरमन	400
118.	नरसिंहपुर	सिहोरा	192
119.	पन्ना	पन्ना	480
120.	रायसेन	बरेली	512
121.	रायसेन	बडी	456
122.	रायसेन	उदयपुरा	272
123.	राजगढ़	राजगढ़	392
124.	राजगढ़	झलदा	136
125.	राजगढ़	करेडी	152

1	2	3	4
126.	राजगढ़	खिलछीपुर	632
127.	राजगढ़	खुजनेर	400
128.	राजगढ़	मौपदाना	136
129.	राजगढ़	पदालिआमाताजी	136
130.	राजगढ़	पिपलिआकुलमी	144
131.	राजगढ़	तालेन	136
132.	राजगढ़	उडनखेडी	152
133.	रतलाम	रतलाम	1000
134.	रतलाम	करमदी	152
135.	रतलाम	मऔटा	152
136.	रतलाम	पन्छेवा	152
137.	रतलाम	रिंगनोड	400
138.	सागर	सागर	1700
139.	सागर	बांदा	400
140.	सागर	गरहाकोटा	456
141.	सागर	धाना	152
142.	सागर	महाराजपुर	152
143.	सतना	सतना	700
144.	सतना	सरलानगर	480
145.	सतना	जैतवारा	500
146.	सतना	सगमनीआ	152
147.	सिवनी	सिवनी	1500
148.	शहडोल	शहडोल	1000
149.	शहडोल	उमरिया	600
150.	शहडोल	भालूमररा	248
151.	शहडोल	देवलोंद	384
152.	शहडोल	धनपुरी	488
153.	शहडोल	पौराधार	400
154.	शहडोल	बिजूरी	656
155.	शहडोल	संजयनगर	248
156.	शहडोल	भदरा	152
157.	शहडोल	विवेकनगर	160
158.	शाजापुर	शुजालपुर	472
159.	शाजापुर	सोयतकलां	400
160.	शाजापुर	गुलाना	152
161.	शिवपुरी	करेरा	288
162.	शिवपुरी	रवनीआधाना	232
163.	शिवपुरी	लुकवासा	152
164.	शिवपुरी	पिछ्छोरे	152
165.	सिधी	सिंगरौली	1000
166.	सिधी	गोरबी	328
167.	सिधी	विंध्यांनगर	392
168.	सिधी	मझोली	56
169.	उज्जैन	उज्जैन	2000
170.	उज्जैन	नगाडा	1000
171.	उज्जैन	महीदपुर	240
172.	उज्जैन	रूनीजा	152
173.	उज्जैन	सुमराखेडा	168
174.	उज्जैन	तराना	176
175.	विदिशा	विदिशा	1000
176.	विदिशा	सिरोजं	504
177.	विदिशा	गुलाबगंज	376
178.	विदिशा	ग्यारसपुर	56
179.	विदिशा	खामखेड़ा	152

1	2	3	4
180.	विदिशा	मन्दीबमोरा	400
181.	विदिशा	नातेरन	112
182.	विदिशा	कुरवई	240

[अनुवाद]

नेत्रहीनों के लिए सॉफ्टवेयर कार्यक्रम

6365. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान विकास के कुछ शैक्षणिक संस्थान नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में आशा की किरण लाने हेतु सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग किए जा रहे विभिन्न सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु विशेष धनराशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां। जय राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर तथा वेबेल मीडियाट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोलकाता संयुक्त रूप से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण से दृष्टिहीनों के लाभार्थ सॉफ्टवेयर तथा संबंधित हार्डवेयर का विकास कर रही हैं।

(ख) मुख्य भारतीय भाषाओं में ब्रेल साक्षरता के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित किए गए हैं:-

(i) मूल पाठ से ब्रेल प्रतिलेखन प्रणाली और देश में विकसित कम्प्यूटरीकृत ब्रेल एम्बोसर पर इसका मुद्रण।

(ii) परम्परागत कुंजीपटल के इस्तेमाल से ब्रेल से मूल पाठ में परिवर्तन।

(ग) इस परियोजना के एक भाग के रूप में देश के विभिन्न भागों में 30 ऐसे अंध विद्यालयों का चयन किया गया है जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर तथा वेबेल मीडियाट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं।

(घ) ऐसे 30 अंध विद्यालय जहां सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं, से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार देश के और अधिक अंध विद्यालयों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार करने पर विचार कर सकती है।

अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम

6366. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किये जाने वाले अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वित्तीय वर्ष में उन अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) दसवीं योजना के दौरान शुरू किये जाने वाले अन्तरिक्ष कार्यक्रम, देश के सामाजार्थिक विकास के लिए अन्तरिक्ष आधारित सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निर्देशित हैं। दसवीं योजना के लिए संकल्पित कार्यक्रम के क्षेत्रों का मुख्य बल चतुर्थ पीढ़ी के इन्सैट-4 श्रृंखला के उपग्रहों से इन्सैट प्रणाली का संवर्धन करना, सभी मौसमों में माइक्रोवेव प्रणाली सहित भू-पर्यवेक्षण क्षमता का संवर्धन करना, राष्ट्रीय संसाधन सूचना प्रणाली की सहायता के लिए सुदूर संवेदन आंकड़ों को जारी रखना, आपदा प्रबंध सहायता, विकासात्मक क्रियाकलाप तथा उन्नत मौसम और समुद्री अवस्था का पूर्वानुमान, पी.एस.एल.वी. की सतत उड़ानें, जी.एस.एल.वी. का प्रचालनीकरण, उन्नत जी.एस.एल.वी. मार्क-3 राकेट का विकास और अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोलविज्ञान और ग्रहीय विज्ञान के क्षेत्र में संकेंद्रित अनुसंधान कार्य शामिल हैं।

(ख) इसके लिए सरकार द्वारा 20593 करोड़ रुपये की अनुमानित बजट आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

(ग) 2264.99 करोड़ रुपये।

(घ) बजट अनुमान 2002-2003 में प्रमोचक राकेट विकास के लिए 846.80 करोड़ रुपये, उपग्रह विकास के लिए 303.35 करोड़ रुपये, अन्तरिक्ष उपयोग कार्यक्रमों के लिए 226.35 करोड़ रुपये, इन्सैट प्रणाली के लिए 756.08 करोड़ रुपये, अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए 69.45 करोड़ रुपये और निर्देशन, प्रशासन, तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए 62.96 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता

6367. श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र के अंतर्गत उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता की आवश्यकता है;

(ख) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक 'राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना' के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि हाल के वर्षों में राज्य द्वारा ऐसी धनराशि का दुरुपयोग किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के लिए तीन स्कीमें हैं जिसमें कोई गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) भाग ले सकता है। इन स्कीमों के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं:-

(i) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए अनुदान सहायता:

इस स्कीम के अंतर्गत सड़क प्रयोक्ताओं में सड़क सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करने, सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार अभियान, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने और सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न किस्म के सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन जो कम से कम दो वर्ष से सड़क सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान कार्य अथवा फील्ड कार्यक्रमों में लगा हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण:

असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सन् 1997-98 में यह स्कीम तैयार की गई थी क्योंकि अधिकांश भारी वाहन चालक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में जाने में असमर्थ होते हैं और सामान्यत: अशिक्षित और अप्रशिक्षित होते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य सुरक्षित ड्राइविंग आदतें पैदा करने, सड़क नियम, सड़क संकेत, सिगनल, सड़क चिह्न तथा नियमावली और विधि के अन्य प्रावधानों को समझने, वाहन को यातायात योग्य स्थिति में रखने और वाहनों के ब्रेक सिस्टम, स्टियरिंग सिस्टम, इलैक्ट्रिक सिस्टम, टायर आदि जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों के संबंध में समझ विकसित करने के लिए चालकों को शिक्षित/प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा चिकित्सा जांच भी की जाती है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम:

सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और राष्ट्रीय राजमार्गों से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम को अंतिम रूप दिया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत 16 टन क्षमता की एक क्रेन और एक एम्बुलेंस की खरीद के लिए राज्यों को एकबारगी 25 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस स्कीम की समीक्षा की गई है और 2000-2001 में इसमें संशोधन किया गया है और यह स्कीम अब नकद अनुदान के स्थान पर उपस्कर प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में स्थापित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम के अंतर्गत क्रेन और एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि (लाख रु.)
	1998-99	
1.	दिल्ली	25.00
2.	सिक्किम	25.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	25.00
4.	मेघालय	25.00
5.	मणिपुर	25.00
6.	पांडिचेरी	25.00
7.	चंडीगढ़	25.00
8.	बिहार	25.00
	1999-2000	
9.	कर्नाटक	25.00
10.	हिमाचल प्रदेश	25.00
11.	गुजरात	25.00
12.	हरियाणा	25.00
13.	असम	25.00
14.	पश्चिम बंगाल	25.00
15.	उत्तर प्रदेश	25.00
16.	मध्य प्रदेश	25.00
17.	मिजोरम	25.00
18.	तमिलनाडु	25.00
19.	राजस्थान	25.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ गैर-सरकारी संगठन का नाम	एम्बुलेंस	क्रेन
	2000-2001*		
20.	राज्य सड़क परिवहन उपक्रम एसोसिएशन (केवल एम्बुलेंस)	28	-
21.	मै. लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन चिंचवाड, पुणे, महाराष्ट्र	2	-
22.	मै. ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, एएएसआई सेंटर, 187, अन्नासलै, चेन्नै, तमिलनाडु	2	-
23.	मै. करूणोदय सेवा संस्थान, बराचा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	2	-
24.	मै. जोरम ड्राइवर्स यूनियन, बैंगकॉन, आइजोल, मिजोरम	1	-
25.	मै. मणिपुर ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एम.जी. एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर	1	-
26.	एसोसिएशन फोर वेलफेयर ऑफ बेकवार्ड क्लासेज इन सिक्किम, गुरपिसे, नमजी, साउथ सिक्किम	1	-
27.	मै. रूरल यूथ कार्डिनेशन सेंटर, अमनौर, जिला-सारण, बिहार	1	-
28.	इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन, नई दिल्ली	2	-
29.	हाइवे यूजर्स सेंटर, मुंबई (राज्य सरकार की सलाह पर एम्बुलेंस लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन को हस्तांरित की गई)	1	-

नोटः बाद के वर्ष अर्थात् 2001-2002 में इन गैर-सरकारी संगठनों को क्रेनें प्रदान की गई हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बिहार को वित्तीय सहायता

6368. **श्री अरुण कुमार:**
श्री मंजय लाल:

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान बिहार को ग्रामीण उद्योगों हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता जारी की गई;

(ख) क्या बिहार को जारी की जाने वाली एस धनराशि में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आ रही है;

(ग) क्या सरकार के पास बिहार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जरिए अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) बिहार राज्य में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी योजना) के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईसी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	2000-2001	2001-2002 (30.11.2001 तक)
(रु. लाख में)	28.64	4.09

(ख) जी, नहीं। इस शीर्ष के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशियां निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
(रु. लाख में)	5.61	22.46	28.64

(ग) जहां तक के.वी.आई.सी. की योजनाओं के कार्यान्वयन का संबंध है, सरकार, सभी राज्यों से समान रूप से व्यवहार करती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण

6369. **श्री राजो सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2002-2003 के दौरान बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) बिहार में 2002-2003 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की निवल स्विचन क्षमता में 1,57,000 लाइनों द्वारा विस्तार करने की योजना बनाई गई है। जिलेवार ब्यौरे अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं किए गए हैं। जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है, बिहार में सभी टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-2003 के लिए बिहार को 1,95,500 लाइनों के लिए टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर आबंटित किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

6370. **श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों में कोई गिरावट पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार इन कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन को किस तरीके से किए जाने का है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अन्तर्गत 2001-2002 में 4 लाख रोज़गारों के लक्ष्य की तुलना में 3 लाख रोज़गारों के सृजित होने की आशा है। वास्तविक आंकड़े संकलन के तहत हैं। वर्तमान वर्ष 2002-2003 हेतु 4 लाख कार्य सृजित किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार सृजित करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से आरईजीपी का कार्यान्वयन कर रही है। आरईजीपी (मार्जिन मनी योजना) के अन्तर्गत सभी व्यक्तिगत फर्में/सोसाइटीज/लिमिटेड कम्पनियां इकाइयां स्थापित करने हेतु पात्र हैं, बशर्ते कि उनकी निवेश की उच्चतम सीमा 10 लाख रु. के बजाए 25 लाख रु. हो। यह योजना कार्यान्वयन हेतु उच्च क्रेडिट रेटेड गैर-सरकारी संगठनों, माइक्रो वित्तीय संस्थानों, स्वयं-सहायता समूहों और राष्ट्रीय महिला कोष तक विस्तारित कर दी गई है। आरईजीपी के बजट जिसे 2001-2002 में 120 करोड़ रु. से बढ़ाकर 150 करोड़ रु. कर दिया गया था, को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान और बढ़ाकर 200 करोड़ रु. कर दिया गया है। 10वीं योजना हेतु लक्ष्य 1250 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश सहित 2.0 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोज़गार अवसरों का सृजन करना है।

चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

6371. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चार महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाए जाने और पूरे देश में दो कॉरीडोर (गलियारों) बनाने का कार्य अभी भी कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना हेतु नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) चार महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना) को चार लेन का बनाने का कार्य पूरा करने की मूल तिथि दिसम्बर, 2004 थी जिसे अब दिसम्बर, 2003 तक काफी हद तक पूरा करने का लक्ष्य है। देश में दो महामार्गों (उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग) का निर्माण कार्य पूरा करने की मूल तिथि दिसम्बर, 2009 थी जिसे अब दिसम्बर, 2007 तक काफी हद तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है।

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 54,000 करोड़ रु. (1999 की कीमतों पर) है।

विटामिन-ए के घोल के कारण रुग्ण हुए बच्चे

6372. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 28.11.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1600 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विटामिन-ए की खुराक से संबंधित विभिन्न योजनागत और तकनीकी पहलुओं की जांच करने हेतु गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच के परिणाम कब तक आ जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) विटामिन ए-की खुराक देने से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक एवं तकनीकी पहलुओं की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया है कि विटामिन-ए की कमी भारत में बच्चों में व्याप्त बहुत सी विशिष्ट पोषणिक कमियों में से एक है। इनमें ऊर्जा, लौह, फॉलिक एसिड, जिंक, बी-विटामिन और अन्य कमियां सम्मिलित हैं। समिति ने इन कमियों का मुकाबला करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जहां तक विटामिन-ए की कमी का संबंध है समिति की राय थी कि विटामिन ए की कमी के स्वरूप में बहुत कमी आई है परन्तु कुछ क्षेत्रों में यह एक जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में विद्यमान है।

समिति ने वर्तमान नीति के अनुसार 9-36 माह आयु के बीच के बच्चों को 6-6 महीने के अंतराल पर विटामिन-ए की पूरक खुराक देने की वर्तमान नीति को अगामी पांच वर्षों के लिए समर्थित किया है। समिति सिफारिश करती है कि इस अवधि की समाप्ति पर नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। समिति यह सिफारिश भी करती है कि विटामिन-ए देने के लिए अभियान विधि को बन्द कर दिया जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को पहले ही सलाह दे दी है कि विटामिन-ए के लिए ही नहीं बल्कि अन्य एकल हस्तक्षेपों के लिए भी अभियान चलाने से बचें क्योंकि अभियानों में पूर्ण प्रणाली का ध्यान नियमित अनिवार्य सेवाओं से हट जाने की प्रवृत्ति होती है। समिति ने कुछ तकनीकी मामलों पर सिफारिशें दी हैं जैसे कि - विटामिन-ए घोल देने के लिए चम्मच का आकार, गर्भावस्था और दूध पिलाने की स्थिति में विटामिन-ए के उपयोग, समुदायों को इस काम में लगाने तथा पहुंच बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता, जिला प्रशासन और प्रचार माध्यमों को जागरूक बनाना आदि।

समिति ने उन जिलों/क्षेत्रों में जहां इस कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन अनुकूल से कम है, वहां पर निश्चित अन्तरालों पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्ण पैकेज के साथ कवरेज को बेहतर बनाने के लिए "विशेष प्रयास" करने की सिफारिश की है। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि एक स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य और पौषणिक सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक ठोस कार्रवाई हेतु कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक कार्य बल गठित किया जाए ताकि इन सेवाओं की प्रदानगी की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। मौजूदा कठिनाइयों तथा संसाधनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

समिति ने नवम्बर, 2001 में असम में चलाए गए विटामिन ए अभियान कार्यक्रम, जिसने जनस्वास्थ्य व्यावसायियों और प्रचार माध्यमों में भारी चिंता पैदा कर दी थी, के बारे में भी टिप्पणियां दी हैं। समिति ने पाया है कि बच्चों में कुप्रभावों की संख्या 0.29-0.48 के बीच थी। यह सम्भावित स्तर से कम है क्योंकि प्रकाशित साहित्य से पता चलता है कि कुप्रभावों की संख्या 1.5-7.0 प्रतिशत के बीच हो सकती है। विटामिन-ए घोल देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आमतौर पर इस्तेमाल किए जा रहे 2 मिली. के चम्मचों के स्थान पर अभियान के दौरान 5 मिली. के कप इस्तेमाल करने से कुछ मामलों में अपेक्षा से अधिक खुराक दी गई होगी। कुछ सूचनाओं से पता चलता है कि प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों को विटामिन-ए के कुप्रभावों और इसके प्रबंधन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। समुदाय और जिला प्रशासन को विटामिन-ए के संभावित कुप्रभावों के बारे में जागरूक नहीं किया गया था। समिति ने इस मामले की ओर भी ध्यान दिया कि अभियान के दौरान कथित मौतों के लिए विटामिन-ए दिए जाने का कोई योगदान हो सकती है। समिति की राय है कि उपलब्ध प्रमाणों की समीक्षा से पता चलता है कि विटामिन-ए अभियान के दौरान जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनमें से अधिकतर को पहले से ही पर्याप्त गंभीरता वाली कोई बीमारी थी जो मृत्यु का कारण हो सकती है। समिति ने बताया है कि विश्वभर के अनुभव से पता चलता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिए गए विटामिन-ए का मृत्यु के लिए अतिरिक्त जोखिम से कोई संबंध नहीं है।

मेडिकल स्टोर संगठन द्वारा दवाओं की खरीद में गिरावट

6373. श्री सुबोध मोहिते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल स्टोर संगठन द्वारा की जा रही खरीद में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मेडिकल स्टोर संगठन द्वारा की गई खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ग) खरीद में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में सरकारी संगठनों और अर्धसैनिक बलों के लिए कौन सी नई दवाओं की आपूर्ति की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान चिकित्सा भण्डार संगठन द्वारा की गई खरीद का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

1999-2000	—	38.16
2000-2001	—	28.85
2001-2002	—	33.50

नई वृहद फार्मूलरी को अन्तिम रूप नहीं दिए जाने के कारण औषधों की खरीद में कमी हुई है। इसे अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

(घ) सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो मांगकर्ताओं को औषध फार्मूलरी के अनुसार औषधों की आपूर्ति करता है। एक नई संयुक्त

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/चिकित्सा भंडार संगठन, की फार्मूलरी 2001 को हाल ही में अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

मलेरिया रोधी औषधि

6374. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उड़ीसा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से मलेरिया रोधी अभियान आयोजित किया गया था;

(ख) क्या मलेरिया रोधी औषधियों के सेवन के बाद उड़ीसा और कुछ अन्य राज्यों में अनेक मौतें हुई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) उड़ीसा राज्य द्वारा राज्य के चार जिलों नामत: पुरी, खर्दा, बालासोर और गंजम में जनवरी, 2002 में डि-इथाइल कार्बामजिन (डीईसी) और अल्बेन्डाजोल के साथ व्यापक औषध सेवा का आयोजन किया गया था।

(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में डीईसी का उपयोग माइक्रो फाइलेरिया वाहकों तथा तीव्र और चिरकारी फाइलेरिया रोगियों के उपचार में लम्बे समय से किया जा रहा है। अल्बेन्डाजोल का प्रयोग विश्व भर में एक कृमि औषध (हेल्मिन्थिक) के रूप में किया गया है। डीईसी अथवा अल्वेन्डाजोल लेने के कारण कोई मृत्यु होने की सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

6375. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी-दक्षिणी एवं पूर्वी-पश्चिमी गलियारे (कॉरीडोर) के मध्य 'सुपर' राजमार्गों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा क्या है एवं पेट्रोल तथा डीजल पर शुल्क लगाकर कितना उपकर प्राप्त किया गया; और

(ग) क्या एकत्रित धन को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करा दिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर हुई प्रगति निम्न प्रकार है:-

कुल लंबाई	-	7300 कि.मी.
पहले से चार लेन	-	751 कि.मी.
कार्यान्वयन के अंतर्गत	-	644 कि.मी.
कार्यान्वयन के लिए शेष लंबाई	-	5905 कि.मी.
पूरा करने की निर्दिष्ट तिथि	-	दिसम्बर, 2007

(ख) वर्ष 2001-2002 तक उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर कुल व्यय 971.99 करोड़ रुपये है। नवम्बर, 2001 तक 15034 करोड़ रुपये की धनराशि पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाकर एकत्र की गई है।

(ग) जी हां।

राजस्थान में परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार

6376. श्री अनन्त नायक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में स्थित परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस समय राजस्थान में रावतभाटा में, कुल 740 मेगावाट क्षमता के चार यूनिट, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 से 4 (1×100 मेगावाट + 1×200 मेगावाट + 2×200 मेगावाट) हैं। इसके अतिरिक्त, रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-5 तथा 6 नामक, दो परमाणु विद्युत रिएक्टर यूनिटों, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है, को

स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृति मार्च, 2002 में दी गई है। इन यूनिटों का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन यूनिटों के वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करने की तारीखें क्रमशः अगस्त 2007 और फरवरी 2008 हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण

6377. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री अम्बरीश:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक के उन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) सरकार ने सुचारू यातायात के लिए इन्हें सुरक्षित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार इन अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेषत: शहरी बस्तियों के समीप अतिक्रमण हैं। अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है और जब भी अतिक्रमण देखने में आते हैं संबंधित राज्य सरकार इन्हें हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है। कर्नाटक में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण देखने में आए और राज्य सरकार इन अतिक्रणों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रही है।

(ग) से (ङ) नीति के अनुसार अतिक्रमणकर्ताओं के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के दिशानिर्देशों में 'असुरक्षित अतिक्रमणकर्ताओं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति शामिल हैं, को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

भारतीय मशीन यंत्र क्षेत्र का विकास

6378. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय मशीन यंत्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह विचार कर रही है कि इन उपायों से उद्योग को वर्तमान की ऋणात्मक वृद्धि दर से दो अंकों वाली वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो तैयार किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उपायों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मशीन यंत्र उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारतीय एक्जिम बैंक तथा इंडियन मशीन टूल मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (आई एम टी एम ए) के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी डी आई एम टी आई) 13 दिसम्बर, 2001 को आरंभ किया गया था। एन पी डी आई एम टी आई का उद्देश्य प्रतियोगितात्कमता में वृद्धि करना और इस क्षेत्र के लिए दोहरी-अंक वृद्धि दर प्राप्त करना है।

(ग) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपायों में टेक्नॉलॉजी मैनुअल तैयार करके प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रभावन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के माध्यम से बाजार विकास, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार डाटाबेस तैयार करने, डिज़ाइन, मैकाट्रॉनिक्स, सबसे अच्छी प्रौद्योगिकियों के अध्ययन आदि पर नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण के उपाय करना शामिल हैं।

(घ) और (ङ) एन पी डी आई एम टी आई के अन्तर्गत बढ़ी हुई बाजार पहुंच और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन आरंभ किया गया है। अभी तक, निम्नलिखित क्रियाकलाप पूरे किए गए हैं:

1. 55 इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए 3 डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

2. 150 मशीन यंत्र विनिर्माताओं के बीच मशीन टूल सेक्टर और प्रौद्योगिकी सूचना के विस्तीर्ण में विश्वव्यापी प्रौद्योगिकी रुझानों का सर्वेक्षण किया गया है।

3. मशीन यंत्र विनिर्माताओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने एक्सपोर्ट पोटेन्शियल की टैपिंग और सुधरी हुई विपणन

प्रणालियों को अपनाने के लिए अप्रैल, 2002 में चीन मेले का दौरा किया।

[हिन्दी]

नवीन आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत लघु उद्योगों को संरक्षण

6379. डा. जसवंतसिंह यादवः क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) लघु तथा कुटीर उद्योगों के निर्यातों को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने नई एक्जिम नीति के अन्तर्गत अनेक कदमों की पहल की है। मार्किट पहुंच प्रोत्साहन स्कीम के तहत निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप हेतु फंड्स के संबंध में पहुंच प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत आने वाले कुटीर क्षेत्र के निर्यातों के संवर्धन हेतु 5 करोड़ रु. की राशि नियत की गई है। इसके अलावा इन इकाईयों को निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम (ई.पी.सी.जी.) के तहत औसत निर्यात दायित्व का अनुरक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इन्हें अन्यों जिन्हें 15 करोड़ रु. का निर्यात कार्य-निष्पादन के मुकाबले में 5 करोड़ रु. का न्यूनतम निर्यात कार्य-निष्पादन करने की प्राप्ति पर निर्यात हाउस प्रमाणन के हितलाभ की भी पात्रता होगी। हैन्डीक्राफ्ट सेक्टर की इकाईयों को उनके निर्यातों के जहाज पर्यन्त निशुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 3 प्रतिशत तक मदों की एक विस्तृत सूची के डयूटी फ्री आयातों की पात्रता उन्हें अलंकरण के रूप में प्राप्त होगी। अधिसूचित निर्यात उत्कृष्टता शहर की लघु उद्योग यूनिटों को सामान्य सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए ई.पी.सी.जी. सुविधाएं, इन शहरों की पंजीकृत एसोसिएशनों द्वारा मार्किट पहुंच प्रोत्साहन फण्ड्स की पहुंच, निर्यातों के लिए बुनियादी संरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता के तहत सहायता अग्रता तथा एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस के लिए निर्यात कार्यनिष्पादन मानदण्ड में छूट प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

एड्स निधियों को शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम पर व्यय करना

6380. श्री सुरेश रामराव जाधवः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एड्स नियंत्रण निधियों को शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम पर व्यय किया जा रहा है; जैसाकि दिनांक 3 मार्च, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके बंद किये जाने तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के प्रायोजक पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) एड्स के नियंत्रण में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम किस सीमा तक सफल हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले चार वर्षों में 328.79 लाख रुपए खर्च हुआ जिसका भुगतान दूरदर्शन को कर दिया गया।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने में एक बहुत महत्वपूर्ण संघटक बनाते हैं क्योंकि इस रोग का कोई उपचार नहीं है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है जो कि संक्रमण की संभावना वाले लोगों के लिए एक मात्र आशा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा अपनाई गई सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति बहु-आयामी है और युवाओं, महिलाओं, प्रवासियों औद्योगिक मजदूरों, ट्रक ड्राइवरों और समाज के अन्य वर्गों सरीखे कई वर्गों को सूचना प्रदान करती है। जनसंख्या के विभिन्न संवर्गों तक पहुंच के लिए नाको द्वारा रेडियो, टेलीविजन, प्रैस, मुद्रित प्रचार माध्यम, क्षेत्र-प्रचार अन्तर वैयक्तिक तकनीक जैसे विभिन्न मीडिया माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

''स्प्रिट ऑफ युनिटी कन्सर्टस'' का यह शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संगीत के आला सेवाओं (निच ओडियंस) के लिए था। यह कार्यक्रम एक संयुक्त समिति द्वारा संस्तुत किया गया था जिसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन अधिकारी और नाको का एक प्रतिनिधि शामिल था। दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम की गुणवत्ता की स्वीकृति की

प्राप्ति के बाद ही नाको कार्यक्रम के विनिर्माण एवं प्रसारण के लिए दूरदर्शन को निधियां प्रदान करता है। कार्यक्रम में देश के उत्कृष्ठ संगीतकारों को शामिल किया जिसमें पंडित जसराज, बालमुरली कृष्ण, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, हरिप्रसाद चौरसिया, शिवकुमार शर्मा, अल्का याज्ञनिक और अन्य शामिल हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले संगीतकारों ने एड्स पर सन्देश भी दिए।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कार्यक्रम के बीच में राष्ट्रीय नियंत्रण संगठन द्वारा तैयार किए गए एड्स सन्देशों पर विभिन्न स्पाट्स के प्रसारण के लिए नि:शुल्क प्रसारण समय फ्री कामर्शियल टाइम के 150 सेकेंडों का भी उपयोग कर रहा है। ये स्पाट्स प्राइम टाइम में प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को उपलब्ध काफी नि:शुल्क प्रसारण समय को देखते हुए इन स्पाट्स को सीधे दूरदर्शन से खरीदने का खर्च दूरदर्शन को भुगतान किए गए प्रसारण प्रभारों से अधिक होगा। इसलिए दूरदर्शन के प्राइम टाइम में एड्स पर सन्देशों को प्रसारित करने के लिए यह कार्यक्रम किफायती कार्यनीति थी।

जागरूकता बहुत से स्त्रोतों से इनपुटों सहित संचयी आधार पर पैदा की जाती है। इसी प्रकार एड्स की समस्या को नियंत्रित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसका सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेक्षण एक बहुत ही अभिन्न भाग है। ओ आर जी द्वारा 2001 में कराए गए राष्ट्रव्यापी जन सामान्य व्यावहारिक निगरानी सर्वेक्षण से पता चला है कि दूरदर्शन देश में सर्वाधिक देखा जाने वाला मीडिया है। जिसको 64.5 प्रतिशत लोग महीने में कम से कम एक बार देखते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओं में एच आई वी/एड्स रोग के बारे में सुनने तक की जागरूकता राष्ट्रीय स्तर पर 40.3 प्रतिशत (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99) से बढ़कर 70 प्रतिशत (बी एस एस-2001) हो गई है।

भारत-ईरान की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

6381. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ईरान सभी प्रकार के आतंकवाद के उन्मूलन के लिए पारस्परिक सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) भारत और ईरान की आतंकवादी धमकी पर समान हित-चिंताएं हैं। अप्रैल 2001 में प्रधान मंत्री की ईरान की यात्रा के दौरान संपन्न तेहरा घोषणा में आतंकवाद की इसके सभी रूपों में निन्दा की है। इस घोषणा में उन राज्यों की भी निंदा की है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवद और उग्रवाद को सहायता, उकसावा और प्रत्यक्ष समर्थन देते हैं और इसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान कया है। इस घोषणा में, भारत और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय से संबद्ध एक व्यापक अभिसमय को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने सहित आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहमति और विधिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करने के लिए अपने-अपने संकल्प को दोहराया।

हाल ही में इस वर्ष जनवरी में संपन्न गृह/आंतरिक सचिव स्तर की वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने सार्वभौमिक आतंकवाद की चुनौती को समाप्त करने में निकट सहयोग करने का संकल्प लिया है।

अल-कायदा के कैदियों से की गई पूछताछ के प्रतिलेख

6382. **श्री वाई. वी. राव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका की हिरासत में अल-कायदा के कैदियों से की गई पूछताछ के प्रतिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार ने अमरीका से सभी सूचनाओं और साक्ष्यों की मांग की है जो उसके पास हैं और जो भारत में आतंकवाद से संबंधित हैं। 21-22 जनवरी, 2002 तक दिल्ली में आयोजित आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध भारत-अमरीका संयुक्त कार्यकारी दल की चौथी बैठक के दौरान अमरीकी पक्ष इस बात पर सहमत हुआ कि वह आतंकवाद से संबंधित अफगानिस्तान में इकट्ठा की गयी जानकारियां और साक्ष्य भारत के साथ बांटने पर सहमत है।

[हिन्दी]

योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पाकिस्तान दौरा

6383. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने हाल में गरीबी उपशमन पर दक्षेस राष्ट्रों के वित्त एवं योजना मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन मुद्दों पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या विचार व्यक्त किए तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने बैठक के संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी;

(घ) यदि हां, तो उनके किन विचारों का आदान-प्रदान किया गया; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में दक्षिण एशिया में गरीबी और क्षेत्रीय आधार पर इसका मुकाबला करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गयी। हमारे शिष्टमंडल ने सम्मेलन को इस विषय पर भारत के अनुभव से अवगत कराया। सम्मेलन में कार्य योजना जारी की गई जिसमें क्रियान्वयन के लिए ठोस धारणाओं और अनुशंसाओं का उल्लेख किया गया था।

(ग) से (ङ) योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने सार्क के अन्य मंत्रियों के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से सद्भावना मुलाकात की।

[अनुवाद]

कीव में भारतीय दूतावास के लिए भूमि का आबंटन

6384. श्री नरेश पुगलिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्रेन सरकार द्वारा कीव में भारतीय दूतावास के लिए एक भूखंड का आबंटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि का स्वामित्व दूतावास को हस्तांरित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो भूमि के हस्तांरण की औपचारिकताओं को पूरा करने में भारतीय दूतावास की उस सफलता के क्या कारण हैं जिसके कारण आबंटन रद्द हो गया है;

(ङ) क्या भारतीय दूतावास ने बने-बनाये आवास की खरीद की थी अथवा किराये पर संपत्ति ली थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ज) 1992 में तत्कालीन यू.एस.एस.आर. की सरकार द्वारा भारत सरकार को कीव में एक भू-खण्ड आबंटित किया गया था। उक्रेन की सरकार ने उस करार का पालन करने में अपनी दिक्कतों को समझते हुए आबंटन को रद्द कर दिया और इस भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण को जारी नहीं रखा जा सका। इसके पश्चात राजदूतावास ने 1995 में एक सम्पत्ति को किराए पर लिया। चूंकि आबंटन को उक्रेन में प्राधिकरण द्वारा रद्द किया गया था, किसी अधिकारी पर उसकी जिम्मेदारी डालने का प्रश्न ही नहीं उठता था। एक सम्पत्ति अभी खरीदनी है।

मुख्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन

6385. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई मुख्य मंत्रियों ने वित्तीय सुधारों एवं विकास हेतु एक सांझी कार्यसूची तैयार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे विशिष्ट बिन्दु क्या हैं जिन पर राज्यों एवं केन्द्र की सहमति अपेक्षित है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, विकास राष्ट्रीय परिषद् की दिनांक 1 सितम्बर, 2001 को हुई 49वीं बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर बल दिया कि सुधारों पर राजनैतिक मतैक्य को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इस बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि इस मतैक्य को बनाने हेतु सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक में बुलाई जाएगी तथा इसकी कार्यसूची में श्रम सुधारों एवं विद्युत क्षेत्रक में सुधारों सबसे ऊपर रखा जाएगा।

ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया

6386. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अब 'टर्नकी आधार पर पत्तनों पर होने वाला बड़ा निकर्षण कार्य विशिष्टता प्राप्त निजी कंपनियों को दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्य के विस्तार क्षेत्र को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्तमान में ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कितने निकर्षण कार्य कर रहे हैं; और

(छ) गत दो वर्ष के दौरान ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारतीय निकर्षण निगम के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाती है जिसमें आय/व्यय, लाभ, निकर्षण क्षमता, पूंजी निवेश, वित्तीय अनुमानों, विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति भावी योजनाओं आदि जैसे मुद्दों पर विचार-विर्मश किया जाता है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार सभी महापत्तन (कोलकाता पत्तन न्यास को छोड़कर) अपने विकल्प के अनुसार अनुरक्षण निकर्षण के लिए निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं अथवा नामांकन के आधार पर कार्य-निष्पादित करने के लिए भारतीय निकर्षण निगम के साथ वार्ता कर सकते हैं। यदि पत्तन द्वारा निविदा की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो विदेशी कम्पनियों की तुलना में भारतीय कम्पनियों को विकल्प देने का प्रथम अधिकार होगा। भारतीय कम्पनियों में भारतीय निकर्षण निगम को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण खरीद की वरीयता प्राप्त होगी बशर्ते इसका मूल्य न्यूनतम वैध बोली के 10% के भीतर हो। कोलकाता पत्तन की अनुरक्षण निकर्षण की आवश्यकताएं पत्तन द्वारा अनुरक्षण निकर्षण की नीति को अन्तिम रूप दिए जाने तक भारतीय निकर्षण निगम द्वारा पूरी की जाएगी।

(घ) और (ङ) जहां तक निकर्षण कार्यों का संबंध है, भारतीय निकर्षण निगम के कार्य क्षेत्र को सीमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) इस समय भारतीय निकर्षण निगम 10 ट्रेलर सक्शन हापर ड्रेजरों और 2 कट्टर सक्शन ड्रेजरों का प्रचालन कर रहा है।

(छ) भारतीय निकर्षण निगम ने पिछले दो वित्त वर्षों अर्थात् 1999-2000 ओर 2000-2001 जिनके संपरीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध हैं, निवल लाभ अर्जित किया है।

प्रशासनिक सुधार

6387. श्री पवन कुमार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न समितियों/आयोगों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सुझाए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार ने देश में कुछ सुधार शुरू किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) शासन में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है और इस उद्देश्य के लिये विभिन्न मंत्रालयों/

विभागों द्वारा समय-समय पर कार्य के तरीकों और कार्यविधियों में सुधार, संगठनात्मक ढांचों, अधिनियमों और नियमों और विनियमों आदि में परिवर्तन संबंधी सुझाव देने के लिये समय-समय पर समितियों तथा विशेषज्ञ दलों आदि का गठन किया जाता है। इस संबंध में एक स्थान पर कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पूर्व वित्त सचिव, श्री के.पी. गीताकृष्णन की अध्यक्षता में 28 फरवरी, 2000 को एक व्यय सुधार आयोग का गठन किया था। व्यय सुधार आयोग के विचारार्थ विषयों में केन्द्रीय सरकार के कार्यकलापों, गतिविधियों और प्रशासनिक ढांचे के कम करने के संबंध में एक रूपरेखा सुझाना, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और संबद्ध कार्यालयों के अंतर्गत कर्मचारियों की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा करना तथा विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों और संवर्गों को तर्कसंगत बनाने के उपाय सुझाना शामिल था। आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को कवर करके कुल 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। व्यय विभाग ने संबंधि मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

जनसंख्या में कमी का रुझान

6388. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की जनसंख्या में कमी का रुझान आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसंख्या में और कमी करने के लिए सरकार की भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। देश की जनसंख्या में कमी का रुझान है। जनसंख्या में पिछले दशक की वार्षिक सहज वृद्धि, जो अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अन्तर है, नीचे दी गई है-

वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर	वृद्धि दर
1990	30.2	9.7	2.05
1995	28.3	9.0	1.93
2000	25.8	8.5	1.73

(ग) जनसंख्या में और कमी लाने के लिए सरकार की भावी योजनाएं इस प्रकार हैं-

* प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत और समग्रतावादी कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन शामिल है, शुरू किया गया है जिसमें परिवार नियोजन सेवाओं को प्रदान करने में सामुदायिक सहभागिता भी शामिल है।

* सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण लाने के लिए एक अन्तर-क्षेत्रीय कार्यसूची की व्यवस्था है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कार्मिकों और गर्भनिरोधन की अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करना और बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना है।

* आठ राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कवरेज और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के बारे में ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्ति प्राप्त कार्यदल का गठन किया गया है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मलक्का खाड़ी पर संयुक्त निगरानी रखना

6389. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का खाड़ी पर संयुक्त रूप से निगरानी रखने की परिकल्पना वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत के इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका रखने वाले देश के रूप में उभरने का वायदा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य के अनुरोध के आधार पर संयुक्त रूप से गश्त लगाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए तैनात भारतीय नौसैनिक भारतीय समादेश और झण्डे तले कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) दिसंबर 2001 में दिल्ली में भारत-संयुक्त राज्य रक्षा नीति की बैठक में दोनों प्रतिनिधिमंडल सहमत थे कि भारत-संयुक्त राज्य रक्षा और सुरक्षा सहयोग से स्वतंत्रता, विश्व शांति, एशिया में आर्थिक प्रगति और सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में संवर्द्धन होगा। भारत, इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखने के लिए अन्य देशों के सहयोग से अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु प्रतिबद्ध है।

उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण लघु उद्योग इकाइयों का बन्द होना

6390. श्री सुनील खां: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान बंद होने वाले लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बाद लघु उद्योग की और इकाइयां बंद होने के कगार पर आ गई हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) बन्द इकाइयों पर सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों पर आंकड़े एकत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार मार्च, 2000 और मार्च, 2001 के अंत तक क्रमशः 3,04,235 और 2,49,630 रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां थीं। रुग्णता/बन्द होने के मुख्य कारण हैं, ऋण की अपर्याप्ता, प्रौद्योगिकी अप्रचलन, विपणन समस्याएं, प्रबन्धन कमियां इत्यादि।

(ग) उत्पाद शुल्क में संशोधन संघीय बजट की नियमित विशेषता है। लघु उद्योग क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक परिवर्तनों का सामना करने लायक लचीलापन है और यह सतत् वृद्धि कर रहा है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा दो बैग स्टॉकर रीकलेमरों की खरीद

6391. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने 809.44 लाख रूपए की लागत वाले कन्वेयर युक्त दो बैग स्टॉकर रीकलेमरों की खरीद की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपकरणों को आरंभ से ही संतोषजनक रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सका है जिसके परिणामस्वरूप अनुत्पादक व्यय हुआ है;

(ग) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने इन उपकरणों को खरीदने से पहले इनकी वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई गई की है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इन उपकरणों को परियोजना के परामर्शदाताओं मैसर्स होवे (इंडिया) प्रा.लि. नई दिल्ली की सिफारिशों के आधार पर पत्तन द्वारा संविदा-2-बल्क हैंडलिंग सुविधा के हिस्से के रूप में खरीदा गया था। बैग स्टैकर रिक्लेमर्स की खरीद की सिफारिशों का न्हावा शेवा पत्तन परियोजना की परियोजना कार्यान्वयन यूनिट द्वारा मूल्यांकन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैग स्टैकर रिक्लेमर्स के विस्तृत डिजाइन स्वीकार किए गए थे और परियोजना परामर्शदाता द्वारा निष्पत्ति प्रमाणन के साथ दी गई पंच सूची में दर्शायी गई खराबियों और कमियों का सुधार करने के अध्यधीन परियोजना परामर्शदाता द्वारा उपकरण और उसकी सहबद्ध प्रणाली को चालू करने की स्वीकृति दी गई थी। तथापि, उपकरण का अनुचित डिजाइन और रख-रखाव के औसत स्तर के कारण संतोषजनक रूप से प्रयोग नहीं किया जा सका।

चूंकि पत्तन न्यास बल्क हैंडलिंग सुविधा के ठेके के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए बैग स्टैकर रिक्लेमर्स और सहबद्ध उपकरण सहित कुछ प्रणालियों के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट नहीं था इसलिए उन्होंने ठेकेदार को माल और सेवाओं के मूल्य के संबंध में देय 10% के अंतिम चरण के भुगतान को रोक लिया। ठेकेदार द्वारा खराबियों और कमियों को सुधार किए जाने के लिए पत्तन न्यास द्वारा किए गए प्रयासों का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा भेजे गए एक पत्र से ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान को रोकने का मुद्दा माध्यस्थम् का विषय बन गया। माध्यस्थम् पंचाट जुलाई, 1997 में प्रकाशित हुआ था। विद्वान

मध्यस्थों ने बैग स्टैकर रिक्लेमर्स और सहबद्ध प्रणालियों सहित कुछ प्रणालियों जो ठेके के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उपकरणों का हिस्सा थी, के संबंध में पत्तन न्यास द्वारा किए गए दावे के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया। मध्यस्थों के अनुसार चूंकि दावेदारों द्वारा अंतिम पंच सूची का सुधार कर दिया गया था इसलिए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास को रोके गए भुगतानों को जारी करने का निर्देश दिया गया था। पत्तन न्यास द्वारा इस मामले को मुम्बई उच्च न्यायालय में दायर किया गया था और मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ठेकेदार के साथ वार्ता करने के पश्चात् भुगतान जारी कर दिए गए थे।

परमाणु विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश

6392. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि करने हेतु न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन द्वारा निजी निवेश किया जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार परमाणु विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश को आमंत्रित करने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश को स्वीकार करने के दौरान क्या सुरक्षोपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारत सरकार, परमाणु विद्युत क्षेत्र, में निजी फर्मों, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, की प्रतिभागिता की विशिष्ट पेशकशों का स्वागत करती है। तथापि, सरकार को अब तक, देश में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी पेशकशें, जब प्राप्त होंगी, तो उन पर तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होने, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने, हमारे देश की नियामक आवश्यकताओं और पेशकशों से जुड़ी शर्तों के आधार पर ही विचार किया जाएगा।

(ग) से (ङ) जी, हां। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता हो सकने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को संशोधित करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। विनिर्दिष्ट पदार्थों और उपस्करों के अधिग्रहण, उत्पादन, कब्जे, उपयोग, निपटान, निर्यात या आयात को इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अन्तर्गत विनियमित किया जाना जारी रहेगा, जोकि सुरक्षा संबंधी पहलुओं का ध्यान रखेगा।

ऑप्टोमीटर विशेषज्ञों की कमी

6393. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत जैसे देश के लिए कम से कम 40000 ऑप्टोमीटर विशेषज्ञों की आवश्यकता की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऑप्टोमीटर विशेषज्ञों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ग) देश में ऑप्टोमीटर विशेषज्ञों की कमी से दृष्टिहीनता का उपचार एवं नेत्र देखभाल किस सीमा तक प्रभावित हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऑप्टोमीटर विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'विजिन 2020: दी राइट टू साइट' पहल के अंतर्गत 50,000 जनसंख्या के लिए एक दृष्टि केन्द्र की संस्तुति की है। उपर्युक्त प्रतिमान के अनुसार दृष्टि का परीक्षण करने में समर्थ 20,000 कार्मिकों की भारत में आवश्यकता होगी।

(ख) दृष्टिमितिज्ञ (ऑप्टोमेट्रिस्ट) सहित मध्य स्तर के नेत्र कार्मिकों की अनुमानित संख्या 10,000 से 15,000 के बीच है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र शल्य-चिकित्सकों और मध्य स्तर के नेत्र कार्मिकों की कमी है। तथापि, नेत्र शिविरों का आयोजन करके देश में नेत्र रोगों की पहचान करने और उपचार करने के कार्य को संतोषजनक ढंग से चलाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने 'विजिन 2020: दी राइट टू साइट' पहल, जिसमें देश में पर्याप्त संख्या में नेत्र परिचर्या कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है, के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य-योजना तैयार की है।

घरेलू पत्र-व्यवहार में कमी

6394. श्री बी.के. पार्थसारथीः
श्री गुन्नीपाटी रामैयाः
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलुः
श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या घरेलू पत्र-व्यवहार वर्ष 1995 में 57 प्रतिशत से गिर कर वर्ष 2001 में 38 प्रतिशत तक रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डाक विभाग उत्पादकता में वृद्धि करने और लागत में कमी लाने हेतु अपने कार्य-संचालन में सूचना प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने के तरीकों की जांच कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में डाक सेवाओं को कॉरपोरेट क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) विभाग द्वारा निपटाई जाने वाली घरेलू डाक के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 1995-96 से 2000-2001 की अवधि के दौरान पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों को मिलाकर कुल घरेलू डाक में 1.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) डाक विभाग ने कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की शुरूआत करके देश के प्रमुख डाकघरों में डाकघर काउंटर कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। इसके अलावा मनीआर्डरों को निपटाने के लिए उपग्रह से जुड़े टर्मिनल्स भी स्थापित किए हैं। इन सबने बढ़ी हुई उत्पादकता के साथ काउंटर संबंधी लेन-देनों को गति दी है, ट्रांजिट समय, विभाग की लेखांकन तथा जनशक्ति की लागत को कम किया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुरुजल संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

6395. श्री रामदास आठवलेः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गुरुजल संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत लक्ष्य से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन वर्षवार कितना रहा; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारी पानी संयंत्र, भारी पानी का उत्पादन करते हैं, जिसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी एच डब्ल्यू आर) में शीतलक तथा मंडक के रूप में किया जाता है। भारी पानी संयंत्रों में होने वाला उत्पादन, निर्धारित लक्ष्यों से ऊपर ही रहा है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परिचालन-रत भारी पानी संयंत्रों की स्थापित क्षमतायें निम्नानुसार हैं:-

मानुगुरू	-	185 मीटरी टन
कोटा	-	80 मीटरी टन
हज़ीरा	-	80 मीटरी टन
थाल	-	78 मीटरी टन
तूतीकोरिन	-	49 मीटरी टन

क्योंकि भारी पानी एक सामरिक महत्व की सामग्री है, अतः वास्तविक उत्पादन के आंकड़े नहीं बताए जा रहे।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, परिचालन-रत संयंत्रों का समग्र क्षमता उपयोग उत्कृष्ट रहा है जोकि, भरण प्रक्रिया दर को बढ़ाने, परिचालन संबंधी प्राचलों को पुनः इष्टतम करने, भरण

सांद्रता और प्रवाह-घंटों आदि में सुधार लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप हुआ है।

[अनुवाद]

बाहरी स्रोतों द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य योजनाएं/परियोजनाएं

6396. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में शुरू करने के लिए डब्ल्यू.एच.ओ., यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी. आदि जैसे विभिन्न बाहरी स्रोतों द्वारा वित्तपोषित नई स्वास्थ्य योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका कार्यान्वयन क्षेत्र वित्तपोषण विधि और अनुमानित अवधि क्या है;

(ग) क्या सरकार इस समय देश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की निगरानी कर रही है और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड आदि जैसी स्वास्थ्य परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कार्यान्वित विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के वित्तपोषण का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मीडिया लैब एशिया

6397. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक-आर्थिक परियोजना, मीडिया लैब एशिया द्वारा राशि का उपयोग सरकारी संवीक्षा के अंतर्गत आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 10 करोड़ के अनुदान में से 80 प्रतिशत का उपयोग गैर-अनुसंधान क्रियाकलापों पर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले और निधियों के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मीडिया लैब एशिया ने 30 अप्रैल, 2002 तक 16.1 करोड़ रुपए का व्यय किया है। यह राशि मुख्यत: अनुसंधान कार्यकलापों पर खर्च की गई जैसेकि दिल्ली, कानपुर, मद्रास, मुम्बई और खड़गपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसंधान हब/प्रयोगशालाओं को स्थापित करने में अनुसंधान उन्मुखी आधारभूत सुविधाओं का सृजन, क्षेत्रीय परीक्षण तथा सम्पर्क प्रभार, इसमें दोनों संगठनों के बीच अनुसंधान सहयोग करार के तहत मीडिया लैब एशिया की सहायता व सहयोग करने के लिए एमआईटी मीडिया लैब, यूएसए को किया गया भुगतान भी शामिल है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

निजी टेलीफोन कंपनियां

6398. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं के क्षेत्र में कार्यरत नई कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 मार्च, 2001 तक उनके द्वारा राज्यवार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं के क्षेत्र में कार्य कर रही नई कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इन कंपनियों द्वारा 31 मार्च 2001 तक दिए गए कनेक्शनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालकों का ब्यौरा

लाइसेंसधारी कम्पनी	सेवा क्षेत्र	कंपनियों का प्रचालन सर्किल
मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड	मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली एवं तमिलनाडू (कुल-5)	सभी पांच सर्किलों में सेवा शुरू की गई
मै. टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु (कुल-5)	सेवा आंध्र प्रदेश में शुरू की गई
मै. ह्यूजेज टेलीकॉम (ई.) लिमिटेड	महाराष्ट्र (कुल-1)	सेवा महाराष्ट्र में शुरू की गई
मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान (कुल-1)	सेवा राजस्थान में शुरू की गई
मै. रिलायंस टेलीकॉम लि.	गुजरात (कुल-1)	सेवा गुजरात में शुरू की गई
मै. रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल (सिक्किम और कोलकाता सहित), उ. प्र. (पूर्व), उ. प्र. पश्चिम (उत्तरांचल सहित) कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंबई और गोवा सहित), आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, बिहार (झारखंड सहित), मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु (कुल-17)	शून्य
मै. एच एफ सी एल इंफोटेल लिमिटेड	पंजाब (कुल-1)	सेवा पंजाब में शुरू की गई

विवरण-II

31 मार्च, 2001 तक बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा दिए गए कनेक्शनों का राज्यवार ब्यौरा

प्रचालकों के नाम	सर्किल	31.03.01 की स्थिति के अनुसार कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3
भारती टेलीनेट लि.	मध्य प्रदेश	1,15,212
टाटा टेली सर्विसेस लि.	आंध्र प्रदेश	58,560

1	2	3
हयूजेज टेलीकॉम इंडिया लि.	महाराष्ट्र	69,699
श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	राजस्थान	9,119
रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	गुजरात	160
एच एफ सी एल इन्फोटेल लि.	पंजाब	13,326
	कुल	2,66,076

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान

6399. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ाः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के तृतीय चरण के लिए ठोस प्रेरक (मोटर) के इष्टतम रूपांतर का श्रीहरिकोटा स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एस.एच.ए.आर. केन्द्र पर सफलतापूर्वक भू-परीक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) के तृतीय चरण के लिए ठोस मोटर के इष्टतमी रूपान्तर का भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के आंध्र प्रदेश स्थित शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा से मार्च 30, 2002 को सफलतापूर्वक भू-परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के दौरान मोटर के कार्यनिष्पादन संबंधी पैरामीटर सामान्य रहे थे।

भू-तुल्यकाली अन्तरण कक्षा (जी.टी.ओ) मिशन के लिए पी.एस.एल.वी. की आगामी उड़ान (पी.एस.एल.वी.-सी.4) में उपयोग किए जाने के लिए उच्च कार्यनिष्पादन वाली मोटर की योजना बनाई गई है और इससे इस कक्षा में पी.एस.एल.वी. की नीतभार क्षमता में लगभग 70 कि.ग्रा. तक वृद्धि होने की संभावना है।

कंडोम की खरीद

6400. श्री अरूण कुमारः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत मंत्रालय देश में वितरण के लिए कंडोम की खरीद करता है;

(ख) क्या यह सच है कि कंडोम निर्माताओं ने मंत्रालय से क्रयादेश प्राप्त करने के लिए कार्टल बना लिया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000 और 2001 के लिए आपूर्तिकर्ताओं, उनकी स्थापित क्षमता, उन्हें दिए गए क्रयादेशों की मात्रा और खरीद दर का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत सरकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में निःशुल्क वितरण योजना के अंतर्गत कापर टी, मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोली (माला-एन) और कण्डोम (निरोध) गर्भनिरोधक प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत डीलक्स निरोध और मुख्य सेव्य गोलियां (माला-डी) भी प्रदान की जाती हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(i) *निःशुल्क वितरण योजना:* यह स्कीम राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से सारे देश में चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत कापर टी, मुख सेव्य गर्भनिरोधक गोली और कण्डोम (निरोध) का वितरण भारत सरकार द्वारा निःशुल्क रूप में किया जाता है। यह सामग्री राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को राज्य मुख्यालयों में प्रदान की जाती है और उसके बाद राज्य परिवार कल्याण निदेशालय इन गर्भनिरोधकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उप केन्द्रों के सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे के माध्यम से निः शुल्क वितरित करता है।

(ii) *सामाजिक विपणन योजना:* ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गर्भनिरोधकों के लिए भुगतान करने के इच्छुक होते हैं

लेकिन उन्हें वाणिज्यिक दरों पर वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार वितरण खर्च में रियायत देती है और गर्भनिरोधक खुदरा केन्द्रों से सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसे सामाजिक विपणन संगठनों के माध्यम से देश भर में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने पर बल दिया जाता है।

(ख) और (ग) कण्डोम की खरीद, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के मैनुअल में निर्धारित मानक प्रक्रिया को अपनाते हुए की जाती है। निविदा पूछताछ आमंत्रित की जाती है और दर संविदा को अंतिम रूप दिया जाता है। भारत में निर्माण क्षमता वार्षिक खरीद से काफी अधिक है।

स्थापित क्षमता, वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्माताओं को दिए गए आदेश और खरीद के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान कण्डोम की आपूर्ति, उनकी क्षमता और आर्डर की गई मात्रा

(आंकड़े मिलियन नग में)

फर्म	वार्षिक क्षमता	वर्ष 2000-2001 के दौरान आर्डर की गई मात्रा	
हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (सार्वजनिक उपक्रम)	670.00	327.5	294
टीटीकेएलआईजी लिमिटेड	963.00	90	40
टीटीके-बायोमेड (अब टीटीके हेल्थ केयर)	180.00	30	30
पोलर लेटेक्स लिमिटेड (अब पोलर फार्म इंडिया लि.)	536.00	85	50
जे.के. अनसेल, लिमिटेड	252.00	34	21
सुरेटेक्स प्रोफेलेटिक इंडिया लि.	180.00	5	5

दर

(i) कण्डोम (निरोध) के निःशुल्क वितरण के लिए प्रति 100 नग पर 116.50 रुपए

(ii) सामाजिक विपणन योजना (डीलक्स निरोध) के लिए प्रति 100 नग पर 144.75 रुपए।

[हिन्दी]

बिहार में विवेकाधीन कोटा

6401. श्री राजो सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकार द्वारा बिहार से विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिला-वार कितने आवेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ख) अब तक कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और शेष आवेदकों को कब तक कनेक्शन दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या उद्योग

6402. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फिक्की" ने भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या उद्योग को आकर्षक व्यवसाय बनाने के लिए सरकार को पांच-सूत्रीय रणनीति प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पत्तन न्यास की स्थिति में सुधार

6403. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में पत्तन न्यासों की स्थिति में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने कार्गो सम्भलाई में पत्तन न्यासों की कारगुजारी की जांच करने के लिए भी किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पत्तन न्यास द्वारा की गई कार्गो सम्भलाई और अर्जित आय का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) तमिलनाडु में तीन महापत्तन हैं। यद्यपि, चेन्नै और तूतीकोरिन पत्तन काफी समय से मौजूद हैं परन्तु इन्नौर में नया पत्तन भारत का प्रथम निगमित महापत्तन है जिसे फरवरी, 2001 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वाणिज्यिक और निवेश संबंधी निर्णय लेने में प्रबंधन को लचीलापन प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के महापत्तन न्यासों सहित महापत्तनों को चरणबद्ध रूप में निगमित करने का निर्णय लिया गया है। महापत्तनों का निगमीकरण करने के लिए 31.8.2001 को लोक सभा में महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 प्रस्तुत किया गया है जिसको जांच और रिपोर्ट के लिए विभाग से जुड़ी परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

(ग) सरकार ने कार्गो हैंडलिंग प्रक्रिया में पत्तन न्यासों के कामकाज की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में चेन्नै और तूतीकोरिन पत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो और अर्जित की गई आय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

चेन्नै पत्तन

वर्ष	मिलियन टन में हैंडल किया गया यातायात	कार्गो हैंडलिंग से हुई आय (करोड़ रु. में)
1999-2000	37.44	335.90
2000-2001	41.22	365.26
2001-2002	36.11	335.66 (अनन्तिम)

तूतीकोरिन पत्तन

वर्ष	मिलियन टन में हैंडल किया गया यातायात	कार्गो हैंडलिंग से हुई आय (करोड़ रु. में)
1999-2000	9.99	102.17
2000-2001	12.28	131.28
2001-2002	13.02	128.57 (अनन्तिम)

जहां तक इन्नौर पत्तन का संबंध है, इसने जून, 2001 से कार्गो हैंडल करना शुरू किया है। इस पत्तन ने जून, 2001 से मार्च, 2002 तक 3.40 मिलियन टन यातायात हैंडल किया है और ब्याज तथा मूल्यह्रास से पूर्व 27.21 करोड़ रु. (अनन्तिम) की आय अर्जित की है।

सूचना प्रौद्योगिकी में धीमा विकास

6404. श्री एन.टी. षणमुगमः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी में विकास की धीमी होती गति से देश में कम्प्यूटर शिक्षा प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो विकास की गति धीमी होने के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) विश्व अर्थव्यवस्था में जारी मंदी के कारण विश्व की अधिकांश कंपनियां लागत में कमी और कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। किन्तु, देश में कम्प्यूटर शिक्षा पर मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अन्तर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती है।

4. ईएचटीपी/ईओयूईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों के निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (पीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-2003 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25-35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

    * कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श

नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पूर्जों पर 5%, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-2002 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो तब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएससी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, बी तथा 80 एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयां, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में ''निर्यात गृह'' का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होगीं।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-2002 के बजट में इसी सीमा को 40% से बढ़ा कर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अन्तर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमासी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-2003 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वत: मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अमरीकी डॉलर है (बजट 2002-03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लाने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलूओं का प्रावधान किया गया है।

सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी

6405. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के सभी सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और नर्सिंग होमों में नर्सों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो देश में केन्द्र सरकार के अस्पतालों, अन्य चिकित्सा संस्थानों और केन्द्रों में डाक्टरों और नर्सों का औसत अनुपात क्या है;

(ग) क्या कतिपय भर्ती और प्लेसमेंट एजेन्सियों को नर्सों की भर्ती करने और उन्हें अमरीका और अन्य विकसित देशों में भेजने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन भर्ती एजेन्सियों द्वारा कितनी नर्सों की भर्ती की गई है और विभिन्न देशों में भेजा गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2000 को राज्य नर्सिंग परिषदों में पंजीकृत उपचर्या कार्मिकों की संख्या 7,75,812 है

(ख) देश में डाक्टर : नर्स का अनुपात 1:1.41 है।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह प्रवसन अधिनियम, 1983 को संचालित करता है। इस अधिनियम में संविदा आधार पर रोजगार के लिए विदेशों में जाने वाले भारतीय कामगारों के रोजगार और हितों की सुरक्षा की भर्ती को विनियमित करता है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई विदेशी नियोक्ता किसी भी भारतीय नागरिक को किसी देश में या

तो पंजीकृत भर्ती एजेंट अथवा सक्षम प्राधिकारी से वैध परमिट प्राप्त करने के बाद ही भर्ती कर सकता है। प्रवसन अधिनियम, 1983 के अंतर्गत भर्ती एजेंटों का पंजीकरण, जनवरी, 1984 से आरम्भ हुआ और तब से 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेन्ट्स द्वारा 3487 भर्ती एजेण्टों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में स्थापित किए गए 9 स्टेटमेन पावर एक्सपोर्ट कारपोरेशन भी शामिल हैं। तथापि, इस समय वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्रों वाले लगभग 1250 भर्ती एजेंट इस कार्य में लगे हुए हैं। इन भर्ती एजेंटों को सभी प्रकार के कामगारों जिनमें नर्सें भी शामिल हैं, को भर्ती करने के लाइसेंस दिए गए हैं। नर्सों की भर्ती के लिए अलग से कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि विभिन्न देशों को जाने वाले नर्सों की संख्या के बारे में कोई ऐसे आंकड़े समेकित रूप में नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

राजस्थान में कृषि कार्यक्रम

6406. **श्री कैलाश मेघवालः** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों और उद्यमियों को सहायता और प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और चल रहे कार्यक्रमों का तारीख-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन एजेन्सियों के माध्यम से ये योजनाएं/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना/कार्यक्रम-वार और वर्षवार एजेंसी-वार स्वीकृत धनराशि और इन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से देशभर में जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है, ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों और उद्यमियों को सहायता देने और संवर्धन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य में प्रचालनरत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के माध्यम से 1.4.1995 से ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) राजस्थान राज्य को एजेंसीवार/वर्षवार ब्यौरे सहित संवितरित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:

विवरण

रु. लाखों में

एजेंसी	1998-99				1999-2000				2000-2001			
	खादी (ऋण एवं अनुदान)	ग्रामोद्योग (ऋण एवं अनुदान)	आरईजीपी (अनुदान)	सीबीसी (ऋण)	खादी (ऋण एवं अनुदान)	ग्रामोद्योग (ऋण एवं अनुदान)	आरईजीपी (अनुदान)	सीबीसी (ऋण)	खादी (ऋण एवं अनुदान)	ग्रामोद्योग (ऋण एवं अनुदान)	आरईजीपी अनुदान	सीबीसी (ऋण)
राज्य केवीआई बोर्ड		313.00		237.00	0.50	200.00	1040.00		2.00			
प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थान	1510.41	172.40			913.92	121.34			613.09	100.38		
सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			118.24				792.24				1096.20	

सी.बी.सी. - कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट

ग्रामोद्योग - ग्रामोद्योग

आर.ई.जी.पी. - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17

6407. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 की जीर्णशीर्ण स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 का उपलब्ध संसाधनों के अंदर यातायात योग्य स्थिति में सामान्यत: अनुरक्षण किया जा रहा है। यातायात आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 की मरम्मत और सुधार कार्य चरणों में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 की कुल 475 कि.मी. में से लगभग 325 कि.मी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष खंडों में सड़क गुणता सुधार कार्य वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं

6408. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों के कार्यकरण को सुधारने और इनमें विशेषकर एम्स, सफदरजंग और आर.एम.एल. अस्पतालों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को बढाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के दिल्ली स्थित अस्पतालों, तथा सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा उसके संबद्ध अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य परिचर्या की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और जहां कहीं आवश्यकता हो, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसमें और सुधार करने के उपाय किए जाते हैं।

समेकित बाल विकास योजना का उन्नयन

6409. श्री के.पी. सिंह देव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में समेकित बाल विकास योजनाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर उड़ीसा में कितने समेकित बाल विकास योजना केन्द्रों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम का कार्यान्वयन महिला और बाल विकास विभाग करता है। उस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार का प्रयास एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम को सुदृढ़ करने और इसे और अधिक प्रभावकारी एवं परिणामोन्मुखी बनाने का रहा है। इस दिशा में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के लिए 'बेहतर औषध किटों एवं स्कूल जाने के पहले की शिक्षण सामग्री का प्रावधान, "यूड़िसा" नामक नवीन एवं विकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना; मॉनीटरिंग तंत्र का सुदृढ़ीकरण और उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा बैंठकें आयोजित करना शामिल है। सम्पूरक पोषण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होने के नाते राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए सम्पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानदंडों में संशोधन करें और 0-3 वर्ष आयु के बच्चों के पोषण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अपने विवेकाधीन-घटक से पर्याप्त योगदान दें। ये उपाय उड़ीसा के केन्द्रों सहित देश के सभी एकीकृत बात-विकास सेवा केन्द्रों पर लागू होते हैं।

दिल्ली से गुड़गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

6410. श्री अनंत नायक: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से गुड़गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से को चौड़ा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या राजमार्ग चौड़ा करने के लिए राजमार्ग के दोनों ओर से और सड़क विभाजकों से कई पेड़ों को उखाड़ना पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या राजमार्ग के दोनों ओर किसी क्षतिपूरक वानकी की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 555 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ) मार्ग को चौड़ा करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि से पेड़ों को हटाया जाना आवश्यक है। यथासंभव, संरेखण इस प्रकार किया जाएगा, ताकि कम से कम संख्या में पेड़ काटे जाएं। परियोजना की समाप्ति पर राजमार्ग के दोनों तरफ पेड़ लगाने के अतिरिक्त दिल्ली छावनी के निकटवर्ती क्षेत्र में 1:10 के अनुपात में प्रतिपूरक वनीकरण करने की योजना है।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री के विदेश दौरे

6411. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने मार्च-अप्रैल, 2002 में कई देशों की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक देश में जिन गणमान्य व्यक्तियों से वह मिले और की गई वार्ता और हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां। विदेश मंत्री 29 मार्च - 6 अप्रैल, 2002 तक चीन, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और म्यांमा की यात्रा पर गए।

(ख) से (घ)

चीन

विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री तैंग जियाजोन तथा श्री दै बिंगगूयो, सी पी सी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग, मंत्री से मिले। उन्होंने उप प्रीमियर क्यान किचेन तथा प्रीमियर जू रौंगजी से भी भेंट की।

विदेशी मंत्री की चीन की यात्रा के दौरान चर्चा के मुद्दों में प्रधान मंत्री की चीन यात्रा, व्यापारिक और आर्थिक सहयोग, पर्यटन और बाढ़ सीजन के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जल विज्ञान आंकड़ों संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

दोनों पक्ष 2002 में बीजिंग में आगामी (12वीं) विशेषज्ञ समूह बैठक में पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नक्शों के आदान-प्रदान के लिए सहमत हुए। दोनों पक्ष 2002 के अंत तक पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नक्शों का आदान-प्रदान पूरा करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास भी करेंगे और उसके पश्चात आगामी वर्ष के प्रारम्भ में पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नक्शों के आदान-प्रदान आरम्भ करेंगे।

नई दिल्ली में जनवरी में प्रधान मंत्री और प्रीमियर जू रौंगजी के बीच वार्ता के दौरान दोनों पक्ष आतंकवाद प्रतिकार से संबद्ध कोई द्विपक्षीय संवाद तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हुए कि ये वार्ताएं वार्षिक आधार पर संपन्न होंगी और प्रथम बैठक 23 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी।

कोरिया गणराज्य

विदेश मंत्री राष्ट्रपति किमडेई से मिले और अपने समकक्ष विदेश मंत्री चोई सुंग-होंग से चर्चा की थी।

विदेश मंत्री की विदेश मंत्री चाई के साथ चर्चा के दौरान, दोनों पक्ष और अधिक बार-बार उच्च स्तरीय राजनैतिक और संसदीय आदान-प्रदान, व्यापक आदान-प्रदान और रक्षा मामलों में संपर्क, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तथा सुरक्षा मसलों पर संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग सहित, के जरिए सहित द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए।

मंत्रीस्तर पर भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की पहली बैठक भी संपन्न हुई थी। ढांचागत परियोजनाएं, नागर विमानन, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित व्यापारिक और निवेश मसलों पर चर्चा हुई। सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हुए। भारत-कोरिया गणराज्य संयुक्त

आयोग की अगली बैठक अगले वर्ष के प्रारम्भ में नई दिल्ली में संपन्न होगी।

थाईलैण्ड

विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री डा. थाकसिन नाशिनावात्रा से मुलाकात की और थाईलैण्ड के विदेश मंत्री डा. सुराकियार्त साथिराथाई के साथ विचार-विमर्श किया।

इस यात्रा के दौरान मसले जिन पर चर्चा हुई उनमें द्विपक्षीय संबंधों को गहन करने तथा प्रगाढ़ करने और परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं।

म्यांमा

विदेश मंत्री ने म्यांमा में 5-6 अप्रैल, 2002 तक संपन्न परिवहन संपर्कों से संबद्ध भारत-म्यांमा-थाईलैण्ड मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। तीनों विदेश मंत्रियों ने म्यांमा के जरिए एक नए हाईवे के निर्माण पर ध्यान देते हुए तीनों देशों को आंतरिक रूप से जोड़ने वाले परिवहन संपर्कों के विकास से संबंधित व्यापक मसलों पर चर्चा की। इस प्रकार के नेटवर्क के परिणामस्वरूप तीनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच क्रिया-कलाप संवर्धित होगा और दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सहयोग बढ़ेगा। इस बैठक में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमति हुई:

(i) म्यांमा में बागान के जरिए भारत में मोरेह से थाईलैंड में मेई सोट तक एक हाईवे का निर्माण।

(ii) थाईलैंड में कंचनाबूरी से थाईलैंड में देवाई गहरे समुद्र बंदरगाह तक एक हाईवे तथा एक एकीकृत परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में भारत में समुद्री बंदरगाह के लिए नौवहन संपर्कों का निर्माण।

(iii) सीमा के आर-पार वस्तुओं तथा लोगों के पारगमन के सुविधाकरण के जरिए व्यापार निवेश और पर्यटन का संवर्धन।

(iv) मानव संसाधन विकास में सहयोग

इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दो कार्य बल गठित किए गए हैं, थाईलैंड की अध्यक्षता में एक वित्त पोषण के लिए तथा दूसरा भारत की अध्यक्षता में तकनीकी मामलों पर चर्चा करने के लिए अब दोनों कार्य बलों की बैठक 9 मई, 2002 को यांगून में होने की संभावना है।

जबकि, म्यांमा में, विदेश मंत्री ने सचिव-1 जन खिन न्यूट से भी मुलाकात की।

[अनुवाद]

अवैध दूरभाष केन्द्र

6412. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में अवैध दूरभाष केन्द्रों के माध्यम से चल रहे नए प्रकार के संचार रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है जैसे कि दिनांक 13 अप्रैल 2002 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस रैकेट में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ङ) हाल ही में दिल्ली में विदेश संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के गेटवे को बाइपास करते हुए आवक अन्तर्राष्ट्रीय कालों को अवैध रूप से पारेषित करने संबंधी 8 मामलों (जैसाकि दिनांक 13.4.2002 के ''द हिन्दू'' समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है) का पता लगाया गया है। चूंकि इन अवैध गतिविधियों में प्राइवेट व्यक्ति संलिप्त थे, इसलिए उक्त मामलें में जांच और उचित कार्रवाई करने के लिए सीबीआई/पुलिस अधिकारियों की सहायता ली गई। इन सभी मामलों में सीबीआई/पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीबीआई/पुलिस अधिकारियों द्वारा 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

निवारक स्वास्थ्य परिचर्या

6413. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के ''द इंडियन एक्सप्रैस'' में ''प्रिवेन्टिव हैल्थ केयर ए लो प्रीओरिटी इन इंडिया, सेज एक्सपर्ट एंड द कोर्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें मामले के क्या तथ्य प्रकाशित किए गए;

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) निवारक स्वास्थ्य परिचर्या की दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सरकार को निवारक स्वास्थ्य परिचर्या, जो कि भारत में उपेक्षित क्षेत्र नहीं है, के लाभों के बारे में समाचार की जानकारी है। यह सूचित किया गया है कि अधिक अल्कोहल और तम्बाकू का सेवन तथा तनावपूर्ण कार्य का माहौल जीवन शैली रोगों के प्रमुख कारणों में से हैं जिनको रोका जा सकता है।

(ग) और (घ) इस बारे में जागरूकता बढ़ी है कि निवारक स्वास्थ्य जांच के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य परिचर्या रोगों की आरम्भिक स्थिति में निदान करने में प्रमुख कारक हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ होने के आसार बढ़ते हैं। विशिष्ट रूप से ऐसी स्थिति कैंसर और हृदय रोगी के मामले में पैदा होती है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेण सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है जिनमें प्रमुख असंचारी रोग नियंत्रण भी शामिल है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य परिचर्या के लाभों के बारे में जानकारी देने के प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जीवन शैली से उत्पन्न रोगों की रोकथाम के लिए आचरण परिवर्तन लाने के बारे में सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण प्रयासों पर बल दिया गया है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति का उद्देश्य जनसंख्या के उन वर्गों तक सूचना का अधिक से अधिक पहुंचाना होगा जिनके पास केवल जन-प्रचार साधनों के माध्यम से कारगर ढंग से नहीं पहुंचा गया है। नीति में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी प्राथमिकता देने की भी परिकल्पना की गई है जिसका उद्देश्य बच्चों में निवारक स्वास्थ्य शिक्षा, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और स्वस्थ आचरण को बढ़ावा देना है।

मारीशस के उप-प्रधान मंत्री का दौरा

6414. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारीशस के उप-प्रधान मंत्री ने अप्रैल, 2002 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों के बीच व्यापारिक संबंध द्विपक्षीय संधि के अनुरूप हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध बढ़ाये जाने की भी बात हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लिए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां। मारीशस के उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री श्री पॉल रेमंड बेरेंगर 6-12 अप्रैल, 2002 तक भारत की यात्रा पर आए थे।

(ख) श्री बेरेंगर ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उनकी विदेश मंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठकें हुई। इन बैठकों के दौरान परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।

(ग) जी हां। तथापि, मौजूदा व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के और विकसित होने की संभावना है। वर्ष 2000 में मारीशस के साथ एक व्यापार करार सम्पन्न किया गया। वर्ष 2000-2001 में द्विपक्षीय व्यापार 9420 मिलियन रुपए था। मारीशस को भारत से निर्यात 9150 मिलियन रुपए था और मारीशस से आयात 270 मिलियन रुपए था।

(घ) द्विपक्षीय बैठकों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहन करने और व्यापार को विस्तारित करने के संबंध में विचार-विमर्श हुए।

(ङ) इस तथ्य को देखते हुए कि मारीशस की संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में बाजारों तक आसान पहुंच है, दोनों देश व्यापार को संवर्धित करने और मारीशस को एक ''स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके इन बाजारों में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए मिलकर कार्य करने के लिए सहमत थे।

भारतीय नौवहन निगम का बंटवारा

6415. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय नौवहन निगम को दो प्रतिष्ठानों/ कंपनियों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय नौवहन निगम के पुराने पोतों को तुरन्त बेचने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) पुराने पोतों को बेचने के संबंध में सरकार द्वारा नहीं बल्कि भारतीय नौवहन की निगम के प्रबंधन द्वारा विचार किया जाना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरेक व्यय

6416. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार विभाग की बजटीय प्रणाली की गहन पुनरीक्षा करने का है ताकि अतिरेक व्यय और बजटीय उच्चतम सीमा के उल्लंघन से बचा जा सके;

(ख) वर्ष 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान किए गए अतिरेक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायए गए हैं कि भविष्य में कोई अतिरेक व्यय न हो?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) वर्ष 1998-99 में राजस्व (दत्तमत) खंड में 300.85 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। ऐसा राजस्व अधिशेष का आरक्षित निधि में विनियोजन के कारण हुआ जो वास्तविक अर्थों में व्यय नहीं है और इससे कोई नकद व्यय नहीं हुआ है। तथापि, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कोई भी अधिक व्यय नहीं हुआ।

1.10.2000 से विभाग के सेवा प्रदायी कार्यों के निगमीकरण और भारत संचार निगम लिमिटेड के गठन के परिमाणस्वरूप दूरसंचार विभाग की बजटिंग प्रणाली पूर्णत: संपुष्ट हुई है। प्रचालन से संबधित राजस्व और व्यय की लेखा सूचना अब कंपनी द्वारा रखी जाती है और अब दूरसंचार विभाग का बजट इससे संबंधित नहीं है।

रूसी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

6417. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने अप्रैल, 2002 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणाम क्या निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी हां। रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के सचिव श्री व्लादिमीर रूशेलो ने प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के आमंत्रण पर 2-5 अप्रैल, 2002 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) और (ग) श्री रूशेलो की यह यात्रा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रूसी परिसंघ की सुरक्षा परिषद के बीच सम्पन्न सहयोग के प्रोतोकोल के अनुरूप थी। इस यात्रा के दौरान, श्री रूशेलो ने प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भारत-रूस के द्विपक्षीय मामलों पर परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। श्री रूशेलो ने प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री श्री एल के आडवाणी और रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस से भी मुलाकात की प्रधान मंत्री से मुलाकात के दौरान, श्री रूशेलो ने प्रधान मंत्री के नाम भेजे गए रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन का एक पत्र उन्हें दिया। इस यात्रा के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

इंटरनेट सेवा प्रदाता

6418. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार देश में कितनी कम्पनियों को इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) लाइसेंस प्रदान किए गए हैं;

(ख) 31 दिसंबर, 2001 की स्थिति के अनुसार कितने लोगों को इंटरनेट सुविधा मिली है;

(ग) क्या इस समय उपलब्ध बैंडविथ देश में इंटरनेट ट्रैफिक की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) क्या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विदेशी उपग्रहों से बैंडविथ प्राप्त करने और इंटरनेट ट्रैफिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेट-वे स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी कंपनियों ने बैंडविथ सुविधा प्राप्त की है और इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त बैंडविथ से मांग को किस सीमा तक पूरा किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 31 दिसम्बर 2001 की स्थिति के अनुसार 384 कंपनियों को 448 इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस जारी किए गए।

(ख) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार 150 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने इंटरनेट सेवा आरंभ करने की सूचना दी है और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 38 लाख है।

(ग) से (ङ) जी, हां। देश में इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल बैंडविथ की उपलब्धता में और वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा संबंधी क्लीयरेंस लेकर विदेशी उपग्रह और समुद्री केबल माध्यम का उपयोग करके इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दे दी है। आज की तिथि के अनुसार 20 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विदेशी उपग्रहों का प्रयोग करके इंटरनेट के लिए 45 अंतर्राष्ट्रीय गेटवे संस्थापित करने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

उपग्रह प्रयोक्ता

6419. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय उपग्रहों के वे सरकारी और गैर-सरकारी प्रयोक्ता कितने हैं जो इस समय अंतरिक्ष में प्रचालन कर रहे हैं और सरकार द्वारा उनसे शुल्क वसूल किया जा रहा है, इन उपग्रहों पर खर्च की जा रही राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या नए कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इस समय, भारतीय उपग्रहों के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। भारतीय उपग्रहों, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट) और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) की सेवाओं के सरकारी क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), प्रसार भारती और अनेक सरकारी विभाग अर्थात् भारत मौसमविज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), कृषि मंत्रालय, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इत्यादि शामिल हैं। भारतीय उपग्रहों के निजी उपयोगकर्ताओं में मैसर्स इन्टेलसैट, अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन और भारतीय गैर-सरकारी टी.वी. प्रसारक शामिल हैं। जबकि इन उपग्रहों की सेवा से प्राप्त होने वाले विविध स्पिन-ऑफ क्रियाकलापों/लाभों पर विचार करते हुए सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व का आकलन करना कठिन है, अन्तरिक्ष विभाग द्वारा नवीं योजना अवधि के दौरान घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्जित सीधे राजस्व की राशि लगभग 410 करोड़ रुपये है।

इस समय कक्षा में कार्यरत इन्सैट और आई.आर.एस. उपग्रहों पर हुए खर्च की राशि 2845 करोड़ रुपये है।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम देश के सामाजार्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर रूप में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग की दिशा में निर्देशित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अत्याधुनिक लागत-प्रभावी उपग्रहों और प्रमोचक राकेटों का विकास सतत आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल के पोत

6420. श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम लि. ने चार कच्चे तेल के पोत खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दो स्वेजमास टैंकर खरीदने की स्वीकृति दे दी है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम लि. ने इस संबंध में कोरिया की देवू शिपयार्ड को आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल के पोत खरीदने के लिए जारी आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक खरीदे जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) इस समय भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) ने कुल सात कच्चे तेल के टैंकरों के क्रयादेश दिए हैं।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) और (ङ) भारतीय नौवहन निगम ने 48.7 मिलियन अमरीकी डालर प्रति जलयान के मूल्य पर लगभग 1,40,000 डी डब्ल्यू टी प्रत्येक के दो कच्चे तेल के टैंकरों के निर्माण और डिलीवरी के लिए देवू शिपयार्ड, कोरिया को क्रयादेश दिए हैं। भारतीय नौवहन निगम के इन जलयानों की डिलीवरी क्रमशः अक्तूबर, 2004 और जनवरी, 2005 तक कर दी जाएगी।

बेसिक टेलीकॉम संचालकों को वित्तीय सहायता

6421. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम आपरेटर्स ने सरकार से धनराशि आवंटित करने या वित्त मंत्रालय से उनके आपरेटरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जैसा कि "द हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिनांक 11 अप्रैल, 2002 के अंक में "ए.बी.टी.ओ. सीक्स, फण्ड्स फॉर रूरल टेलीफोन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो एबीटीओ द्वारा वित्तीय सहायता मांगने के लिए क्या मुख्य कारण बताए गए हैं;

(ग) क्या ए.बी.टी.ओ. के सदस्यों को यूनिवर्सल सर्विस फन्ड (यू.एस.एफ.) से कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ए.बी.टी.ओ. ने सरकार से नए फिक्स्ड लाइन लाइसेंसों और पुराने लाइसेंसों में अन्तर को भी स्पष्ट करने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो ए.बी.टी.ओ. के अभ्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) बुनियादी दूरसंचार प्रचालक संघ ने 31.3.2002 तक कवर किए जाने वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) सहित ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए बीएसएनएल की तरह वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक भौतिक कार्य-निष्पादन के आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए 1.4.2002 से सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति शुरू की गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपरोक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के रिक्त स्थान

6422. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित समूह ग और घ की रिक्तियों के अनारक्षण पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर सी जी एच एस औषधालयों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. हेतु आरक्षित रिक्तियों को बड़ी संख्या में अनारक्षित किया जा रहा है और इन वर्गों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के व्यक्तियों से भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1 जनवरी, 1994 से आज तक ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सी जी एच एस औषधालयों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया जा रहा है और अन्य वर्गों के व्यक्तियों द्वारा भरा जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बेसिक टेलीफोनी

6423. श्री अरूण कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेसिक टेलीफोनी को एक व्यापार क्षेत्र माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की चालू विनिवेश प्रक्रिया के साथ खर्चीले ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक टेलीफोनी सुनिश्चित करने की किस प्रकार की योजना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वायर लाइन और वायरलेस (स्थिर टर्मिनलों के लिए टैरिफ लागत आधारित नहीं है। इसलिए बेसिक टेलीफोनी को व्यापार क्षेत्र नहीं माना जा सकता।

(ख) चालू विनिवेश प्रक्रिया के साथ खर्चीले ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक टेलीफोनी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समानुपात में पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस की स्थापना करने के सन्दर्भ में नए लाइसेंसधारकों के रोलआउट दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

आई एस एम एण्ड एच संवर्ग

6424. श्री नरेश पुगलिया:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान टिक्कू समिति ने केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में आई एस एम एण्ड एच डाक्टरों के लिए एक पृथक संगठित सेवा बनाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एक सलाहकार अध्ययन दल ने उच्च स्तर के पदों हेतु समान अवसर के साथ आई एस एम एण्ड एच डाक्टरों का केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के साथ समेकन का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो सलाहकार अध्ययन दल के विचार पर सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) टिक्कू समिति ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी चिकित्सकों को अपने एलोपेथिक प्रतिस्थानियों के साथ समानता देने की आवश्यकता रेखांकित करके परामर्शदाता अध्ययन दल का हवाला दिया। टिक्कू समिति ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी चिकित्सकों के लिए एक पृथक सेवा बनाने की अनुशंसा की, जिसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सुपर गणना सुविधाओं की स्थापना करना

6425. श्री राजो सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सुपर गणना सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या इन सुविधाओं की स्थापना हेतु किसी स्थान की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे देश के विकास में किस सीमा तक लाभ मिलेगा; और

(च) इन्हें कब तक स्थापित किया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय परम सुपर अभिकलन सुविधा (एनपीएसएफ) मार्च, 1988 से उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) पुणे में कार्य कर रही है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा मुख्य अभिकलन गहन, विज्ञान और इंजीनियरी से संबंधित समस्याओं को हल करने में लाभदायक हैं जैसे कि पर्यावरण मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, भूकम्पीय आंकड़ों का संसाधन, दावाग्नि विश्लेषण, संरचनात्मक तंत्र, अंतरिक्ष यान/वायुयान डिजाइन, आण्विक मॉडलिंग, नैनो-अभिकलन, जैव-सूचना विज्ञान आदि। इस सुविधा की उपलब्धता से देश को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(च) सी-डैक, पुणे में स्थित एनपीएसएफ पहले से ही कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

पुणे टेलीकॉम द्वारा जीएसएम सेवा प्रारम्भ करना

6426. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुलः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे टेलीकॉम अन्य नई सुविधाओं के साथ-साथ जीएसएम सेवाएं प्रारम्भ करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां ये सुविधाएं शुरू की जा रही हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा शॉर्ट मैसेज सेवा (एसएमएस), रोमिंग, यूनीफाइड मैसेजिंग सेवा (यूएमएस) वॉयस मैसेजिंग सेवा (वीएमएस), वायरलैस एक्सेस प्रोटोकॉल (डब्ल्यूएपी) सुविधा, इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क (आईएन) सेवाओं, आदि जैसी जीएसएम की सहयोजित मूल्यवर्धित सेवाओं सहित 89000 सेल्यूलर मोबाइल फोन कनैक्शनों की कुल क्षमता से पुणे दूरसंचार में जीएसएम सेवाएं दो चरणों में शुरू करने की योजना है।

(ग) महाराष्ट्र में लाइसेंसशुदा सेवा-क्षेत्रों में कवर किए जाने वाले शहरों की योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में कवर किये जाने वाले स्थानों का ब्यौरा

1. अहमदनगर
2. श्रीरामपुर
3. कोपरगांव
4. संगमनेर
5. राहुरी
6. श्रीगोंडा
7. अकोला
8. वाशिम
9. अमरावती
10. अचलपुर
11. वरूद
12. औरंगाबाद
13. सिल्लोद
14. वैजपुर
15. कुल्ताबाद
16. पैठान
17. बीड
18. अम्बेजोगाई
19. पाली
20. भंडारा
21. गोंदिया
22. तुमसर
23. बुलडाना
24. खामगांव
25. मल्कापुर
26. चन्द्रपुर
27. बल्लारपुर
28. धुले
29. नंदुरबर
30. शिरपुर
31. डोंडीचा
32. गड़चिरौली
33. देसाईगंज
34. जलगांव
35. भुसावल
36. चालीसगांव
37. अमलनेर
38. इरांडोल
39. जालना
40. आम्बेड
41. अम्बरनाथ
42. मुरबाद
43. विरार
44. वसई
45. भिवंडी
46. धाहनु
47. तारापुर
48. पालघर
49. खोलापुर
50. इचलकरंजी
51. जयसिंहपुर
52. गधीग्लाज
53. भूधरगढ़
54. लातूर
55. उडगीर
56. अहमदपुर
57. नागपुर
58. उमरेड
59. बूटीबोरी
60. नांदेड़
61. देग्लूर
62. नासिक
63. मालेगांव
64. मनमाड
65. लासलगांव
66. पिम्पलगांव
67. ओझर
68. इगतपुरी
69. उस्मानाबाद
70. तुलजापुर

71. परभनी
72. हिंगोली
73. शेलू
74. पुणे
75. तालेगांव
76. लोनावाला
77. देहूरोड
78. चाकन
79. कोरेगांव-भीमा
80. कोरेगांव-एमआईडीसी
81. सासवाड
82. अर्लीकंजन
83. मनचेड
84. वालचन्द नगर
85. बारामती
86. ढौंड
87. अलीबाग
88. खोपोली
89. पेन
90. रोहा
91. महाड
92. रत्नगिरि
93. चिपलूण
94. राजोपुर
95. सांगली
96. मिराज
97. इस्लामपुर
98. वीटा
99. तासगांव
100. सतारा
101. करड
102. वई
103. फाल्टन
104. महाबलेश्वर
105. सावंतवाडी
106. कंकौली
107. कुडाल
108. शोलापुर
109. अकलुज
110. पंडरपुर
111. बरसी
112. वर्धा
113. हिंगाघाट
114. अर्वी
115. यवतमाल
116. पुसाड
117. वानी
118. डिगरूस
119. पणजिम
120. मापुसा
121. मडगांव
122. वास्को
123. पोंडा
124. कुलगांव
125. वाडा
126. साहपुर
127. मोखडा
128. जवाहर
129. तलसारी
130. उल्हासनगर
131. मार्गो

सेल्यूलर सेवाएं

6427. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न निजी संचार नेटवर्कों द्वारा प्रारम्भ किए गए मोबाइल फोनों के प्रयोग के प्रभावों तथा उचित तथा अनुचित प्रभावों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेल्यूलर अथवा मोबाइल फोनों को बहुत आसानी से टेप किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक की गई जांच का ब्यौरा क्या है और ऐसे कदाचारों को कम करने हेतु क्या अर्थोपाय हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अन्य टेलीफोनों के समान ही सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोनों को भी इन्टरसेप्ट किया जा सकता है।

(घ) लाइसेंस करार में सेल्यूलर मोबाइल टेलोफोनों को कानूनन इन्टरसेप्ट करने का प्रावधान है। टेलीफोनों को कानूनन इन्टरसेप्ट करने का कार्य प्राधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त करके किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के दुरूपयोग को रोका जा सके।

अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट

6428. **श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सर्किल-2 में हुबली में दूरसंचार की स्थापना करने में उचित योजना की कमी के कारण 1996 से 16.48 लाख रुपए की लागत वाले 2 गैगा हर्ट्ज 30 चैनल अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट और एंटीना निष्क्रिय पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपकरणों का देश के किसी अन्य सर्किल में उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजकोष को इतनी भारी हानि पहुंचाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र सर्किल की अति उच्च फ्रिक्वेंसी उपकरण दिसंबर 1997 में दिया गया था, जो फरवरी 1998 में चालू हो गया था।

(ख) से (ङ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एच आई वी/एड्स

6429. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं, बच्चों तथा पुरुषों में संक्रमण के प्रति मिलियन के हिसाब से नवीनतम आंकड़ों का देश में एच आई वी ग्रस्त तथा एड्स रोगियों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एड्स के कारण राज्य-वार कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उस पर कितना खर्च किया गया;

(घ) रोग का औषधि उपचार विकसित करने में क्या प्रगति हुई;

(ङ) क्या किसी भारतीय औषधि कम्पनी ने उचित मूल्य पर एड्स की औषधि तैयार की है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कम से कम 1,00,000 एड्स के रोगियों को निःशुल्क औषधि की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) एच आई वी की प्रहरी निगरानी दौर 2001 के अनुसार देश में 15-49 वर्ष आयु समूह के 3.97 मिलियन अनुमानित एच आई वी संक्रमित रोगी हैं। एच आई वी रोगियों के राज्यवार अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स के रोगियों और एड्स के कारण हुई मौतों के संबंध में सूचित आयु एवं लिंग संवितरण को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एच आई वी/एड्स की रोकथाम के लिए किया गया खर्च इस प्रकार है:

	बजट अनुमान	व्यय (करोड़ रुपए में)
1999-2000	140.00	135.25
2000-2001	145.00	179.65
2001-2002	210.00	229.03

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों के एच आई वी/एड्स रोगियों में अवसरघाती संक्रमणों के निःशुल्क उपचार के लिए सरकार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को निधियां प्रदान करती हैं। तथापि, लागत अधिक होने के कारण इस कार्यक्रम के तहत एण्टीरिट्रोवायरल थेरेपी की सुविधा प्रदान नहीं की जाती।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2001 के दौरान सूचित की गई एड्स रोगियों की संख्या का राज्यवार आयु एवं लिंग संवितरण को दर्शाने वाला विवरण
(1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2001)

क्र. सं.	राज्य	0-14		15-29		30-49		50+		कुल		
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंड्र नि. द्वीप समूह	0	0	0	1	5	2	0	0	5	3	8
2.	आंध्र प्रदेश	1	3	296	103	175	116	34	4	506	226	732
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	2	0	2	3	22	0	1	0	27	3	30
5.	बिहार	0	0	8	4	31	6	4	0	43	10	53
6.	चंडीगढ़	13	3	26	8	93	26	17	3	149	40	189
7.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	0	0	79	11	140	12	102	14	321	37	358
10.	गोवा	2	0	10	3	21	6	4	0	37	9	46
11.	गुजरात	15	8	187	53	447	118	37	12	686	191	877
12.	हरियाणा	2	0	38	10	58	14	18	1	116	25	141
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	44	7	0	0	44	7	51
14.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	कर्नाटक	12	13	99	37	269	47	35	4	415	101	516
16.	केरल	14	6	22	8	34	14	2	5	72	33	105
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	1	11	22	13	66	18	8	0	97	42	139
19.	महाराष्ट्र	63	37	552	399	1167	371	116	23	1898	830	2728
20.	मणिपुर	13	8	81	26	147	30	1	1	242	65	307
21.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	मिजोरम	0	0	0	0	03	2	0	0	3	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	नागालैंड	4	3	38	42	38	4	2	0	82	49	131
24.	उड़ीसा	0	0	8	5	12	2	1	0	21	7	28
25.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	पंजाब	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	4
27.	राजस्थान	2	2	36	12	64	15	4	1	106	30	136
28.	सिक्किम	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
29.	तमिलनाडु	123	103	1123	740	3283	768	273	71	4802	1682	6484
30.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	2	0	51	4	113	21	10	1	176	26	202
32.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0
33.	पश्चिम बंगाल	36	14	184	46	306	65	12	5	538	130	668
34.	अहमदाबाद एम.सी.	4	2	50	10	84	25	9	5	147	42	189
	कुल	309	213	2913	1539	6624	1689	691	151	10537	3592	14129

विवरण-II

एड्स से हुई मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	53
2.	असम	–	1	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	अं. व नि.द्वीप समूह	–	7	2
5.	बिहार	5	7	1
6.	चंडीगढ़	–	13	29
7.	पंजाब	–	–	–
8.	दिल्ली	–	24	27
9.	दमन व दीव	–	–	–
10.	दादरा व नगर हवेली	2	–	–

1	2	3	4	5
11.	गोवा	–	3	15
12.	गुजरात	12	–	20
13.	हरियाणा	–	5	–
14.	हिमाचल प्रदेश	6	–	–
15.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–
16.	कर्नाटक	20	19	27
17.	केरल	13	–	–
18.	लक्षद्वीप	4	–	–
19.	मध्य प्रदेश	–	50	5
20.	महाराष्ट्र	80	77	176
21.	मणिपुर	2	17	50
22.	मिजोरम	–	7	–
23.	मेघालय	1	–	–
24.	नागालैंड	12	25	28
25.	उड़ीसा	–	–	–
26.	पांडिचेरी	71	–	–
27.	राजस्थान	–	–	–
28.	सिक्किम	1	–	–
29.	तमिलनाडु	–	119	249
30.	त्रिपुरा	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	4	15
32.	पश्चिम बंगाल	–	–	68
	कुल	229	378	765

सरकारी अस्पतालों का निजीकरण

6430. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का सरकारी अस्पतालों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गरीब लोगों पर इसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को चिकित्सा सुविधा

6431. श्री रामदास आठवले:
श्री तरलोचन सिंह तुड़:
डा. एस. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के निजी अस्पतालों, विशेषकर इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उपचार करवाने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को पुरानी दरों पर प्रतिपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के लिए भी प्रतिपूर्ति की गई दरों का अनुमोदन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों की सूची सहित विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं/परीक्षणों/जांचों के लिए उच्चतम दरों को हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 15.3.2002 और 6.5.2002 के कार्यालय ज्ञापनों के साथ पाठ्य इसके दिनांक 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत संशोधित कर दिया गया है जिसकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को स्वास्थ्य विभाग के 18.9.96 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त 24 प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति है। नवम्बर, 2000 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन प्राइवेट अस्पतालों को नए सिरे से मान्यता देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग के 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत 55 प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गई थी।

चूंकि सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली, सुन्दरलाल जैन अस्पताल, नई दिल्ली एस्कार्ट इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, बतरा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली तथा धर्मशिला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली सरकार द्वारा नए सिरे से मान्यता के लिए संशोधित दरों तथा शर्तों पर सहमत नहीं हुए इसलिए उक्त अस्पतालों को मान्यता देने पर विचार नहीं किया गया और इसलिए उन्हें 7.9.2001 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया। तथापि, 25.10.2001 के आदेश के तहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि वे इन अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं लेकिन उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग के 18.9.96 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए पैकेज डील दरों के अनुसार सीमित की जाएगी। बाद, में बतरा अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली तथा धर्मशिला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली और सुन्दरलाल जैन अस्पताल, नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की संशोधित उच्चतम दरों पर सहमत हो गए और उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके परिणामस्वरूप इन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के 15.03.2002 और 6.5.2002 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गद्व मान्यता प्रदान की गई है।

रोगों का उन्मूलन

6432. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में मलेरिया, कालाजार, जापानी एंसिफेलाइटिस, फिलेरिया और डेंगू के कारण राज्य-वार कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार का इन रोगों पर नियंत्रण करने पर अधिक जोर देने के प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया, कालाजार, जापानी इनसेफलाइटिस एवं डेंगू से हुई मौतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

फाइलेरिया के कारण किसी मौत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू आदि के नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम देश में चल रहा है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को औषधों, कीटनाशकों एवं लार्वानासकों के रूप में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त मलेरिया के नियंत्रण के लिए वर्ष 1997 से आदिवासी बहुल 8 राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से एक वृहत मलेरिया नियंत्रण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों को मलेरिया के नियंत्रण के लिए दिसम्बर 1994 से शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए अपनाई गई कार्य नीतियां निम्नलिखित हैं:-

- शुरू में ही रोग का पता लगाना और शीघ्र उपचार करना।
- चयनात्मक वैक्टर नियंत्रण।
- व्यक्तिगत सुरक्षा तरीकों को प्रोत्साहन
- शुरू में रोग का पता लगाना और महामारियों को रोकना
- व्यक्तिगत रोकथाम और सामुदायिक भागीदारी के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण
- संस्थागत एवं प्रबंधन क्षमता निर्माण, प्रशिक्षित जनशक्ति विकास और प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली
- रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सभी उपायों का सुझाव देते हुए राज्यों/संघ क्षेत्रों को अग्रिम रूप से चेतावनी देना।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 7 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं केरल के 13 निर्धारित जिलों में वर्ष 1997 में एक परियोजना शुरू की गई है जिसमें वार्षिक रूप से लोगों को औषध उपचार के लिए डाई-इथाइल कार्बामाबाइन की एकल खुराक दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 के दौरान सूचित मलेरिया के कारण हुई मौतों की संख्या से संबंधित विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र	1999	2000	2001(पी)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	11	6	1
अरुणाचल प्रदेश	1	0	14
असम	111	43	122
बिहार	131	2	0
छत्तीसगढ़*	-	63	33
गोआ	17	11	12
गुजरात	7	2	19
हरियाणा	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
जम्मू व कश्मीर	0	0	0
झारखंड*	-	16	21
कर्नाटक	11	14	21

1	2	3	4
केरल	7	9	9
मध्य प्रदेश	50	92	61
महाराष्ट्र	46	40	45**
मणिपुर	8	0	5
मेघालय	5	11	20
मिजोरम	73	33	43
नागालैंड	12	0	18
उड़ीसा	399	467	281
पंजाब	0	1	0
राजस्थान	0	10	36
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	2	1	0
त्रिपुरा	11	6	9
उत्तरांचल*	–	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	15
पश्चिम बंगाल	144	103	142
संघ क्षेत्र			
अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	2	1	1
चंडीगढ़	0	0	0
दादर, नगर हवेली	0	0	0
दमन और दीप	0	0	0
दिल्ली	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0
कुल/योग	1048	931	928

* छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरांचल राज्य वर्ष 2000 में क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य में से बनाए गए।

** महाराष्ट्र में मलेरिया के 45 संभावित मौतों में से 6 मौतों की पुष्टि की गई है।

पी अनंतिम

वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 के दौरान सूचित कालाजार के कारण हुई मौतों की संख्या से संबंधित विवरण

कालाजार

राज्य	1999	2000	2001
बिहार	277	130	194
दिल्ली	9*	9*	1*
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	0	0	0
उत्तर प्रदेश	5	0	3
पश्चिम बंगाल	6	11	4
झारखंड	0	0	0
गुजरात	0	0	0
योग	297	150	202

* बाहर से आए

वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 के दौरान सूचित डेंगू बुखार से हुई मौतों की संख्या से संबंधित विवरण

राज्य	1999		2000		2001	
	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	168	2	180	2	322	3(**)
हरियाणा	3	0	2	0	260	5
पंजाब	419	1	91	1	49	0
कर्नाटक	39	0	168	0	202	0
महाराष्ट्र	59	12	66	3	54	2
तमिलनाडु	135	2	81	1	749	8
उत्तर प्रदेश	28	0	0	0	11	0
गुजरात	92	0	29	0	69	0
राजस्थान (*)	1	0	0	0	1452	35(*)
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
केरल	0	0	0	0	41	0

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1	0
गोआ	0	0	0	0	1	0
कुल	944	17	622	7	3211	53

(*) संभावित रोगी/मृत्यु

(**) 42 रोगी और 2 मृत्यु दिल्ली से बाहर की हैं।

वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 के दौरान सूचित जापानी इंसेफ्लाइटिस से हुई मौतों की संख्या से संबंधित विवरण

राज्य	1999	2000	2001
आंध्र प्रदेश	203	72	4
असम	2	69	200
बिहार	0	19	18
दिल्ली	0	0	0
गोआ	2	3	1
गुजरात	0	0	0
हरियाणा	56	43	22
कर्नाटक	98	45	14
केरल	4	2	5
मणिपुर	2	0	1
महाराष्ट्र	0	0	0
पंजाब	6	0	0
तमिलनाडु	5	0	0
उत्तर प्रदेश	275	253	160
पश्चिम बंगाल	27	50	21
कुल	680	656	446

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विशेष योजना

6433. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बिहार और जम्मू-कश्मीर में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार और कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार और जम्मू-कश्मीर में ग्रामोद्योग (ग्रामीण उद्योगों) को बढ़ावा देने में खादी ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका क्या है

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए बिहार और जम्मू एवं कश्मीर सहित पूरे देश में ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 25% की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान करती है तथा 10 लाख रु. से अधिक एवं 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25 प्रतिशत और परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणियों/महिलाओं/शारीरिक रूप से विक्लांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों और अल्प संख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थानों एवं पहाड़ी सीमान्त और आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, परन्तु इस राशि से अधिक और 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत, लाभार्थियों को परियोजना लागत के न्यूनतम 10 प्रतिशत का अंशदान करना होता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रतिकूल परिस्थिति वाली श्रेणियों के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का केवल 5 प्रतिशत है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोज़गार सृजित करने तथा भारत में महिलाओं और पिछड़ी श्रेणियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के मुख्य उद्देश्यों के अनुसार तैयार किया गया है। मुख्य पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट और बाजार विकास सहायता (एमडीए) का विकल्प, खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा खादी उत्पादनों के सुधार पर बल दिए जाने, पैकेजिंग एवं डिजाइन सुविधाओं का सृजन करने, विपणन संवर्धन ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास आदि के उपाय करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शन

6434. श्रीमती कैलाशो देवी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2001 से आज की तिथि तक हरियाणा में टेलीफोनों के काम न करने से संबंधित जिलावार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकार द्वारा टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हुए हैं और प्रतीक्षा सूची के कब तक निपटाये जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान नये कनेक्शन आबंटित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) हरियाणा में 1 जनवरी, 2001 से आज की तारीख तक टेलीफोनों के कार्य नहीं करने के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) बाह्य संयंत्र का उन्नयन

(ii) ड्रॉप वायर की लंबाई घटाने के लिए 5 पेयर केबल और 5 पेयर इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट बॉक्स का प्रयोग

(iii) दोष सुधार सेवा का कम्प्यूटरीकरण

(iv) केबल नेटवर्क कम करने और इस प्रकार दोष की संभावना कम करने की दृष्टि से अधिकाधिक आरएलयू/आरएसयू खोले गए हैं।

(v) उच्चस्तर के अधिकारियों द्वारा दोष पर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में 75690 नाम दर्ज हैं। इसे 2002-2003 के दौरान निपटा दिया जाएगा बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

(घ) 2002-03 के दौरान हरियाणा में वायरलेस-इन-लोकल लूप पर 8000 कनेक्शन और 68000 सेल्यूलर मोबाइल कनेक्शन सहित 155000 भूलाइन आधारित टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

विवरण

हरियाणा में टेलीफोनों के कार्य नहीं करने के बारे में शिकायतों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	1 जनवरी, 2001 से आज की तारीख तक शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला	180262
2.	भिवानी	90535
3.	फरीदाबाद	352915
4.	फतेहाबाद	28917
5.	गुडगांव	195007
6.	हिसार	87269
7.	झज्झर	60388
8.	जींद	71481
9.	कैथल	90314
10.	करनाल	171690
11.	कुरूक्षेत्र	80692
12.	महेन्द्रगढ़	23201
13.	पंचकुला	21200
14.	पानीपत	227606
15.	रेवाड़ी	30754
16.	रोहतक	120700
17.	सिरसा	64712
18.	सोनीपत	95027
19.	यमुना नगर	96586
	कुल	2089256

केंद्रीय सड़क कोष

6435. श्री रामसिंह राठवा: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के जिलों एवं ग्राम अवस्थित सड़कों के लिए केंद्रीय सड़क कोष के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित राज्यीय, जिला और ग्रामीण सड़कों के सुधार के प्रस्तावों पर संबंधित राज्यों के लिए आबंटन को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

गुजरात में डाकघर

6436. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में राज्यवार कितने डाकघर खोले गए;

(ख) वर्तमान में राज्य में कार्यरत डाकघर शाखाओं की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में डाकघर शाखाओं का उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राज्य में इस समय काम कर रहे शाखा डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) गुजरात में शाखा डाकघरों का उन्नयन निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या
1.	बनासकांठा	1
2.	साबरकांठा	2
3.	सूरत	3
4.	भरूच	2
5.	पंचमहल	4
6.	नवसारी	2
7.	वडोदरा	1
8.	वलसाड	3
	कुल	18

विवरण-II

गुजरात राज्य में इस समय काम कर रहे शाखा डाकघरों की जिलावार संख्या VIII

क्र. सं.	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	349
2.	बनासकांठा	420
3.	गांधीनगर	96
4.	मेहसाणा	319
5.	पाटण	181
6.	साबरकांठा	525
7.	अमरेली	312
8.	भावनगर	349
9.	जामनगर	327
10.	जूनागढ़	386
11.	कच्छ	436
12.	पोरबंदर	81
13.	राजकोट	418
14.	सुरेन्द्रनगर	297
15.	आणद	182
16.	भरूच	338
17.	दहोद	266
18.	डांग	52
19.	खेड़ा	299
20.	नर्मदा	110
21.	नवसारी	241
22.	पंचमहल	252
23.	सूरत	518
24.	वडोदरा	558
25.	वलसाड	245
	कुल	7549

[हिन्दी]

बिहार में दूरभाष-कनेक्शन

6437. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार बिहार के सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों में जिलावार कितने आवेदकों का नाम दूरभाष-कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) इन प्रतीक्षा-सूचियों के निपटान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बिहार के विशेषकर जिला-प्रबंधक सहरसा के कार्यक्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामीण और शहरी इलाकों में दूरभाष-कनेक्शन आबंटित करने के लिए दूरभाष केन्द्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त न होने के क्या कराण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बीएसएनएल ने बिहार में वर्ष 2002-2003 के दौरान वायरड् लाइन और वायरलेस इन लोकर लूप के माध्यम से 2,01,000 नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) एसएसए-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सहरसा एसएसए में नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने संबंधी लक्ष्य वर्ष 2000-2001 में 9000 लाइनें और 2001-2002 में 8700 लाइनें था। इन दोनों वर्षों में लक्ष्य प्राप्त किए गए तथा उपलब्धियां क्रमशः 9051 और 8750 लाइनों की थीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों की एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	जिला	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	आलम नगर	मधेपुरा	90
2.	बिहारी गंज	मधेपुरा	2
3.	भटनी	मधेपुरा	35
4.	चौसा	मधेपुरा	73
5.	फुलौत	मधेपुरा	5
6.	गमहरिया	मधेपुरा	5
7.	गंगापुर	मधेपुरा	37
8.	घैलाढ़	मधेपुरा	3
9.	ग्वालपाड़ा	मधेपुरा	68
10.	जीतपुर	मधेपुरा	19
11.	खारा बुधमा	मधेपुरा	3
12.	कुमारखंड	मधेपुरा	197
13.	मधेपुरा	मधेपुरा	3
14.	मथाही	मधेपुरा	3
15.	मुरलीगंज	मधेपुरा	8
16.	पुरैनी	मधेपुरा	20
17.	आर बभांगमा	मधेपुरा	5
18.	रामनगर	मधेपुरा	2
19.	एस. अस्थान	मधेपुरा	0
20.	सहजादपुर	मधेपुरा	2
21.	शंकरपुर	मधेपुरा	142
22.	उडा किशनगंज	मधेपुरा	5
	उप जोड़		727
23.	बैजनाथपुर	सहरसा	78
24.	बलुअहा	सहरसा	6
25.	बलवा हाट	सहरसा	14
26.	बानगांव	सहरसा	3
27.	बापटिया	सहरसा	65
28.	बिरतपुर	सहरसा	9
29.	धाबोली	सहरसा	20

1	2	3	4
30.	गोलमा	सहरसा	5
31.	हरिपुर	सहरसा	49
32.	कपासिया	सहरसा	12
33.	काशनगर	सहरसा	70
34.	महिषी	सहरसा	5
35.	मैना राजहनपुर	सहरसा	11
36.	मंगवार	सहरसा	182
37.	मौराजपुर	सहरसा	1
38.	नौहाटा	सहरसा	26
39.	पंचगछिया	सहरसा	20
40.	रहुआ तुलसीमाही	सहरसा	12
41.	एस बख्तियारपुर	सहरसा	129
42.	सहरसा	सहरसा	10
43.	सलाखुआ	सहरसा	12
44.	सौर बाजार	सहरसा	36
45.	सोनबरसा राज	सहरसा	148
46.	तेलिया हाट	सहरसा	7
	उप जोड़		930
47.	बलुवा बाजार	सुपौल	62
48.	बेला तेरहा	सुपौल	4
49.	बीना बंभागमा	सुपौल	17
50.	बीरपुर	सुपौल	0
51.	छत्रपुर	सुपौल	77
52.	गढ़ बरूआरी	सुपौल	13
53.	गिरिधर पट्टी	सुपौल	27
54.	हरदी	सुपौल	41
55.	हरिहरपुर	सुपौल	12
56.	जडिया	सुपौल	95
57.	जियाराम राघोपुर	सुपौल	63
58.	करजन बाजार	सुपौल	90
59.	किशनपुर	सुपौल	44
60.	लहरनिया	सुपौल	57
61.	पिपरा	सुपौल	77
62.	प्रताप गंज	सुपौल	89
63.	रतनपुरा	सुपौल	41
64.	सरायगढ़	सुपौल	27
65.	सुखपुर	सुपौल	77
66.	सुपौल	सुपौल	3
67.	त्रिवेणीगंज	सुपौल	73
	उप जोड़		989
	कुल जोड़		2646

[अनुवाद]

आई.एस.डी. दरों और इंटरनेट द्वारा फोन करने की दरों के बीच अंतर

6438. श्री विनय कुमार सोराके: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.डी. दरों और इंटरनेट द्वारा फोन करने की दरों के बीच वर्तमान में काफी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आई.एस.डी. दरों और इंटरनेट द्वारा फोन करने की दरों के बीच तालमेल स्थापित करने का प्रयास करेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा और इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के बीच परस्पर संबंध की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि उन्हें भिन्न-भिन्न सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है और दोनों सेवाएं पूर्ण प्रतियोगिता के लिए खुली हैं।

आकस्मिक अवकाश का नकदीकरण

6439. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में आकस्मिक अवकाश के नकदीकरण पर 38.50 लाख रुपए का अनियमित व्यय होने की जानकारी है जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 4 के पैराग्राफ 9.12 में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकारी नौकरी में आकस्मिक अवकाश के नकदीकरण को नियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2002 की सं. 4 जिसमें जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में आकस्मिक अवकाश के नकदीकरण के संबंध में 38.50 लाख रु. का खर्च दर्शाया गया है, अभी अप्रैल, 2002 में प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) इस मामले की सरकार द्वारा जांच की गई है। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास एक उंच्च तकनीक वाला पत्तन है जिसमें आधुनिक कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं हैं और इसकी जनशक्ति की आवश्यकता को न्यूनतम रखा गया है। इसलिए अपने कर्मचारियों से नियमित रूप से ड्यूटी पर आने का आग्रह करने के लिए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने विशेषत: प्रचालन क्षेत्रों में जहां तीन शिफ्टों में 24 घंटे कार्य किया जाता है, आकस्मिक अवकाश के नकदीकरण की पेशकश करके अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने पर विचार किया है। पत्तन न्यास ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि आकस्मिक अवकाश के नकदीकरण का प्रचलन निकटवर्ती संगठनों जैसे हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आदि में भी था।

(घ) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के नकदीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

हार्डवेयर वस्तुओं का निर्यात

6440. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत महीनों के दौरान हार्डवेयर के सामान के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मदवार आंकड़े बताएं और वे देश कौन से हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों में मदवार और माहवार कितने रुपए मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) इस निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) निकट भविष्य में हार्डवेयर के सामान के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अप्रैल, 2000 जनवरी, 2001 की अवधि की तुलना में अप्रैल, 2001-जनवरी, 2002 की अवधि के दौरान कुल 24% की वृद्धि हुई है। किंतु मासिक आधार पर अंतर रहा है, जो विभिन्न व्यावसायिक कारणों से है। अप्रैल, 2001-जनवरी, 2002 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बस्तुओं का देशवार निर्यात विवरण-II में संलग्न है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यात की शीर्ष वस्तुएं संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(घ) हार्डवेयर वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के कुल निर्यात की माहवार तुलना तथा वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रतिशत वृद्धि

(मूल्य: लाख रुपए में)

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	कुल अप्रैल-जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग
2000-2001	22331.04	21020.20	24058.44	00170.80	85017.14	45520.76	54627.15	46391.20	46376.19	39055.14	373727.16	44643.00	59487.00	480040.00
2001-2002	4644.32	48165.00	45032.03	35153.56	46826.23	46966.33	35920.21	48449.67	42422.12	48322.38	463809.85			
प्रतिशत	(107.42)	(119.73)	(82.62)	(16.51)	(33.72)	(3.18)	-(34.48)	(0.12)	-(8.51)	(23.72	(24.30)			

स्रोत: **डीजीआईसीएस**

विवरण-II

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का देशवार निर्यात 2001-2002
(स्रोत डीजीसीआईएस)

लाख रुपए में

क्र. सं.	देश	मूल्य
1	2	3
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	94888.04
2.	मलेशिया	79752.17
3.	सिंगापुर	49812.21
4.	नीदरलैण्ड	34474.23
5.	हांगकांग	23036.61
6.	संयुक्त अरब अमीरात	18396.04
7.	ग्रेट ब्रिटेन	18011.82
8.	जर्मनी	16317.15
9.	जापान	15627.10
10.	बांग्लादेश	10471.24
11.	रूस	8455.73
12.	चीन	6423.77
13.	स्पेन	6340.00
14.	मारीशस	6299.00
15.	फ्रांस	5367.75
16.	इटली	4923.34
17.	बेल्जियम	4637.27
18.	नाइजीरिया	4586.52
19.	टर्की	3280.26
20.	ईराक	3215.12
21.	आस्ट्रिया	2980.50
22.	फिनलैण्ड	2556.35
23.	कनाडा	2455.91
24.	आस्ट्रेलिया	2372.65
25.	थाइलैण्ड	2357.74
26.	कोरिया गणराज्य	2210.36
27.	श्रीलंका	2139.42
28.	नेपाल	1849.50
29.	दक्षिण अफ्रीका	1587.32
30.	सऊदी अरब	1550.06
31.	चीनी ताइपेई (ताइवान)	1476.35
32.	स्विटजरलैण्ड	1448.67
33.	ईरान इस्लामिक गणराज्य	1439.62
34.	ओमान	1378.65
35.	मिस्र	1332.87
36.	नामीबिया	1182.49
37.	ब्राजील	1122.27
38.	सीरिया अरब गणराज्य	893.75
39.	स्वीडन	845.89
40.	कुवैत	753.73
41.	स्लोवेनिया	726.55
42.	इन्डोनेशिया	680.86
43.	कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य	668.82
44.	न्यूजीलैण्ड	659.18
45.	फिलीपीन्स	640.74
46.	केनिया	635.37
47.	इजराइल	567.89
48.	युगाण्डा	555.70

1	2	3
49.	मैक्सिको	550.01
50.	आयरलैण्ड	495.70
51.	अन्य	9446.58
	कुल	463803.87

विवरण III

वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्यात की शीर्ष वस्तुएं

क्र. सं.	वस्तु	निर्यात का मूल्य	
		करोड़ रुपए में	मिलियन अमरीकी डॉलर में
1.	हैंड स्टैक	811	176
2.	प्रकाशित तंतु केबल	321	70
3.	रंगीन टेलीविजन	187	41
4.	फ्लॉपी डिस्केट	185	40
5.	यूपीएस	184	40
6.	सीडी रिकॉर्डेवल	149	32
7.	सेमीकण्डक्टर युक्तियां	117	25
8.	चिकित्सकीय उपकरण	111	24
9.	सौर कोशिकाएं/मॉड्यूल	110	24
10.	फेराइट्स	107	23
11.	कनेक्टर्स	100	22
12.	पीसीबी	98	21
13.	पीए प्रणालियां	94	20

विवरण IV

इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अन्तर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती है।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी इकाइयो के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-2003 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35% से 15%

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25-35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

* कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पूर्जों पर 5%, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-2002 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

12. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

13. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

14. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

15. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/ सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयां, लैटिन अमेरिका/ सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ-9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

* विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

* सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

16. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अन्तर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

17. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-2003 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

18. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

19. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

20. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

21. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

22. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

लिट्टे प्रमुख का प्रत्यर्पण

6441. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री एन.टी. षणमुगम:
श्री प्रकाश वी. पाटील:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका से लिट्टे प्रमुख के प्रत्यर्पण की मांग की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान में यह मुद्दा किस स्तर पर है; और

(ङ) इस संबंध में श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ङ) जून, 1995 में श्रीलंका सरकार से लिट्टे के नेता श्री वी. प्रभाकरण के प्रत्यर्पण हेतु औपचारिक अनुरोध किया गया था। तब से इस विषय पर श्रीलंका सरकार के साथ समय-समय पर इस विषय पर चर्चा हुई है और उनको हमारी स्थिति के बारे में पूर्णत: अवगत कराया गया है। श्रीलंका सरकार ने हमें सूचित किया है कि अनुरोध पर यथोचित विचार किया जा रहा है और स्वीकार्य होने पर श्रीलंका में मुकदमा चलाने और विधिक कार्रवाई पूरी होने के उपरांत प्रत्यर्पण किया जाएगा।

बिहार और झारखंड में टेलीफोन कनेक्शन

6442. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और झारखण्ड राज्य में खण्ड उप मंडल और जिला स्तर पर टेलीफोन कनेक्शन देने/रजिस्ट्रेशन करने के लिए वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या बिहार और झारखण्ड राज्य में शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई प्रावधान है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन राज्यों में टेलीफोन देने के लिए मानदण्ड पर्याप्त नहीं हैं और टेलीफोन उपभोक्ताओं को एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में खण्ड, उपमंडल और जिला स्तर पर शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन व्यवहार्यता के अध्यधीन विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने हेतु तत्काल और ओवाईटी स्कीमें उपलब्ध हैं। एक्सचेंज क्षमता और बाह्य संयंत्र की क्षमता में कमी के कारण विलम्ब होता है। तकनीकी अव्यवहार्यता के कारण बिहार में कुल 7125 और झारखंड में 1613 आवेदन एक वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित हैं।

(ङ) टेलीफोन एक्सचेंजों तथा बाह्य संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने तथा अव्यवहार्य क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने की योजना बनाई गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्य सरकारों को हस्तांतरण

6443. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं को राज्यों को हस्तांरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को योजनाओं की प्राथमिकता और क्रियान्वयन का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) की फरवरी, 1999 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राज्यों और केन्द्र, दोनों के सदस्यों सहित उपाध्यक्ष,

योजना आयोग की अध्यक्षता में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तांतरण पर एनडीसी की एक समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्यकाल 30 जून, 2002 तक है। तथापि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और अन्नपूर्णा स्कीमें वित्तीय वर्ष 2002-2003 से राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चार लेनों वाला बनाना

6444. **श्री सुनील खां: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पानागढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को चार लेनों वाला बनाए जाने पर विचार किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 2003 तक काफी हद तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) पानागढ़ शहर की ओर जाने वाले चार लेन वाले बाइपास का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

एसटीडी/आईएसडी के संबंध में निर्धारित शुल्क के बीच संतुलन

6445. **श्री के.पी. सिंह देव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एसटीडी/आईएसडी के संबंध में निर्धारित शुल्क के बीच संतुलन बनाये रखने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियाक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार केवल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को ही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मार्च, 1999 में बुनियादी सेवाओं के लिए टैरिफ पुनर्संतुलन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टैरिफ पुनर्संतुलन का कार्य तीन चरणों में किया है। ट्राई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसटीडी तथा आई एस डी प्रभारों को तीन चरणों में क्रमश: 48% तथा 56% तक कम करने का अनुरोध किया गया था। 14.3.2002 (1.4.2002 से प्रभावी) को अधिसूचित टैरिफ पुनर्संतुलन कार्य के तीसरे चरण में ट्राई ने एसटीडी तथा आई एस डी दर की सीमा और कम कर दी है। एसटीडी/आईएसडी के दोनों सेवा बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण 14.3.2002 को ट्राई द्वारा अधिसूचित दरों की तुलना में एसटीडी के मामले को 62% और आईएसडी के मामले में 40% तक टैरिफ कम किया गया है। भविष्य में इन दोनों सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा तेज होने की संभावना है, जिससे दरें और कम करने के लिए दबाव बढ़ जाएगा।

टेलीफोन एक्सचेंज को विस्फोट में उड़ाया जाना

6446. **श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीपुल्स वार ग्रुप के उग्रवादियों ने जनवरी, 2002 में वारंगल जिले के मल्लमपल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज को विस्फोट से उड़ा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे हुई हानि का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी दोषी की पहचान और गिरफ्तारी की जा चुकी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुमानित हानि लगभग 13 लाख रुपये है।

(घ) जी, नहीं। दोषियों की अभी तक पहचान और गिरफ्तारी नहीं हुई है।

आसियान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी

6447. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दस राष्ट्रों की सदस्यता वाला आसियान अंतरिक्ष अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के लिये भात की ओर देख रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या भारत दक्षेस देशों को अंतरिक्ष अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपयोग पर उप-समिति (एस.सी.ओ.एस.ए.) के अन्तर्गत बेंगलूर में मार्च 4-5-2002, को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एशियन-भारत कार्यकारी ग्रुप की आयोजित तृतीय बैठक के दौरान अन्तरिक्ष उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। भारत ने प्रत्येक एशियन देश से एक-एक प्रतिभागी को सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) में 3 माह की अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1)(एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 1994-95 से 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 1994-95 से 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5627/2002]

(3) असम में बच्चों को विटामिन-ए की खुराक दिये जाने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित समिति के निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5628/2002]

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 326(अ) जो 21 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में पटियाला जिले के उत्तर रेलवे, क्रॉसिंग, (रा. रा.-22) के अम्बाला-कालका खण्ड पर डेरा बस्सी के निकट समपार संख्या 115/एए पर आरओबी के लिए पथ कर संग्रहण के बारे में है।

(दो) का.आ. 250(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनुसूचि में क्रमांक 95 के सामने विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 का लोप करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 251(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 58(अ) जो 14 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 59(अ) जो 14 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छह) का.आ. 60(अ) जो 14 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड और विशाखापत्तनम से भुवनेश्वर खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 65(अ) जो 15 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 (पांसकुरा बाईपास खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 66(अ) जो 15 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (भुवनेश्वर से कलकत्ता खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 69(अ) जो 16 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (रायपुर से मकरामपुर खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 369(अ) जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के उदयपुर-मंगलवार-चितौड़गढ़ खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79के भीवाड़ा-चितौड़गांव खंड को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 244(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 245(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विशाखापत्तनम खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 246(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विशाखापत्तनम खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 248(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 256(अ) जो 28 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 257(अ) जो 28 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम और विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 258(अ) जो 28 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़-पल्सिट खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 309(अ) जो 18 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़-पल्सिट खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 310(अ) जो 18 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़-मेनलाइन खंड) को चौड बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 337(अ) जो 26 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में कृष्णागिरि-रानीपेट खंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (केवल बारगुर बाईपास) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 366(अ) जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क के रूप में घोषित राज्य राजमार्ग संख्या 7 को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 367 (अ) जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राजमार्ग संख्या 79 (गुलाबपुरा से स्टेशन नगर) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 368(अ) जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (चितौड़गढ़-भीलवाड़ा खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 385(अ) जो 5 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (तहसील विजयनगर, जिला अजमेर) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 216(अ) जो 20 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 578(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छब्बीस) का.आ. 217(अ) जो 20 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसूर-कृष्णागिरि खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 218(अ) जो 20 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर चार लेनों का निर्माण करने, उसके रखरखाव, प्रबंध तथा प्रचालन के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 228(अ) जो 22 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कुलथिगाई से अगरानचेरी खंड) के कृष्णागिरि-रानीपेट खंड को को चार लेनों वाला बनाने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 229(अ) जो 22 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (उदयपुर-रतनपुर खंड) के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 236(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के कृष्णागिरि-रानीपेट खंड को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 237(अ) जो 22 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर से किशनगढ़ खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 238(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में कृष्णागिरि-रानीपेट खंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 239(अ) जो 27 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (तालसरी-मनोर खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 261 (अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टू-टिंडीवनम खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 262(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (कटराज बाईपास) पर भूमि अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 263(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 264(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगलपट्टू और टिंडीवनम खंड) के निर्माण, रखरखाव, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 265(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 चेंगलपट्टू और टिंडीवनम खंड को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 266(अ) जो 1 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 193(अ) जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर खुर्दा से भुवनेश्वर खंड को चार लेनों वाला बनाने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 161(अ) जो 5 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 162(अ) जो 5 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (ईचापुरम से गंजम खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 176(अ) जो 7 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नंदीगाम-इब्राहिमपत्तनम खंड) को चौड़ा के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 191(अ) जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखपत्तनम से भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 194(अ) जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम से भुवनेश्वर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 195(अ) जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (भद्रक से कोलकाता खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 387(अ) जो 5 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 388(अ) जो 5 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 389(अ) जो 5 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसूर से कृष्णागिरि खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पचास) का.आ. 414 (अ) जो 11 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-मांगलवार खंड) को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5629/2002]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 37 की उपधारा (1 के अंतर्गत उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2002, जो 18 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5630/2002]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23, जो 19 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें 1 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5631/2002]

(2) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5632/2002]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की धारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (संशोधन नियम, 2002, जो 28 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 235(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5633/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं श्री ए. राजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) डेन्टल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेन्टल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5634/2002]

(3)(एक) आचार्य तुलसी रीजनल केन्सर ट्रीटमेंट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर के वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्य तुलसी रीजनल केन्सर ट्रीटमेंट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर के वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5635/2002]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 11 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5636/2002]

(2) टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5637/2002]

(3) एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5638/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2002-2003) के छठे और सातवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) तथा दसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री उमर अब्दुल्ला अभी भी मंत्री हैं। ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अजीब प्रश्न है। मंत्री के रूप में उन्होंने सभा पटल पर पत्र रखे हैं, फिर भी माननीय सदस्य समझ नहीं पा रहे हैं।

सभापति महोदय: अब 'शून्य काल' शुरू होता है। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री सुरेश कुरूप: लेकिन उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है। हम सच जानना चाहते हैं। सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बोलने के लिए कहा है। एक-एक कर मैं सभी को बोलने का अवसर दूंगा। यदि आपने सूचना दी है तो मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

....*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभा जानना चाहती है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और क्या उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं और उन्हें वक्तव्य देना चाहिए....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का नाम बदल कर वीर सावरकर विमानपत्तन रख गिया गया है। विमानपत्तन का दोबारा नाम रखते समय हमारे गृह मंत्री जी ने वीर सावरकर की तुलना नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से की थी....*(व्यवधान)* हम सब को ज्ञात है कि सावरकर को सेल्यूलर जेल में रखा गया था....*(व्यवधान)*

वे वहां दस वर्ष तक रहे....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, वे इतिहास के महत्व को कैसे कम सकते हैं?....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: *....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं कार्यवाही-वृत्तान्त को देखूंगा। अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक हुआ तो उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: 1911 में उन्होंने कहा था:

"मेरे संवैधानिक रास्ते पर चलने से वे तमाम भटके हुए युवा पुनः वापस लौट आयेंगे"।....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कुछ आपत्तिजनक हुआ, तो प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाएगा।

....*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: 1911 में उन्होंने कहा था:

"मेरे संवैधानिक रास्ते पर चलने से भारत तथा विदेशों में रहने वाले वे तमाम भटके हुये युवा वापस लौट आएंगे जो कभी मुझे मार्ग-दर्शक के रूप में देखा करते थे।"

....*(व्यवधान)** एक सुझाव था कि पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का नाम देश के शहीदों की याद में रखा जाये....*(व्यवधान)* मैंने राष्ट्रपति जी को इस बारे में लिखा था....*(व्यवधान)* मेरे पत्र के जवाब में राष्ट्रपति जी ने लिखा कि उचित कार्यवाही के लिए सिफारिशें गृह मंत्रालय को पहले ही भेज दी गयी हैं....*(व्यवधान)* यह सिफारिश की गयी थी कि पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का नाम बदल कर शहीद स्मारक विमानपत्तन रखा जाये....*(व्यवधान)* इस सरकार ने शहीद स्मारक विमानपत्तन नाम रखने के बजाय इसका नाम वीर सावरकर विमानपत्तन रख दिया....*(व्यवधान)* महोदय, नागर विमानन मंत्री यहां मौजूद हैं। वे इस मामले पर प्रकाश डाल सकते हैं....*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.09 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही -वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अमर राय प्रधान, मैं बोल रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): उपाध्यक्ष महोदय, हम सावरकर जी का अपमान इस सदन में सहन नहीं कर सकते। ....*(व्यवधान)* इन्होंने सावरकर जी का अपमान किया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): इन्होंने गालियां दी हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गीते, कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अशोक प्रधान, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगें?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, क्या आप मुझे सदन की कार्यवाही चलाने देंगे?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल मुनि चोबे, मैं बोल रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मदन लाल खुराना, क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौबे, क्या अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कार्यवाही-वृत्तांत में कोई भी असंसदीय या निंदात्मक अभिव्यक्ति शामिल की गई होगी तो मैं उसे निकाल दूंगा।

अब श्री बसुदेव आचार्य अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अब श्री बसुदेव आचार्य अपनी बात जारी रख सकते हैं।

....(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?....(*व्यवधान*)

श्री प्रमोद महाजन: ....(*व्यवधान*) आप ऐसी चीजों की अनुमति कैसे दे देते हैं?....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि कोई भी असंसदीय या निंदात्मक अभिव्यक्ति की गई होगी तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप अपनी बात पहले ही कह चुके हैं।

....(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: गृह मंत्री ने वीर सावरकर की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से की है....(*व्यवधान*)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री गिरधारीलाल भार्गव।....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: ये क्या है? कोई भी सुन नहीं रहा है।

....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(*व्यवधान*)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्हें चिल्लाने दीजिए। उन्हें अपनी वाक-शक्ति दिखाने दीजिए।

....(*व्यवधान*)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलेंगे।

....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष जी,* ....(*व्यवधान*)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भारत-रत्न की उपाधि देनी चाहिए। भारत में वीर सावरकर से बड़ा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ है।....(*व्यवधान*) आज वीर सावरकर के खिलाफ बोलकर इन्होंने सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।....(*व्यवधान*) इन्होंने सुभाष चन्द्र बोस का, गांधी जी का अपमान किया है। इन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए।....(*व्यवधान*) हमें गर्व है कि आज अंडमान-निकोबार का नामकरण वीर सावरकर के नाम पर कर दिया है। जो लोग वीर सावरकर को गाली दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं....(*व्यवधान*) इन्होंने आजादी की लड़ाई का अपमान किया है।....(*व्यवधान*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अशोक प्रधान। अब आप एक मंत्री हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सर, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।....(*व्यवधान*)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया):* हम क्यों माफी मांगेंगे। ....(*व्यवधान*)

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष जी, वासुदेव आचार्य जी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान किया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।....(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप मुझे भी बोलने की आजादी नहीं दे रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते: माननीय आचार्य जी ने वीर सावरकर का अपमान किया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए....(*व्यवधान*)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): आप लोग जानते भी हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे लड़ी गयी....(*व्यवधान*) आप हमसे माफी की बात कहते हैं।....(*व्यवधान*)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ से आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अमर राय प्रधान, क्या अब आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। क्या आपको यह दिखाई नहीं देता? क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगें?

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गीते, कृपया उनसे कहिए कि वे चिल्लाएं नहीं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं कि सदन में स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब वक्त अधिक नहीं हैं निसन्देह मैं आपसे यह कह चुका हैं कि यदि कोई भी असंसदीय य निंदनीय अभिव्यक्ति की गई होगी तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: यह एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रति निन्दात्मक टिप्पणी की गई है....*(व्यवधान)* यह मामला ही निन्दात्मक है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री आचार्य की बात नहीं सुनी।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: यह समस्या है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री गिरधारी लाल भार्गव का नाम पुकारा है। श्री भार्गव क्या आप मामला उठाना चाहते हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, बसुदेव आचार्य जी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों का अपमान इस सदन में नहीं होना चाहिए। आज हम उनकी बदौलत सदन में हैं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गीते, क्या आप जीरो आवर नहीं चाहते?

....*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान सदन में नहीं होना चाहिए। वीर सावरकर का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। आचार्य जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जीरो आवर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों से बढ़ कर नहीं है। उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप उनसे माफी मांगने के लिए कहें।....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधान मंत्री जी ने ग्वालियर में जो बयान दिया, उसके लिए वह भी माफी मांगें।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: उपाध्यक्ष महोदय, संसद में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसी बातें कह कर चर्चा हो रही है। अनेक लोगों ने आजादी लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। इस बारे में विचारों में मतभेद हो सकते हैं। केवल कम्युनिस्टों को छोड़ कर सभी तरह के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जिन्होंने आजादी के लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, उनको कम नहीं आंका जा सकता है। आजादी के बाद जब चीन का हमला हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का साथ दिया था। आज वे ऐसी बातें करके स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं।....*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करें, ऐसे महापुरुष के बारे में यहां ऐसे बोलने की इजाजत देना ठीक नहीं है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री भार्गव ये क्या है श्री साहिब सिंह?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है? मि. गिरधारी लाल भार्गव।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो ऑवर चलाना है या नहीं? मैं जब आ गया हूं तो रिकार्ड देखूंगा। अगर उसमें डिफेमेटरी, अनमार्लियामेंटरी, या डेरोगेटरी होगा, उसे एक्सपंज कर दूंगा।

....*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने का अधिकार इस सदन के किसी भी सदस्य को नहीं है। श्री आचार्य को माफी मांगनी चाहिये।....*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें तो मना कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को अलाऊ कर रहे हैं। मैं खड़ी हूं...

उपाध्यक्ष महोदय: आप खड़ी रहें, मैं क्या करूं? कोई सुनता ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि जो भी रिकार्ड में अलपार्लियामेंटरी, डेरोगेटरी या डिफेमेटरी होगा, उसे रिकार्ड से निकाल दूंगा।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है, इन लोगों को माफी मांगनी चाहिये।....*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): मि. डिप्टी स्पीकर, कम्युनिस्टों की यह आदत है ....*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही -वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अपराह्न 12.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय: अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी और फतेहपुर होकर कानपुर-इलाहाबाद और मुम्बई के बीच रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

डा. अशोक पटेल (फतेहपुर): महोदय, कानपुर-इलाहाबाद से मुम्बई के मध्य तथा आगे के लिए अनेक गाड़ियां हैं लेकिन कौशाम्बी और फतेहपुर जनपद से होकर कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती है। इसके परिणामस्वरूप कौशाम्बी और फतेहपुर के जनपदवासियों को मुम्बई तथा उससे आगे की यात्रा करने के लिए कानपुर अथवा इलाहाबाद जाकर गाड़ी पकड़नी पड़ती है। इसमें न केवल समय की बरबादी होती है, बल्कि यात्रियों को किराये के रूप में भारी राशि व्यय करनी पड़ती है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि मुम्बई एवं इससे आगे जाने वाली अनेक गाड़ियों में से कुछ गाड़ियां कौशाम्बी और फतेहपुर से होकर चलायी जानी चाहिए जिससे कौशाम्बी और फतेहपुर से मुम्बई अथवा उससे आगे जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयां दूर हो सके।

(दो) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): महोदय, जैसे-जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे ही मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला (हरियाणा) के शिवालिक पहाड़ियों के लगते क्षेत्रों जैसे कि मोरनी, नारायणगढ़, सढौंग, आदि में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। खेतों के लिए पानी तो दूर की बात, जनता

को पीने के पानी की भी कठिनाई पैदा हो जाता है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बारे में कार्रवाई करे और जल-संसाधन मंत्री इस बारे में उचित कार्रवाई का आश्वासन दें।

(तीन) गुजरात में श्यामलजी और वापी के बीच राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): महोदय, गुजरात सरकार ने श्यामलजी, मोदासा, गोधरा, हलोल, राजपिपला एवं वापी राजमार्ग संख्या पांच को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने हेतु अनुरोध कई वर्ष पूर्व किया था, परंतु अभी तक यह केन्द्र सरकार में लंबित है। इस मार्ग की लंबाई 505 किलोमीटर की है एवं जहां पर यह मार्ग है, वहां पर शत प्रतिशत लोग आदिवासी वर्ग के हैं जो गरीबी और असाक्षरता के माहौल में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। अगर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है तो इस राजमार्ग के आसपास के आदिवासी लोगों को विकास का अवसर मिलेगा और श्यामलजी से मुम्बई तक मार्ग की दूरी भी कम हो जाएगी और गुजरात में मुम्बई के मार्ग के यातायात को भी कम किया जा सकता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करें।

[अनुवाद]

(चार) दिल्ली और पंजाब में होशियारपुर के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): महोदय, यह बहुत ही चिंता की बात है कि दिल्ली से होशियारपुर या होशियारपुर से दिल्ली के लिए कोई भी सीधी रेलगाड़ी नहीं है। इस समय, होशियारपुर से दिल्ली के लिए केवल दो डिब्बों की व्यवस्था है जो जालंधर शहर में जम्मू मेल में जोड़े जाते हैं। जो जालन्धर सिटी रेलवे स्टेशन से रात्रि 10.15 बजे रवाना होती है। ये दो डिब्बे होशियारपुर से 6 बजे चलते हैं और यात्रियों को तीन घण्टे का समय रेलवे-यार्ड में बिताना पड़ता है।

रेलगाड़ी संख्या 4682 डाउन वाया सहारनपुर दिल्ली के लिए जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से 4.20 बजे रवाना होती है। इस गाड़ी को होशियारपुर से ही 4.20 बजे चलाया जा सकता है। यह रेलगाड़ी जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर रात्रि 11.15 बजे वापस चल पड़ती है। इसको होशियारपुर रेलवे स्टेशन पर ही खत्म किया जा सकता है। इस रेलगाड़ी से होशियारपुर से जालंधर शहर तक की यात्रा करने वाले व्यक्ति सुबह 6.10 बजे जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को आसानी से पकड़ सकते हैं।

इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये और आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(पांच) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में स्थानीय प्रसारण केन्द्र को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, मुर्शिदाबाद में एक रेडियो प्रसारण केन्द्र है जिसकी स्थापना स्थानीय कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस क्षेत्र के लोगों को यह उम्मीद थी कि इससे स्थानीय कलाकारों को लोक संगीत, गीत सुनाने और अन्य प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां करने का अवसर मिलेगा। किंतु वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

जनवरी 2002 में, इस प्रसारण केन्द्र ने अचानक अपना प्रातः कालीन प्रसारण बंद कर दिया। स्थानीय प्रसारण केन्द्र के रूप में कार्य करने के स्थान पर यह केवल रिले-केन्द्र बन गया। इसमें उन स्थानीय कलाकारों तथा संस्कृति प्रेमियों को धक्का पहुंचा जिन्हें इससे अधिक अपेक्षाएं थीं। प्रसारण केन्द्र के इस निर्णय के परिणामस्वरूप स्थानीय कलाकारों व संस्कृति को होने वाले लाभ नहीं मिल पाए।

मेरा केन्द्र सरकार के अनुरोध है कि भारत के पूर्वी भागों का विकास करने के लिए इस प्रसारण केन्द्र की पूर्ण बहाली सुनिश्चित की जाए और स्थानीय जनसंख्या की आशाओं व अपेक्षाओं को पूरा किया जाए।

(छह) आंध्र प्रदेश में झंझावती जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. डी.वी.जी. शंकर राव (पार्वतीपुरम): महोदय, आंध्र प्रदेश में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पार्वतीपुरम में झंझावती नदी पर प्रस्तावित झंझावती जलाशय परियोजना एक चालू मध्यम सिंचाई योजना है।

इससे लगभग 24,640 एकड़ भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है जिससे पांच मंडलों के 75 गांवों को लाभ होगा।

आंध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा सरकार के साथ 50 प्रतिशत अर्थात् 4 टीएमसी जल का उपयोग करने तथा उड़ीसा में जल मग्न भूमि का समाधान होने तक नदी के गैप पोर्शन को छोड़कर परियोजना से सम्बंधित कार्य करने के लिए एक अंतरराज्यीय

समझौता किया है। यह योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी और नदी के गैप पोर्शन को छोड़कर 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। उड़ीसा सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण परियोजना पूरी होने में विलम्ब हुआ है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से यह अनुरोध कहता हूं कि परियोजना को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए दोनों राज्य सरकारों की बैठक बुलाकर इस दिशा में पहल करे।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जलेसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं और सरसों की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उ.प्र. में अधिकांश किसान, गेहूं की कटाई, मड़ाई तथा थ्रेसिंग कर चुके हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने मात्र 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 620 रुपए किया है जबकि खाद, बिजली, पानी, दवाई और डीजल के दाम तुलनात्मक रूप से ज्यादा बढ़े हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य कम से कम 750 रुपए क्विंटल होना चाहिए। गेहूं खलिहान से घर में आ गया है, किन्तु मेरे लोक सभा क्षेत्र के एतमादपुर, टूंडला, जलेसर, सादाबाद एवं निधौली कलां में अभी तक सरकारी कांटे पर्याप्त मात्रा में नहीं लगे हैं तथा 620 रुपए की जगह सरकारी कर्मचारी 20 रुपए प्रति क्विंटल विविध प्रकार की कटौती दर्शाकर तथा गेहूं की गुणवत्ता कम बताकर कम मूल्य दे रहे हैं।

इसी प्रकार सरसों का समर्थन मूल्य भारत सरकार ने 1300 रुपए क्विंटल घोषित किया है, लेकिन मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र तथा मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरसों खरीदने के लिए एक भी कांटा अभी तक नहीं लगा है। कृपया किसान का संपूर्ण गेहूं तथा सरसों सरकारी कांटा लगाक क्रय केन्द्र खोलकर समर्थन मूल्य पर खरीदने का कष्ट करें।

(आठ) महाराष्ट्र में पूर्णा और अकोला के बीच रेल लाइन का आमान परिवर्तन शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): सभापति महोदय, दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत पूर्णा एवं अकोला की रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन करने हेतु वर्ष 1999-2000 के रेल बजट में प्रावधान था, परन्तु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इस ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन करने हेतु कार्यवाही नहीं हुई है। इस क्षेत्र में सिख सम्प्रदाय के पंच प्यारों का एक गुरूद्वारा स्थित है जहां पर वर्ष 2006 में बड़ा मेला लगने वाला है जिसमें विदेशों से कई लोग दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, परन्तु उन्हें कई रेल सेवा बदलनी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के कई लोग कार्यरत हैं, जिनको सीधी रेल सेवा न मिलने से कई दिक्कतें हो रही हैं। इस रेलवे सेवा द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने से 450 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसलिए मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए जिससे मराठवाड़ा क्षेत्र का विकास हो सके।

(नौ) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भूभाग के सूखा-अकाल पीड़ित बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल का भीषण अभाव पैदा हो गया है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी व जालौन जिलों के हैंड पम्प, कुंए, तालाब व छोटे-छोटे सभी नदी-नाले सूख गए हैं। लोग अपना घर-बार छोड़ कर पानी की तलाश में इधर-उधर पलायन कर रहे हैं। मवेशियों को लेकर नदी-नालों के किनारे जहां भी किसी प्रकार का पानी उपलब्ध है, वहां डेरा जमा कर अपनी और अपने मवेशियों की प्राण रक्षा कर रहे हैं। भयानक गर्मी और लू लगने तथा गंदा पानी पीने से आदमी और मवेशियों की मौतें हो रही हैं। गत वर्ष से पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं ठप्प पड़ी हैं। हैंड पम्प अधिष्ठापित करने के लिए लाभार्थियों से लागत में वित्तीय शेयर मांगा जा रहा है। शेयर नहीं जमा होने की स्थिति में हैंड पम्प नहीं लगाए जाते। जमीन के नीचे पत्थर तोड़ने के लिए हैवी रिग मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पेयजल हेतु कुओं के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता देना जरूरी है। स्थायी और अस्थायी उपायों द्वारा लगातार गहराती जा रही गंभीर पेयजल समस्या और भीषण रूप धारण करती जा रही पेयजल अभाव की समस्या का निदान किया जाए।

[अनुवाद]

(दस) वित्तीय संकट से उभरने के लिए तमिलनाडु सरकार को 3600 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. चिन्नासामी (करूर): महोदय, मैं तमिलनाडु में विकासात्मक परियोजनाओं हेतु वित्तीय संस्थाओं और खुले बाजार से कर्ज लेने पर संपूर्ण रोक को हटाने के तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के गरीबों, दलितों तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं। इनमें से एक ह—कृपकों को 311 करोड़ रु. तक के ऋण पर ब्याज को माफ करना। राज्य भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। राज्य भंयकर संकट में है। सरकार ने वर्तमान संकट से निपटने के लिए (एकमुश्त) 'विशेष पैकेज' के रूप में 3600 करोड रुपये दिये जाने के लिए अनुरोध किया है। अत: इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कि वह तमिलनाडु को तत्काल 3600 करोड़ रुपये की राशि जारी करे ताकि राज्य वर्तमान वित्तीय संकट से उभर सके।

सभापति महोदय: माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कृपया तमिलनाडु सरकार के अनुरोध को भारत सरकार के समक्ष रखें।

....(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, नियम 377 के अधीन मामलों के दौरान केवल अध्यक्षपीठ बोल सकते हैं। सदस्य अनुमोदित पाठ के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री एम. चिन्नासामी: नहीं, महोदय, मेरा अनुरोध है कि संसदीय कार्य मंत्री माननीय प्रधान मंत्री जी को इसकी जानकारी दें।

सभापति महोदय: हां, वे इसकी जानकारी दे देंगे।

[हिन्दी]

(ग्यारह) छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और मण्डला के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर से मण्डला तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ नहीं होने से आम नागरिक हताश हैं। उक्त सर्वे रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन में भेजा जाए तथा इसी बजट सत्र में नई रेलवे लाइन बिछाने की अनुमति दी जाए जिससे वहां के गरीब मजदूर तथा हजारों शिक्षित बेरोजगारों को कार्य तथा नौकरियों के दरवाजे खुल जाएंगे तथा उन्हें आर्थिक लाभ होगा तथा वहां के कोयले तथा गिट्टी के खदान से ढुलाई का कार्य भी रेलवे को मिलेगा जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की आय में बढ़ोत्तरी होगी तथा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आवागमन की सुविधा मिलेगी।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर से मण्डला तक रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

अपराह्न 2.20 बजे

सरकारी विधेयक—*पारित*

(एक) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं सभा की अनुमति से माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर मद संख्या 13 प्रारम्भ करूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि लोक सभा के अध्यक्ष का स्थान संसदीय प्रणाली में काफी महत्वपूर्ण होता है तथापि महोदय, इस अधिनियम के अंतर्गत सदन के अध्यक्ष की विधवा, अथवा आश्रित परिवार को पारिवारिक पेंशन देने की बात तो दूर उन्हें कोई भी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उनकी पेंशन केवल संसद सदस्य की पेंशन समान है। अत: यह विधेयक मूल रूप से अपने पद पर कार्यरत अध्यक्ष का देहान्त होने पर उन्हें पारिवारिक पेंशन देने और उसके पति या पत्नी को शेष जीवन काल के लिए पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा तथा उपचार सुविधा और लाइसेंस फीस का भुगतान किए बिना साज-सज्जा रहित निवास का उपयोग करने के लिए लाया गया है। यह राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने की तर्ज पर है।

मेरा सदन से अनुरोध है कि वह इस विधेयक का समर्थन करे और इसे पारित करे।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

मैं समझता हूं कि इसे हम बिना चर्चा के पारित कर सकते हैं।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, इस विधेयक को लाने के लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि इसे बिना चर्चा के पारित किया जाये।

लेकिन महोदय, मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जो इससे संबंधित नहीं हैं तथा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। संसद भवन की सुरक्षा वाच एंड वार्ड सेवा के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। यदि आप इस भवन के विजय चौक वाले प्रवेश द्वार पर जायेंगे तो आप पायेंगे कि सुरक्षा कर्मचारी बिना किसी उचित शैड के तपती धूप में सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खड़े रहते है। मुझे डर है कि इससे उनकी सुरक्षा संबंधी सतर्कता में कमी आयेगी। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि लोक सभा सचिवालय इनके लिए उचित शैड की व्यवस्था करे ताकि उनकी सुरक्षा संबधी सतर्कता में कमी न आये।

सभापति महोदयः वह अलग विषय है। इस पर हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर उन्हें कोई सुविधा प्रदान नहीं की गयी तो वे इस भयंकर गर्मी में बेहोश हो सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजनः महोदय, मैं इनके सुझाव को स्वीकार करता हूं। लेकिन सदन संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन नहीं है।

सभापति महोदयः यह लोक सभा के अध्यक्ष के अधीन है।

श्री प्रमोद महाजनः शुक्रवार से हमारे बीच लोक सभा के नये अध्यक्ष होंगे। अतः इस संबंध में हम अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः आप इसे कृपया पहले मद के रूप में उठाएं।

श्री प्रमोद महाजनः निश्चित रूप से मैं इसे उठाऊंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः धन्यवाद।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदयः अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रमोद महाजनः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.24 बजे

(दो) वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि शिकागो में 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन से सम्बन्धित अभिसमय के अनुसरण में, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप वक्तव्य दे सकते हैं? अगर आप वक्तव्य देना चाहें, तो आप दे सकते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, चर्चा के बाद मैं वक्तव्य दूंगा।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

> ''कि शिकागो में 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुसरण में, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

सभापति महोदय: अब श्री अधीर चौधरी जी बोलेंगे।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है। वास्तव में इस विधेयक को विधि मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के बीच एक लम्बी कानूनी लड़ाई के पश्चात लाया गया है। वास्तव में विधि मंत्रालय नहीं चाहता कि विमानन टरबाईन ईंधन की सम्भावित निर्यात की जाने वाली वस्तु के रूप में घोषणा की जाये। दूसरी ओर, नागर विमानन प्रशासन हमेशा यह दलील देता रहा है कि विमानन टरबाईन ईंधन की संभावित निर्यात की जाने वाली वस्तु के रूप में घोषणा की जाये ताकि विमानों को बिक्री कर के भुगतान से छूट मिल सके।

महोदय, इस विधेयक के द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टी 14 के साथ पठित अनुच्छेद 253 के अंतर्गत विधान के अधिनियमन की व्यवस्था की गई है ताकि किसी अन्य देश में पंजीकृत विमान द्वारा भारत को, भारत से अथवा भारत से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के संचालन हेतु उठाए गए ईंधन और स्नेहकों को सभी प्रकार के शुल्क और करों से छूट प्रदान की जा सके।

महोदय, जैसाकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने दिसम्बर, 1993 में एक संकल्प स्वीकृत किया है ताकि विमानों को सभी सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों से छूट मिल सके। ऐसे शुल्कों और करों में राज्य में किसी कराधान प्राधिकरण द्वारा चाहे राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर ही क्यों न हो, लगाये गये कर और शुल्क भी शामिल है।

मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि इस अधिनियमन का पहला प्रहार राज्य सरकारों पर होगा। पिछले 40 वर्षों से बिक्री कर के संबंध में राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध थीं। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे बिक्री कर का भुगतान किया जाता था और इसमें विदेशी विमान को छूट मिलनी थी। परन्तु, अब इस विधान के अधिनियमन द्वारा ये सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। 1994 से राज्यों को इन छूटों की प्रतिपूर्ति तेलपूल निधि से भी की जाती थी।

यह सर्वाधिक व्याकुल करने वाली बात है जिसे इस विभाग की धृष्टता भी कहा जा सकता है कि इस विधि के अधिनियमन से पहले उन राज्य सरकारों, जिन्हें उन विमानों को बिक्री किए गए एटीएफ पर बिक्री कर लगाने से वंचित किया गया है, से कभी भी परामर्श नहीं किया गया है। हालांकि, यह कानून उन राज्यों से संबंधित है और इसका संबंधित राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तथापि, इस विधान के अधिनियमन से पहले किसी भी राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया है। हम यह जानते हैं कि भारत में सभी राज्य सरकारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस अधिनियमन से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर और गहरा प्रभाव पड़ेगा। अत: विशेष कर इस विशिष्ट बात पर मेरी कड़ी आपत्ति है और मैं यह कहूंगा कि मंत्रालय को ऐसा विधायी दस्तावेज तैयार करने से पहले सभी संबंधित राज्य सरकारों को विश्वास में ले लेना चाहिए था।

महोदय, विधेयक का शीर्षक वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक, 2000 है, परन्तु, विधेयक की विषय वस्तु केवल विदेशी विमानों के बारे में है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि सरकार इसी प्रकार की छूट उन घरेलू विमानों को क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है जिन्हें विदेश में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है?

हालांकि, उनको बेचे गए एटीएफ पर उन्हें बिक्री कर का भुगतान करना पड़ता है। मेरे विचार से यह बात इस सरकार द्वारा लागू की सभी को समान अवसर प्रदान करने की संकल्पना के बिल्कुल विपरीत है। जेट एयरलाइन्स, सहारा एयरलाइन्स और यहां तक इंडियन एयरलाइन्स जैसे सभी घरेलू कम्पनियों ने इस सरकार से बिक्री कर से ऐसी छूट प्रदान करने का आग्रह किया था क्योंकि बिक्री कर और अन्य करों के कारण ईंधन का मूल्य बढ़ जाता है। अत्यधिक घरेलू शुल्क घरेलू विमान कम्पनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त सेवाओं से राजस्व अर्जन क्षमता के समतुल्य नहीं है। अत: निजी के साथ-साथ सरकारी विमान कम्पनियों, जिनके विमान विदेशों में भी उड़ान भरते हैं, के इस आग्रह कि

उन्हें, बिक्री कर से छूट प्रदान की जाये, पर गम्भीरता पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, हम सभा जानते हैं कि विमान यात्रा में ओवर-प्लाईंग तकनीकी सहायता प्राप्त करने और रखरखाव के लिए अन्य देशों में विमान का रुकना और उन देशों से यात्रियों को विमान में चढ़ाना शामिल है। इस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को छूट निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया और इसके बाद, 1944 में, शिकागो समझौता स्वीकृत किया गया। हम यह जानते हैं कि सेमिनल स्तर पर शिकागो समझौते में पांच प्रकार की छूट परिकल्पित की गई थी। तीसरी, चौथी और पांचवीं छूट, जैसाकि शिकागो में परिकल्पित की गई है, द्विपक्षीय समझौते की अभिन्न अंग बन गई हैं जिसके माध्यम से अन्य देशों में यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित किया गया क्योंकि इसका आर्थिक पहलू पर अत्यधिक प्रभाव था।

महोदय, पहली और दूसरी छूट जैसाकि शिकागो समझौते के माध्यम से घोपित की गयी है ओवर फ्लाईंग और तकनीकी सहायता के लिए भूमि पर उतरने के अधिभार के बारे में है। इनकी हवाई यातायात के लिए मौलिक अधिकार के रूप में परिकल्पना की गई है। ये बहु-पक्षीय समझौते का अभिन्न अंग हैं। अत: यह सामान्य ज्ञान की बात है कि भूमि पर बिना उतरे राष्ट्रीय भूक्षेत्र से अंतरिक्ष में उड़ान भरने और गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए भूक्षेत्र में उतरने के विशेषाधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। यहां, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहूंगा। यह सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच उड़ान की समस्या को अब तक क्यों नहीं सुलझा पायी है? यह स्पष्टतया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हम यह जानते हैं कि 11 सितम्बर के बाद समग्र विश्व तबाही फैलाने वाले अपहरण से स्तब्ध रह गया था और इसका भीषण प्रभाव केवल अमरीका पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों पर पड़ा था। उस दिन अपहरणकर्ताओं ने नवोन्मेषी प्रयोगों द्वारा यात्री विमान को एक पंख वाले मिसाइल में परिवर्तित कर दिया....*(व्यवधान)* जहां तक अपहरण का संबंध है, यह कोई नई बात नहीं है। हम यह जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद पूर्वी यूरोपीय शरणार्थियों ने कम्यूनिस्ट देशों से भागने के लिए अपहरण का रास्ता अपनाया था। अत:, यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अत:, इस समस्या को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कन्वेन्शन आफ टोकियो, मांटरियल, हेग में एक संकल्प पारित किया था।

सभापति महोदय: श्री हरिन पाठक, आप सभा में बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। आप सभा में सभी लोगों को भी प्रसन्नचित्त क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर): महोदय, हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि माननीय सदस्य कुछ अन्य मुद्दों पर बोल रहे हैं। हम इस विधेयक के बारे में बोल रहे हैं और हम इसे पारित करना चाहते हैं। हमें अपहरण और पाकिस्तान में हो रही घटनाओं के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय: नहीं, नहीं। यदि कहीं भी वायुयान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहां वायुयान की समस्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी। यहां पर यही परम्परा है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं किसी के कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि यहां यही परम्परा अपनायी जाती है।

श्री विनोद खन्ना: महोदय, माननीय सदस्य सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

सभापति महोदय: यहां वायुयान शब्द का प्रयोग किया गया है। यह तो अर्थशास्त्र के एक शब्द के बारे में पाए जाने पर अर्थशास्त्र के प्रश्न का उत्तर देने जैसा है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, ये सभी मंत्रालय से संबंधित अत्यधिक संगत मुद्दे हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। हम सदस्य को यह नहीं सिखा सकते हैं कि कैसे बोलना चाहिए। सभी माननीय सदस्य हैं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती जयाबेन ठक्कर की एक छोटी-सी समस्या है। रेल बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने माननीय रेल मंत्री से बड़ौदा में सुपर फास्ट ट्रेन का हाल्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। अब उनका यह सुझाव है कि सभा मुम्बई-दिल्ली उडानें बड़ौदा से उपर से गुजरती है अत:, इनके लिए बड़ौदा में हाल्ट की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय: तो आप हाल्ट चाहते है। मंत्री जी इस का ध्यान रखेंगे।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, श्री राजेश खन्ना को इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से बोलने का विशेषाधिकार है।....*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: वे विनोद खन्ना हैं।

श्री अधीर चौधरी: मुझे खेद है वे श्री विनोद खन्ना हैं। जो भी हों श्री खन्ना तो हैं न।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मुम्बई से श्रीनगर जाने वाले सभी उडानें उनके निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। अत:, उनका रहना है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में हाल्ट उपलब्ध हटाया जाये और मंत्री जी वहां पर एक हवाई अड्डा भी बनवाएं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): आप बड़े भाग्यशाली हैं कि विनोद खन्ना जी ने आपके मामले में इंटरस्ट लिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राजेश खन्ना....*(व्यवधान)*

श्री विनोद खन्ना: मैं आपकी दशा को समझ सकता हूं, महोदय, क्योंकि आप उस ओर हैं। उस तरफ के लोग अपने पुराने सदस्यों को भूल जाते हैं।

सभापति महोदय: श्री विनोद खन्ना और श्री किरीट सोमैया आप हवाई अड्डे बनाने की मांग कर रहे हैं। मेरे इलाके में तीन हवाई अड्डे हैं परन्तु, एक भी विमान नहीं है। तूतीकोरिन-कोई विमान नहीं; कथासार—कोई विमान नहीं; और सेलम-कोई विमान नहीं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं सभा का ध्यान इस मुद्दे की ओर इसलिए दिलाना चाहता था क्योंकि ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने के लिए उन अपहरणकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया विमान अमरीका का नहीं था?

कांधार की घटना के बारे में हम सभी जानते ही हैं। वह विमान भारत का नहीं था? अत: मेरा तर्क यही है। पाक एयरलाइन्स पर भारत में आने से रोक लगाने के पीछे क्या औचित्य है?

वस्तुत: इस विधेयक के उपबंध बहुत सीमित हैं। वे कतिपय मुद्दे तक ही सीमित हैं। तथापि, इस मौके का लाभ उठाते हुए मैं माननीय मंत्री, जो मेरे प्रिय भाई भी हैं, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अब वे भारत में सर्वाधिक प्रगतिशील और सर्वाधिक पूंजी प्रधान क्षेत्र के प्रभारी हैं। अत: हम यह आशा करते हैं कि वे सरकार को इस मुद्दे से अवगत करायेंगे। मुद्दा यह है कि एक ओर तो हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जानबूझकर हम उसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा यही तर्क है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब, श्री गिरधारी लाल भार्गव।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभी खुश प्रतीत हो रहे हैं। इसका क्या रहस्य है? हमें भी बताइए।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव क्या आप भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में हाल्ट की मांग करेंगे?

श्री किरीट सोमैया: महोदय, उनका गांव जयपुर हवाई अड्डे से लगभग 27 किलोमीटर दूर है....*(व्यवधान)* अत:, वे वहां पर एक छोटा हाल्ट चाहते हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव, चेन्नई से नई दिल्ली आते समय, जब कभी भी मौसम खराब रहता है, तो विमान को स्वत: ही जयपुर की ओर मोड़ दिया जाता है। अत:, मैंने कई बार जयपुर की यात्रा की है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति महोदय, यह बिल बहुत छोटा है और हमारे माननीय मंत्री जी डायनैमिक और जवान हैं और कुछ कर गुजरने की स्थिति में आज हैं तथा उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ किया भी है। इसलिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद दे रहा हूं। वे अभी जयपुर पधारे थे और उन्होंने जयपुर में कह दिया कि जयपुर से दुबई एयरक्राफ्ट जाएगा और दिल्ली होकर जाएगा। इसलिए दिल्ली वालों को जयपुर से दिल्ली तक यात्रा मिल गयी। आपने मुम्बई तक भी यात्रा की बात की है। मैं जब उनके पक्ष में भाषण दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं तो निश्चित रूप से कल ही मुझे वह घर बुलाकर दो-तीन फ्लाइट और देने की कृपा करेंगे—ऐसा मैं उनसे चाहता हूं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति जी, माननीय भार्गव जी की जानकारी के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि वह फ्लाइट मुम्बई से जयपुर और जयपुर से दिल्ली आ रही है तथा इनके बिना तारीफ किये हुए ही मुम्बई से जयपुर सुबह फ्लाइट आती है और जयपुर से दिल्ली होते हुए दुबई जाती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में सदैव कोहरा छाया रहता है इसलिए

दिल्ली में फ्लाइट उतर नहीं सकती है। माननीय मंत्री जी ने जयपुर के लिए 174 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और मुझे जयपुर विमान पत्तन का चेयरमैन बना रखा है। मैंने लोगों का विरोध लेकर जमीन खाली करवा ली है। आपकी एयर-पट्टी 1200 के लगभग होने जा रही है और वहां सब प्रकार की सुविधा हो गयी है। इसलिए जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरोड्रम बनाना बहुत जरूरी है। कोहरे के कारण दिल्ली में विमान उतर नहीं सकता है और जयपुर में माननीय मंत्री उतर जाते हैं और उनको किसी होटल में या सर्किट हाउस में रहना पड़ता है और बाद में बाई-कार वे दिल्ली आते हैं। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं कि कभी आप कोहरे में फंस न जावें। इसलिए जयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करें—यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लोगों से कहा था कि जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरोड्रम बनवा दूंगा, इसलिए मेरा ख्याल रखना।

उन्होंने पांच बार मेरा ख्याल रख लिया। छठी बार के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह बात ठीक है कि सारी हवाई जहाज की यात्रा को लाभप्रद घोषित किया और लगभग 20 करोड़ रुपए का लाभ दिया। आपने जयपुर में एक बात की घोषणा की थी और कहा था कि चुनावों की वजह से मैं घोषणा नहीं कर सकता। अजमेर में हिन्दु और मुसलमान ख्वाजा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं इसलिए अजमेर को एरोड्रम निश्चित रूप से दें। इससे अजमेर लोग आराम से आ-जा सकेंगे और उन्हें सब प्रकार की सुविधा होगी। आप जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने के साथ-साथ अजमेर का भी ध्यान रखें क्योंकि रासा सिंह जी मुझ से कह रहे हैं कि अजमेर की बात भी कही जाए। अजमेर बहुत प्रसिद्ध स्थान है। अजमेर अंग्रेजों के समय राजस्थान की राजधानी थी। अंग्रेजों के जाने के बाद जयपुर राजस्थान की राजधानी हो गयी।

यह बिल 14 दिसम्बर 1994 को आया। जो संकल्प हमने पास किया था उसके आधार पर इस बिल को लाया गया। एक देश का विमान दूसरे देश के क्षेत्र में जाएगा तो विमान में रखा ईंधन और कस्टम आदि सब चीजें कर से मुक्त होंगी। ऐसे ही जब अपने देश का विमान दूसरे देश जाएगा तो उड़ान के दौरान ईंधन और अन्य सारी चीजें कर मुक्त होंगी। यह 1993 में हुआ रैसिप्रोकल एग्रीमैंट था। यह एक सुन्दर बात है कि एग्रीमैंट का पालन करना हमारा धर्म है। इस बिल को लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह विधेयक इसलिए भी जरूरी है कि एक तरफ विदेशी एअरलाइन्स बिक्री कर का भुगतान नहीं कर रही हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकारें बिक्री कर लगा रही हैं। विदेशी एअरलाइन्स तेल कम्पनियों को भुगतान नहीं कर रही हैं इसलिए तेल कम्पनियों को राज्य सरकारों को भुगतान करना पड़ रहा है। इस तरह दिन प्रतिदिन तेल कम्पनियों का बकाया लगभग 20 करोड़ रुपए प्रति माह की दर से बढ़ता जा रहा है। इस विधेयक में विदेशी एअरलाइन्स को एटीएफ और लुब्रिकैंट्स आदि पर बिक्री कर, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। एअर इंडिया, इंडियन एअरलाइन्स और अन्य घरेलू एअरलाइन्स पर इस बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें ये सब कर देने पड़ेंगे।

चौथी बात यह है कि शिकागो कन्वेंशन 1944 के तहत दूसरे देशों के साथ किए गए एअर सर्विस एग्रीमैंट्स में इस बात का प्रावधान है कि दोनों ही पक्षों को इस बात की छूट एक-दूसरे की एअरलाइन्स को देनी होगी। पांचवीं बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन जिसका भारत एक फाउंडिंग मैम्बर है, उसने दिसम्बर 1993 में प्रस्ताव पास किया जिस में सभी सदस्य देशों के द्वारा इस तरह की छूटों का प्रावधान है। भारत को इस तरह की छूट के लिए कानून बनाना अनिवार्य है। 1974 में जो सबसिडी मिलती थी वह 1.12.94 से बंद कर दी। संसद को यह कानून बनाने का अधिकार है। धारा 253 के अन्तर्गत संसद को अधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए कोई कानून बना सकता है। इसलिए आप इस बिल को लाए हैं। इसके लिए आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए यह कानून बनाना जरूरी है। धारा तीन के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके विदेशी एअरलाइन्स के लिए भी सभी छूट दे दें। मुझे प्रसन्नता है कि इसके लिए विभिन्न सरकारों से अलग-अलग टैक्स लगाए हैं। मैं इसके लिए चन्द्रबाबू नायडू जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने केवल 4 परसैंट ही सेल्स टैक्स लगाया है। चाहे दिल्ली हो, असम हो, केरल हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, उन सभी ने सेल्स टैक्स ज्यादा लगाया है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो उड़ानें भर कर आती हैं उन्हें दिक्कत होती थी इसलिए उन्होंने आपके सामने एग्रीमैंट किया। उसके आधार पर छूट दें। 1 दिसम्बर 1994 के एग्रीमैंट के आधार पर छूट मांग रहे हैं। विदेशी कम्पनियां जिनके हवाई जहाज यहां आते हैं उन्होंने आपके सामने यह प्रतिवेदन दिया कि वह उस एग्रीमैंट को लागू करें।

इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिये मंत्री महोदय यह बिल लाये हैं। मेरा इतना ही कहना है कि संसद के सामने वह यह बिल लाये हैं और संसद को ही इस बात का अधिकार है कि इस बिल को पास करे। उसमें संसद अपने अधिकारों का प्रयोग करे जिसके एग्रीमेंट के तहत अगर दोनों देशों के बीच में हवाई जहाज जायें, उन पर टैक्स न लगे और उनके हवाई जहाज यहां आयें तो एग्रीमेंट के आधार पर हम भी उनसे टैक्स न लें।

सभापति महोदय, संसद को संविधान की धारा 253 के अंतर्गत अधिकार है कि वह इसे लागू करे। यदि यह एग्रीमेंट लागू नहीं

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

होगा तो रोज़ाना 20 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं। जो तेल कम्पनियां अदायगी कर रही हैं, उन्होंने 700 करोड़ रुपया ले लिया, बाकी उनके पास नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी इस संबंध में नियम बनाना चाहिये कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिये अमेंडमेंट करके छूट दे दें तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का एक बार पुन: धन्यवाद करता हूं कि वे धारा 253 के अंतर्गत यह बिल लाये हैं। हमारे मंत्री जी नौजवान हैं, इन्होंने देश में काम किया है लेकिन इनको रेल यात्रा न करके हवाई जहाज से यात्रा करनी चाहिये। जब ये वायुयान का उपयोग करेंगे तभी इनको मालूम होगा कि क्या-क्या कमियां हैं। इनके यात्रा करने से इंडियन एअरलाइन्स में सब सुविधायें मिलेंगी। जब ये जयपुर आयेंगे तो मैं इनका भव्य स्वागत करूंगा। अगर जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट घोषित करके जायेंगे तो मैं फूलों की माला से इनको लाद दूंगा नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। इसके अलावा मैं मुक्तकंठ से इनके कार्यों की प्रशंशा भी करूंगा, यदि जयपुर की घोषणा कल नहीं, आज करेंगे। जैसा कहा गया है - 'काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो अब, पल में परलय होयेगी, बहुरि करेगा कब।' निश्चित रूप से अजमेर के लिये भी औब्लाइज करेंगे। साथ ही राजस्थान का विशेष ध्यान रखेंगे। माननीय मंत्री जी को मालूम हो कि दिल्ली से जयपुर के लिये दोपहर में कोई प्लाइट न होने से मुझे बस द्वारा जाकर कोई शादी-ब्याह अटेंड करना होता है और वापस जयपुर से दिल्ली के लिए भी ऐसे आना होता है। मेरा निवेदन है कि जयपुर से दिल्ली के लिये और दिल्ली से जयपुर के लिये दोपहर में कोई विमान सेवा होनी चाहिये।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हवाई जहाज सेवाओं में सुधार लाने के लिये सुन्दर काम किया है। इस एग्रीमेंट को रैसीप्रोकल बेसिस पर लागू करके न हमारे यहां आने वाले विमान पर टैक्स लगे और न हमारे विमान जाने पर दूसरे देश में टैक्स लगे, ऐसा प्रावधान संविधान की धारा 253 के तहत करेंगे। ऐसा विधेयक यह संसद पास करे, मेरी यही प्रार्थना है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): सभापति महोदय, धन्यवाद। वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय देयता को पूरा करने के लिये लाया गया है जिसके प्रति हमने 1944 में शिकागो सम्मेलन में स्वयं को प्रतिबद्ध किया था। यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी अन्य देश में पंजीकृत वायुयान जो भारत आने-जाने और यहां से गुजरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवायें प्रदान करता है, द्वारा उठाये जाने वाले ईंधन और स्नेहकों पर सभी प्रकार के शुल्कों और करों से छूट देने के लिए अनुच्छेद 253 के अंतर्गत एक विधान अधिनियमित किया जाये और उसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची। की प्रविष्टि 14 के साथ पढ़ा जाये।

सभा में इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् हमारे देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमानों को शुल्क और करों पर छूट दी जाएगी। जब स्थायी समिति में इस विधेयक पर विचार किया गया तो समिति ने इस विधेयक की सिफारिश की। समिति ने इस संबंध में सरकार को बताया और नागर विमानन मंत्रालय से भी पूछा कि इस विधेयक के फलस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व का कितना घाटा होगा।

राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले ही ठीक नहीं है। महोदय, राज्य सरकारों से ज्यादा से ज्यादा संसाधन वापस लिए जा रहे हैं। जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति संकटपूर्ण हो जाएगी। इस विधेयक के पारित होने से राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय विमानों द्वारा दिया जाने वाला बिक्री कर समाप्त हो जाएगा। स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि इस विधेयक को अधिनियमित करने के साथ ही नागर विमानन मंत्रालय को राज्यों को राजव हानि से संबंधित यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए और कोई ऐसे तरीके निकालने चाहिए जिससे कि राज्यों को होने वाली राजस्व की हानि की भरपाई की जा सके। लेकिन मंत्रालय ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई किस तरह करेंगे।

एक अन्य मुद्दा यह है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां ए.टी.एफ. पर बिक्री कर और अन्य शुल्क अदा कर रही हैं लेकिन अब उन्हें छूट दे दी गई है। लेकिन राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को यह छूट नहीं दी गई है। उन्हें भी समान अवसर दिए जाने चाहिए। हमारी राष्ट्रीय विमान कंपनियों एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान जब विदेश जाएंगे तो उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मेरा यह कहना है कि उन्हें भी यह छूट दी जानी चाहिए। यदि हमारी राष्ट्रीय विमान कंपनियों के विमान यहां से ए.टी.एफ. लेने के बाद विदेश जाते हैं तो उससे वे अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे। इसलिए नागर विमानन मंत्रालय यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को एयर टरबाइन फ्यूल के मूल्य के संबंध में समान अवसर दिए जाएं? ए.टी.एफ. के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानों द्वारा अदा किए जाने वाले मूल्यों और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा अदा किए जाने वाले मूल्यों में अंतर होगा।

महोदय, अभी हाल ही में इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ने समाचार-पत्र में साक्षात्कार दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ए.टी.एफ. के मूल्य अत्यधिक होने के कारण इंडियन एयरलाइंस प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही है और उसे राजस्व की भी हानि हो रही है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय इस बात का ध्यान किस प्रकार रखेगा। यदि हमारे राष्ट्रीय विमान कम्पनियों एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को ए.टी.एफ. मूल्य के संबंध में समान अवसर नहीं दिए जाते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी?

अपराह्न 2.58 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने विशेष रूप से नागर विमानन मंत्रालय ने बहुत ही लापरवही पूर्ण रवैया अपनाया है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता इन चार प्रमुख विमानपत्तनों का विनिवेश किया जाएगा और विनिवेश की यह प्रक्रिया 2003 तक पूरी हो जाएगी। ऐसा समझा जाता है कि मंत्रिमंडल ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यदि आप विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम का अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि हमारे देश में विमान पत्तनों के विनिवेश के लिए सरकार के पास कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। किसी सक्षम प्रावधान के बिना मंत्रीमंडल ने ऐसे प्रस्ताव को कैसे स्वीकृति दे दी? उन्होंने यह अनुमान कैसे लगा लिया कि संसद सरकार के इस संपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: हमने 30 वर्ष के लिए लीज करने के लिए कहा है, डिसइनवैस्मैन्ट करने के लिए नहीं कहा है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु: चाहे यह प्रस्ताव पट्टे पर देने के लिए हो, तो भी विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे सरकार विमानपत्तनों को पट्टे पर दे सके।

अपराह्न 3.00 बजे

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अभी हाल ही मैं मुझे बताया गया है कि विधि मंत्रालय की भी यही राय है कि अधिनियम में संशोधन किए बिना सरकार विमानपत्तनों को पट्टे पर नहीं दे सकती। यह बड़ी अजीब स्थिति है। सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि मंत्रिमंडल भी विधि मंत्रालय से परामर्श करने से पहले ही इस मुद्दे पर निर्णय ले रहा है। सभी कुछ इस तरह से हो रहा है कि मंत्रिमंडल समेत हर कोई यह सोच रहा है कि संसद से जो चाहे, करवा लो। कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त न होने के बावजूद वे विमानपत्तनों को पट्टे पर देने आदि जैसे काम कर रहे हैं।

विमानपत्तनों को पट्टे पर देने से पहले, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। सुरक्षा संबंधी पहलू भी हैं और दूसरे पहलू भी हैं। निजी पार्टियां आएंगी, विदेशी कंपनियां भी आयेंगी। इसलिए, पट्टे पर देने से पहले सभा में इस पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। अधिनियम में संशोधन किए बिना और सभा में इस पर चर्चा किए बिना ही बजट भाषण में यह घोषणा कर दी गई कि इसे 2003 तक पूरा करना होगा। वे यह कैसे करेंगे? उन्हें इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जो सरकार को यह उपाय करने की अनुमति दे। आजकल हम देख रहे है कि यह सरकार बड़ी लापरवाही के साथ कार्य कर रही है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो-तीन मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान अधिग्रहण के बारे में वह स्थिति स्पष्ट करे कि सरकार यह कैसे करेगी, क्या विमान कार्मिक रहित पट्टे (ड्राईलीज) पर अथवा सकार्मिक (वैट लीज) पर लिये जा रहे हैं, सरकार निकट भविष्य में विमानों की बढ़ रही आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करेगी क्योंकि एयर इंडिया के पास उपलब्ध सभी विमानों के अलावा और भी विमानों की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, आपको सभा को बताना चाहिए कि आप जो नये विमान कार्मिक रहित पट्टे पर अथवा सकार्मिक पट्टे पर खरीदने जा रहे हैं, उनके अधिग्रहण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है।

विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 50 सीटों वाले विमान के अधिग्रहण के बारे में काफी पहले यह सोचा गया था कि अत्यधिक राजसहायता पाने वाले इस क्षेत्र में छोटे विमान उड़ाने की आवश्यकता होगी। नागर विमानन मंत्रालय भी इस बात के लिए सहमत हो गया था कि 50 सीटों वाला विमान खरीदा जायेगा और इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां यात्री यातायात तो बहुत कम है लेकिन उन्हें देश से जोड़ने की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है, छोटे विमान उड़ाना उचित है। 50 सीटों वाले विमान के अधिग्रहण की वर्तमान

[श्री अनिल बसु]
स्थिति क्या है? क्या इसे खरीदने का विचार छोड़ दिया गया है अथवा इसे अभी भी खरीदने का विचार है? इस सभा में यह बात स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।

हमारे देश ने अन्य सैंकड़ों देशों के साथ अनेक द्विपक्षीय समझौते किए हैं। लेकिन उन क्षेत्रों में हम अपनी उड़ान सेवा संचालित नहीं कर रहे हैं। जिन प्रमुख मार्गों पर हम उड़ान सेवा दे रहे हैं, वहां प्राइम टाइम के दौरान हम अपनी उड़ानें नहीं भर रहे हैं क्योंकि उन मार्गों में हमने द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से निजी प्रचालकों को प्राइम टाइम बेच दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय इस तरह से प्राइम टाइम क्यों बेच रहा है। मुझे बताया गया है कि हीथ्रो विमानपत्तन पर विमान उतरने (लैंडिंग) का प्राइम टाइम बेच दिया गया है। वह प्राइम टाइम एक अंतर्राष्ट्रीय निजी प्रचालक को बेचा गया था और उसने वहां से काफी लाभ कमाया है। इसलिए, विमान उतरने और उड़ान भरने का प्राइम टाइम द्विपक्षीय समझौते के जरिये देश के और राष्ट्रीय कैरियरों के हितों की परवाह किए बगैर निजी प्राधिकारियों को बेचा जा रहा है। यह राष्ट्रीय कैरियरों के हित के लिए हानिकारक है। इसलिए वहां गलत ढंग से काम हो रहा है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि मंत्रालय के कार्यकरण में काफी खामियां हैं जिन्हें सरल एवं कारगर बनाया जाना चाहिए।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह राज्यों को राजस्व की हानि, जो इस विधेयक के अधिनियमन बनने के बाद होगी, रोकने के लिए स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसरण में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में बतायें और यह भी बतायें कि वह उस हानि की भरपाई कैसे करेंगे। वह विदेशों में कार्यरत थी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को समान अवसर प्रदान करने के बारे में भी जवाब दें और यह भी बतायें कि उन्हें अन्य अंतर्राष्ट्रीय कैरियरों की तुलना में समान अवसर कैसे दिए जाएंगे जो इस प्रकार की समस्त छूटों का लाभ उठा रहे हैं

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अन्य मुद्दों के संबंध में भी मुझे और सभा को जानकारी दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय साख बनाए हुए हैं। जो भी अन्तर्राष्ट्रीय करार, संविदा या समझौते होते हैं भारत हमेशा उनका पालन करता रहा है। उस दृष्टि से हमारे देश के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 7 दिसम्बर, 1944 को जब अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित जो समझौता अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, उसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, उस समय जो करार हुए थे उनका अनुपालन कराने के लिए और उस में शर्तें थीं उनको क्रियान्वित करने के लिए हम बंधे हुए हैं। निश्चित रूप से इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय विमानन संगठन के द्वारा भी दिसंबर, 1993 के अंदर जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी हवाई जहाज किसी भी देश में रजिस्टर्ड हुआ हो अथवा लीज पर लिया गया हो या चार्टर किया गया हो, अगर वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है या एक देश से दूसरे देश में जाता है और वहां तेल भरवाता है, टरबाईन ईंधन भरवाता है या लुब्रीकेंट लेता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं पर जो एक्साइज ड्यूटी है वह नहीं लगेगी, यानी वह उस शुल्क से मुक्त होगा। इस प्रकार का प्रावधान उसके अंदर भी किया गया है। इसलिए यह हमारे लिए नितान्त आवश्यक है कि हम उसका पालन करें।

महोदय, पहले तो सिर्फ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो ही विमान कंपनियां हमारे देश में हुआ करती थीं और उनके ही हवाई जहाज उड़ा करते थे, लेकिन अब हमारे यहां भी निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कई कंपनियां आ गई हैं और प्रतिस्पर्धा होने लगी है। जैट एयरवैज है, सहारा इंडिया हैं और अन्यान्य कंपनियां आ गई हैं। उन सबकी तरफ से रिप्रजेंटेशन आए थे और सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन की तरफ से भी अभ्यावेदन आए थे। दूसरी कंपनियां हवाई जहाज चलाने वाली हैं उनकी तरफ से भी इस प्रकार के अभ्यावेदन मंत्रालय को प्राप्त हुए थे जिनमें यह प्रार्थना की गई थी कि सेल्स टैक्स से ईंधन एवं स्नेहकों को मुक्त किया जाए, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत जो 14वीं सूची की प्रविष्टि नंबर 7 में एक नंबर पर जो पाइंट है, वह इसके विपरीत है। उसमें परिवर्तन करने के लिए, सरकार को सक्षम बनाने के लिए ताकि वह एक्साइज ड्यूटी से उसे मुक्त कर सके, यह बिल लाया गया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, 11 सितम्बर 2001 के बाद, जब से अमरीका के अंदर डब्ल्यू.टी.ओ. के ट्विन टॉवर पर आतंकवादियों ने आक्रमण किया तब से सारी दुनिया के अंदर जितनी भी विमान कंपनियां हैं उनका कहना है कि नागर विमानन के क्षेत्र में बहुत मंदी आ गई है। जितने भी पर्यटकों ने अग्रिम आरक्षण करा रखे थे, उन सब से उस हमले के बाद अपने आरक्षण निरस्त करा दिए, जिससे

बहुत मंदी आ गई और नागर विमानन के क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। ऐसे समय में सिविल एविएशन के व्यवसाय को बनाए रखने के लिए और एक देश से दूसरे देश में विमान यात्राएं भली प्रकार हो सकें, दूसरे देशों में हमारे विमान जा सकें और उन देशों का विमान हमारे देश में आ सकें तथा देश के अंदर दूसरे स्थानों पर जा सकें ऐसी रियायत प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। इसलिए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव जी ने अभी कहा कि जब माननीय शाहनवाज हुसैन साहब अजमेर तशरीफ लाए थे, तो अजमेर के कई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मिलकर उनसे प्रार्थना की थी और कहा था कि अजमेर एक ऐसा स्थान है जहां महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर सभी प्रधान मंत्री, सभी बड़े-बड़े मंत्री राजनेता और विदेशों के लोग तशरीफ लाते हैं इसलिये अजमेर में हवाई अड्डा होना नितान्त आवश्यक है।

मान्यवर, पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान में जयपुर पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अजमेर और पुष्कर आते हैं। इस दृष्टि से यहां बंगलादेश अथवा अन्य देशों से बहुत पर्यटक आते हैं। विदेशों से जो भी पर्यटक आते हैं, उन्हें पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरना पड़ता है। दिल्ली से वे जयपुर हवाई अड्डे पर आते हैं और फिर वहां से बसों अथवा कारों में अजमेर जाते हैं। इसमें बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए अजमेर में अगर हवाई अड्डा बनाना घोषित कर दिया जाए। यह प्रार्थना आपसे की थी और आपने बड़ी उदारता के साथ यह कहा था कि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा।

महोदय, हमने इस संबंध में पहले लगभग सभी दलों के 150 सांसदों के हस्ताक्षर करवा कर पूर्व नागर विमानन मंत्री से मिलकर इस बारे में अनुरोध किया था और पूर्व मुख्य मंत्री महोदय माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत और वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने भी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अजमेर के धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए अजमेर के अन्दर हवाई अड्डा निर्मित किया जाए।

महोदय, पर्यटन की दृष्टि से अजमेर न केवल राजस्थान की बल्कि देश की हृदयस्थली है। उसके आसपास बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत प्रसिद्ध है। पुष्कर जैसा तीर्थ स्थान है जो तीर्थों में राजा है और जिसे पुष्करराज कहा जाता है। नसीराबाद में प्रसिद्ध छावनी है, ब्यावर जैसी औद्योगिक नगरी है, किशनगढ़ जैसा मार्बल का सेंटर है, सी.आर.पी.एफ. की दो छावनियां हैं और मिलिट्री का बहुत बड़ा एस्टाब्लिशमेंट है। इसलिए अगर राजस्थान की हृदयस्थली अजमेर में हवाई अड्डा होगा, तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास हो सकेगा और भारत सरकार द्वारा अजमेर के लिए यह एक तोहफे के रूप में होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस मामले में आप भी संवेदनशील होंगे। बोलने के लिए जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो बिल आपने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय करारों का पालन करना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। देश में नागर विमानन के क्षेत्र में अभी हम काफी पीछे हैं। हमें प्रगतिशील राष्ट्रों की तरह छोटे-छोटे हवाई अड्डे विकसित करके आगे जाना है। जयपुर के हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, लेकिन अभी उसका जो निर्माण कार्य है उसे तेजी से करने की तरफ ध्यान देना होगा। उदयपुर और कोटा के अंदर जहां-जहां भी हवाई अड्डे के विस्तार की स्कीमें हैं उनकी ओर ध्यान देना होगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक, 2000 संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए खुशी हो रही है। मैं तमिलनाडु के संबंध में तीन मांगों के बारे में सोच रहा था। यह विधेयक संवैधानिक है और भली-भांति तैयार किया गया है। मैं इस अवसर पर तीन मामलों में समस्त तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करता हूं।

तूतीकोरिन में दस वर्ष पहले अर्थात् 1992 में एक विमानपत्तन की स्थापना की गई थी। लेकिन उस विमानपत्तन पर कोई वायुसेना उपलब्ध नहीं है। जब कभी भारत के राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री वहां का दौरा करते हैं। तो उस विमानपत्तन को चालू कर दिया जाता है। कोलंबो और मालदीव बरास्ता मदुरै के लिए वायुसेना को पुनः शुरू नहीं किया गया है। मदुरै अंतर्राष्ट्रीय शहर है। यह मंदिरों का शहर है। हर व्यक्ति मदुरई जानता है। यह ऐसा शहर है जिसे कन्नगी ने पवित्रता, निष्ठा और प्रांजलता कायम रखने के लिए जला दिया था। सेलम विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने की कोई सुविधा नहीं है। तमिलनाडु में सेलम में विमानपत्तन है, लेकिन वहां से कोई वायु सेवा नहीं है। वहां तीन विमानपत्तनों की स्थापना की गई और उन्हें शुरू भी किया गया लेकिन वहां कोई यातायात नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। सेलम विमानपत्तन के बारे में सरकार ने 23.1.2000 को नागर विमानन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि वह सेलम

[श्री पी.एच. पांडियन]
विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने की सुविधाएं प्रदान करे। लेकिन नागर विमानन मंत्रालय ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया है। इसलिए, मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह उस अनुरोध पर पुनः विचार करें।

इसी तरह कन्याकुमारी में भी नया विमानपत्तन बनाया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी रेल से तो जुड़ा हुआ है लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच कोई वायु सेवा नहीं है। इसके अलावा, कन्याकुमारी में नये विमानपत्तन की स्थापना की व्यवहार्यता और औचित्य के बारे में कन्याकुमारी के कलक्टर की रिपोर्ट टिप्पणियों सहित 11.9.2001 को कार्यकारी निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को भेज दी गई है। मैंने इस पत्र की एक प्रति आज सुबह ही माननीय मंत्री जी को दी है। इसलिए, मेरे विचार से, वह उसे समझ पायेंगे।

चेन्नई में दूसरा, नया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन होना चाहिए। 'टिडको' की सहायता से एक नई परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना को एक टिप्पण के साथ भारत सरकार को अग्रेषित भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव, चेन्नई विमानपत्तन को दीर्घावधिक तक पट्टे पर देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्रदान करे। मेरे विचार से उन्हें वे पत्र भी प्राप्त हुए होंगे।

सभापति महोदय: कृपया विधेयक के उपबंधों के बारे में बात कीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, हम इस अवसर पर इन मुद्दों पर बल दे सकते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, तूतीकोरिन में एक विमानपत्तन है। वे विमान सेवाएं संचालित करने की कोशिश करते हैं। तूतीकोरिन में वाणिज्य मंडल है। जब श्री शरद यादव माननीय नागर विमानन मंत्री थे, तब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था कि यहां कोई यातायात नहीं है। तूतीकोरिन से आयात और निर्यात होता है। यह रोजमर्रा की बात है। इसलिए, वे समझते हैं कि यदि सरकार विमान सेवाएं संचालित करती हैं तो वहां पर्याप्त विमान यातायात होगा। इसलिए वहां नए विमानपत्तन होने चाहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): सेलम विमानपत्तन का भी यही मुद्दा है।....*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: सेलम विमानपत्तन के संबंध में भी यही मामला है। मेरे मित्र श्री सेल्वागनपति उस निर्वाचन क्षेत्र के हैं। वे उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। उन्हें सेलम से संसद में आना चाहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: सेलम में विमानपत्तन है लेकिन वहां विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। विमान सेवाओं के बिना वहां विमानपत्तन क्यों होना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: इसलिए, मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे उन तीनों विमानपत्तनों की स्थापना करे जिनका मैंने उल्लेख किया है।

मदुरई विमानपत्तन का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के स्तर तक किया जाए। यहां से श्रीलंका तक विमान सेवाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार त्रिची से श्रीलंका तक विमान सेवाएं संचालित कर रही है। मंत्री महोदय, आप मदुरई से दुबई, मदुरई से शारजाह तथा अन्य स्थानों तक विमान सेवाएं क्यों नहीं शुरू करते? इस तरह, मदुरई विमानपत्तन का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के स्तर तक उन्नयन किया जाना चाहिए।

दूसरी बात, मैंने 15 दिन पहले एक समाचार पढ़ा था। यह वस्तुतः समाचार नहीं अपितु निजी एयरलाइन्स के बारे में विज्ञापन है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। मैंने सोचा था कि कोई सदस्य 'शून्य काल' के दौरान इस मामले को सभा में उठाएगा। मैंने सोचा था कि कोई सदस्य इस मामले की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करेगा। उन एयरलाइन्सों का मालिक कौन है? यहां अनेक कहानियां हैं। विज्ञापन में कहा गया है कि उन एयरलाइन्स में दाऊद इब्राहिम की कोई हिस्सेदारी नहीं है। शेयर धारक कौन है? वास्तविक स्वामी कौन है अप्रत्यक्ष स्वामी कौन है? यह बात पता होनी चाहिए। मेरे विचार से जेट एयरलाइन्स भारत के सभी विमानपत्तनों से अपनी सेवाएं संचालित करते हैं चाहे वे विमानपत्तन रखरखाव प्रभार अदा करे या न करे। हमें विमानपत्तनों के रखरखाव पर काफी खर्च करना पड़ता है। सभी दल इस एयरलाइन्स के बारे में किस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों....*(व्यवधान)*

विपक्ष ने मामला नहीं उठाया था। किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'दि हिन्दू' आदि जैसे सभी समाचार-पत्रों में एक चौथाई पृष्ठ पर एक बड़ा विज्ञापन छपा है। वास्तविक मालिक कौन है? शेयरधारक कौन है। जैसाकि विज्ञापन में बताया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे शेयर धारक हैं। शेयरधारक कौन हैं? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

मैं इस बारे में विस्तार में नहीं बताना चाहता। हम गुप्त रूप से इसकी जांच कर रहे हैं। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस संसद को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि इसका मालिक कौन है और कौन इसे संचालित कर रहा है। जेट एयरलाइन्स सभी क्षेत्रों में विमान सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): एक खबर है कि दो मंत्रियों की इसमें हिस्सेदारी है। क्या आप इस बात को भी स्पष्ट कर सकते हैं?

श्री पी.एच. पांडियन: आप इन सब बातों को स्पष्ट क्यों नहीं करते? आपने गुजरात के बारे में कहा। आपने इसके बारे में नहीं कहा। आपके लिए गुजरात ही एक मुद्दा है तथा अन्य मुद्दे, मुद्दे नहीं हैं। यह एक आर्थिक मामला है....*(व्यवधान)* जब हम चेन्नई से शुरू करते हैं तो इंडियन एयरलाइन्स का प्रस्थान समय 6.40 बजे है और जेट एयरवेज का समय 7.00 बजे है। दोनों का एक साथ प्रस्थान समय क्यों रखा जाए? कई बार हम देखते हैं कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान खाली पड़े हैं जबकि जेट एयरवेज़ भरे हुए हैं। सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। या तो आप जेट एयरवेज़ को अपना लें अथवा इंडियन एयरलाइन्स को बंद कर दें। बीच की नीति न अपनाएं। यदि आप गलत काम करना चाहते हैं तो इसे सार्वजनिक रूप से करिए। गलत काम करने वालों को प्रोत्साहित न करें क्योंकि इससे पैसा बर्बाद होता है। मैं उस विज्ञापन में प्रकाशित होने की तिथि से अर्थात् पिछले 15 दिन से देख रहा हूं कि एक भी संसद सदस्य ने इस मामले को नहीं उठाया। उन्होंने यह मामला क्यों नहीं उठाया? इसका मालिक कौन है? इस मामले में कुछ गड़बड़ है। आप इस मामले को उठाने से क्यों डरते हैं? मैंने उस विज्ञापन में पाया कि दाऊद इब्राहिम की उसमें हिस्सेदारी है। मैं दाऊद इब्राहिम से नहीं डरता। यदि दाऊद इब्राहिम की सम्पत्ति की नीलामी में भाग लेने हेतु मेरे पास धनराशि होती तो मैं इसमें भाग लेता। उसकी सम्पत्ति को लेने वाला कोई नहीं है। आप मुझे कुछ धनराशि दीजिए, मैं नीलामी में भाग लूंगा....*(व्यवधान)* मेरे जीवन में 'डर' नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं डरता....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री पी.एच. पांडियन: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। वास्तव में इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा होनी चाहिए। हम इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा करने हेतु सहमत क्यों नहीं होते? किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। श्री दासमुंशी, क्या आपने यह मामला उठाया था?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री पांडियन, क्या आपने यह मामला उठाया था?

श्री पी.एच. पांडियन: आप मुझ से क्यों पूछ रहे हैं? आप मुख्य विपक्षी दल से हैं। जब आप मुझे मुख्य विपक्ष के रूप में मान्यता देते हैं तो मैं मुद्दे को उठाऊंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं तो वह स्वीकृत नहीं होता।

श्री पी.एच. पांडियन: संसद, प्रत्येक सांसद और मैं जेट एयरवेज़ के बारे में जानना चाहते हैं। हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। संसद एक ऐसा स्थान है जहां स्पष्ट और निर्बाध चर्चा होनी चाहिए। जेट एयरवेज इंडियन एयरलाइन्स से आगे निकल जाएगा।

अब, मैं इस अवसर पर इन संदेहों तथा सभी विपक्षी दलों की शिकायतों का निवारण करना चाहता हूं....*(व्यवधान)* मैं मुख्य विपक्ष सहित विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को उठाने वाला पहला व्यक्ति हूं।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। विधेयक का अच्छा प्रारूप बनाया गया है और यह सराहनीय है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति महोदय, जो एयरक्राफ्ट बिल, 2000 लाया गया है, इसे मैंने पूरी तरह पढ़ा, रियलाइज़ किया।

अपराह्न 3.25 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

अभी तक जिन माननीय सदस्यों ने बोला है, मैंने उनके प्वाइंट्स भी नोट कर लिए हैं।

यह बिल बड़ा स्पेसिफिक बिल है। यह बिल फ्यूल और लुब्रीकेण्ट्स से कनेक्टिड बिल है, इसलिए मैं इसे स्पेसिफिक बिल कहता हूं। दूसरे टर्म्स में मैं ऐसा भी कहूंगा, नागर विमानन मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है। मैं यह कहता हूं कि मंत्रालय के आकार की तुलना में श्री शाहनवाज हुसैन का यह बेबी बिल है। विशिष्ट प्रयोजन और विशिष्ट विषय से संबंधित यह विधेयक बहुत छोटा है। जब मैं कहता हूं कि यह स्पेसिफिक बिल है, स्पेसिफिक सबजैक्ट से रिलेटिड है तो मैं कोई भी बात इर्रेलेवेंट नहीं करना चाहता, जबकि मैं पूरी रैस्पैक्ट के साथ यहां पर बोलना चाहूंगा, सब लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट का टाइम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं इर्रेलेवेंट नहीं बोलना चाहता। मैं हाईजैक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जो यहां पर बोला गया है। मैं पाकिस्तान के टैरिरिज्म अटैक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इण्टरनेशनल एयरपोर्ट मेरे गांव में बना दें, यह भी नहीं कहूंगा। एयर स्टापेज मुझे चाहिए, लेकिन मैं अलग से उसकी डिमांड

[श्री सुबोध मोहिते]

करूंगा, क्योंकि यह बिल उससे रिलेटिड नहीं है, न मैं लीजिंग ऑफ दि एयरपोर्ट लैंड की ही बात करूंगा। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने स्टार्टिंग में श्री शाहनवाज हुसैन का समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, ऐसी बात नहीं कही। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं कन्क्लूड करूंगा। श्री शाहनवाज हुसैन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं वे एक इंजीनियर हैं और मैं भी एक इंजीनियर हूं। इंजीनियर के नाते से मैं उनकी रैस्पैक्ट करता हूं, लेकिन मैं खासकर श्री शाहनवाज हुसैन जी को यहां पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि *[अनुवाद]* इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति है जो विशेष कार्य करता है और ऐसा समाधान ढूंढता है जिससे दोनों दलों को फायदा पहुंचे।

श्री अनिल बसुः माननीय सभापति महोदय, श्री शरद यादव ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था लेकिन अब उन्हें किसी अन्य मंत्रालय में भेज दिया गया है।

श्री सुबोध मोहितेः लेकिन सरकार एक सतत प्रक्रिया है।

श्री अनिल बसुः वे केवल विधेयक पारित करवाने के लिए इसका संचालन कर रहे हैं लेकिन यह विधेयक श्री शरद यादव ने उस समय पुरःस्थापित किया था जब वे नागर विमानन मंत्री थे।

श्री सुबोध मोहितेः विधेयक किसने पुरःस्थापित किया, यह बात अनावश्यक है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कौन विधेयक पारित करवा रहा है क्योंकि सरकार एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि इस बिल को दोनों के लिए अर्थात् यात्रियों और वाहकों दोनों को फायदा होगा। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यहां परिवहन के तीन साधन हैं। पहला, सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन तथा तीसरा विमान परिवहन। रोड और रेल तो डोमेस्टिक लेविल पर हैं या डोमेस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन इण्टरनेशनल लेविल पर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट है और वह केवल इण्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है। यह बिल जो लाया गया है, यह देश के लोंगर इण्टरैस्ट में लाया गया है इसलिए मैं श्री शाहनवाज हुसैन को इसके लिए खासकर धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद देता हूं तो उसको जस्टीफाई भी करता हूं। यह मेरी आदत है, क्योंकि सिर्फ धन्यवाद देने से वह मीनिंगलैस हो जाता है। मैं इन्हें धन्यवाद किसलिए दे रहा हूं, उसका स्पष्टीकरण भी आपके सामने रखता हूं। एक तो यहां पर बैनीफिट्स डिराइव्ड हो रहे हैं, इस विधेयक से दो तरह के फायदे होंगे। पहला ठोस फायदा होगा—टेंजीबल बैनीफिट्स मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि ग्लोबल एरिया में विश्व एक गांव बन गया है और राष्ट्रों के बीच कोई सीमा नहीं है। इसलिए टेंजीबल बैनीफिट्स में बैनीफिट न. एक इण्टरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन की स्पिरिट को ओनर करने का काम श्री शाहनवाज हुसैन जी ने किया है। बी-बाइलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट के ऑब्लीगेशन को फुलफिल करने का काम श्री शाहनवाज हुसैन ने किया हैं। ईंधन की लागत कम करने के कारण वाहकों को सीधा लाभ हैं। इस ऑब्लीगेशन का इसमें बैनीफिट दिया है। आप जानते हैं कि टैक्नीकल वर्ल्ड में सेवा की लागत तीन तत्वों से निर्धारित होती है। पहला ईंधन, दूसरा श्रमशक्ति तथा तीसरा निर्धारित लागत है फ्यूल में जो बिल लाया गया, वह फ्यूल एण्ड लुब्रीकेंट्स के लिए है और मैनपावर में हम सैलरीज की बात करते हैं, जो आज सबसे बड़ा हार्ट इश्यू है। पांचवां, मूल्यह्रास तथा ब्याज है जो निर्धारित लागत है। यह जो टेंजिबल बेनिफिट है, दूसरा जो इनटेंजिबल बेनिफिट है, वह सबसे बड़ा बेनिफिट है। यह ओवरआल रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा है, जो रेवेन्यू हम जेनरेट कर रहे हैं। ईंधन की लागत कम करने से राजस्व अर्जित होगा। मेरे विचार से किराया कम करने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि यहां पर स्टेंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट है। दूसरा जो डायरेक्ट बेनिफिट है, फ्रीक्वेंसी आफ दि एयरक्राफ्ट्स बढ़ने से ट्यूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे देश में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंवैस्टर्स इंवैस्ट करने के लिए यहां आएंगे और तीसरा, अनिवासी भारतीयों का यहां आना निश्चित रूप से बढ़ेगा तीनों एक्टीविटीज में आप देखेंगे कि ट्यूरिज्म बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और एन.आई.आर. का आना-जाना बढ़ेगा। इससे डायरेक्ट इम्लायमेंट जेनरेट होगा। प्रधानमंत्री का यही मुख्य सपना है। शाहनवाज हुसैन जी प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम को भी फुलफिल करने जा रहे हैं, यह भी अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैंने इस बिल में दो एसोसिएट ग्रिवांसेज़ पाई हैं। मैंने स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ी है। उसमें दो प्रकार की ग्रिवांसिज हैं। जो डोमैस्टिक कैरियर्स हैं, जैसे जैट एयरलाइंस है, सहारा है या इंडियन एयरलाइंस है, उन्होंने कहा है कि हमें भी कंसेशंस चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए सिविल एविएशन मिनिस्टर होलेस्टिक व्यू लेकर इसको भी सेपरेटली कंसिडर करें, जैसा कि स्टेंडिंग कमेटी ने भी रिकमंड किया है। दूसरी शिकायत राज्य सरकार द्वारा प्रभारित बिक्री कर से संबंधित है। यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ओवरआल इंटरेस्ट में देखेंगे, अगर आप विश्लेषण करेंगे, एनलेटिक स्टडी करेंगे, कास्ट बेनिफिट करेंगे तो मेरे विचार से यह बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि इसका आंकड़ों की सहायता से विश्लेषण किया जाना चाहिए। यह भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है।

मैं समझता हूं यह बिल लाकर मंत्री जी ने देश की गरिमा और प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम किया है। हमारे इकॉनोमिक के सारे सेक्टर को बेनिफिट दिया जा रहा है, जैसा मैंने कहा कि ट्यूरिज्म को, उद्योग को और एन.आई.आर. को बेनिफिट देकर अप्रत्यक्ष रूप से हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। यह बिल बड़ा स्पेसिफिक है, इसके आने से मेरे विचार से इससे अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि होगी। प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ मैं समर्थन करता हूं। यह लांग टर्म और लार्जर इंटरेस्ट में लाया गया बिल है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देने के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, जो विधेयक यहां लाया गया है, उसको प्रथम दृष्टया में देखने से कुछ गड़बड़ लगती है। कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने इस बिल को पढ़ा नहीं है। इसमें शुरू में कहा है कि शिकागो में 7 दिसम्बर, 1944 के हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय विमानन से सम्बन्धित अभिसमय के अनुसरण में अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने के लिए। सन् 1944 में अंतर्राष्ट्रीय सिविल एवीएशन का एग्रीमेंट हुआ या कंवेंशन हुई। 58 बरस तक जो हुआ, टैक्स लिया गया, दिया गया, छूट दी गई, उसके लिए अब बिल लेकर आए हैं। सुबोध मोहित जी अपनी बात कहते हुए बड़ा धन्यवाद कर रहे थे।....*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा। यह 58 बरस बाद हुआ है। 1944 में एग्रीमेंट हुआ....*(व्यवधान)* माननीय सभापति महोदय, 1944 में एक समझौता हुआ था और यह विधेयक 58 वर्ष के बाद लाया गया है।

58 वर्षों तक उस समझौते का क्या हुआ, क्या व्यवहार हुआ, यह मूल प्रश्न है। इससे लागत है कि इसमें पेंच है।....*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आप हमारी तरफ इशारा करके कह रहे हैं। 58 वर्षों में क्या हुआ, यह आप उनसे पूछिए। आप दो साल सरकार में रहे, उस समय आपने इस विषय में कुछ किया हो, एक कदम आगे बढ़ाया हो या एक पन्ना पलट कर फाइल चलाई हो, तो बता दीजिए। हम कर रहे हैं, तो आपको धन्यवाद देने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपको धन्यवाद देना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: धन्यवाद तो हम देंगे, लेकिन इसमें पेंच है और वही मैं बता रहा हूं। बिल आया है, तो पास तो होगा ही। उधर से प्रो. रासा सिंह रावत जी कह रहे थे कि हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं। बीजेपी के लोग तो आंख मूंद कर समर्थन करते हैं और हम लोग समर्थन आंख-कान खोल कर करते हैं। सोच-समझकर समर्थन करते हैं।....*(व्यवधान)* वही भेद खोलना होगा। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप खराब काम कर रहे हैं या पहले वालों ने ठीक किया। मैं यह भेद खोलना चाहता हूं और यह आप पर आरोप है। सप्रैशन आफ दि फैक्ट भी कसूर होता है। बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा होना चाहिए था कि 1944 में समझौता हुआ था, लेकिन 58 वर्षों में इन कारणों से नहीं कर पाए। अब हम ज्यादा काबलियत दिखा रहे हैं। इसमें हेराफेरी है, वही भेद मैं खोलूंगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: सभापति जी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा कि मैंने इस बिल को बड़े ध्यान से पढ़ा है। 1944 में समझौता लागू हुआ था। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को भुगतान करती थी, जो सैल्स टैक्स लिया जाता था। अब इसको इस बिल के आधार पर लाए हैं। राज्य को आयल फील्ड एकाउन्ट से दिया जाता है। जब अन्तर्राष्ट्रीय समझौता होता है, तो उससे सरकार बंधी रहती है और वही सिलसिला चला आ रहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं यह नहीं कह रहा हूं, इस बिल के लाने से पहले तक उस समझौते का पालन हुआ या नहीं। पालन हुआ है। फिर यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों हुई? इससे लगता है कि राज्य सरकारों को जो मिलता था, उस हिस्से को मारने के लिए बिल लाए हैं। यदि राज्यों का हिस्सा मारने के लिए बिल लाए हैं, तो यह बहुत ही खतरनाक बात है। इस बिल में दावा किया है कि आर्टिकल 253 और शैड्यूल 7 के आइटम 14 के तहत इस अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करेंगे, इसलिए इस बिल को पास कर दिया जाए। वास्तव में यह बिल राज्यों के हक को मारने वाला बिल है। कहीं पर निगाहें, कहीं निशाना - इस बिल के माध्यम से आप राज्यों के हक को मारेंगे और कह रहे हैं कि आर्टिकल 253 और शैड्यूल 7 के आइटम 14 के तहत इस अन्तरराष्ट्रीय समझौते को लागू करके आब्लिगेशन पूरा करना है। इससे लगता है कि इसमें पेंच है। 58 वर्षों तक भी बिना विधेयक के वह समझौता लागू था।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। संसदीय स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि शब्द 'एयरक्राफ्ट' के स्थान पर 'फारेन एयरक्राफ्ट' किया जाये, जिससे विदेशी विमानों के लिए समझौता हो, लेकिन उस अनुशंसा को माना नहीं गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस संशोधन को क्यों नहीं माना गया? स्थायी समिति ने यह भी कहा था कि हम भरपाई कर रहे थे।

अब यह किस हिसाब से होगा, जब स्टेट का हिस्सा खत्म होगा। इसमें इन्होंने सन् 1994 में स्टेट को देना बंद कर दिया। माननीय मंत्री जी ने दावा किया कि स्टेट का हिस्सा खत्म करना है, इसलिए बिल लाना ही है। उसका हिस्सा तो बिना इस बिल के 1994 के खत्म है। ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में कहा गया है -

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]
''विभिन्न सहायिकाओं में कटौती और विलोपन के लिए साधारण नीति के भाग रूप यह स्कीम है।''

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा एक दिसम्बर, 1994 से बंद कर दिया गया। जब इन्होंने 1994 से बंद कर दिया कि स्टेट का हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी। जब बिना बिल के उसका हिस्सा खत्म हो गया था और 1994 में बिल कटौती का लागू किया। महोदय, आपने जेट एयरलाइंस का सवाल उठाया था। अखबारों में बातें छपी हैं कि इस सरकार के दो मंत्री उसमें हिस्सेदार हैं।....*(व्यवधान)* यह भी दावा कर रहे हैं कि हमारा टैक्स माफ हो जाये...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): कौन से मंत्री हैं। ....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): *....*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, इस बात को कार्यवाही से निकाला जाए, कहीं किसी मंत्री का कोई नाम नहीं छपा। इन्होंने एक मंत्री का नाम लिया है, यह बात ठीक नहीं है, इसे कार्यवाही से निकाला जाए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, यदि आपके पास सामग्री है तो माननीय मंत्री को दिखाइए। तब आप मुद्दा उठा सकते हैं। आप मंत्री महोदय के विरुद्ध अनिश्चित तौर पर मामला नहीं उठा सकते। आप मंत्री महोदय को बता सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। यदि आपको मंत्री महोदय के बारे में निश्चित रूप से नहीं पता है तो आप मामला नहीं उठा सकते हैं। आपको मंत्री के नाम के बारे में निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। इसके बाद आप मंत्री महोदय को सूचना दें और उन्हें उत्तर देने के लिए कहें। इसके बाद आप मामला उठा सकते हैं। अध्यक्षपीठ इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं यह भाग कार्यवाही-वृत्तांत से निकालता हूं क्योंकि आप झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं। मंत्रालय में कितने लोग हैं? इनकी संख्या लगभग 80 है। मैं यह भाग कार्यवाही-वृत्तांत से निकालता हूं क्योंकि यह अस्पष्ट है। यह निश्चित होना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री रामदास आठवले तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इतने बड़े आरोप नहीं लगा सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: वे प्रश्न पूछ रहे हैं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे दो मंत्रियों से एक ही प्रश्न किस तरह पूछ सकते हैं। आपने मंत्री का नाम लिया है। यदि आप मंत्री का नाम नहीं बता सकते तो हमें इस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से निकालना होगा। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मेरा कोई आरोप नहीं है। ....*(व्यवधान)* मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। महोदय, मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है, क्योंकि यह हमारे नये मंत्री हैं और इस विभाग को चला रहे हैं। इन्हें साजिश के तहत कुछ हेरा-फेरी करके फंसाने का काम हो रहा है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन्हें सावधान एवं सजग करूं।....*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: एक शायर ने सही कहा कि - ''हुए तुम दोस्त जिसके, आस्मां क्यों दुश्मन हो।'' आप जिस तरह की दोस्ती दिखा रहे हैं, उससे आप मुझे और संकट में डाल रहे हैं।....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम आपको संकट में नहीं डालेंगे, संकट से बचाएंगे। लेकिन जो भेद है वह भेद खोल देंगे तभी तो हर कोई सजग होगा। इसमें भेद है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें सवाल आया है, लॉ मिनिस्ट्री में सवाल उठा-

[अनुवाद]

''इंडियन एयरलाइन्स, जेट एयरवेज तथा सहारा एयरवेज जैसे घरेलू विमान कम्पनियां सरकार से समान लाभ मांग रही हैं क्योंकि बिक्री कर तथा अन्य शुल्क, ईंधन मूल्य पर 20 से 30 प्रतिशत के बीच होता है जो राज्य सरकार पर निर्भर करता है।''

[हिन्दी]

महोदय, यह बात खुल गई है, भेद खुल गया है। आपने जो उद्धरण दिया, वहां सवाल उठा था।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब मैं वहां बोल रहा था तो मेरा भाषण वहां अलग था। जब मैं यहां बैठा हूं तो यहां एक अम्पायर की भांति बैठा हूं। मैं यहां बोल नहीं सकता हूं।

....(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, हां। महोदय, जब आप एक संसद सदस्य के रूप में इस ओर से बोले थे तब आपने यह प्रश्न उठाया था। मैं आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न में खड़ा हुआ हूं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जेट एयरवेज के मालिक के साथ संबंधों के बारे में अखबारों में बराबर छप रहा है। इसे लेकर लोगों में गर्म चर्चा है। उन्हें आशंका है कि सरकार के दो-दो मंत्री उसमें हिस्सेदार हैं। इस कारण सारा पेंच है और या खेल चल रहा है। इसे साफ करने की जरूरत है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं। क्या विज्ञापन में दो मंत्रियों का उल्लेख है? यदि विज्ञापन में दो मंत्रियों का उल्लेख है तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा आप उसका उल्लेख नहीं कर सकते।

....(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह समाचार-पत्र में है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं। क्या यह विज्ञापन में है?

....(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह समाचार-पत्र में है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं। मैंने ध्यानपूर्वक वह विज्ञापन पढ़ा है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, यह एअरक्राफ्ट बिल है। यदि रघुवंश बाबू को कोई बात उठानी है तो अलग से उठा सकते हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आपने दो मंत्रियों के नाम देखे हैं। तब आप इसे उठा सकते हैं। यदि आपको दो मंत्रियों के नाम नहीं मिले तो आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते। खाली हाथ आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। आपके पास ठोस आधार होना चाहिए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़): सभापति महोदय, रघुवंश जी गलत सूचना हाउस में नहीं दे सकते हैं। *....(व्यवधान)* वह न्यूज पेपर की सूचना के आधार पर ऐसी बात उठा नहीं सकते हैं।....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं पता लगा रहा हूं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आपके पास कोई सामग्री है तो मुझे दिखाएं। तब आप यह मामला उठा सकते हैं। बिना किसी सामग्री के आप एक मंत्री पर आरोप नहीं लगा सकते।

....(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह नियम व्यक्तिगत आरोप के संबंध में है....*(व्यवधान)* मैं कोई पर्सनल एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं।

सभापति महोदय: व्यक्तिगत क्या है? साझेदारी व्यक्तिगत मामला है या अधिकारिक? यह व्यक्तिगत है, यह सरकारी साझेदारी नहीं है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अखबारों में ऐसी खबरें छप रही हैं और लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात पर सरकार को सफाई देनी चाहिए कि उनका कोई मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं है।....*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसी कोई बात अखबारों में नहीं

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]
आई है। यह बिना रैफ्रेंस दिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैंने पहले ही उस हिस्से को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया है क्योंकि आपके पास कोई सामग्री नहीं है।

....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः कृपया नियम देखें। व्यक्तिगत आरोप के संबंध में सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं है। 100 करोड़ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। देश और दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। आप मुझे सदन में यह बात बोलने से रोक नहीं सकते....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, एक मिनट रुकिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः आप मुझे भ्रष्टाचार का यह प्रश्न उठाने से नहीं रोक सकते। यह भ्रष्टाचार का प्रश्न है। अध्यक्षपीठ द्वारा भ्रष्टाचार का यह प्रश्न उठाने से नहीं रोका जाना चाहिए। एक मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में भागीदार नहीं बनना चाहिए और उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः क्या आप उस मंत्री का नाम बता सकते हैं?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः हां।

सभापति महोदयः लेकिन आपने उनका नाम नहीं बताया है

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप 'दो मंत्री' नहीं कह सकते।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः मैंने मंत्रियों का नाम नहीं लिया है। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। कृपया नियम देखें। मेरा द्वारा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया है....*(व्यवधान)* मैंने मंत्रियों का नाम नहीं लिया है।

सभापति महोदयः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, यदि आप व्यक्तिगत आरोप लगाना चाहते हैं....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं।

सभापति महोदयः आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। यदि आप एक मंत्री पर भ्रष्टाचार या कदाचार का आरोप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उठकर यह कह सकते हैं; 'देखिए, आप इस मामले में भ्रष्ट हैं।' आपके पास कोई सहायक सामग्री तो होनी चाहिए। बिना किसी सामग्री के आप एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकते हैं?

....*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, वह एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं; वह यह नहीं कह रहे हैं कि मंत्री भ्रष्ट हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः वह रिपोर्ट मुझे दिखाइए। क्या यह रिपोर्ट उनके हाथ में है?

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नहीं, उन्होंने मुझे किसी समाचार-पत्र की कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है।

....*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः आपने इस ओर से यह प्रश्न उठाया था। मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं....*(व्यवधान)* मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं और आपका समर्थन कर रहा हूं। आप यह प्रश्न पहले उठा चुके हैं....*(व्यवधान)* विपक्ष के संसद सदस्य के रूप में आपने यह प्रश्न उठाया था....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नहीं। तिरूनेलवेल्ली के संसद सदस्य के वक्तव्य को गलत उद्धृत न करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः आप यह प्रश्न उठा चुके हैं और अध्यक्षपीठ पर बैठ कर मुझे यह प्रश्न उठाने से रोक रहे हैं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: महोदय, यह आपके निर्णय को चुनौती दे रहे हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कोई भी अध्यक्षपीठ के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने निर्णय को चुनौती नहीं दी है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीयाः यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः एक मिनट रुकिये। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते?

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह मामला डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के भाषण से उठा है जिसमें उन्होंने मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों पर आरोप लगाया है। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्हें उनका नाम लेना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः वह केवल समाचार-पत्र की रिपोर्ट को उद्धृत कर रहे थे....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः समाचार-पत्र की वह रिपोर्ट कहां है?

....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वह केवल इतना ही कह रहे थे कि उन्होंने इसके बारे में एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट पढ़ी है। वह केवल एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट को उद्धृत कर रहे थे....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः वह समाचार-पत्र की उस रिपोर्ट को दिखाएं। उनके पास वह समाचार पत्र होना ही चाहिए। आपके पास अपने आरोप को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सामग्री होनी ही चाहिए। इस आरोप से मुक्त होना कोई आसान कार्य नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः यदि वे इसमें सम्मिलित ही नहीं हैं तो वे इसका संज्ञान क्यों लेते हैं?....*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाहः उन्हें इसे नकारने दें....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह सम्मिलित होने का प्रश्न नहीं है। मैं यह निर्णय दे चुका हूं कि यदि किसी संसद सदस्य के पास कोई सामग्री नहीं है तो वह आरोप नहीं लगा सकता। मैं उस हिस्से को निकाल चुका हूं। अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, उन्होंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाया है। एक संसद सदस्य एक सामान्य प्रकृति का आरोप लगा सकता है। इसके लिए किसी आंकड़े या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वह केवल एक सामान्य आरोप लगा रहे थे....*(व्यवधान)* उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया....*(व्यवधान)* वह केवल एक सामान्य आरोप लगा रहे थे....*(व्यवधान)* यह स्वीकार्य है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नहीं। एक मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने यह समाचार-पत्र में पढ़ा है। उन्हें वह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि इनके पास समाचार-पत्र की वह रिपोर्ट नहीं है तो उस मामले को कैसे उठा सकते हैं?

....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, उन्होंने एक सामान्य आरोप लगाया है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं आपको दूसरी तरह से बताऊंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णनः उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः एक मिनट रुकिए। जब आप किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाते हैं तो क्या आपके पास अपने कथन के समथन में कोई प्रमाण नहीं होना चाहिए? बिना किसी सामग्री के आप कैसे खड़े होकर यह कह सकते हैं, 'यहां देखो, तुम भ्रष्ट हो?' कोई ऐसा कैसे कह सकता है?

....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, उन्होंने यह नहीं कहा है....*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः उन्होंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इन्होंने कहा दो मंत्री हैं। अब यदि आप उन दो मंत्रियों का नाम बताने में असमर्थ हैं तो आपको 'दो मंत्री' की बात भी छोड़ देनी चाहिए।

....*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदय, क्या आप यह चाहते हैं कि वह उनका नाम लें?....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसके लिए भी उनके पास कोई सामग्री होनी चाहिए। यह भ्रष्टाचार का आरोप है।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आदर सहित आपके निर्णय का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ए.आई.ए.डी.एम.के. के एक प्रतिष्ठित सदस्य ने एक बार डी.एम.के. सरकार के दो मंत्रियों के विरुद्ध बिना कोई दस्तावेज या पत्र प्रस्तुत किए अनियमितताओं का आरोप लगाया था। अत: उसे भी कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: ए.आई.ए.डी.एम.के. के उस सदस्य ने उन मंत्रियों के नाम बताये थे और उन्होंने मामले की क्रम संख्या और धनराशि भी बतायी थी। कृपया इस मामले को खींचें नहीं। कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। उसे भी निकाल दिया गया है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया था....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उसे भी कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया था। अब, मैंने इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुना दिया है।

श्री दासमुंशी जी, आपने अध्यक्षपीठ के लिए बहुत ही असुविधाजनक स्थिति बना दी है। आप कृपया कार्यआही-वृत्तान्त देखें और अगर उसमें ऐसा कुछ है, तो आप आकर मुझे बताएं।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय ए.आई.ए.डी.एम.के. के एक विशिष्ट सदस्य ने कोई दस्तावेज दिखाए बिना डी.एम.के. सरकार के दो सदस्यों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संदर्भ में एक बार बताया....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उस सदस्य ने मंत्रियों के नाम बताये थे। यहां मंत्री का नाम बताने की हिम्मत उनमें नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्होंने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया।

सभापति महोदय: उस भाग को मैंने पहले ही कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया है।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): आप दूसरे भाग को भी कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दें।

सभापति महोदय: किस भाग को?

श्री सी. कुप्पुसामी: जिस भाग का उल्लेख श्री दासमुंशी जी ने किया है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, वह भाग जिसमें बिना किसी कारण के आरोप लगाया गया है, वह कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मेरी दरखवास्त है कि श्री रघुवंश जी को कान्टीन्यू कराया जाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह केवल व्यक्तिगत आरोप है।

सभापति महोदय: आगर कोई मंत्री भ्रष्ट है, तो क्या अपने लिए आवास का निर्माण करायेगा या जनता के लिए अस्पताल का। भ्रष्टाचार का मतलब है, व्यक्तिगत आरोप। यह व्यक्ति पर लगाया जाता है। अगर कोई मंत्री रिश्वत लेता है तो वह सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए नहीं करता।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं विधेयक के ओरिजनल सवाल पर बोल रहा था, मैं स्टैन्डिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस पर टू दि प्वाइंट बोल रहा था। लेकिन जब आपने अपनी सीट से एक मैम्बर के रूप में भाषण किया और सम्पूर्ण विपक्ष को आपने चुनौती दी कि इतने बड़े सवाल को विपक्ष के और लोगों ने नहीं उठाया तो उसी से मैं प्रेरित हुआ और विपक्ष के रूप में हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती की स्वीकृति के फलस्वरूप विभिन्न माध्यम से जो जानकारी मेरे पास आई है, उस सवाल को मैं उठाना चाहता हूं और मैंने वही उठाने का प्रयत्न किया। उसमें आप निश्चित ही नियम, कायदा की परिपाटी का अनुपालन करें। जहां नियम, कायदा भंग हो रहा हो, उसे आप रोकने का जरूर प्रयत्न करे। लेकिन जब मैं भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहूंगा तो उसे रोकने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि आसन सर्वोच्च है और आसन को निष्पक्ष रहना चाहिए। उसे इस तरह के किसी मामले में अपने को शामिल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदन को....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इसका इलजाम अध्यक्षपीठ पर मत लगाइये। जब मैं विनिर्णय देता हूं तो मैं निष्पक्ष रहता हूं। जब मैं वहां खड़ा होता हूं और अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करता हूं तो मेरे विचार अलग होते हैं। पीठासीन अधिकारी होने के नाते मैं निष्पक्ष हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह: ये विचार पहले ही कार्यवाही-वृत्तान्त में दर्ज हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: एक मैम्बर के रूप में मैं उसी व्यूज को, उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कोई नई बात कहने नहीं जा रहा हूं। जब एक मैम्बर के रूप में आप अपनी सीट से बोल रहे थे तो आपने विपक्ष को ललकार दिया और इस तरह की ललकार से हम लोग भी बाज आने वाले नहीं हैं। हम लोग सम्मुख मैदान में कुश्ती मारने वाले लोग हैं। नहीं तो यह मामला रोज-रोज उठ रहा है। आपने अभी कहा....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: किसी पर आरोप लगाना दो-धारी है। अत: ध्यान रखिए। अगर आज आप पर लागू होता है, तो कल उन पर लागू होगा। कोई अन्य विनिर्णय देने को मुझे मजबूर न करें। आज किसी के लिए असुविधाजनक हो सकता है और कल किसी के लिए सुविधाजनक भी हो सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह स्वाभाविक है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: विपक्ष को यह भी कहा गया कि रोज गुजरात-गुजरात इश्यु उठाते रहते हैं। लेकिन महोदय वहां दंगा नहीं रुक रहा है। हम लोग इसे बराबर उठाते हैं और यह कहते हैं कि गुजरात-गुजरात कर रहे हैं। लेकिन जेट एयरवेज का करप्शन का मामला विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है। आपने चैलेन्ज दिया है, आपने....*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: आपके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। आप घड़ी-घड़ी गुजरात की बात क्यों करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप कौन सी बात के लिए बोल रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप सदन का ध्यान किसी अन्य विषय की ओर क्यों आकृष्ट कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया)**:** आप लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप लोगों के पास और कोई विषय नहीं हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: पांडियन साहब अपनी सीट पर थे तो उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी और कहा कि विपक्ष जेट एयरवेज का जो करप्शन इश्यू है, उसको नहीं उठा रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, तिरूनेलवेल्ली वाले उस सदस्य ने विपक्ष को चुनौती नहीं दी थी। उन्होंने विपक्ष की ओर से कहा था।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उन्होंने उठकर पाइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन पर हम लोगों से जानना चाहा है, इसलिए हमने साफ किया और समझाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि सही बात की जानकारी हो जाए और इसीलिए सदन है। मैं माननीय मंत्री जी को सावधान करना चाहता हूं कि इसमें दो राजनीतिज्ञों का नाम आया जो कि बिग बॉसेज हैं और प्रभावशाली लोग हैं। यहां तक कि पी.एम.ओ. भी उसके प्रभाव में रहता है। इसलिए ये नए मंत्री सावधान रहें नहीं जो जरूर इनको जेट एयरवेज में इस तरह का कानून बनवाकर उसकी ड्यूटी वगैरह माफ करवाकर फंसा देंगे। इसकी हमें आशंका है इसलिए हमने सावधान करने की कोशिश की है। चूंकि भेद खुलने से आदमी खतरे से बच जाता है, वरना अंधकार में रहे तो वह खतरा रह सकता है। इसलिए सरकार उसमें स्पष्ट करे। कहीं से एकाध नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से आने की बातें अखबार में आई हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टैन्डिंग कमेटी की अनुशंसा आई है राज्य सरकारों का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए और उनके लिए सदन को एश्योर करना चाहिए और जो एनैबिंटग फार्मूला में फॉरेन एयरक्राफ्ट जोड़ने का है, इसी से सारा पेच है। स्टैन्डिंग कमेटी ने कहा कि फॉरेन एयरक्राफ्ट जोड़िए लेकिन फॉरेन शब्द नहीं जोड़ा गया। इससे पता चलता है कि

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]
डोमेस्टिक एयरफ्लाइट जो हैं, जिसमें जैट एयरवेज है, जिसके बड़े-बड़े लोग मालिक हैं, उसके चलते कहीं ऐसा कानून न हो जाए कि राज्य सरकारों को घाटा हो जाए और देश को घाटा हो जाए और वह सब पूंजीपतियों का कब्जा उतना ही नहीं, रिलायंस का भी है रिलायंस पैट्रो फर्म्स ऑफ ए.टी.एफ. मार्केटिंग प्लान-टर्बाइन फ्यूल्स के लिए 14000 करोड़ रुपये का कारबार है।

अपराह्न 4.03 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

इसीलिए बड़े-बड़े पूंजीपति और धनपशु लोग शोषण में लगे हुए हैं। इसीलिए हमने मंत्री जी को सावधान किया है कि ये धनपशु लोग हैं और इसमें बड़े-बड़े आदमी हैं। यह कहीं गड़बड़ न कर दें इसलिए सजग रहना चाहिए और यह खतरनाक विभाग है नहीं तो कहां-कहां हवाई जहाज की दुर्घटना होती है, आज भी चीन के समुद्र में एक जहाज गिर गया।....*(व्यवधान)* अभी इनके दो जहाजों को खतरा हुआ और एक्सीडेन्ट हो जाता जहां-तहां। इसलिए उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। पटना में एयर कार्गो का सवाल था उसका क्या हुआ। बिल के माध्यम से स्टेट के भी हित का सवाल है। स्टेट का टैक्स मारा जा रहा है, लेकिन उसकी भरपाई हो और साथ-साथ जो जनता का सवाल है, वहां एयर कार्गो बनाने का और पटना की लंबाई बढ़ाने का और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का विकास करने का भी मैं निवेदन करता हूं। हमने मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। सरकार भगवान महावीर की 2600 वीं जयन्ती बड़े शानदार ढंग से मना रही है और प्रधान मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, इसलिए भगवान महावीर के नाम पर वहां से निकटस्थ मुजफ्फरपुर के हवाई अड्डे का नाम घोषित किया जाए, उसको विकसित किया जाए और उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मैं स्पष्टीकरण के प्रश्न पर हूं। दो वर्ष पहले जब मैंने दो मंत्रियों श्री टी.आर. बालू और श्री मुरासोली मारन पर आरोप लगाये थे....*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम जी, अपने विषय पर बोलने के लिए मैंने इन्हें अनुमति दी है। कृपया आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, संसदीय प्रश्न के उत्तर के अनुसार सन टी.वी. ने वर्ष 1997 के दौरान 14 करोड़ रुपये आयकर दिया....*(व्यवधान)*

वर्ष 1998 में फिर 14 करोड़ रुपये दिये, और वर्ष 2000 में पुनः 14 करोड़ रुपये....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पांडियन जी, आप अपनी बात कह चुके हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: एक अन्य मंत्री की कम्पनी ने 28 करोड़ रुपये इंडियन बैंक को पिछले बकाये के रूप में दिये। मैं संख्या बता रहा हूं और यह मामले चेन्नई की ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लम्बित है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, यह संबंधित विषय नहीं है।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी इस विधेयक पर बोल सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। आप कृपया अपने स्थान पर जाएं।

....*(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, यह सच है। संसदीय प्रश्न को मैंने पढ़ा है। इसका उत्तर श्री यशवन्त सिन्हा ने दिया था। लिखित विवरण है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, नहीं, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन: यह असंसदीय प्रश्न नहीं है। यह संसदीय प्रश्न है। श्री यशवन्त सिन्हा, वित्त मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया था....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः श्री पांडियन जी, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः किस नियम के अंतर्गत आप इसे उद्धृत कर रहे हैं।

श्री पांडियन जी?....*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः यह सब कार्यवाही-वृत्तान्त में है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी जी।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें।

इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री पांडियन, कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा। आप कैसे बोल सकते हैं?

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा। आप कैसे बोल सकते हैं?

....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः श्री पांडियन, आप सभापति तालिका के सदस्यों में से एक हैं, और आप ही सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री अब्दुल्लाकुट्टी जो बोलेंगे उसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री पांडियन जी, आप सभापति तालिका के सदस्यों में से एक हैं, और आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। साथ ही मुझे उत्तरी केरल के लोगों की कन्नानौर में विमानपत्तन बनाएं जाने हेतु लम्बे समय से चली आ रही मांग का उल्लेख करना है।

केन्द्रीय सरकार ने विमानपत्तन बनाये जाने की आवश्यकता को सिद्धान्तः पहले ही मान लिया है।

सभापति महोदयः कृपया विधेयक के प्रावधानों पर आयें।

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टीः केरल सरकार ने कन्नानौर में एक विमानपत्तन बनाए जाने हेतु स्थान का चयन कर लिया है तथा भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यावाही भी प्रारंभ कर दी है। इस कार्य के लिए 12,000 एकड़ भूमि अधिसूचित कर दी गयी है। इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जानी थी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नए विमान पत्तन के लिए शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। खाड़ी के देशों में यहा के हजारों लोग कार्यरत हैं, प्रतिदिन विमान द्वारा यात्रा करते हैं। इतना ही नहीं एजलमलाई नौ सेना अकादमी इस प्रस्तावित स्थल के समीप है। यहां पर्यटकों का भी बहुत आना-जाना है। अतः पर्यटन के विकास की दृष्टि से भी यहां हर प्रकार भी सम्भावना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी]

विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंध इस संबंध में बहुत समय पूर्व किए गए समझौतों के अनुरूप है अतः हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, मंत्री जी वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) विधेयक 2000 लेकर आये हैं। मेरा कहना है कि शिकागो में 7 दिसम्बर 1944 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, तो आप यह बिल इतनी लेट क्यों लाये हैं?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: हम सरकार में लेट आये हैं।

श्री रामदास आठवले: आप यह बिल अच्छा लेकर आये हैं लेकिन हमारा कहना है कि इस पर 58 साल तक रुकने की क्या आवश्यकता थी? आप देश के व्यापार के माध्यम से या हवाई जहाज को स्ट्रैन्दन करने के लिए जो बिल लेकर आये हैं, वह बहुत अच्छा है लेकिन 58 साल बाद क्यों लेकर आये, यह भी एक सवाल है। इसका भी आपको उत्तर देना चाहिए। आपने कल कहा था कि 19 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए 1200 करोड़ रुपये और 12 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए 1900 करोड़ रुपये लगे। अभी आप जो 43 हवाई जहाज और खरीद रहे हैं, उसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये लगेंगे। मेरा कहना है कि अगर आप 19 हवाई जहाज खरीदेंगे तो उसके लिए 1200 करोड़ रुपये लगेंगे यानी एक हवाई जहाज की कीमत 85 करोड़ रुपये के करीब है। इसी तरह आपने आंकड़ें देकर कहा कि 43 हवाई जहाज खरीदने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये लगेंगे।....*(व्यवधान)* इसका मतलब यह हुआ कि एक हवाई जहाज की कीमत 224 या 225 करोड़ रुपये के करीब रहेगी। ये हवाई जहाज आपने 1993-94 में परचेज किये थे तो इन साठ सालों में एक हवाई जहाज का प्राइस 85 करोड़ रुपये से सवा दौ सो करोड़ रुपये हो गयी। मुझे लगता है कि इंडियन एयरलाईस कमेटी ने रेज्योल्यूशन तो पास कर दिया है लेकिन आज की स्थिति में इतने प्राइस कैसे बढ़ गये हैं, इसकी भी जानकारी देने की आवश्यकता है। इसकी जांच होनी चाहिए। आप माइनौरिटी के हैं, इसका हमें अभिमान है। उन लोगों को इसका अभिमान है या नहीं, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हमें इसका भी अभिमान है कि आप सिविल एवीयेशन मिनिस्ट्री को अच्छी तरह से चला रहे हैं। हमारा कहना है कि आप हवाई जहाज ऐसा चलायें जिससे गुजरात का दंगा बंद हो जाये। ....*(व्यवधान)* भावना जी कहेंगी कि आपको गुजरात के सिवा और कुछ दिखता नहीं है। आप जो बिल लेकर आये हैं, वह बहुत अच्छा है। हम इस बिल का सपोर्ट करते हैं और आपकी मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको इस मिनिस्ट्री से निकालने की कोशिश की गई तो मैं यहां से डटकर उसका मुकाबला करूंगा। यह मिनिस्ट्री आपके पास ही रहनी चाहिए। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि माइनौरिटी के होने के कारण इनको अभिमान है या नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि हमको गर्व है इसलिए तो हमने सबसे कम उम्र के शाहनवाज हुसैन जी को सिविल एवीयेशन मिनिस्टर बनाया है। आप क्या बात करते हैं।....*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है लेकिन चर्चा में कई सदस्यों ने इसका रुख बदलने की कोशिश की है। चर्चा तो टर्बाइन फ्यूल पर थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1944 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हम बंधे हुए हैं। दिसम्बर, 94 तक सरकार की तरफ से सबसिडी दी जाती थी, वह समाप्त हो गई। उसके बाद ऑयल पूल एकाउंट से यह सबसिडी दी जाती थी। मुझे खुशी है कि अभी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टर्बाइन फ्यूल के टैक्सों में कमी की है। अभी एक साथी ने कहा कि श्री चन्द्रबाबू नायडू जी ने टैक्स चार परसेंट कर दिये हैं।

हमारे यहां हवाई जहाज की यात्रा काफी मंहगी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एयर टरबाइन फ्यूल पर बिक्री कर बड़ी मात्रा में लगता है। इसलिए कई बार लोग शिकायत करते हैं कि दिल्ली से त्रिवेन्द्रम का दोनों तरफ का किराया •23,750 रुपये है और दुबई जाने का किराया 17,000 रुपये है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप क्या बोल रहे हैं? किराया 26,000 रुपये है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। ये सहमत नहीं हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप लोगों पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं....*(व्यवधान)* किराया ज्यादा है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन जी, यह ठीक नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः भावना जी, आप बैठिए....*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं। हमको उनसे सीखना है लेकिन वे जिस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, मैं सिर्फ रैफरैंसेज दे रहा था लेकिन वे शायद रैफरैंस को भी नहीं समझ पाए। मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा वे असैम्बली और पार्लियामेंट में रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि विदेश जाना ज्यादा सस्ता हो जाता है। मैं इसे रैफरैंस के तौर पर कह सकता हूं, हो सकता है किराए में कुछ रुपये ऊपर-नीचे का अंतर हो। जैसे दिल्ली-कोचिन किराए के बारे में हमें जो बताया गया, उसमें थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। मैं रैफरैंस के तौर पर कह रहा हूं और मुझे 23,750 रुपये बताया गया है जबकि दिल्ली से बैंकाक का किराया 17,000 रुपये है।

जो बिल लाया गया है, इसमें बहुत से सदस्यों ने अपनी बात रखी है। सौभाग्य से मंत्री के तौर पर मेरा यह पहला बिल है। यह मेडन बिल ही है और मैं पहली बार इस बिल को पेश कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मेरा एक्सपीरिऐंस सांसद के तौर पर नहीं है, पहली बार मंत्री के तौर पर है। मुझे उम्मीद है कि सारे वरिष्ठ सदस्य इसमें हमारा सहयोग करेंगे।....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णनः मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार सबसिडी देती थी, फिर आयल पूल एकाउंट से दिया जाता था। आयल पूल में भी घाटा हो रहा है। उसके बाद यह बिल लाया गया है। स्टैंडिंग कमेटी ने अपने कुछ सुझाव भेजे हैं और वे सुझाव वित्त मंत्रालय के पास भेज दिए गए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधे हुए हैं, इसलिए यह बिल लेकर आए हैं। इस पर कुल उड़ान का खर्च करीब 30 प्रतिशत पड़ता है और घरेलू उड़ान में ए.टी.एफ. का खर्च करीब 22 प्रतिशत, उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत है। ए.टी.एफ. पर विदेशों में जो 9,000 रुपये प्रति किलो लीटर तेल हमें मिलता है, अगर हम देश के अंतर लेते हैं तो यह 18,500 रुपये प्रति किलो लीटर मिलता है जिससे हमारा किराया बहुत बढ़ जाता है। यह ऐसा विषय हो सकता है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं।

हमारे सम्मानित सदस्यों ने विषय को बहुत जगह मोड़ा है। श्री पांडियन ने कहा कि उनके यहां फ्लाइट नहीं आती। जयपुर के सम्मानित सांसद भार्गव जी ने कुछ बातें कही हैं। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। आज देश के अंतर जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें एयर टरबाइन फ्यूल में जिस तरह टैक्स लगता है, राज्य सरकारें वे टैक्स लगा रही हैं। रघुवंश बाबू ने सवाल उठाया कि यह बिल सिर्फ फारेन के लिए है, इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है। इसमें हम एक संशोधन लाने वाले हैं। इसमें फारेन एयरक्राफ्ट अमैंडमैंट जोड़ा जाएगा। मैं अपने भाषण के बाद इसे फिर से लाने वाला हूं, डोमेस्टिक के लिए इस पर कोई हानि नहीं है। पटना में वैसे भी नेपाल एयरलाइन जाने की स्थिति में नहीं है। वहां का एयरपोर्ट रनवे इतना छोटा है कि जब भी रघुवंश बाबू जाते हैं तो हमें चिन्ता होती है हम बराबर उनसे कहते हैं कि आप हमें जमीन दिलवा दीजिए ताकि रनवे लम्बा कर दूं और आपकी यात्रा सुरक्षित रहे।

हमें भी रघुवंश बाबू से बहुत प्यार है। आप जानते हैं कि वे ऐसी कांस्टीट्वेंसी से चुनाव जीतकर आते हैं, जहां शान्ति के प्रतीक भगवान महावीर पैदा हुए, लेकिन रघुवंश बाबू के भाषण के बाद पता नहीं क्यों, अशान्ति हो जाती है। वे वैशाली से आये हैं और वैशाली पूरी दुनिया में शान्ति का क्षेत्र जाना जाता है। उन्होंने इसके अन्दर कुछ बातें उठाई हैं।

अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने भाषण के अन्दर बहुत से अच्छे इश्यूज उठाये हैं। उन्होंने जो कहा है, सरकार ए.टी.एफ. को डीम्ड एक्सपोर्ट में लाने पर विचार कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ए.टी.एफ. पर वैसे भी बिक्री कर का प्रस्ताव लागू नहीं होता है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसको डीम्ड एक्सपोर्ट में डाला जाये। अनिल बसु जी ने जो मुद्दे उठाये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने ज्यादातर मुद्दे इस तरह के उठाये हैं, जिनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि कल का क्वश्चन ऑवर कंटीन्यू हो गया है। उसी तरह के मुद्दे इसमें उठाये गये हैं। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं और आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहते हैं कि यहां की एयरलाइंस की यात्रा को हम अच्छा करना चाहते हैं और उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इसका किराया ज्यादा रहेगा, आम आदमी की पहुंच से यह बहुत दूर रहेगा। आज भी एयर इंडिया ए.टी.एफ. पर लगभग 90 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है। इंडियन एयरलाइंस ए.टी.एफ. पर लगभग 32 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है। इंडियन एयरलाइंस बिक्री कर पर 128 करोड़ रुपये खर्च करती है। एयर इंडिया का ए.टी.एफ. पर कुल खर्च करीब 930 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। इंडियन एयरलाइंस पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कुल खर्च करीब 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। इंडियन एयरलाइंस का जो ए.टी.एफ. पर घरेलू उड़ानों के लिए कुल खर्च लगभग 750 करोड़ रुपये है।

अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग तरह के टैक्सेज लिये जाते हैं, जो एक समान होने चाहिए। हमने कई राज्य सरकारों के

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। इस पर हमारी बातचीत चल रही है। केन्द्र सरकार पूरी तरह इस पर जागरूक है। सबसे पहले हम चन्द्रबाबू नायडू जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने टैक्स को घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है। हम और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि वे एयर टरबाइन फ्यूल पर टैक्स को अगर घटा दें तो उससे हमें काफी फायदा होने वाला है। मैं डिटेल में बताना चाहता हूं कि असम में टैक्स 22 प्रतिशत है, आंध्र प्रदेश में अभी-अभी चार प्रतिशत हो गया है। बिहार में रघुवंश बाबू कहते हैं कि ज्यादा फ्लाइट्स चाहिए, लेकिन वहां टैक्स 26 प्रतिशत है। चंडीगढ़ में 22 प्रतिशत है, दिल्ली में 20 प्रतिशत है, गोवा में 20 प्रतिशत है। गुजरात में 27 प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश में 20 प्रतिशत है। जम्मू-कश्मीर में 21 प्रतिशत है। इसी तरह कर्नाटक में 25 प्रतिशत है। सबसे ज्यादा केरल में है। केरल के साथी यहां पर बहुत बैठे हैं। कोचीन में अच्छा एयरपोर्ट बना है। वहां पर आप कई अन्तर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स मांगते हैं। हमने अपने आने के बाद वहां पर कई फ्लाइट्स दी हैं। कालीकट को भी बहुत इम्प्रूव किया गया है। कालीकट से हज की फ्लाइट भी पहली बार शुरू की गई है, उससे उस एरिया में काफी अच्छा संदेश गया है। जब मैं वहां पहली बार हज की फ्लाइट बोइंग 747-400 लेकर गया था तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथी वहां पर खड़े थे, उन्होंने हमारा अभिनन्दन किया था, क्योंकि पहली बार 50 साल पुरानी मांग को हमने पूरा किया था। वहां सबसे ज्यादा 39 प्रतिशत ए.टी.एफ. पर टैक्स है। हम बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह चन्द्रबाबू नायडू जी ने किया है, हालांकि उस स्टेट में भी प्राब्लम है। प्राब्लम तो सब स्टेट्स में है और कहां किसकी सरकार है, हमें इसे देखर निर्णय नहीं करना है। हमें तो एक ब्रोडर सोच रखनी है और सोचना है कि हवाई यात्रा को और सुविधाजनक कैसे बनाया जाये।

मैं कुछ मुद्दे, जो हमारे अन्य साथियों ने उठाये हैं, उनका भी जवाब देना चाहता हूं। जो मुद्दे इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं, उनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं।....*(व्यवधान)* तमिलनाडु में टैक्स 24 प्रतिशत है।

मुझे उम्मीद है कि पांडियन जी का वहां भी हमें सहयोग मिलेगा और इस टैक्स को कम करने के लिए वे हमारे साथ सहयोग करेंगे। हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, इस नाते सरकार यह बिल लेकर आई है। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें भाग लिया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहूंगा। उत्तर बंगाल की स्थिति से वे भलीभांति अवगत हैं। पिछले दस वर्षों से तीन विमान पत्तन, कूच बिहार, बालूरघाट और मालदा काम नहीं कर रहे और नये मुख्यालय, रायगंज ने भी नये विमानपत्तन की मांग की है। मंत्री महोदय को इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि जब तक दोपहर में बडोदरा से दिल्ली तक की विमान सेवा शुरू नहीं होती है, तब तक भूटान, सिक्किम और बंगाल के लोगों का दिल्ली से सम्पर्क स्थापित करना कठिन है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इन दो पहलुओं पर विचार करें तथा स्थिति का जायजा लें। इससे सिक्किम को तथा सिक्किम से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों, भूटान, बंगलादेश और पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन को भरपूर बढ़ावा मिलेगा।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: इस बिल से इन चीजों का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मैंने पहले भी कहा था। दासमुंशी जी और मैं एक ही क्षेत्र से आते हैं। हमारे दोनों के क्षेत्र आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने जो सुझाव दिया है, उस पर मैं गौर करूंगा। इसके साथ ही मैं सुबोध मोहिते जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें भाग लिया।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मुझे भी कुछ पूछना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब ये उत्तर दे रहे थे तो आप यहां नहीं थे और इन्होंने आपका नाम भी लिया था।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शिकागो में 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षरों के लिए बुलाए गए अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुसरण में, अन्य देशों के साथ भारत द्वारा किए गए करारों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1

[हिन्दी]

संशोधन किया गया: संक्षिप्त नाम और विस्तार

पृष्ठ 1, पंक्ति 8 और 9,-

''वायुयान (ईंधन और स्नेहकों पर करों और शुल्कों से छूट) अधिनियम, 2000'' के स्थान पर

''विदेशी वायुयान (ईंधन और स्नेहकों पर करों और शुल्कों से छूट) अधिनियम, 2002'' प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री सैयद शाहनवाज हुसैन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,-

''इक्यावनवें वर्ष'' के स्थान पर

''तिरपनवें वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री सैयद शाहनवाज हुसैन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.30 बजे

(तीन) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं-

''कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

सभापति महोदय, यह शुगर डेवलपमेंट फन्ड एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है, जो संसद में विचार करने के लिए लाया गया है। इस संशोधन विधेयक में तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात तो यह है कि चीनी के भंडार देश में भरे पड़े हैं, इसलिए एक्सपोर्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चीनी के अधिक भंडारण होने की वजह से उद्योगों को परेशानी होगी। यदि चीनी उद्योग को परेशानी होगी, तो किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हमने कोशिश की और कुछ इन्सैनटिव दिये। उन इन्सैनटिव्स से चीनी का एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। एकतरफ हमने ड्युटी लगाकर इम्पोर्ट को बन्द करने की कोशिश की और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। इससे लगभग 12-13 लाख टन चीनी ही एक्सपोर्ट हुई है। इससे अधिक नहीं हो पा रही है। शुगर डेवलपमेंट फण्ड में से हम चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है,

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री शान्ता कुमार]

उसको सब्सिडाइज करने का अधिकार लेने के लिए सदन में उपस्थित हुए हैं। इस बिल के द्वारा जहां भी चीनी मिलें हैं, जो चीनी एक्सपोर्ट करेंगी, उन चीनी मिलों द्वारा पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा, उसको सरकार सब्सिडाइज करेगी। विश्व के बाजार में अधिकतर देश चीनी को सब्सिडाइज कर रहे हैं, इसलिए हमारी चीनी बाजार में कम्पीट नहीं कर पा रही है। इस उद्देश्य से इसके अन्दर हम तरमीम करके उसको सब्सिडाइज करेंगे, ताकि एक्सपोर्ट में अधिक सुविधा हो सके।

महोदय, दो और संशोधन इस विधेयक के माध्यम से लाए हैं। शुगर डेवलपमेंट फण्ड में से इस समय हम माडर्नाइज करने के लिए और अन्य बातों के लिए लोन देते हैं। इस संबंध में भारत सरकार ने सिद्धान्ततः एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो मोलैसेस से इथ्नौल बनता है, वह पांच परसेंट पैट्रोल में मिलाया जाएगा। इस संबंध में अन्यान्य सारी औपचारिकतायें पूरी हो गई हैं। चीनी उद्योग को अधिक सशक्त करने के लिए बाइप्रोडक्ट प्रोडक्शन की अत्यधिक आवश्यकता है। इस दृष्टि से इस विधेयक में सरकार यह संशोधन लाई है कि हम शुगर डेवलपमेंट फण्ड में इथनौल बनाने के लिए चीनी उद्योगों को लोन देकर मदद करेंगे, ताकि इथ्नौल का प्रोडक्शन बढे। इथ्नौल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वह पैट्रोल में मिलाया जाएगा। इससे एक ओर चीनी उद्योग को फायदा होगा और दूसरी ओर हम पैट्रोल के इम्पोर्ट पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं, हमारा फारेन एक्सचेंज बचेगा।

तीसरी बात यह है कि चीनी उत्पादन से जो बगास पैदा होती है, उससे 3,500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। एक ओर इससे कोजनरेशन बिजली उत्पादन के खर्च में कमी आती है और दूसरी ओर यह एन्वायर्नमेंट फ्रेंडली है तथा बिल्कुल वेस्ट से बिजली पैदा होगी। इसलिए हम यह भी संशोधन लेकर आए हैं कि शुगर डवेलपमेंट फण्ड में से बिजली जनरेट करने के लिए चीनी उद्योगों को लोन दे सकेंगे।

महोदय, चीनी उद्योग को सशक्त करने के लिए, उनकी वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, बाइप्रोडक्ट्स प्रोडक्शन को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए और शुगर डेवलपमेंट फण्ड को उपयोग करने के लिए - ये तीन संशोधन लेकर सदन में हम उपस्थित हुए हैं। ये संशोधन चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक हैं और इसके द्वारा चीनी उद्योग के बाइप्रोडक्ट को बढ़ा कर इस उद्योग को और सशक्त कर सकते हैं।

मैं प्रार्थना करता हूं कि इन तीनों संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं संशोधनों का स्वागत करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी, श्री शांता कुमार के ये संशोधन प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं जो किसानों और चीनी उत्पादकों के हित में है।

यह उन बड़ी चीजों में से एक है जो माननीय मंत्री कर रहे हैं। किसानों के हित का ध्यान रख रहे हैं।

मैं बहुत समय से लम्बित पड़े इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह सरकार की ओर से चीनी मिलों को राहत देने के लिए, विशेषकर सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को राहत प्रदान करने का एक प्रयास है जो चीनी उद्योग के विनियंत्रण से उपजे संकट का सामना कर रहे हैं।

महोदय, विधेयक में प्रस्तावित नए प्रावधानों से उन चीनी मिलों को लाभ प्राप्त होगा जो केन्द्रीय सरकार के निवेश के बिना विद्युत उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे कर्नाटक राज्य में जामखंडी में एक सहकारी चीनी मिल है। कच्चे माल के रूप में खोई से ऊर्जा उत्पादन में यह अग्रणीय है। जामखंडी चीनी मिल पहले ही राज्य आपूर्ति ग्रिड को करीब 4 मे.वा. विद्युत की आपूर्ति कर रहा है। इसी प्रकार, दावनगिरि में भी एक चीनी मिल है। इस प्रकार ऐसी कुछ चीनी मिलें हैं जो विद्युत उत्पादन में सहयोग कर रही हैं।

इसी तरह, शीरे से निर्जल एल्कोहल बनाने वाली चीनी मिलों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी प्रशंसनीय है। पेट्रोलियम क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्र कमी तथा प्रदूषण घटाने की अधिकाधिक सजगता के साथ, ईथेनोल के साथ मोटर स्प्रिट के मिश्रण के विकास की नई प्रकृति उभर रही है जो निर्जल एल्कोहल का मूल पदार्थ है। इस नई तकनीक का प्रयोग व्यावसायिक आधार पर ब्राजील में किया गया है। भारत की भांति ब्राजील में भी एक बड़ा भाग गन्ने की खेती करता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राजील में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए खोई तथा निर्जल एल्कोहल के उत्पादन के लिए शीरे की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। भारतीय चीनी उद्योग, ब्राजील के चीनी उद्योग के अनुभव से लाभ उठा सकता है।

निर्यात मोर्चे पर भारतीय चीनी उद्योग के समक्ष मौजूद संकट के मद्देनजर निर्यात के लिए चीनी के परिवहन, आंतरिक पोत-परिवहन के व्यय के एक भाग को वहन करने का पिछला प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। संपूर्ण विश्व में चीनी की कीमतें गिरी हैं और भारत में भी चीनी के बहुत भंडार हैं जिसे कम लाभ पर भी विदेशी बाजारों में खपाना होगा। इसके लिए, निर्यात हेतु चीनी परिवहन पर राजसहायता के रूप में चीनी उद्योग को दी गई छोटी सी सहायता भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।

चीनी उद्योग को मिलने वाली इन राहतों का अंतिम लाभ उन गन्ना उत्पादकों को मिलेगा जिन्हें फैक्ट्रियों में गन्ने की आपूर्ति हेतु होने वाले भुगतान बिना अधिक विलंब के प्राप्त हो सकेंगे। चीनी उद्योग को ये प्रोत्साहन प्रदान कर सरकार को उद्योग द्वारा यह आश्वासन सुनिश्चित करना चाहिए कि वे गन्ने के आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री का, चीनी उत्पादकों की सहायतार्थ यह संशोधन प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करूंगा। सरकार को चीनी उद्योग की सुरक्षा तथा भारत के घरेलू चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकाधिक सुविधाएं व राजसहायता देनी चाहिए। सरकार को किसानों का कल्याण ध्यान में रखना होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं एक बात कहना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भुगतान उचित ढंग से किया जाना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। यह संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को और अपने प्रतिपक्षी मित्र को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने इस बिल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करके देश की बहुत बड़ी आवश्यकता को महत्व दिया है। चीनी की मिठास बीच में बड़ी कड़वी हो गई थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ अन्य प्रदेश हैं, जो गन्ना उत्पादक प्रदेश हैं। गुजरात गन्ना ज्यादा पैदा नहीं करता हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा पैदा होता है। गन्ना केवल एक कृषि उत्पाद ही नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि होने के कारण कह सकता हूं कि गन्ना किसानों का संरक्षक है, कमाऊ बेटा है और यह उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत है।

कुछ वर्षों पूर्व उत्तर प्रदेश के किसान यह नहीं जानते थे कि उनके घर की रोजी, घर का खर्च, घर की जरूरत गन्ने के अलावा और कहां से पूरी हो सकती है। गन्ने से उनकी सारी जरूरतें पूरी होती थीं और गन्ना जब बिकता था तब घर में शादी होती थी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहीं से निकलता था, मकान का निर्माण उसी से होता था। घर में जो जरूरत की चीजें होती थीं वे गन्ना बेच कर पूरी की जाती थीं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह था कि गन्ना 1992 में बिकता था और उसका भुगतान 1996 में मिलता था। 4-5 वर्षों तक उन्हें गन्ने की कीमत मिलती थी। वह गन्ना बेचते थे लेकिन उसकी कीमत उन्हें अदा नहीं की जाती थी, उनकी रकम पर ब्याज भी नहीं दिया जाता था। उनकी दुर्दशा यहां तक होती थी कि उन्हें कर्जा चुकाने के लिए अपने खेत तक बेचने पड़ते थे। वह खेतों में खड़ा गन्ना गिरवी रखते थे। उनकी इस तकलीफ के प्रति सहानुभूति तो अनेकों बार व्यक्त की गई। सदन में शोर हुआ, आवाजें उठाई गई और भी बहस हुई। मैंने कई बार देखा कि जब आधे-आधे घंटे तक इस पर विशेष चर्चा भी की गई लेकिन इसका कारगर समाधान नहीं निकाला गया कि जिससे उनके गन्ने की कीमत का निरन्तर भुगतान हो सके। 1982 में जब इस निधि की स्थापना की गई थी तब इसका दायरा सीमित था। केवल जिससे बाजार में चीनी के मूल्य को संतुलित रखने के उपाय निकाले जा सकें और जो चीनी मिलें किसी कारण नहीं चल पा रही हैं उन्हें चलाने के लिए कर्ज दिया जा सके, उनके आधुनिकीकरण के लिए कुछ मदद दी जा सके। अब तक गन्ने में निहित इस ऊर्जा का पता या तो देश को नहीं था, यदि था तो उसके प्रति कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था। ब्राजील में बहुत पहले से शीरे से एथनॉल बनना शुरू हो गया। वह केवल बनता ही नहीं था बल्कि अपनी जरूरत के अलावा दूसरों को बेचा भी गया लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया। गन्ने से केवल चीनी, शीरा और गुड़ निकलता है, हम इतना ही जानते थे। इतने तक ही सारी टैक्नॉलोजी आधारित थी। मैं माननीय मंत्री जो को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और गन्ने के उत्पाद को एक देश की जरूरत से जोड़ने का प्रयास किया। केवल चीनी ही नहीं है क्योंकि आज चीनी से बहुत लोग घबराने लगे हैं। हमारे तमाम मित्रों में ऐसे होंगे जो शूगर के नाम से घबराते हैं और विकल्प ढूंढते हैं कि शूगर के बदले दूसरी चीज मिल जाए जिस का वे प्रयोग करें। अब वह शूगर से इतना नहीं घबराएंगे। चीनी केवल मिठास ही नहीं देगी बल्कि ऊर्जा भी देगी। आज एथनॉल के द्वारा हम शीरे का सही उपयोग कर पाएंगे। अभी तक शीरे का उपयोग केवल अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था। वह वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहता था। उसकी कोई कीमत भी नहीं मिलती थी लेकिन आज जब एथनॉल बनेगा और जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 80 हजार करोड़ रुपए हम पैट्रोल पर खर्च करते हैं अगर पांच प्रतिशत एथनॉल मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उससे विदेशी मुद्रा की ही बचत नहीं होगी बल्कि हम एक विकल्प भी देश में निर्मित कर

[श्री चिन्मयानन्द स्वामी]

सकेंगे। हम जानते हैं कि तेल के दबाव में हमें किस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। तेल की धमकियों से हमें क्या-क्या झेलना पड़ता है? राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बार हम तेल के दबाव में आते हैं? तेल का विकल्प खोजने की कोशिश इस संशोधन से निकलती है। यह राष्ट्र को मजबूत करेगी।

आज दिल्ली में क्या दिक्कत है? दिल्ली में थ्री व्हिलर और बसों के किराए रातों-रात बढ़ गए। जो बच्चे दो रुपए में बस से स्कूल जाते थे आज वे पांच रुपए देकर जा रहे हैं। किराए इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि पर्यावरण की समस्या पैदा हो गई। आज देश के सामने बिगड़ता पर्यावरण भी एक समस्या है। सी.एन.जी. चलित बसों की कमी के कारण किराया बढ़ा क्योंकि पेट्रोल अथवा डीजल से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश प्रदूषित हो रहा है जिसे कम करने के लिये इस बिल के द्वारा एक रास्ता निकलता दिखाई पड़ता है। इससे जिस पेट्रोल में इथोनॉल मिलाया जायेगा, उससे जो उत्सर्जन होगा, उसमें कमी होगी। जो ज़हरीली गैस निकलेगी, उसमें कमी होगी, उससे वातावरण को शुद्ध रखने में मदद मिलेगी।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जहां-जहां चीनी मिलें होती हैं, गन्ना पेरा जाता है और उसमें से खोई निकलती है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं लेकिन सब कुछ उसमें होता है। हम उसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। प्राय: जो क्रेशर चलते हैं, वे ऊर्जा के परम्परागत इस्तेमाल से चलते हैं। चीनी मिलें इसके इस्तेमाल से ऊर्जा बना सकते हैं। इससे 3500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। हमने गैर-परम्परागत ऊर्जा में बहुत काम किया था। उसके लिये बहुत से स्रोत ढूंढे गये लेकिन इतना बड़ा स्रोत हमारे पास सुरक्षित है, यह हमें पता ही नहीं था। अगर खोई को बिजली बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाये तो 3500 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। आज इससे केवल 212 मेगावाट बिजली पैदा कर पा रहे हैं जोकि बहुत कम है। अभी 245 मेगावाट बिजली के लिये और प्रयास किया गया है लेकिन आर्थिक अभाव के कारण इकाइयां इनका उपयोग नहीं कर पा रही हैं। आज भी हम ऊर्जा उत्पादन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज चीनी मिलों के सामने आर्थिक संकट भी है। मेरे क्षेत्र जौनपुर में एक चीनी मिल है। यह चीनी मिल वर्षों से बीमार चल रही है और केवल 3-4 महीने ही चलती है। किसान अपना पूरा गन्ना नहीं दे पाता है। मैंने मंत्री जी से मिलकर प्रयास किया था कि उन्हें चीनी विकास निधि से पैसा मिल जाये ताकि वह चीनी मिल वर्तमान स्थिति से उबर सकें। उसका आधुनिकीकरण हो सके, यह साधन वे स्वयं जुटा सकते हैं, यदि यहां पर इथोनॉल बन सके तो वे तमाम सारी जरूरतें स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। इस चीनी विकास निधि विधेयक द्वारा अब उन्हें संरक्षण मिलेगा।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि चीनी विकास निधि में एक बात यह भी जोड़ी जानी चाहिये कि जैसे उनको आधुनिकीकरण के लिये, इथोनॉल बनाने के लिये, विद्युत बनाने के लिये कर्जा दिया जायेगा, मैं समझता हूं कि चीनी विकास निधि को यह जिम्मेदारी भी लेनी चाहिये कि चीनी मिलों को तकनीकी जानकारी देने के लिये जैसे इथोनॉल कैसे बनेगी, खोई या बगास से बिजली कैसे बनेगी-इसका अनुसंधान किया जाए और इस की जिम्मेदारी चीनी विकास निधि को लेनी चाहिये। इसके अलावा विकसित तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इस निधि को लेनी चाहिये। गाजियाबाद से मेरठ बल्कि देहरादून तक गन्ना क्रेशर बड़ी तादाद में होते हैं जिनके पास खोई या बगास होता है। मैं नहीं समझता हूं कि उनको छोड़कर हम ज्यादा काम कर पायेंगे। उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हम अंतर्राष्ट्रीय चीनी की कीमतों में भी कम्पीटीशन कर पायेंगे। चीनी मिलों को होने वाली अतिरिक्त आय का चीनी की उत्पादन कीमत पर असर पड़ेगा। आज हमारे चीनी गोदामों में एक करोड़ मीट्रिक टन चीनी पड़ी हुई है। हम उसे बाजार में नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि बाजार में चीनी की कीमत कम है और हमारी चानी की उत्पाद कीमत ज्यादा है। उसे कम करने के लिए आपने एक अच्छा कदम उठाया है जो चीनी का निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें अगर भाड़े में छूट मिले तो निश्चित रूप से वह चीनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचकर कीमतों को कम्पीट कर सकते हैं। हमारी चीनी की क्वालिटी अच्छी है लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण हम उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच नहीं पा रहे हैं। इस विधेयक से बहुत राहत मिली है।

इससे इस देश के लाखों किसानों को फायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश का 40 प्रतिशत किसान ऐसा है, जिसकी आर्थिक प्रगति केवल गन्ने और चीनी उत्पाद पर आधारित है। मैं समझता हूं कि इन तमाम किसानों के लिए यह संशोधन विधेयक एक वरदान साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री महबूब ज़ाहेदी (कटवा): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत समय के बाद यह संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक को लाने में बहुत देरी हो गई है। आप जानते हैं बीते वर्षों में यहां जो बहुत जोरों से चर्चा होती थी, वह किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की चर्चा होती थी। उसमें कपास, गन्ना और दक्षिण भारत में उत्पादित की जाने वाली तीनों चीजें होती थीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में चावल, गेहूं और चीनी ये तीनों चीजें बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती हैं। चीनी के आंकड़े अगर देखे जाएं तो देश में 20 मिलियन टन गन्ना पैदा

होता है। पिछले तीन सालों में इसका इतना अधिक उत्पादन हुआ कि कुल मिलाकर आपके पास सौ लाख टन चीनी हो गई, जिसे रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। उसके कारण हालत यह हुई कि इसके भाव गिर गये और इसे बेचने के लिए किसान खुले बाजार में गये। लेकिन फिर भी गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को चीनी नहीं मिलती है। उनके पास कार्ड्स भी नहीं हैं। कार्ड्स अब ऐतिहासिक चीज हो गई है। चीनी देश में बेचने के हालात नहीं है और बाहर की क्या हालत हैं। अगर निर्यात का हिसाब देखा जाए तो हमारे यहां जो उत्पादन पर खर्च होता है, उससे 20 प्रतिशत कम बाहर के उत्पादन के भाव हैं। बाहर के लोग जब देश में आकर चीनी बेचते हैं तो हमारे किसान मारे जाते हैं।

शांता कुमार जी आपको याद होगा यूनाइटेड फ्रंट सरकार में उस समय जो मंत्री थे, उस समय साढ़े चार सौ करोड़ रुपये सरकार का कर्ज मिल वालों के पास था। उस समय 250 करोड़ रुपये दिये गये। मिल वालों के ऊपर सरकार के अलावा दूसरे कर्जे भी थे। उस समय जो किसान गन्ना पैदा करते थे, उनकी बुरी हालत थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समस्तीपुर के पास रोसड़ा मैं खुद गया था। वहां मिल गेट के सामने गोली चली थी और उसमें एक किसान की जान चली गई थी। उसका कारण था कि किसानों ने जो गन्ना मिल को दिया था, उसका पैसा मिल के पास बकाया था। मिल उन्हें पैसा नहीं दे रही थीं। मिलों के ऊपर दो किस्म के कर्जे थे - इंस्टीट्यूशन का कर्जा, कोऑपरेटिव्ज का कर्जा और महाजन का कर्जा। जिसकी वजह से वे किसानों को उनका पैसा देने की स्थिति में नहीं थे और उसके कारण किसानों को खुदकुशी करनी पड़ी थी।

अगर चार चीजें ठीक से की जाएं तो यह हो सकता है। एक चीज यह है कि किसान का जो भी माल बिकेगा उसका समय से भुगतान होना चाहिए। दूसरी चीज है कि शीरे का भाव भी ठीक रखना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो वैसे भी किसान की खेतीबाड़ी कम हो गई है, बहुत सी मिलें बंद हो गई हैं। बंगाल में अहमदनगर और पलासी बंद हो रही है और यूपी में थोड़ी हैं मगर वह बंद हो जाएंगी। मैं लाभकारी मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर डोमैस्टिक प्राइस आप किसान को दे सकते हैं तो गन्ने का उत्पादन अधिक होगा और मिलें भी तरक्की करेंगी अगर आप और बायप्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ा नहीं सकते तो खाली चीनी उत्पादन करके आप बाहर के देशों में कंपीटीशन में अपनी चीनी को बचा नहीं सकते हैं, मिल वालों को बचा नहीं सकते हैं। एक बात पावर जनरेशन की हमने कही थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल अल्कोहल और इथनॉल आप बना सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री बना सकते हैं। मुझे बोलने में गर्व है, हमारे बंगाल में पहले पेपर इंडस्ट्री में बांस का प्रयोग होता था, मगर जो उत्पादन खर्च होता था, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आदि दूसरी जगह से यहां खर्च कम है। इसको कर सकें तो अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर पर हम ध्यान दे सकते हैं। आजकल हम कैमिकल्स पर नहीं जाते हैं। पार्टिकल बोर्ड्ज बना सकते हैं, पेपर बैग्ज़ बना सकते हैं और पॉलिथीन के हम वैसे भी खिलाफ हैं। ज्यादा से ज्यादा थर्मोकोल हो सकता है। अगर इसकी तरक्की हम नहीं करेंगे तो चीनी उद्योग को बचाना मुश्किल है।

महोदय, इस विधेयक में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं मगर सिर्फ लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर बाय प्रोडक्ट्स का डैवलपमेंट आप करेंगे, कर्जा खत्म हो जाए, यह बात करेंगे तो अच्छा होगा। शुगर डैवलपमेंट फंड के लिए आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सिर्फ बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर जिम्मेदारी न छोड़े। सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और एग्रीकल्चर और दूसरी जगह जो फंडिंग की है उसमें और भी ज्यादा फंडिंग करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा करेंगे, तो इससे रीजनल एंड डाउन स्ट्रीम डैवलपमेंट होगा, एम्प्लायमेंट मिलेगा, किसान, मिल मजदूर और खेत मजदूर सभी लोगों को आगे बढ़ाने के अवसर पैदा होंगे। इससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हकीकत में जैसा संशोधन किया जा रहा है उसके अनुसार काम भी होना चाहिए। यदि माननीय शान्ता कुमार जी, जो इसके मंत्री हैं, वे यदि इस बारे में काम करके दिखाएंगे, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उन्हें बधाई दूंगा कि आपने वाकई काम कर के दिखाया है और इसे केवल कागजों में ही नहीं रहने दिया। मैं पुन: आपको इसके लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री, श्री शान्ता कुमार जी जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, उन्हें अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह समय की पुकार थी। मैं महाराष्ट्र से चुनकर आता हूं। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोले, मैं उनसे सहमत हूं। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तो पूरी अर्थनीति ही शुगर और शुगर इंडस्ट्री पर आधारित है। हमारे महाराष्ट्र की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसका आधार तो चीनी और चीनी उद्योग ही है, लेकिन महाराष्ट्र में 140-145 चीनी मिलों में से केवल 70 या 72 चीनी मिलें ही चल रही हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चीनी मिलें बीमार हैं, उन्हें चलाने के लिए कुछ अलग

[श्री सुरेश रामराव जाधव]
से सोचने और करने की जरूरत है और उनका सर्वेक्षण करा के उनको तेजी से चलाने की जरूरत है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इस बिल को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है। इसके क्लॉज 21एए में बिजली उत्पादन हेतु फंड से पैसा मिलेगा, यह दिया गया है। एक शुगर इंडस्ट्री में कम से कम 350 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। अगर सही मायने में इसके फंड का उपयोग होगा, तो शुगर इंडस्ट्री वाएबल हो जाएगी यह एक अच्छा सुझाव है। देश में बिजली की कमी है, अगर पावर बनेगी, तो जितनी शुगर इंडस्ट्री को पावर की जरूरत है, वह ले लेगी और बाकी बिजली जो सरप्लस होगी, उसे वह गवर्नमेंट को बेच देगी। इससे सरकार को बिजली के क्षेत्र में बहुत राहत मिलेगी।

शुगर डेवलपमेंट फंड के क्लाज 2(1) के ककक में लिखा है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल और एथानॉल के लिए पैसा दिया जाएगा। हमारा कहना है कि चीनी मिल्स में जो मोलसिस होता है, मोलेसिस ऐसा प्रोडक्ट है जैसे आजकल हिन्दुस्तान में डीजल और पेट्रोल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है।

सभापति महोदयः अब आप समाप्त करिये।

श्री सुरेश रामराव जाधवः सभापति जी, मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इस विधेयक के लिए केवल एक घंटा ही एलॉट हुआ है।....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधवः मुझे बोलते हुए अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमें एक घण्टे में समाप्त करना है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधवः सभापति महोदय, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिले हैं इसलिए मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिए। अंतिम क्लाज में लिखा है कि चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आयेगा, वह एस.डी.एफ. से दिया जायेगा। यह बड़ा क्रांतिकारी बिल है। अगर सही मायने में चीनी मिलों को आगे बढ़ाना है, गन्ना उत्पादकों के साथ सही मायने में न्याय करना है, गन्ना काटने वाले जो लेबर हैं, इम्प्लाइज हैं यानी शुगर मिल्स से संबंधित जितने भी लोग हैं, उन सबको इस बिल से फायदा होने वाला है, इस बिल से उनको राहत मिलने वाली है। मेरा कहना है कि गन्ना उत्पादक किसान रात दिन मेहनत करके अपनी फसल खड़ी करता है लेकिन बहुत बार ऐसी नौबत आई है जिससे उनको अपना गन्ना खेत में ही जलाना पड़ा। इस स्थिति को खत्म करने के लिए हमको कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं।

वर्ष 2001 तक शुगर डेवलमेंट फंड में 2600 करोड़ रुपये जमा हैं। आप शुगर मिलों को जो पैसा देने वाले हैं, उसके लिए एक कम्पलशन होना चाहिए कि शुगर की जो कीमत फैक्टरी तय करेगी, वही कीमत किसानों को मिलनी चाहिए जिससे उनको फायदा मिले। इसी तरह से जो गन्ना काटने वाले लेबर हैं, उनके पैसों का भी समय से भुगतान होना चाहिए। इसी तरह एफीशेंसी ऑडिट की व्यवस्था हरेक चीनी मिल से होनी चाहिए। एफीशेंसी ऑडिट का कोई तो प्रावधान होना चाहिए चीनी मिल्स से संबंधित लोगों को लाभ मिल सके। एक न्यायोचित कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की भी जरूरत है क्योंकि ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन चीनी मिल्स में नहीं है जिससे हरेक को न्याय मिल सके। मेरा कहना है कि चीनी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की आवश्यकता है।

इसको बजटरी सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अगर हम विदेश में चीनी भेज रहे हैं तो हमारी चीनी की क्वालिटी और उसके वहन के लिए बजटरी सपोर्ट देने की बहुत जरूरत है। एस.डी.एफ. फंड रिसर्च के लिए भी मिलना चाहिए। नई टेक्नोलौजी के लिए अगर सही मायने में चीनी विकास निधि का सदुपयोग हर चीनी फैक्ट्री करे तो भविष्य में हमारे देश का चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में कामयाब इंडस्ट्रीज हो जाएगी।

मैं शांता कुमार जी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि चीनी विकास निधि विधेयक लाकर उन्होंने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। इससे पूरे देश के किसानों, लेबर, इम्प्लाइज और पूरे देश की शुगर नीति को राहत मिलेगी।

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, हमारे पास केवल बीस मिनट बचे हैं, अभी दो-तीन सदस्य और बोलने वाले हैं और मंत्री जी का उत्तर भी होना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारे यहां की सब मिलें बंद हैं, हम जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं।

सभापति महोदयः आप यहां की व्यवस्था जानते हैं, इसलिए मैंने कहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मंत्री जी का शुगर डैवलपमेंट फंड, 1982 में संशोधन का प्रस्ताव है। स्वामी चिन्मयानंद साहब चले गए। जाधव जी कह रहे थे कि बड़ा क्रान्तिकारी और वैज्ञानिक काम हो रहा है। पहले से ही कुछ चीनी मिलों में बगास से बिजली का उत्पादन का काम किया जा रहा है। इसलिए यह पहले से वैज्ञानिक है।....*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह क्रान्तिकारी बिल है, गन्ना किसानों के लिए कौन सा क्रान्तिकारी कदम है, यह बताइए।....*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: शुगर डैवलपमेंट प्रोग्राम को यहां से पैसा मिलता है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: किसानों के फायदे के लिए सबको एकमत रहना है। एस.डी.एफ. से पहले पांच मामलों में लोन दिया जाता था। अब मंत्री जी जो प्रस्ताव लाए हैं, बगास से, इसमें खोई लिखा है, क्या यू.पी. में खोई कहते हैं—खोई से बिजली पैदा करने के लिए लोन दिया जाएगा। यह कल्पना की गई है कि उससे 3200 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। यह ठीक बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। फिर कहा गया कि शराब, स्पिरिट एल्कोहल बनाते हैं, उसके लिए भी लोन देंगे। इससे क्या समझा जाए। खैर, उससे इंडस्ट्री का विस्तार होगा, इसलिए इसे भी मान लिया। लेकिन इतना बनाने के बाद जो वेस्ट जाता है, जो नदी में बहा दिया जाता है, उससे पर्यावरण दूषित होता है। जिस नदी के बगल में मिल है, उस नदी में रस बहा देने से दुर्गंध हो जाती है।

यह भी अनुसंधान हुआ है कि रस से चीनी बनने के बाद जो गंदगी है, उसकी खाद बनती है तो इसमें खाद को क्यों नहीं जोड़ा? आपको जानकारी नहीं है? आपके सदस्य कह रहे हैं कि बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम है। हमारे यहां ऊझा चीनी मिल में हराबहार खाद बड़े किसान मांग करते हैं, वह भी जो गंदगी और वेस्टेज है, उसकी खाद भी बनाते हैं और वह खाद गन्ने और अन्य फसलों के लिए होती है। हमारा सुझाव है कि माननीय मंत्री उस पर भी विचार करें, जानकारी कर लें, समझ लें और वह आइटम बाई प्रोडक्ट सीधे रहता है कि बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए जो एस.डी.एफ. से लोन मिलेगा और तो उसमें सब आ जाता है, लेकिन बाई-प्रोडक्ट में इन्होंने दो का किया, बैगास का किया और उसका जो रस है, उससे जो शराब बनेगी, स्प्रिट या एल्कोहल या इथेनाल बनेगा, उसका इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन उसी से खाद बनेगी, उसका इसमें जिक्र नहीं है। फिर रूल में संशोधन हो सकता है तो रूल में संशोधन करके करें, यह हमारा सुझाव है, जांच-पड़ताल करके माननीय मंत्री जी विचार करें। यह कहा गया था, चूंकि देश में बहुत ज्यादा चीनी मिलें बन्द रही हैं, बन्द हो गई हैं, सिक हो गई हैं, हमारे यहां तो 15 चीनी मिलें बन्द हैं। माननीय मंत्री जी ने कृपया की थी और करीब दो बार बैठक हुई थी, राज्य के मंत्री भी आये थे कि उन्हें किस हिसाब से चालू किया जाये, चूंकि जिस एरिया में चीनी मिलें बन्द हो गई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र में भी जहां-तहां चीनी मिलें बन्द हो गई। अन्य राज्यों में भी यह बड़ी भारी समस्या है। वहां के किसान बड़ी तकलीफ में हैं। वहां जाने पर गन्ना किसान पहली समस्या कहते हैं कि मिल किसी भी हालत में चालू करवा दी जायें, लेकिन पुरानी चीनी मिलें हैं, 1930-32 की चीनी मिलें हैं, उनके माडर्नाइजेशन का एस.डी.एफ. में प्रावधान है लेकिन बन्द चीनी मिलों को रिहैबिलिटेट करने के लिए कहा गया है कि रूल 82 में परिवर्तन किया जायेगा।

[अनुवाद]

> "रुग्णता की संभावना वाली चीनी मिलों का पुनरुद्धार— सरकार रुग्णता की संभावना वाली चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु एस.डी.एफ. से कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चीनी विकास निधि नियम, 1983 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।"

यह कब होगा, आपने इसमें मूल रिपोर्ट में दिया है, हमने पढ़ा है और जो उद्धरण मैं दे रहा हूं, लेकिन इस बिल में आ जाता, मान लिया कि बिल में नहीं आया तो रूल में संशोधन होगा। रूल में भी संशोधन कब आयेगा, उसमें आपने क्यों नहीं दिया। चूंकि मैं अपनी पीड़ा से ग्रस्त हूं, हमारे एरिया में दो चीनी मिल हैं। मोतीपुरनी चीनी मिल बहुत मशहूर है। अब शुगर टैक्नोलॉजी मिशन खत्म हो गया। शुगर टैक्नोलॉजी मिशन की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसने दोनों चीनी मिलों के सम्बन्ध में जांच की थी। इनकी बहुत खराब कण्डीशन है, वह रिवाइव की जा सकती हैं, रिहैबिलिटेट की जा सकती हैं। उसमें 1200 एकड़ कीमती जमीन है, कुछ मशीनें भी हैं, लेकिन पुरानी मशीनें हैं। उसकी क्रशिंग कैपेसिटी 1200 टी.सी.डी. है। उसमें सुझाव दिया था कि इसका एक्सटेंशन किया जाये, इसकी क्रशिंग कैपेसिटी का विस्तार किया जाये, चूंकि अभी विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि चीनी मिलें, जो 2500 टन से कम क्रशिंग कैपेसिटी की हैं, वे वायबल नहीं हो सकतीं, लाभकारी नहीं हो सकतीं। अब लोग 5000 टन पर चले गये कि 5000 टन कैपेसिटी की जो आधुनिक चीनी मिलें हैं, 5000 टन पर डे अगर क्रशिंग कैपेसिटी उसकी होगी, तब वह वायबल होगी, इसलिए क्रशिंग कैपेसिटी के विस्तार के लिए माडर्नाइजेशन में एस.डी.एफ. में प्रावधान है, लेकिन सिक चीनी मिलों के लिए कम इण्टरैस्ट पर प्रावधान नहीं है। एक गुरऊ शुगर फैक्टरी हमारे यहां 1930 की है, उसकी 600 टन क्रशिंग कैपेसिटी है। माननीय मंत्री जी ने एक बार बैठक की थी। बिहार सरकार ने उसे आई.एफ.सी.आई. को दे दिया है कि आप इसको चालू करने के लिए प्राइवेटाइज करने के लिए काम करिये, चूंकि वह कारपोरेशन के अधीन है, पब्लिक सैक्टर में है।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

उसका निजीकरण करने की बात थी, लेकिन किसी हालत में चीनी मिल चालू हो जाए, इस पर उस बैठक में सहमति हुई थी। लेकिन दो बरस से एफ.सी.आई. वाले और राज्य सरकार दोनों के बीच पढ़ा-लिखी और नुक्ताचीनी हो रही है और किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। मैं मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ उपाय करना चाहिए, भले ही नियमों में संशोधन करना हो तो वह भी करके उन चीनी मिलों को रिहैब्लिटेट करें। स्टेंडिंग कमेटी ने भी अनुशंसा की है कि चाहे विभिन्न प्रकार की छूट दी जाएं किसानों के हक में उन चीनी मिलों को चालू किया जाए। इन मिलों के बंद होने से उनमें काम करने वाले मजदूर भी काफी बेचैन हैं और उनका भी इन मिलों पर बकाया हो गया है। किसान जो गन्ना पैदा करता है, उसको लेकर अगर वह दूर की चीनी मिलों में जाए, तो उसे आधे दाम मिलते हैं, फिर भुगतान की भी समस्या है। 2001 में चीनी मिलों पर किसानों का 242 करोड़ रुपया बकाया था। 2002 में तो और बढ़ गया होगा। इसलिए किसानों के भुगतान की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए।

शिव सेना के माननीय सदस्य जान जाएंगे तो अच्छा होगा कि चीनी मिल मालिकों को कितना फायदा हुआ है, क्योंकि उन पर मंत्री जी ने बड़ी कृपा दृष्टि की है। पी.डी.एस. में पहले ए.पी.एल. वालों को चीनी मिलती थी। जो मिडल क्लास में लोग थे या बी.पी.एल. के थोड़ा ऊपर ओअर मिडल क्लास के लोग थे, वे चाय वगैरह पीते थे इसलिए उनका कोटा की चीनी मिलती थी, जो बाजार से दो-तीन रुपए प्रतिकिलो सस्ती होती थी। लेकिन मंत्री जी ने उसको बंद कर दिया और कहा कि ए.पी.एल. वालों को कोटे की चीनी नहीं मिलेगी। बी.पी.एल. में आने वालों के लिए सरकार ने प्रति व्यक्ति 450-500 ग्राम चीनी का कोटा बढ़ा दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग चीनी का इस्तेमाल करने वाले थे, उनको तो चीनी देना आपने बंद कर दिया और जो लोग अनाज तक तो खरीद नहीं सकते, उनके लिए चीनी का कोटा बढ़ा दिया। पी.डी.एस. में लेवी की चीनी शुरू में 65 प्रतिशत ली जाती थी। जब चीनी मिल मालिकों की लाबी ने दबाव डाला तो उसको कम करके 40 प्रतिशत कर दिया। इस तरह कम करते-करते दस प्रतिशत पर ला दिया। लगता है कि वह भी खत्म कर देंगे। सरकार अपने खजाने से चीनी खरीदेगी और सरकार के खरीदने में कितना घोटाला होता है, यह सभी जानते हैं। इसलिए चीनी मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया गया, उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं हुआ। यह भी कहा गया चीनी मिलों से कि वे चीनी एक्सपोर्ट करें, इससे पैसा मिलेगा। 1999-2000 में 11 लाख टन चीनी का हमने आयात किया था। इस बार अभी तक करीब दस लाख टन से ज्यादा निर्यात किया है। निर्यात करने के लिए चीनी की गुणवत्ता भी जरूरी है। चीनी मिल मालिकों के लिए प्रावधान किया है कि वे एस.डी.एफ. से लोन ले सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। चीनी का निर्यात तभी हो सकता है जब विदेशों में गुणवत्ता वाली चीनी जाए। अपने यहां तो मिठाई बनाने वालों और बूरा बनाने वालों के लिए ही चीनी तैयार होती है, वह निर्यात नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, अब आप समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं अभी समाप्त करता हूं। चीनी एक्सपोर्ट में भी बहुत घोटाला होता है।

> "बी.एस.एम.ए, चीनी निर्यात में अनियमितताओं को रोकने के लिए कदम सुझा सकता है।" शुगर एक्सपोर्ट में घोटाला हो रहा है।

[अनुवाद]

महोदय, बी एस एम ए ने चीनी निर्यात बाजार में मौजूद कदाचार रोकने के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को पत्रों के रूप में सिफारिशों की एक श्रृंखला प्रेषित की है। आपको यह कहा है।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सरकार को किसानों के हक में ध्यान देना चाहिए कि किसानों को उनका बकाया भुगतान मिले और साथ ही चीनी उत्पादन बढ़े। जो चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक बैठक करके निर्णय लें, ताकि बन्द चीनी मिलें फिर से चालू हो सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप वही दोहरा रहे हैं। बहुत हो गया। आप सभापति तालिका में हैं और आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, आप जानते हैं, अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग कीमतें हैं। इससे बड़ा भारी उत्पात होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और

बिहार आदि राज्यों में अलग-अलग भाद तय होता है। इस ओर मंत्री जो को ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, वह किसानोन्मुखी नहीं है, लेकिन इसे पास कर दिया जाए, जिससे चीनी मिलों का सुधार हो।

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): माननीय सभापति महोदय, हम चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन चाहते हैं। खुले बाजार में चीनी की बिक्री पर नियंत्रित तंत्र अब उदार हो गया है। बाजार की प्रकृति आज देश के चीनी उद्योग को बना सकती है या उसे बिगाड़ सकती है। चीनी उत्पादन को लाभप्रद बनाए रखना और कृषकों के हितों की रक्षा करना आज समय की मांग है। इसलिए इस चीनी विकास निधि की प्रासंगिकता अब अधिक महसूस की जा रही है।

चीनी मूल्यों की स्थिरता के अलावा इस निधि से चीनी उद्योग के विकास का उद्देश्य पूरा होगा जिसके फलस्वरूप चीनी निर्यात को प्रोत्साहन मिल जाएगा। इस निधि से अंतर्देशीय भाड़े की भी व्यवस्था होगी। हमारी कृषि-अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हमारे योग्य एवं कर्मठ वित्त मंत्री तिरू मुरासोली मारन ने हाल ही में घोषित आयात-निर्यात नीति में इस पर प्रकाश डाला है। चीनी विकास निधि अधिनियम में संशोधन जैसे उनके कदम और उनके प्रयास चीनी उत्पादन बढ़ाने में सहायक वातावरण उपलब्ध कराएंगे।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य खोई से विद्युत उत्पादन करने तथा ईथेनोल व एल्कोहोल उत्पादन बढ़ाने का भी है जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। हमारी क्षमता 3500 मे.वा. है जबकि खोई के बिना हम केल 220 मे.वा. विद्युत का उत्पादन करते हैं जो बहुत ही कम है। यह कहा जाता है कि हम इन सालों में इसकी उपेक्षा करते रहे हैं। कम से कम अब से हमें विद्युत उत्पादन और आधुनिक विश्व की औद्योगिक वृद्धि के साथ-साथ चलना होगा।

सरकार द्वारा चीनी उद्योग को दिए जाने वाले उदार ऋणों राज सहायताओं तथा अन्य प्रोत्साहनों के दुरूपयोग को रोकने की देखरेख की जानी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो हुआ मैं उसे बताना चाहूंगा।

अपराह्न 5.29 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** पीठासीन हुए]

तिरू आरूरन शूगर्स नामक एक चीनी मिल वड़ापत्ति मंगलम में लम्बे समय से थी। इसे वहां से इस आधार पर हटाकर अन्यत्र हस्तांरित कर दिया गया कि यह अर्थक्षम नहीं है। किंतु रिपोर्टों के अनुसार सच्चाई इसके विपरीत है। लाभ को कारोबार में पुन: लगाने से बचने के लिए और सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इस चीनी मिल के प्रबंध मण्डल ने अपनी इकाई बंद कर दी। नन्नीलम कोल्लूमंगूडी की चीनी इकाई का भी यही हाल हुआ है। हजारों कृषि श्रमिक और सैंकड़ों फैक्ट्री-कामगार और उनके परिवार इन इकाईयों के बंद होने के कारण बहुत सी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसी भी कारणवश कोई चीनी मिल बंद न की जाए। सरकार द्वारा लेवी चीनी का भुगतान न करने के कारण कुछ चीनी मिलें वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। बकाए की भुगतान करोड़ों रुपयों में है। इससे गन्ना उत्पादकों पर भी असर पड़ा है। अब इन मिलों को गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसानों को करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।

इसलिए चीनी मिलों और किसानों से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान इस विधेयक को करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): माननीय सभापति महोदय, मैं चीनी विकास निधि संशोधन विधेयक, 2002 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चीनी कारखाने ज्यादा उत्पादन करते हैं, यह सदन को ज्ञात है। जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, वे बहुत दुखी हैं, इस बारे में सभी माननीय सदस्यों ने यहां कहा है।

महोदय, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में सुधार लाने के लिए मंत्री जी ने यह बिल रखा है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जो सिक चीनी मिलें हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। मैं सुझाव दूंगा कि जो बीमार चीनी मिले हैं, यद्यपि एसडीएफ का लोन देने का भी प्रावधान है, लेकिन महाराष्ट्र की

[श्री माणिकराव होडल्या गावित]

चीनी मिलों को अभी तक उस लोन का फायदा नहीं मिला है। इसलिए मैं इस तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निर्जल अल्कोहल या अल्कोहल से एथनोल का उत्पादन और उनकी जीवन-क्षमता को सुधारने के लिए जो संशोधन किया गया है, उससे कारखाने को जरूर लाभ होगा। निर्जल एल्कोहल, एथनोल के मोटर ईंधन से सम्मिश्रण के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देने में अपरिष्कृत तेल के आयात से विदेशी मुद्रा में सारभूत बचत होने की संभावना है - यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें एसडीएफ के लोन से जो सिक चीनी कारखाने हैं, केवल उन्हें ही एथनोल बनाने की इजाज़त रहेगी। हमारे महाराष्ट्र में 10-11 युवक एकत्र होकर, प्राइवेट कम्पनी बना कर, पैट्रो केमिकल की यूनिट चला रहे हैं। उन्हें इस चीनी विकास निधि का फायदा मिलेगा या नहीं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अल्कोहल से एथनोल बनाने की बात इसमें बताई गई है और चीनी कारखानों द्वारा लगभग 3500 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है, यह अच्छी बात है। लेकिन यहां जो बताया गया है, उस हिसाब से अगर यह सही ढंग से लागू होगा तो आज जहां बीमार कारखानों को फायदा होगा, वहीं गन्ना उत्पादक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यह जो चीनी विकास निधि संशोधन विधेयक लाए हैं, उसका फायदा चीनी मिलों को और किसानों को भी होगा, यह भी मैं मंत्री जी से आशा रखता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी): सभापति जी, माननीय मंत्री श्री शांता कुमार जी चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। संशोधन का उद्देश्य स्वयं ही स्पष्ट है। मैं अपनी ओर से और समस्त चीनी उत्पादन करने वाले किसानों और मजदूरों की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज चीनी उद्योग इस देश के लिए महत्वपूर्ण उद्योग बन रहा है। चीनी उत्पादन के क्षेत्र में यह देश अग्र-क्रम पर आया है। इस विधेयक के द्वारा मंत्री जी ने जो दो-चार बातें बताई हैं वह स्वयं में स्पष्ट हैं।

माननीय सभापति जी, हम यह भी जानते हैं कि चीनी उद्योग के अंतर्गत 500 से ज्यादा मिलें हैं जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा कोओपरेटिव्ज में हैं। पिछले सालों में माननीय मंत्री जी ने कोओपरेटिव्ज मिलों के पदाधिकारियों के साथ तथा इस उद्योग से जुड़े गणमान्य लोगों के साथ विचार-विमर्श करके आगे बढ़ने का प्रोग्राम किया है और उसी के बाद यह विधेयक आ रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो इथनोल की बात थी वह बीस साल से पैंडिंग थी। बीस साल की पैंडिंग फाइल निकाल कर, इस देश के चीनी उद्योग और किसानों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए, पांच प्रतिशत इथनोल पेट्रोलियम में मिक्स कर सकें, ऐसा प्रावधान करवायें। आगे 10 प्रतिशत से लेकर ब्राजील की तरह 24 प्रतिशत की ओर भी हम जा सकते हैं। इस क्रांतिकारी कदम के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सन् 1995 के बाद चीनी का उत्पादन बहुत हुआ है और इस सरकार के आने के बाद आयात-ड्यूटी लगाकर, जिससे बाहर से चीनी यहां न आ सके, सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। हम यह भी जानते हैं कि चीनी समृद्ध देश सब्सिडी देकर चीनी निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यह भी बताया कि बिहार में कई चीनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं। इन मिलों का उत्पादन खर्च कैसे कम किया जा सके, इसके लिए उनमें मॉडिफिकेशन कैसे कर सकें, इस विधेयक में इस तरह की सारी बातें आ रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोओपरेटिव्ज अपना काम अच्छा चला रही हैं। गुजरात में 100 प्रतिशत चीनी उद्योग कोओपरेटिव्ज में है। माननीय मंत्री जी से गुजरात क़ा एक डैलीगेशन अभी मिला था और माननीय मंत्री जी को उस वक्त भी उसने बतलाया और स्वयं माननीय मंत्री जी को भी जानकारी है कि इस वक्त चीनी उद्योग बहुत मुसीबतों से गुजर रहा है। देश का 20 प्रतिशत उत्पादन अगस्त-सितम्बर तक होगा और गोदामों में माल भरा पड़ा है और इस साल का भी पूरा उत्पादन गोदामों में है। गुजरात में 30 प्रतिशत उत्पादित माल गोदामों से बाहर है और मानसून के कारण उनको बाहर पड़े माल की चिंता है। हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो लेवी-शुगर का अनलिमिटेड कोटा राज्यों को दिया था, वे ले नहीं सके हैं और हमारा माल बाहर पड़ा है। इसलिए एक्सट्रा रिलीज देकर पर्मिशन हमको दे दी जाए-ऐसी प्रार्थना हमने की है।

स्टॉक रखने के लिए गोदाम, प्लांट मॉडिफिकेशन के लिए एथनॉल प्लांट के लिए जो लोन की जरूरत पड़ेगी, वह एसडीएफ से कम ब्याज पर और ज्यादा हफ्तों के लिए मिले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। एसडीएफ और एनसीडीसी जो लोन देता है उसमें गारंटी स्टेट गवर्नमैंट की लेता है लेकिन कई स्टेट्स में गारंटी मिल नहीं पाती है। जिन चीनी मिलों की स्थिति अच्छी है उनकी मिल्कियत लेकर और एग्रीमैंट करके उन्हें सीधे लोन दिया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो बिल लेकर आए हैं उससे चीनी मिलों से जुड़े किसानों, और मजदूरों और दूसरे सभी लोगों

को फायदा होगा। हमें ऐसा अनुभव उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला है। गुजरात में कई कोआपरेटिव मिलें हैं। वहां आठ मास में अच्छा मुआवजा मिल जाता है। कोजैनरेशन प्लांट से हम सौ प्रतिशत बिजली उत्पादन कर सकते हैं लेकिन पांच परसैंट ही बिजली उत्पादन कर पाए हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाए। एसडीएफ से लोन मिलने पर ही एथनॉल की बात, कोजैनरेशन की बात और निर्यात में परिवहन सबसिडी देने की बात पूरी हो सकेगी, हम इसमें सफल हो पाएंगे और देश के किसानों को उसका फायदा होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। चीनी उद्योग के विकास हेतु वित्त पोषण कार्यकलापों के लिए गन्ना विकास निधि अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया गया था। मैं, अब रखे गए संशोधनों का स्वागत करती हूं। मैं माननीय मंत्री से एक और संशोधन शामिल करने का अनुरोध करती हूं ताकि लघु सिंचाई कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शामिल किया जा सके। मानसून के न होने पर कृषकों विशेषकर गन्ना उत्पादकों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है और उन्हें बिना किसी जल संसाधन बहुत कठिनाई होती है। भारत में अधिकांश गन्ना उत्पादक लाखों हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं।

केवल यही नहीं, इस समय केवल गन्ना उद्योग ही खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन का रहा है। तमिलनाडु में सहकारी और निजी क्षेत्र में इस समय लगभग 19 गन्ना उद्योग हैं। प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सात हजार कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि वह ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह पूछकर पता लगाएं कि क्या गन्ना विकास निधि से इन निर्धन खेतिहर मजदूरों को सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है। महोदय, 31 मार्च, 2001 तक 2785.66 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए और 2566 करोड़ रुपये गन्ना विकास निधि को अंतरित कर दिए गए और इसमें से केवल 19.76 करोड़ रुपये अनुसंधान और विकास हेतु निर्धारित किए गए। भारत में लगभग 85 प्रतिशत किसान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। परन्तु, अभी भी हमने केवल कृषि उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि उप-उत्पादों, संबद्ध और सहयोगी उद्योगों के लिए ब्राजील से प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि ब्राजील के साथ परामर्श करने अनुसंधान और विकास कार्य के लिए एक विशेष दल गठित करें और हमारे ग्रामीण गन्ना उत्पादक किसानों की भूमि पर प्रौद्योगिकी को अंतरित करायें।

यद्यपि, हम तमिलनाडु की ओर से गन्ना विकास निधि में भारी राशि का योगदान कर रहे हैं परन्तु इसके बदले में हमारा गन्ना उत्पादकों को अत्यल्प राशि मिल रही है। कृपया हमारे अनुरोध पर विचार करें। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में आटोमोबाइल एककों के लिए ईंधन के रूप में ब्लेंडिंग एकक की स्थापना के लिए भारत सरकार को पहले ही लिखा है। हमारे पास सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। मैं आपसे उन आठ राज्यों में तमिलनाडु को प्रथम राज्य मानने का अनुरोध करती हूं जिनमें आपने एथनोल ब्लेंडिंग एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे पास अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। हमारे पास जनशक्ति है और इस सुविधा का लाभ उठाने की अभिवृत्ति है ताकि तमिलनाडु के लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

इस विधेयक में यह बताया गया है कि खोई का उपयोग करते हुए केवल चीनी उद्योग के द्वारा ही 3500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। क्या हम इसके लिए इच्छुक नहीं हैं और हम इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर रहे हैं कि गरीबी सर्वोच्च स्तर पर हैं? इस मामले में स्थिति दयनीय है। हमें अपनी दिशा और सभी प्रयासों को विद्युत उत्पादन की ओर केन्द्रित करना होगा क्योंकि इससे 3500 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है और अब तक हमने केवल 210 मेगावाट विद्युत का ही उत्पादन किया है और हमने 245 मेगावाट विद्युत के उत्पादन का प्रस्ताव किया है।

एक और बात गौर करने योग्य है। खोई अवशिष्ट से उत्पादन लागत परम्परागत विद्युत परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। मैं भी इस विद्युत परियोजना के बारे में अत्यधिक चिंतित हूं। अधिकांश राज्यों में बाधित विद्युत आपूर्ति के कारण यह उद्योग रुग्ण होता जा रहा है। और उन राज्यों, जहां भारत सरकार का एथनोल ब्लेंडिंग एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है, के संबंध में मेरा यह आग्रह है कि खोई का इस्तेमाल करते हुए, विद्युत परियोजना से सह उत्पादक के रूप में, उत्पादित विद्युत को पहले चरण में अन्य राज्यों में भी वितरित किया जा सकता है ताकि एथनोल ब्लेंडिंग एककों और विद्युत उत्पादन को जोड़ा जा सके, और राज्य सरकारें इन लाभों का उपयोग कर पाएंगी ताकि श्रमिकों, किसानों और देश का समग्र रूप से आर्थिक विकास हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

***श्री एम. दुराई** (वन्डावासी): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं।

हमारे देश में गन्ना उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्यों में से एक है। परन्तु अभी भी तमिलनाडु में गन्ना उत्पादक पिछले 20 माह से अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसा चीनी मिलों के पास लम्बित बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण है यह राशि खरीदे गये गन्ने के लिए अदा की जानी है। ऋण भार और गरीबी की दशा के कारण गन्ना उत्पादक गम्भीर रूप से प्रताड़ित हुए हैं। तमिलनाडु में केवल सहकारी क्षत्र की चीनी मिलों के पास ही गन्ना किसानों को देय लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इन उत्पादकों, जिन्होंने गन्ने के उत्पादन के लिए अपना पसीना बहाया है और कड़ी मेहनत की है, की स्थिति अच्छी और सुखद नहीं है। परन्तु उन्हें घोर संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत की मजदूरी भी नहीं मिल पायी है। चीनी मिलों से समय पर भुगतान न होने के कारण छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। उन्हें जीने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है और उनका जीवन दयनीय हो गया है। गरीबी, ऋणभार और हताशा से मजबूर होकर वे आत्महत्या का सहारा लेते हैं। अत: मैं केन्द्र से यह आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके गन्ना उत्पादकों को देय राशि उन्हें दिलाए।

इस निधि से गन्ना किसानों की समस्याओं को कम करने हेतु वित्तीय सहायता उदार ऋण अथवा अनुदान या राजसहायता के रूप देने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। चीनी उद्योग को दिए गए प्रोत्साहन से लाखों गन्ना-उत्पादन और खेतिहर मजदूर काफी हद तक लाभान्वित होंगे।

इस निधि में खोई से विद्युत उत्पादन बढ़ाने और शीरे से एथनोल का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो चीनी उद्योग का निरन्तर विकास करते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे। अत: यह कदम स्वागत योग्य है।

मैं, अपने संस्थापक नेता डा. एस. रामदास और पुत्ताली मक्काल काटची की ओर से इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं और इसके साथ अपनी मांग दोहराता हूं कि इस निधि का उपयोग गन्ना उत्पादकों के समक्ष समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाये।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं विद्युत उत्पादन के लिए खोई का इस्तेमाल करने के विचार का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरी एक आशंका है कि क्या चीनी मिलें इसलिए विद्युत का उत्पादन कर सकेंगी कि उनके पास उप-उत्पाद है। इस संबंध में बड़ा प्रश्न चिह्न है कि क्या चीनी मिलों के पास विद्युत उत्पादन की विशेषज्ञता है। यदि वे अपने पास उपलब्ध कच्चे माल से छुटकारा पाना चाहते हैं अथवा इससे आय का सृजन करना चाहते हैं तो संघ विद्युत उत्पादन करने और उन्हें इस उप-उत्पाद की बिक्री करने हेतु एक पृथक कम्पनी गठित करें। तब वे बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं। एक ओर तो सरकार निजीकरण और विनिवेश कर रही है और दूसरी ओर सरकार उन्हें ऋण देने का प्रस्ताव कर रही है। मेरे विचार से मंत्री जी यह जानते होंगे कि ऐसी अनेक चीनी की सहकारी मिलें हैं जिन्होंने अपनी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त ऋण का ब्याज तक नहीं चुकाया है। मुझे यह भी आशंका है कि क्या कच्चे माल की बिक्री अथवा विद्युत उत्पादन द्वारा अर्जित राशि वास्तव में गन्ना उत्पादकों को मिल पाएगी इस पर बड़ा प्रश्न चिह्न लगा है। यदि वे इससे छुटकारा पाना चाहते हैं अथवा यदि वे अपने पास उपलब्ध उप-उत्पाद से आय सृजित करना चाहते हैं तो चीनी मिलों के पास यह सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध है कि वे विद्युत उत्पादन के लिए एक पृथक कम्पनी की स्थापना कर सकती हैं और अपने उप-उत्पाद उनको बेच सकती हैं। यदि सरकार धनराशि अथवा ऋण देने के लिए अत्यधिक इच्छुक है तो इसे उस नई कम्पनी को प्रदान करें।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि चीनी मिलों द्वारा खोई का उपयोग करके 3500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इस क्षमता के बारे में मुझे आशंका है। मैंने राकेश मोहन समिति द्वारा तैयार की गई अवसंरचना विकास रिपोर्ट पढ़ी है। परन्तु मुझे यह याद नहीं कि मैंने कहीं भी यह पढ़ा हो कि इस उप-उत्पाद की वजह से इतनी व्यापक क्षमता उपलब्ध है और इससे इतनी अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। यदि यह बात वहां नहीं है तो मेरी आशंका और बढ़ जाती है। यह कहा गया है कि केवल लगभग 212 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र चालू किए गए हैं। मैं यह नहीं जानता कि वे कितनी विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। यदि सदस्यों को कम से कम विद्युत उत्पादन के लागत-लाभ अनुपात के बारे में बता दिया जाता तो बेहतर होता।

गुजरात में, ज्वारीय तरंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन की एक परियोजना थी। परन्तु यह कभी शुरू ही नहीं हो पाई। यह अब तक की सबसे महंगी परियोजना है। हमें इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में संभवत:, हमें ऐसी परियोजना सिर्फ इसलिए छोड़नी नहीं पड़ेगी कि यह अपेक्षाकृत महंगी है; हमारे पास विशेषज्ञता नहीं है और गन्ने की खोई जैसे जैव उत्पाद का इस्तेमाल करते हुए विद्युत उत्पादन व्यवहार्य नहीं होगा।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

तीसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार है। निःस्संदेह इसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है। परन्तु मैंने यह सोचा था कि इस चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक में गन्ना काटने वाले मजदूरों को शामिल किया जाएगा। मंत्री महोदय, आपने गन्ना काटने वाले मजदूरों दयनीय स्थिति देखी है। मैं महाराष्ट्र में अपने मित्रों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ऐसे हजारों मजदूर हैं जो भुसावल और धूलिया से गुजरात आते हैं। वे दयनीय स्थिति में जीवनयापन क़र रहे हैं। उन्हें उनके नाम से भी जाना नहीं जाता है। उन्हें 'कोयथा' के नाम से जाना जाता है। जो कि एक उपकरण है जिससे गन्ने की कटाई की जाती है। पिछले कुछ वर्षों तक उन्हें प्रति टन केवल 72 रुपये दिए जाते थे। वे सुबह पांच बजे अपना काम शुरू कर देते हैं। वहां कोई विद्यालय नहीं है। वहां रहने की स्थिति ठीक नहीं है।। उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई है। उन्हें नहरों अथवा इसके किनारे के पास केवल खुले मैदान में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। वस्तुतः उन्हें सब कुछ खुले में ही करना पड़ता है। उन्हें लघु 'कथन, ताडपत्ती' उपलब्ध करायी गई है। यह एक तरह का अस्थायी टेंट है। उन्हें ऐसी हलत में रहना पड़ता है। उन्हें एकांतता बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। फैक्टरियों द्वारा इनके बच्चों के लिए विद्यालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये फैक्टरियां भारी मुनाफ कमा रही हैं।

इस निधि में इन मजदूरों का कितना हिस्सा है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन मजदूरों को चीनी विकास निधि में शामिल किया गया है। गुजरात में हजारों की संख्या में मजदूर हैं।

उच्च न्यायालय को इसकी भर्त्सना करनी होगी। वस्तुतः उन्हें गुजरात में श्रमिकों और गन्ना श्रमिकों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी होगी। श्रमिकों का एक बड़ा भाग महाराष्ट्र से है। इसलिए वे इस चीनी विकास निधि के अंतर्गत कहां से आ गये?

मैं बस यही कहना चाहता था। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी इस बात को ध्यान में रखें। मैं चीनी मिलों के माध्यम से उत्पादन और विद्युत सृजन संबंधी दावे के बारे में अपनी कड़ी आपत्तियां पुनः व्यक्त करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह व्यवहार्य होगा या नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, जो विधेयक मंत्री जी लाए हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। बहुत कम समय में अपनी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

मंत्री जी ने बताया:

[अनुवाद]

"30.9.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी का अवशेष स्टॉक 100 लाख टन से भी अधिक था। चीनी की धारण लागत इतनी अधिक है कि इसका चीनी कारखानों को व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और इसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने के मूल्यों का समय पर भुगतान नहीं हो पाता।"

[हिन्दी]

आपने चिन्ता जताई है शुगरकेन ग्रोअर्स के बारे में, शुगर कारखानों के बारे में। एक कहावत है - देर आय दुरुस्त आयद। अगर यही चिन्ता आप पहले दिखाते तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी सीटें कम हुई हैं, वे न हुई होतीं। खैर, हम सब आपके इस कदम का स्वागत करते हैं।

सभापति महोदय, हमारे साथी जाधव जी ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि 12 लाख टन शक्कर का आपने निर्यात किया है, इससे ऑइल बिल भी कम होगा जो 80 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मैं केवल एक सुझाव देना चाहूंगा कि 15 प्रतिशत शक्कर का उत्पादन लेवी में नए कारखानों को-प्राइवेट हों या कोआपरेटिव हों, देना पड़ता है। यह जो लेवी कारखाने सरकार को देते हैं, जो शुगर कंट्रोलर है, जो रिलीज ऑर्डर देता है, उसके मिलने के बाद दे सकते हैं। रिलीज ऑर्डर समय पर नहीं मिलता है और इसके कारण जो कैरीओवर स्टॉक्स हैं कारखाने के, वह बढ़ते जाते हैं, उनका नुकसान बढ़ता जाता है। इससे लगभग 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल प्रतिमाह प्रति बोरा नुकसान कारखानों को हो रहा है। इसलिए आवश्यक है शुगर कंट्रोलर का जो पद है, या तो इसको आप पूरी तरह से समाप्त कर दें या उन कारखानों को छूट दें कि वे लेवी की शुगर जब देना चाहें, तब दे दें। ऐसे राज्यों में जिसमें मध्य प्रदेश भी है, जो बहुत ज्यादा शक्कर उत्पादन नहीं करते हैं, उनमें यह शुरू कर सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय, जैसे मध्य प्रदेश में 13 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है उसमें से 12,04,410 टन की हमारी पी.डी.एस. की मांग है। इस प्रकार से केवल 1 लाख टन या 95 हजार टन का फर्क रहता है। अगर आप हमें यह छूट दे दें कि हम इसको शुगर कंट्रोलर की इजाजत के बिना, अपने प्रदेश में उत्पादित चीनी को बेच सकें, तो हमारा सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट

[श्री लक्ष्मण सिंह]

इस 1 लाख या 95 हजार टन चीनी को एक महीने में बेच देगा और कैरीओवर स्टॉक से कारखानों को जो नुकसान होता है वह नहीं होगा।

महोदय, इस संबंध में मेरी एक शिकायत है कि मैंने नियम 197 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका उत्तर सुनने के लिए हम सभी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री प्रकाश बी. पाटील (सांगली): सभापति महोदय, शुगर डैवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, 2002 का सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसे कि एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव देने की बात इस विधेयक में कही गई है, मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर 272 डॉलर प्रति टन एक्सपोर्ट हुआ था। स्लोली-स्लोली भाव कम होते-होते 230 डालर तक आया था और अब 205 डालर में एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसा आपने कहा है कि ट्रांसपोर्ट सबसिडी देंगे, तो वह 10 डालर तक दी जाएगी। इस प्रकार से 10 डॉलर प्रति टन सबसिडी देंगे। इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन दिन प्रति दिन इंटरनैशनल प्राइस इतनी डाउन होती जा रही हैं जिससे उसे बहुत नुकसान पहुंचेगा और गन्ना उत्पादक किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए शुगर इंडस्ट्री को और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए क्योंकि भारत में चीनी उद्योग ने देश को पिछले 20 वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपए शुद्ध मुद्रा शुगर डैवलपमेंट फंड में दिलाई है।

महोदय, इस समय हमारे गोडाउन में 110 लाख टन का स्टाक है। हम प्रधान मंत्री जी से मिले थे और निवेदन किया था कि शुगर का 15 लाख टन का बफर स्टाक बनाना चाहिए। हमने कहा था कि हमारे देश में जिस प्रकार से अन्न का बफर स्टाक है उसी प्रकार से चीनी का बफर स्टाक भी होना चाहिए, लेकिन यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।

महोदय, विगत पांच वर्षों में हमने महाराष्ट्र और भारत में ज्यादा से ज्यादा शुगर उत्पादन करने के साधन मुहैया कराए हैं और ज्यादा से ज्यादा शुगर पैदा की जा रही है, लेकिन इसका फायदा किसान को नहीं हो रहा है। गन्ना और चीनी का भाव दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमने महाराष्ट्र में अधिकतम चीनी उत्पादित की है, लेकिन उसके लिए बायर्स नहीं मिल रहे हैं और उसके दाम दिनोंदिन कम होते जा रहे हैं।

महोदय, हमने महाराष्ट्र में कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों में तीन महीने एथनाल का उत्पादन शुरू कर दिया, लेकिन सरकार की ओर से कोआपरेट नहीं किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा खपत हो इसके लिए शुगर मिनिस्ट्री और पैट्रोलियम मिनिस्ट्री को मिलकर सहयोग करना चाहिए। हमारी 60 करोड़ लीटर की डिमांड है और हम महाराष्ट्र में 3 करोड़ लीटर एथनॉल बनाते हैं, लेकिन उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है।

सभापति जी, विद्युत उत्पादन के लिए जो धन देने की बात इस विधेयक में की गई है, वह अच्छी बात है। इसमें जो को-जनरेशन की सुविधा देने की बात कही गई है, वह अच्छी बात है, लेकिन इंडिया, गर्वमेंट ने जो आठ डिमांस्ट्रेशन प्रोजैक्ट लिए थे, उनमें से सात डिनाई कर दिए जिसके कारण वे बन्द पड़े हैं और एक रह गया है, वह भी आगे जाकर बन्द हो जाएगा। इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है और कोशिश यह होनी चाहिए कि केन्द्र सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रोजैक्ट ले, इस हेतु परस्यू करना चाहिए जिससे 3500 मेगावाट इलैक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके।

महोदय, ये जो प्रपोजल हम लाए हैं, ये 10 साल पुराने हैं। हमें इनके अलावा नए प्रोजैक्ट भी लेने चाहिए। जैसे बगास से एथनॉल बनाने का प्रोजैक्ट है, एथनॉल बनाने का प्रोजैक्ट है, डिटर्जैंट बनाने का प्रोजैक्ट है या इस प्रकार के अन्य प्रोजैक्ट हैं, उनको भी लेने के लिए इसमें इनकार्पोरेट करना चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए। गन्ना विकास के लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल दिए हैं, लेकिन वे सैंक्शन नहीं हुए हैं। उन्हें स्वीकृति प्रदान करने पर भी ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में 30 शुगर मिलें रिहैबिलिटेशन के लिए हैं जो बन्द पड़ी हुई हैं। उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा उपलब्ध कराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति जी, चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 में संशोधन करने के लिए मंत्री जी नया चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2002 लेकर आये हैं। भारत में गन्ने का उत्पादक बहुत बड़ी संख्या में होता है। अभी प्रकाश पाटिल जी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में 140-145 शुगर फैक्टरीज हैं जिनमें से कई मिलें बंद हो रही हैं। मंत्री जी इस वक्त यह बिल लेकर आये हैं। मेरा कहना है कि मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं और वे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। यह ऐसे मिनिस्टर हैं जो सोचते हैं कि इसे करना है तो वह उसे करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यह बहुत स्ट्रांग मंत्री हैं इसलिए हमें इन पर अभिमान है। बेशक आज वे उधर बैठे हैं।

आप चीनी कारखानों को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेन्थन करने के लिए लोन देने वाले हैं तो आप उस लोन पर क्या इंटरैस्ट

लेंगे? मेरा कहना है कि आज उनको विदाउट इंटरैस्ट कर्जा देने की जरूरत है ताकि शुगर फैक्टरीज आसानी से चल सकें। इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा जो कीमत शुगर फैक्टरीज गन्ने की कीमत की तय करे, वही कीमत किसान को मिलनी चाहिए ताकि किसानों को भी इसका फायदा मिल सके।

इसी तरह खेत में गन्ना तोड़ने वाले जो मजदूर हैं, उनके पे स्केल को भी फिक्स करने की जरूरत है। अगर आप कारखाने को चलाने के लिए लोन देने वाले हैं तो उस कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि शुगर फैक्टरीज में एस.सी.एस.टी. के जो लोग काम करने वाले हैं, ज्यादातर लोग गन्ना काटने वाले हैं, उनका भी इसमें रिजर्वेशन रहना चाहिए। श्री विखे पाटिल जी की भी एक फैक्टरी है। मेरा कहना है कि कानूनी तौर पर जब सरकार पैसा देती है तो एस.सी.एस.टी. का रिजर्वेशन भी उसमें होना चाहिए।

जब आप रिप्लाई दें, तब आप इसके बारे में जरूर अपने विचार रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप मंत्री पद पर रहने वाले हैं इसलिए हम आपसे अच्छा रिप्लाई चाहते हैं। हम इस बिल का समर्थन करते हैं। किसान को, खेत मजदूर को, गन्ना पैदा करने वाले मजदूरों, या शुगर फैक्टरीज चलाने वाले जो लीडर हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शुगर फैक्टरी न हो। मैं ही अकेला ऐसा एम.पी. हूं जिसकी कोई शुगर फैक्टरी नहीं है। मेरी कांस्टीटूएंसी में 14 शुगर फैक्टरीज हैं और वे फैक्टरीज अच्छी तरह से चल रही हैं। उनको चलाने वाले भी अच्छे हैं। यदि आप उनको भी सहयोग देंगे तो उससे और भी अच्छा फायदा हो सकता है। मैं आपके बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री शांता कुमार: सभापति जी, मैं सम्मानीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरे सदन ने इस संशोधन बिल का समर्थन किया है और समर्थन करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है और कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग है। भारत आज चीनी के सबसे अधिक उत्पादक देश और सबसे अधिक खपत वाले देश के रूप में उभरा है। लगभग पांच करोड़ किसान और अन्य लोग इस उद्योग पर आधारित हैं।

आज यहां बात कही गयी कि हम कुछ देरी से इस बिल को लेकर आये हैं। यह ठीक है कि एथनोल इत्यादि बात कही गयी कि हम कुछ देरी से इस बिल को लेकर आये हैं। यह ठीक है कि एथनोल इत्यादि बातों में कुछ विलम्ब हुआ, यह बहुत पहले आना चाहिए था। मैं आपसे सहमत हूं लेकिन इस उद्योग के संबंध में सरकार पहले से चिन्तित है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार चीनी उद्योग को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत से कदम उठा रही है।

सरकार ने इस इंडस्ट्री को डी-लाइसैंस कर दिया। लेवी की बाध्यता को 60 प्रतिशत से घटाते-घटाते 10 प्रतिशत कर दिया फ्यूचर फारवर्ड ट्रेडिंग के बारे में निर्णय ले लिया गया है। तीन एक्सचेंजेस आइडैंटीफाई कर दी, उनको अनुमति दे दी, फारमैलिटीज़ कम्प्लीट हो रही हैं और बहुत जल्दी शुगर में फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने वाला है। स्टॉक होल्डिंग लिमिट को समाप्त कर दिया। इस प्रकार के बहुत से प्रतिबंध थे जिनको हमने समाप्त किया है। शुगर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज हम बाय-प्रोडक्ट प्रोडक्शन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम लेकर आपके पास आए हैं। चीनी से संबंधित जो समस्याएं थी, उनके संबंध में सरकार को लगा कि हमारे पास काफी भंडार हो गया है। शुगर सर्किल टूट गया। पहले दो वर्ष उत्पादन बहुत अधिक होता था, फिर दो वर्ष उत्पादन कम होता था, अब किसान की मेहनत, लोगों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम यह है कि वह सर्किल टूट गया। अब निरंतर, चौथा वर्ष है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। इस परिस्थिति में हमें कुछ नई चीजें सोचनी थीं तो हमको लगा कि इसमें कुछ और चीजों की आवश्यकता है। सरकार ने क्वांटीटेटिव सीलिंग एक्सपोर्ट भी समाप्त की। ऐपीडा के साथ रजिस्ट्रेशन की शर्त थी, उसे भी समाप्त कर दिया। इसके बाद जो एडजस्टमैंट था, डैटरमैंट उसे भी 18 महीने का कर दिया। एक इनडायरैक्ट इनसैन्टिव एक्सपोर्ट के लिए डी.ई.पी.बी. बैनीफिट 5 प्रतिशत भी हमने दिया। ये सारी चीजें देने के बाद एक्सपोर्ट में कुछ वृद्धि हुई और जहां दिसम्बर, 2000 तक 2 लाख 11 हजार मी.टन का एक्सपोर्ट हुआ था, वहां 2001 में 2 लाख 11 हजार मी.टन से बढ़ कर 11 लाख 82 हजार टन का एक्सपोर्ट हुआ। यदि इसे वैल्यू में देखना हो तो पिछले वर्ष 274 करोड़ रुपये की चीनी एक्सपोर्ट हुई और इस साल बढ़ कर 1394 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें और अधिक एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है, इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सिक, बंद मिलों के बारे में चिन्ता प्रकट की है। उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही चीनी उद्योग को सशक्त करने की बहुत सी नीतियां सरकार बना रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में कुल 524 मिलें हैं जिनमें से सिक मिलें, जो बी.आई.एफ.आर. को रैफर हो चुकी हैं, 75 हैं, कोआपरेटिव्ज की 114 मिलें है, बिल्कुल बंद 99 मिलें हैं। यह चिन्ता का विषय है। इन सारी मिलों को रिवाइव करने के लिए भी सरकार के सामने एक विचार है। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे 1983 के एस.डी.एफ. रूल्स में

[श्री शान्ता कुमार]

[अनुवाद]

सरकारी चीनी विकास निधि संबंधी नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही

[हिन्दी]

हैं ताकि पोटैंशियली वॉयबल सिक शुगर मिल्स की हम मदद कर सकें। एक पैकेज तैयार हो रहा है जिसमें बंद मिलें, जिनमें रिवाइव होने का पोटैंशियल है, उनके रिवाइवल की रिकमैंडेशन हो गई है। उन मिलों को भी फिर से रिवाइव करने के लिए हम शुगर डैवलपमेंट फंड रूल्स में संशोधन करके इससे उनकी मदद करेंगे, यह प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

कुछ और बातें यहां माननीय सदस्यों ने रखी हैं। अगर हमें क्वालिटी शुगर एक्सपोर्ट करना है तो क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी। अन्य सुविधाएं देनी होंगी। कुछ सुविधाएं दी हैं, कुछ आगे भी देंगे लेकिन विश्व बाजार में हमारी चीनी की क्वालिटी बढ़िया हो, यह भी आवश्यक है। इस दृष्टि से सरकार ने एक निर्णय यह किया है

[अनुवाद]

कि आई.एस.आई. मार्का प्राप्त करने के लिए चीनी और चीनी उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरों की स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत शामिल किया जाये।

[हिन्दी]

यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने किया है ताकि विश्व के बाजार में हमारी चीनी की गुणवत्ता बढ़े और आई.एस.आई. मार्क उसको दिया जा सके।

यहां पर एक बात यह कही गई है कि एल्कोहल बनाने के लिए लोन दिया जायेगा, हम इथेनोल बनाने के लिए यह लोन देंगे, यह लोन एल्कोहल बनाने के लिए नहीं दिया जायेगा। मोलेसिस से एल्कोहल बनाया जाता है, उसे डिस्टीलरीज बनाती हैं। कोई नई डिस्टीलरी बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए एस.डी.एफ. से किसी प्रकार का लोन देने का प्रावधान नहीं है। इस एमेंडमेंट के द्वारा डिस्टीलरी के लिए कोई लोन नहीं दिया जायेगा। जहां डिस्टीलरी लगी है, वह यदि उसमें से इथेनोल बनाने का प्रयत्न करती है और उसमें से इथेनोल बनाने के लिए मशीनरी लगाना चाहती है तो हमारा जो लोन होगा, केवल इथेनोल बनाने के लिए होगा, एल्कोहल बनाने के लिए नहीं होगा।

मैं पुरानी मिलों के रिवाइवल का जिक्र कर रहा था, मैंने बिहार का भी जिक्र किया है। बिहार में 15 चीनी मिलें बन्द हैं। उस प्रकार का यदि कोई प्रपोजल बिहार सरकार की तरफ से आयेगा तो हम उस पर विचार करेंगे। अभी तक बिहार की तरफ से इन 15 बन्द मिलों को रिवाइव करने के लिए एस.डी.एफ. से किसी प्रकार की सहायता का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं आया है।

माननीय स्वामी चिन्मयानन्द जी ने एक बात यह कही कि टैक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए भी इसमें कोई प्रावधान होना चाहिए। इसमें ग्राण्ट देने का प्रावधान है, रिसर्च के लिए शुगर डेवलपमेंट फंड में यह प्रावधान पहले से ही है। इस समय तक हम लगभग 26 केसेज में 36 करोड़ रुपया रिसर्च के लिए सैंक्शन कर चुके हैं, यह प्रावधान है। रिसर्च के लिए ग्राण्ट दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। एक बात यहां यह कही गई है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोन दिया जायेगा, वह शुगर फैक्टरी या उस यूनिट को दिया जायेगा, जो शुगर फैक्टरी की होगी। किसी इंडिपेंडेंट कम्पनी को लोन नहीं दिया जायेगा, क्योंकि शुगर डेवलपमेंट फंड में पैसा शुगर इंडस्ट्री द्वारा ही एक सैस के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसका उपयोग शुगर इंडस्ट्री के द्वारा उनके लिए ही किया जा सकता है। हम इसका उपयोग उनके लिए ही करेंगे।

डा. वी. सरोजा ने एक बात कही कि केन डेवलपमेंट लोन इत्यादि इर्रीगेशन के लिए भी होना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एस.डी.एफ. के अन्दर केन डवलपमेंट लोन और इर्रीगेशन फैसिलिटीज के लिए, जैसे इन्सटालिंग ऑफ ट्यूबवैल्स, बोरवैल्स और लिफ्ट इर्रीगेशन के लिए देने का प्रावधान है। उसके लिए इसमें से लोन दिया जाता है।

मैं माननीय सदस्यों को बहस में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। 3500 मेगावाट बिजली का जो पोटेंशियल है, उसमें एक महत्व की बात यह है कि यह बिजली यदि बैगास से बनती है तो उसका खर्च कम आता है। एक मेगावाट पर लगभग 2.5 से 3.5 करोड़ रुपये का व्यय आता है, जबकि कन्वेंशनल बिजली पैदा करने में चार से पांच करोड़ रुपये का व्यय आता है। यदि 3500 मेगावाट बिजली हम बैगास से बनाते हैं, जो कन्वेंशनल बिजली के मुकाबले सस्ती पड़ती है तो देश को 4500 करोड़ रुपये की बचत होने वाली है। देश में बिजली की आवश्यकता है। अगले दस सालों के अन्दर हमें एक लाख मेगावाट बिंजली की आवश्यकता होगी, उसमें से 3500 मेगावाट बिजली केवल शुगर इंडस्ट्री पैदा कर सकती है।

आपने कहा कि यह सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन एक्ट बन जायेगा तो यह केवल कागज पर ही न बना रहे। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम तो बहुत जल्दी संशोधन लाना चाहते थे, पिछले अधिवेशन में संशोधन तैयार था, लेकिन पिछली बार समय के अभाव के कारण यह संशोधन नहीं आ सका। अब यह संशोधन होने के बाद इस सम्बन्ध में जो रूल्स इत्यादि बनने हैं, वे सारे रूल्स विभाग ने तैयार कर लिए हैं। हम इस पर बहुत जल्दी अमल शुरू करेंगे और इस संशोधन से शुगर इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिलेगी। इन तीन चीजों के कारण हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ेंगे और जैसा कहा गया कि दुनिया के अन्दर टैक्नोलॉजी है तो हमने तो सिर्फ पांच प्रतिशत इथेनोल मिलाने की बात की है।

ब्राजील में 20 से 24 प्रतिशत इथानोल मिलाया जाता है। इतना ही नहीं, वहां तो अब शुगर बायो प्रोडक्ट हो रहा है। उनको लगता है कि यदि विश्व में चीनी की मांग न रहे तो गन्ने के रस से सीधे इथानोल बनाया जाए। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, भारत जैसे देश में उसका बहुत बड़ा उपयोग होगा, क्योंकि बाहर से पेट्रोलियम पदार्थ मंगाने पर हमारा 80,000 करोड़ रुपये खर्च होता है। यदि गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है, उसके रस से सीधे इथानोल बनाने की टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करके काफी विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है और इससे शुगर इंडस्ट्री की वायबिलिटी बढ़ेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि जो किसान गन्ना पैदा करता है, उसका भुगतान समय पर नहीं होता है। समय पर भुगतान करने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। यहां तक भी कर दिया है कि यदि उसका बकाया है, उसकी अदायगी एज एरियर्स आफ लैंड रिवेन्यू हो गई है। यह हमने बहुत बड़ा निर्णय किसानों के हक में किया है। जब से यह निर्णय किया है, तब से बकाया की अदायगी होनी शुरू हो गई है। जब तक चीनी उद्योग स्वस्थ नहीं होगा, उसकी चीनी नहीं बिकेगी, निर्यात नहीं होगी और उनके पास धन नहीं आएगा, इस कारण वे समय पर बकाया की अदायगी नहीं कर पाएंगे। हमने जो इस बारे में किया है, उससे चीनी उद्योग स्वस्थ होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा। इथानोल की जो बात है, उससे चीनी उद्योग को बल मिलेगा।

इसके अतिरिक्त जो सुझाव आए हैं, चूंकि उनका इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं उन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके सुझावों पर सरकार विचार करके उचित कदम उठाएगी। आपने एकमत से जो समर्थन इस विधेयक पर दिया है इस नए रचनात्मक कदम के लिए, उसके लिए मैं सदन के सदस्यों का धन्यवाद भी करता हूं।

आपके समर्थन से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि आपने जो समर्थन दिया है, जो विधेयक पास हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने में देरी न हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके अमल में सरकार अतिशीघ्र कदम उठाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 15—साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001 पर विचार करेंगे।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अभी 6 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं, इस बिल को कल लिया जाए, क्योंकि सभी लोग इस पर बोलना चाहते हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि सभा की कार्यवाही रात्रि 8.00 बजे तक चलेगी।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

श्री रामदास आठवले: महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। हम इस पर चर्चा करने के लिए और समय चाहते हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: स्थायी समिति ने इसकी जांच की है और सिफारिश भी की है।....*(व्यवधान)* कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था।

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, इस पर कल सुबह विचार किया जा सकता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर सभा में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। हम इस पर कल विचार कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): अभी शाम के सिर्फ 6 बजकर 25 मिनट हुए हैं। हम रात्रि 8.00 बजे तक बैठ सकते हैं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया रुकिए, अभी तक और काम है। महासचिव सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

सायं 6.26 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

> ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

महोदय, मैं 8 मई, 2002 को राज्य सभा द्वारा यथापारित सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 सभा पटल पर रखता हूं।

सायं 6.27 बजे

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार, हम इस विधेयक पर अभी विचार कर सकते हैं। अन्यथा इस सत्र में हम सभा का कार्य पूरा नहीं कर सकते।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): इसमें बीमा कामगारों के हित निहित हैं।....*(व्यवधान)* इन विधेयकों पर इस तरह जल्दबाजी में विचार नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही विधेयक काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिये हमें इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए और समय चाहिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, हम चर्चा के लिए तैयारी करने के लिए समय चाहते हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, यह विधेयक लाखों बीमा कर्मचारियों से संबंधित है।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, हमें और समय चाहिए। इस पर कल विचार किया जा सकता है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि सभा की कार्यवाही रात्रि 8.00 बजे तक चलेगी।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: आपने कार्य मंत्रणा समिति के विचार व्यक्त कर दिए हैं। हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर कल विचार किया जा सकता है। हम इस पर गहन चर्चा करना चाहते हैं। इस विधेयक का विस्तार से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, इस पर कल विचार कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, आइटम संख्या 15 और 16 - जनरल इंशोरेंस और इंशोरेंस—एक साथ ले लीजिए।....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): नहीं, हमें इस पर आपत्ति है। दोनों बिल्स पर अलग-अलग बहस होगी, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। डिलिंकिंग सब्सिडियरीज से संबंधित है, इसलिए जल्दबाजी में पास नहीं करेंगे। माननीय सदस्यों के सुझाव भी आयेंगे।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक पर तीन घन्टे बहस होनी है। सभा की सहमति नहीं बन रही है और बीच में पंचायत यह हुई कि इसकी शुरूआत हो जाए और यह कल ही पास हो।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल को आज बोलने की अनुमति दी जाये। हम कल बोल लेंगे।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मधुसूदन मिस्त्री जी।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। हमारे समक्ष यह विधेयक अभी-अभी लाया गया है और हमने कोई तैयारी नहीं की है। इसलिए मैं कल बोलूंगा।

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक का काफी लंबा इतिहास है। जब इसे पहली बार पुर:स्थापित किया गया था तो मैंने इस विधेयक पर चर्चा के संबंध में दो कारणों से गंभीर आपत्ति उठाई थी। पहला, यह विधेयक कार्यकारी आदेश द्वारा इस सभा के विचारार्थ लाया भी नहीं गया था, सरकार ने मेरा अभिप्राय वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग से है - नियंत्रक कंपनी अर्थात भारतीय साधारण बीमा निगम लि. की चार अनुषंगी कंपनियों - ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को अलग-अलग करने की प्रक्रिया क्रियान्वित कर दी थी। राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने इस बात की कड़ी आलोचना की, खैर, उसका एक अलग किस्सा है। फिलहाल, मैं उन मुद्दों की गहराई में नहीं जाऊंगा।

महोदय, जब बीमा क्षेत्र में को खोले जाने संबंधी विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो उस समय मैंने इस विधेयक का यह कहते हुए विरोध किया था कि भारत सरकार द्वारा सुधारों के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर उठाया जा रहा यह एक विनाशकारी कदम है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होगा क्योंकि इससे हम राष्ट्रीयकरण से पूर्व के दौर में पहुंच जाएँगे जब सार्वजनिक धन और राष्ट्रीय बचत का मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा था। बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण एक सही कदम था और उसके पश्चात इस क्षेत्र ने देश के आर्थिक विकास में बड़े पैमाने पर अपितु कहना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से योगदान दिया। यहां तक कि नौवीं योजना के दौरान इस देश में अवसंरचना और विभिन्न अन्य योजनाबद्ध विकासात्मक गतिविधियों हेतु एक लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए, लेकिन फिर भी, समाज के विभिन्न वर्गों, विधि वेत्ताओं अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संघों और यहां तक कि बीमा क्षेत्र के प्रबन्धन की अंतरात्मा की आवाज को नकार कर उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। जिस समिति ने इस विधेयक की जांच की थी मैं उससे सम्बद्ध था और उस समय मैं अपना विसम्मत टिप्पण देने के लिए बाध्य हो गया था जिसे कुछ सदस्यों ने पढ़ा भी होगा। अन्य बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तो बात ही क्यां, स्वयं प्रबन्धन ने भी कहा था कि यह कदम राष्ट्र हित में नहीं है।

यह आई.आर.डी.ए. विधेयक उस समय सभा में सदस्यों की संख्या के बल पर पारित किया गया। इस देश में बीमा क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों से भारतीय पेशेवर कहीं अधिक उत्कृष्ट हैं। समान प्रतिस्पर्धी अवसरों के अभाव में उनके सम्मुख उपस्थित असुविधाओं के बावजूद भी जीवन बीमा निगम न केवल अच्छा कार्य कर रहा है अपितु नई-नई पॉलिसियों और नए-नए कार्यक्षेत्रों में अपने कार्य का विस्तार कर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

महोदय, साधारण बीमा निगम व इसकी अनुषंगी इकाइयों ने दावों का निपटान करने, लोगों को सेवा उपलब्ध कराने और यहां तक अपने उत्पादों की गुणवत्ता के मामले में भी विश्व की कुछ सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के समतुल्य कार्य किया है। लेकिन सरकार की कुछ अपनी नीतियां हैं जिनसे कभी-कभी इस संगठन के समक्ष गंभीर कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। मैं इस समय उन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा।

महोदय, सरकार के बीमा क्षेत्र को खोलने के बाद यह निर्णय लिया कि साधारण बीमा निगम की अनुषंगी इकाईयों को अलग-अलग कर दिया जाए। ऐसा क्यों? मैंने बार-बार यह प्रश्न पूछा

[श्री रूपचन्द पाल]

है। आज 'विलय' दुनिया भर में मूल-मंत्र बन गया है। टाटा औद्योगिक समूह ने किसी अन्य के साथ विलय किया है; रिलायंस औद्योगिक समूह की एक कंपनी ने इसी समूह की दूसरी कंपनी के साथ विलय किया है। दुनिया भर में बड़ी कंपनियों का आपस में विलय हो रहा है। मै. कॉम्पैक्ट ने मै. हैवलेट पैकार्ड के साथ विलय किया है। अत: दुनिया भर में कंपनियों का विलय हो रहा है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां एक विलयित कंपनी, जसमें नए वातावरण में प्रतियोगिता करने हेतु आर्थिक शक्ति है और जो इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कड़ी प्रतियोगिता प्रस्तुत कर रही है, को इस सरकार द्वारा इसलिए कमजोर किया जा रहा है क्योंकि निजी क्षेत्र इस सरकारी क्षेत्र के संगठन से मुकाबला नहीं कर सकता। यह इसका सबसे दुखद पहलु है। सरकार अपनी ही एक ऐसा एजेंसी को स्वयं कमजोर कर रही है जो पिछले कई दशकों से इस देश की सेवा कर रही है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था।

महोदय, सरकार का तर्क क्या है? सरकार का तर्क यह है कि वह एक पुनर्बीमाकर्ता एकमात्र पुनर्बीमा कपंनी चाहती है। इसकी क्या आवश्यकता है और यह पुनर्बीमा कंपनी क्या है? सरकार बड़े जोखिम के प्रबंधन हेतु विदेशी कंपनियों के साथ पुनर्बीमा करना चाहती है। पुनर्बीमाकर्ता की भूमिका निभाने के बावजूद साधारण बीमा निगम एक बीमा कंपनी के रूप में कार्य करती रह सकती है। लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है।

महोदय, हमारे यहां सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण समितियां हैं। मैंने बीमा क्षेत्र को खोले जाने के विरोध में सरकार को एक करोड़ पचास लाख लोगों के हस्ताक्षरों सहित एक याचिका भेजी थी। उस याचिका पर मंत्रियों, इस सरकार के समर्थक प्रतिष्ठित नेताओं के भी हस्ताक्षर थे और वे उस याचिका में लिखित इस बात से सहमत थे कि बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए नहीं खोला जाना चाहिए।

महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका में जहां 50 प्रान्त हैं और 50 कानून हैं, वहां बीमा क्षेत्र में मित्र देशों के प्रवेश की भी प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त के कानून के अनुसार अलग से छानबीन की जाती है। लेकिन हमारे देश में पहले तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनके आने के बाद जब यह देखा जाता है कि वे हमारी एजेंसियों, हमारे अपने संगठनों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पा रही हैं तो सरकार उनके लाभ के लिए हमारे संगठनों को कमजोर करने का प्रयास करती है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है।

यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। (जी.आई.सी.आई.) भारतीय साधारण बीमा निगम के उच्च प्रबन्धन से कहा गया कि वे अपनी अनुषंगी इकाईयों को एक निर्धारित तिथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करने और स्वयं को भारतीय साधारण बीमा निगम के प्राधिकार से अलग करने का निदेश दें। अन्ततः जब प्रबन्धन इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो भाषा बदल की गई।

मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में भारतीय साधारण बीमा निगम के प्रबन्धन की राय पर कभी विचार किया गया। क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय साधारण बीमा निगम के कभी विचार मांगे कि पुनर्बीमा, बीमा और इसके अन्य उत्पादों के संबंध में क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए और वे सभी मिलकर किस प्रकार बेहतर प्रतियोगिता या उत्पाद दे सकते हैं? नहीं हमारे उन पेशेवरों, जिन्होंने इस बीमा क्षेत्र को शून्य से उठाकर स्थापित किया, को कोई अधिकार नहीं है। उस समय सरकार ने उन्हें कितनी धनराशि दी थी? प्रदत्त पूंजी हेतु 5 करोड़ रुपये और अन्य छोटी-मोटी धनराशि ऋण के रूप में दी गई थी और उसे भी काफी समय पूर्व ही लौटा दिया गया था।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जो भा.ज.पा. के मुख्य सचेतक भी हैं, ने प्रबन्धन, श्रमिक संघों और बीमा उद्योग से जुड़े अन्य सभी लोगों के साथ बैठक करने के बाद यह कहा था कि उन सभी की सर्वसम्मत राय यह है कि उन कम्पनियों को अलग-अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बीमा क्षेत्र कमजोर होगा। फिर भी इसे किया जा रहा है। किसके लिए? यह कहा जा रहा है। कि पुनर्बीमा एक जटिल कार्य है। यह कौन नहीं जानता? यदि पुनर्बीमा एक जटिल कार्य है तो किसकी राय मांगे जाने की आवश्यकता है? एक नौकरशाह की तो कि पुनर्बीमा के बारे में कुछ नहीं जानता? मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं। यह एक बहुत जटिल कार्य है। इस निर्णय पर अंतिम राय एक नौकरशाह देगा न कि वह पेशेवर व्यक्ति जिसे दुनियाभर में बीमा विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। मैंने बहुत सी स्वदेशी पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ा है कि इन सभी संगठनों के प्रबन्ध-निदेशकों और अध्यक्षों ने इसका खुलकर विरोध किया है। यदि आप कमियों, दोषों, इसमें किए जा सकने वाले सुधारों के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

सरकार अपनी ही कृतियों को नष्ट कर रही है और कुछ निजी एजेंसियों के निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु, जो इन सब वर्षों में संसद की अनुमति के बिना महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना दबाव डाल सकती हैं, अपने संगठनों को कमजोर कर रही हैं। यह संसद का अधिनियम है। यह संसद के अधिकारों को नकारना है, संसद के सम्मान और प्राधिकार की अवमानना है कि संसद के एक अधिनियम की उपेक्षा की जा रही है।

इस प्रतिष्ठित सदन की अनुमति के बिना ही कार्यकारी निर्णय लिए गए हैं। इसकी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने भी आलोचना की थी। अत: सरकार इस सदन में एस बात का स्पष्टीकरण दे कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या जल्दी थी?

महोदय, इन कार्यकारी निर्णयों को लेने के पश्चात भी अन्य चीजों व इससे सम्बद्ध अन्य नियमों पर विचार करने के लिए इन्हें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी?

मैं एक विशेष, बात का उल्लेख करना चाहता हूं। समन्वय संबंधी कार्यों के लिए जी.आई.पी.एस.ए. नामक एक निकाय का गठन किया गया है। बीमा क्षेत्र में उदारीकरण के दौर में जी.आई.पी.एल.ए. के शासी बोर्ड में यह निर्णय लिया गया कि हमारे राष्ट्रीयकृत निकायों को और अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु उनके पुनर्गठन व पुनर्निर्माण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महोदय, बीमा क्षेत्र को खोले जाने के संबंध में चर्चा की शुरूआत करने वाली मल्होत्रा समिति ने स्पष्टतया यह कहा है कि "आप इसे खोलने से पूर्व पुनर्गठित करें।" मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। वे अपने निकायों से यह भी कह रहे हैं कि वे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते रहे लेकिन बीमा क्षेत्र में निजी संचालकों को किसी सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं करना है।

मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। यह फसल बीमा के बारे में है। माननीय सदस्यगण इस सम्माननीय सभा में बार-बार यह कह रहे हैं कि बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे किसान प्रभावित हो रहे हैं। मूलत: हमारा देश कृषि प्रधान देश हैं जहां 75 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं और इससे अपनी जीविका अर्जित करते हैं लेकिन फिर भी उत्पादकता और लाभप्रदता में गिरावट आ रही है। कृषि में निवेश में गिरावट आई है। विश्व व्यापार संगठन के आदेशानुसार सरकार द्वारा गलत नीति बनाने सहित इसमें इससे अनेक संबद्ध समस्याएं हैं।

फसल बीमा मुख्य उपाय में से एक है जो कम से कम किसानों को विपत्ति और दुर्दशा से आंशिक रूप से बचा सकता है। लेकिन अभी भी सरकार ने इस संबंध में कोई नीति नहीं बनाई है। इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है। इसका पूरा बोझ जी.आई.सी.आई. है। ये डाकघर की भांति है। इन सभी बातों अर्थात् कितनी राशि दी जानी है, किस तरह से देना है, किन लोगों को इसके अंतर्गत लाना है और किन लोगों को नहीं, पर केन्द्र सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाता है। आलोचना भारतीय सामान्य बीमा कम्पनी (जी.आई.सी.आई.) को सुननी पड़ती है तथा देनदारी की जिम्मेवारी भी उसे वहन करनी पड़ती है।

अब हमें पता चल रहा है कि सरकार ने कृषि बीमा के लिए एक पृथक निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया था। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

प्रणाली में खामियां हैं और यदि इसके लिए कोई दोषी है तो सरकार स्वयं दोषी है

अब मैं तृतीय पक्षकार, मोटर वाहन बीमा पर आता हूं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे सामान्य बीमा क्षेत्र को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति विमान दुर्घटना में मरता है तो 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और यदि कोई रेल दुर्घटना में मरता है तो मेरे विचार से उस के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यहां मुझे दिल्ली में हुई एक घटना याद आ रही है। मैं ऐसी अनेक घटनाओं के बारे में बता सकता हूं।

एक अनिवासी भारतीय को काफी नुकसान हुआ और उसे सड़क दुर्घटना के लिए 14 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। यह एक असाधारण उदाहरण है। सरकार की क्या नीति है? कौन शुल्क निर्धारण नीति बनाएगा? क्या निजी बीमा क्षेत्र ऐसा करेगा। उन्हें कोई सामाजिक दायित्व नहीं निभाना है। लेकिन वे कहते हैं कि वे ऐसा करेंगे। निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में हमारा अनुभव क्या है? अनुबंध यह था कि निजी क्षेत्र के बैंक कृषि के लिए निजी क्षेत्र के ऋण के रूप में 18 प्रतिशत प्रदान करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। क्या उन्होंने ऐसा किया है? हममें से कुछ सदस्य बार-बार सरकार से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि हमने जांच की है। विदेशी बैंकों को क्या हो रहा है? वे सामाजिक दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं।

निजी क्षेत्र की नई बीमा कम्पनियां विज्ञापन देकर इस देश की जनता को धोखा देने पर आमादा हैं-मैं इस कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कृपया मुझे गलत न समझें। लोग इन विज्ञापनों के प्रति आकर्षित होते हैं और अंतत: हकीकत कुछ और होती है। यह एकदम सही है कि लोग उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हैं और अन्य कदम उठा सकते हैं। उन्हें बीमा सुरक्षा दी गई है। लेकिन राष्ट्रीयकृत क्षेत्र अब तक सामाजिक दायित्व को पूरा करता आ रहा है। फिर भी उसे बिना किसी गलती के सजा मिल रही है।

जब वित्त मंत्री बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने सभा को आश्वासन दिया था। वह आश्वासन क्या था? पहला आश्वासन था कि सरकारी क्षेत्र के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी....*(व्यवधान)* आश्वासन दिया गया था कि कामगारों तथा कर्मचारियों के हितों

[श्री रूपचन्द पाल]

की पूर्ण रक्षा की जाएगी। मुझे उनकी वह बात याद है। उन्होंने कहा था कि छंटनी नहीं होगी।

अब, हाल ही में हुई बैठक में 'जिपसा' के कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने जो कुछ कहा वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करने के अलावा और कुछ नहीं है, जैसाकि हर जगह हो रहा है।

हमारे सरकारी क्षेत्र देश के पेशेवर लोगों की सेवाओं का लाभ नहीं उठा रहे है। निजी क्षेत्र यह कह कर सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है कि आप हमारी कम्पनी में शामिल हो सकते हैं और हम आपको अमुक सुविधाएं देंगे। एक मामले में मैंने सुना कि हमारे देश के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त उच्च स्तर के पेशेवर व्यक्ति को निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनी में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये देनं का प्रस्ताव दिया गया था। इस विश्व में हमारे देश के सर्वोत्तम पेशेवर व्यक्तियों ने अपनी कड़ी मेहनत और अपने खून-पसीने से यह महान संस्थान बनाया है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है लेकिन आप इस संस्थान को बर्बाद कर रहे हैं - कभी इनका विलय न करके, कभी प्रोत्साहन समाप्त करके तो कभी ऐसे कदम उठाकर जो वास्तव में शीर्ष प्रबंधन की भूमिका को अप्रासंगिक बनाते हैं, जैसाकि मैंने उदाहरण दिए हैं। यदि मैं गलत हूं तो मंत्री महोदय इसका खंडन कर सकते हैं। इनका विलय न करने के मुद्दे पर जी.आई.सी.आई. के शीर्ष प्रबंधन से आज तक परामर्श नहीं किया गया।

लेकिन मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि जब हम जी.आई.सी.आई. की जांच कर रहे थे तो विचार-विमर्श के दौरान जब हमने इसके शीर्ष प्रबंधन से पूछा तो वे इस बात से सहमत थे कि हमने जो कुछ कहा है वह सौ प्रतिशत सही है। हमारी राय पर कभी ध्यान नहीं किया गया। क्या हमारे देशभक्त पेशेवर व्यक्तियों से सलूक करने का यह तरीका है? यह कुछ विदेशी निजी बीमा कम्पनियों के हितों को पूरा करने हेतु हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों तथा हमारे देश के लोगों की मेहनत से बने संस्थान को इस तरह से बर्बाद कर देना चाहिए? ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

जब बीमा विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तब हमने अपने मित्रों से अपील की थी, हमने कांग्रेसी मित्रों से भी अपील की थी। हम उनके पास गए थे। मुझे याद है कि मैंने एक बार कांग्रेस के भूतपूर्व आदरणीय उपनेता, स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया से इस मामले पर चर्चा की थी। उन्होंने स्वयं कुछ संशोधन दिए थे और कुछ प्रश्न पूछे थे। आज मैं उन्हें याद करता हूं वे बहुत सारी बातों से सहमत थे जो मैंने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के सामने उठाई थीं। सत्तारूढ़ भाजपा में भी मेरे मित्र और उनके सहयोगी इस बात से सहमत थे कि जो कुछ मैंने कहा वह सही था। क्या आप सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जैसा मत नहीं बना सकते हैं? भाजपा के मुख्य सचेतक श्री विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में समिति ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया कि इनका विलय न करना सही नहीं है। यह सही समय नहीं है इसलिए इस पर आगे और कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। हमने यह कहा था। मुझे हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष की याद आती है जब विधेयक पर चर्चा होने वाली थी। मैं दौड़ता हुआ यह कहने के लिए उनके पास गया कि "ये दो महत्वपूर्ण समितियों के दो प्रतिवेदन हैं। आप इस सभा के संरक्षक है। आप कृपया इसका समाधान कीजिए।' उन्होंने माननीय वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा को बुलाया। यह कहना उचित नहीं है कि किसी के कक्ष में क्या हुआ लेकिन अब वे हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। वे सहमत हुए और उन्होंने श्री विजय मल्होत्रा को भी बुलाया। मेरा श्री विजय मल्होत्रा से भारी मतभेद है लेकिन मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा था, नहीं, जो मैंने अपनी समिति—सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—में कहा है, वही बात रहेगी।' इस तरह, अंत में यह निर्णय हुआ था कि विधेयक को स्थायी समिति की संवीक्षा हेतु भेजा जाना चाहिए। विश्वभर में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को सुदृढ़ किए जाने की कोशिश की गई है। आप भारतीय तेल निगम के बारे में पूछ रहे थे। आपकी अन्य सार्वजनिक निकायों में भी हिस्सेदारी है यद्यपि उन्हें बहुत अधिक मूल्य पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में जैसे दूरसंचार क्षेत्र, तेल क्षेत्र, इस्पात क्षेत्र तथा अनेक अन्य क्षेत्रों का विलय हो रहा है तो बीमा क्षेत्र का विलय क्यों नहीं हो सकता है? इसमें क्या नुकसान हैं? मैं आपको बता दूं कि सामान्य बीमा कम्पनी एक बीमा कम्पनी के रूप में अपना कार्य करने के बाद भी विश्व की सर्वोत्तम पुनर्बीमा कम्पनियों के रूप में कार्य कर सकती है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल: क्या मैं आज अथवा कल अपनी बात समाप्त करूं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मेरे विचार से वे यदि आज ही अपनी बात समाप्त कर दें तो बेहतर होगा।

श्री रूपचन्द पाल: मुझे चार या पांच बातें कहनी हैं। मैं कल कह दूंगा।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, क्या दो सदस्यों के बीच निर्णय लिया गया है? इस सभा ने निर्णय लिया है....*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, उन्हें आज ही बात समाप्त करने दीजिए....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं कल 15 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका समय पूरा हो चुका है। इसलिए आप कन्क्लूड कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं अपना भाषण कल समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): लेकिन आज आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

सभापति महोदय: अब सभा कल 9 मई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 मई, 2002/19 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.25.33/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार,8 मई, 2002/ 18 वैशाख,1924 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
49	9	श्री अन्त नायक	श्री अनन्त नायक
511	17	वायरड्	वायर्ड
511	17	लोकर	लोकल